

# छत्तीसगढ़ विधान सभा

## प्रश्नोत्तर-सूची

दिसम्बर, 2014 सत्र

सोमवार, दिनांक 15 दिसम्बर, 2014

## तारांकित प्रश्नोत्तर

चित्रकोट विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत महिला स्वसहायता समूहों द्वारा रेडी-टू-ईट का संचालन

1. (\*क्र. 245) **श्री दीपक बैज** : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधान सभा क्षेत्र चित्रकोट अंतर्गत प्रत्येक विकासखण्ड में वर्ष 2012-2013, 2013-2014 एवं 2014-2015 में कितने और किन महिला स्वसहायता समूहों के द्वारा रेडी-टू-ईट का संचालन किया जा रहा है ? नाम, पते सहित सूची उपलब्ध करावें. (ख) कितने समूहों के विरुद्ध संचालन में अनियमितता की शिकायत प्राप्त हुई है ? विकासखण्डवार उल्लेख करें व उन समूहों पर क्या कार्यवाही की गई है?

**महिला एवं बाल विकास मंत्री** (श्रीमती रमशीला साहू) : (क) विधान सभा क्षेत्र चित्रकोट अंतर्गत वर्ष 2012-13 में 24 समूह, वर्ष 2013-14 में 24 एवं 2014-15 में 32 महिला स्वसहायता समूहों द्वारा रेडी-टू-ईट का प्रदाय किया जा रहा है. समूहवार, विकासखंडवार जानकारी † परिशिष्ट अनुसार है. (ख) प्रश्नाधीन अवधि में विकासखंड लोहाण्डीगुड़ा एवं दरभा विकासखंड में एक-एक महिला स्वसहायता समूह की अनियमितता की शिकायत प्राप्त हुई है. दोनों समूहों को कार्य से निलंबित कर दिया गया है एवं समूहों के विरुद्ध प्राप्त शिकायत की जांच की जा रही है.

डौण्डीलोहारा विधान सभा क्षेत्र में संचालित भवन विहीन आंगनबाड़ी केन्द्र

2. (\*क्र. 183) **श्रीमती अनिला भेंडिया** : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) डौण्डीलोहारा विधान सभा क्षेत्र में कितने आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित हैं ? कितने आंगनबाड़ी केन्द्र भवनविहीन हैं एवं कितने किराये के मकान में संचालित हैं ? (ख) कितने नवीन भवन की स्वीकृति प्राप्त की जा चुकी है ? निर्माण की कार्यवाही कब तक पूर्ण की जावेगी ?

**महिला एवं बाल विकास मंत्री** (श्रीमती रमशीला साहू) : (क) डौण्डीलोहारा विधान सभा क्षेत्र में 563 आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित हैं. 188 आंगनबाड़ी केन्द्र भवनविहीन हैं एवं 193 आंगनबाड़ी केन्द्र भवन किराये के मकान में संचालित हैं. (ख) 33 नवीन भवन की स्वीकृति प्राप्त हुई है, जिनका निर्माण कार्य प्रगति पर है. आंगनबाड़ी केन्द्रों के लिए स्वीकृत भवनों के निर्माण कार्य ग्राम पंचायत/नगर पंचायत के माध्यम से किया जाता है. अतः कार्य की पूर्णता का समय बताया जाना संभव नहीं है.

विधान सभा क्षेत्र सामरी में हिण्डालको द्वारा जनहित में निष्पादित कार्य

3. (\*क्र. 152) **डॉ. प्रीतम राम** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र सामरी में बाक्सार्ड उतखनन-हिण्डालको कंपनी के द्वारा जनहित में क्या-क्या कार्य विगत 3 वर्षों में कराये गये हैं ?

**मुख्यमंत्री** (डॉ. रमन सिंह) : विधान सभा क्षेत्र सामरी में बाक्सार्ड उतखनन हेतु हिण्डालको कंपनी के द्वारा जनहित में सड़क निर्माण, पेयजल, गैर पारंपरिक ऊर्जा, विद्यालय भवन, अस्पताल, स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पेयजल, शिक्षा एवं क्षमता विकास संबंधित, आजीविका संबंधित, खेलकूद एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा जनोपयोगी कार्य विगत 3 वर्षों में कराये गये.

स्वसहायता समूहों द्वारा निर्मित रेडी-टू-ईट की जांच

4. (\*क्र. 385) **श्री रामलाल चौहान** : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सरायपाली विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत कितने स्वसहायता समूह हैं ? (ख) क्या यह सही है कि स्वसहायता समूहों द्वारा निर्मित की जाने वाली रेडी-टू-ईट फूड की सेक्टर पर्यवेक्षक, परियोजना अधिकारी द्वारा रैंडम जांच की जाती है ? यदि हां, तो माह अप्रैल 2013 से माह अप्रैल 2014 तक स्वसहायता समूहों द्वारा निर्मित रेडी-टू-ईट फूड की जांच कब-कब, किसके द्वारा की गई ? (ग) उक्त में से किनके-किनके सेम्पल नमूना जांच हेतु खाद्य एवं पोषण आहार लैब मुम्बई को कब-कब भेजा गया ? सेम्पलवार क्या-क्या जांच रिपोर्ट कब-कब प्राप्त हुई ?

**महिला एवं बाल विकास मंत्री** (श्रीमती रमशीला साहू) : (क) सरायपाली विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत 209 महिला स्व सहायता महिला समूह गठित हैं. (ख) जी हां. प्रश्नाधीन अवधि में की गई जांच की जानकारी † संलग्न प्रपत्र “अ” अनुसार है. (ग) जानकारी † संलग्न प्रपत्र “ब” अनुसार है.

जिला जांजगीर-चांपा के उद्योग में हुई दुर्घटना के प्रभावितों को मुआवजा

5. (\*क्र. 253) **श्री केशव चंद्रा** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला जांजगीर-चांपा में विगत 3 वित्तीय वर्षों में चालू उद्योगों एवं निर्माणाधीन उद्योगों (कारखाना) में कितनी दुर्घटना हुई तथा इनमें कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई ? कितने घायल हुये ? वर्षवार एवं उद्योगवार जानकारी दें. (ख) मृतक परिवार एवं घायल व्यक्तियों को कितना मुआवजा प्रदान किया गया. उद्योग प्रबंधन एवं शासन स्तर पर अलग-अलग जानकारी दें. (ग) दिनांक 20-11-14 तक मुआवजा के कितने प्रकरण लंबित है ? कब तक मुआवजा दिया जावेगा.

**मुख्यमंत्री** (डॉ. रमन सिंह) : (क) जिला जांजगीर-चांपा में विगत 3 वित्तीय वर्ष में चालू उद्योगों एवं निर्माणाधीन उद्योगों (कारखाना) में कुल 113 दुर्घटनायें हुई. इनमें कुल 33 श्रमिकों की मृत्यु हुई, एवं 17 श्रमिक घायल हुए. वर्षवार एवं उद्योगवार जानकारी परिशिष्ट पर †† संलग्न है. (ख) उद्योग प्रबंधन द्वारा 24 मृतक श्रमिकों के परिवारों को एवं घायल श्रमिकों को स्थाई विकलांगता की स्थिति में रु. 1,49,20,445 मुआवजा राशि तथा रु. 54,37,343 की सहायता राशि प्रदान की गई है. 08 मृतक श्रमिकों के परिवारों को कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा मासिक पेंशन दी जा रही है. (ग) दिनांक 20-11-14 तक मुआवजा के केवल 01 प्रकरण लंबित है. प्रकरण श्रम न्यायालय में विचाराधीन होने से समयावधि बताया जाना संभव नहीं है.

भारत शासन से कैम्पा मद में प्राप्त/व्यय राशि

6. (\*क्र. 147) **श्री सत्यनारायण शर्मा** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण (कैम्पा) हेतु वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 में भारत शासन से कितनी राशि प्राप्त हुई तथा किस कार्य पर व्यय करने के निर्देश थे ? (ख) प्राप्त राशि से किन-किन वन मंडलों में वृक्षारोपण कार्य, कितने हेक्टेयर में, किन वन प्रजातियों का किया गया तथा उनका मूल्यांकन विभाग में अगर किया तो जीवित पौधों का प्रतिशत क्या है ? (ग) क्या उपरोक्त प्राप्त राशि से कार, ट्रक, रेफ्रिजरेटर, ऑफिस फर्नीचर एवं अन्य स्टोर सामग्री क्रय की गई ? (घ) क्या इस राशि का उपयोग भवन निर्माण, मरम्मत, बाग-बागीचा, रख-रखाव, दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी का वेतन भुगतान आदि में किया गया ?

**मुख्यमंत्री** (डॉ. रमन सिंह) : (क) क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण (कैम्पा) हेतु वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 में भारत शासन से निम्नानुसार राशि प्राप्त हुई :-

वर्ष	प्राप्त राशि (लाख रु. में)
2012-13	2226.00
2013-14	2500.00
योग	4726.00

उक्त राशि क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण कार्य पर व्यय करने के निर्देश थे. (ख) प्राप्त राशि से विभिन्न वनमण्डलों में कराये गये क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण, रोपित प्रजाति तथा जीवित प्रतिशत की जानकारी †† संलग्न परिशिष्ट में दर्शित है. (ग) प्रश्नांश “क” हेतु प्राप्त राशि से कार, ट्रक, रेफ्रिजरेटर, ऑफिस

† परिशिष्ट “दो”

†† परिशिष्ट “तीन”

‡ परिशिष्ट “चार”

फर्नीचर एवं अन्य स्टोर सामग्री क्रय नहीं की गई है. (ग) प्रश्नांश “क” हेतु प्राप्त राशि का उपयोग भवन निर्माण, मरम्मत, बाग-बगीचा, रख-रखाव, दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी का वेतन भुगतान आदि में नहीं किया गया है.

रायगढ़ जिले में स्थित औद्योगिक इकाइयों का आकस्मिक निरीक्षण

7. (\*क्र. 188) **श्री देवजी भाई पटेल** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) 01 जनवरी, 2012 से 20 नवम्बर, 2014 की अवधि में रायगढ़ जिले के किन-किन औद्योगिक इकाइयों के निरीक्षण करने के लिए जिला स्तरीय कमेटी गठित की गई है ? समिति के सदस्यों सहित ब्यौरा दें ? (ख) कंडिका “क” की समिति के आधार पर किन-किन उद्योगों में आकस्मिक निरीक्षण के दौरान कौन-कौन सी अनियमितताएं पायी गई ? (ग) कंडिका “ख” की अनियमितताओं के लिए कलेक्टर रायगढ़ एवं राज्य शासन द्वारा क्या-क्या कार्यवाही, कब-कब की गई ?

**मुख्यमंत्री** (डॉ. रमन सिंह) : (क) प्रश्नाधीन अवधि में रायगढ़ जिले की 13 लघु औद्योगिक इकाइयों के ब्याज अनुदान प्रकरणों की जांच के लिए कलेक्टर रायगढ़ द्वारा जांच दल गठित किया गया था. समिति के सदस्यों सहित ब्यौरा † संलग्न प्रपत्र “अ” में दर्शित है. (ख) उपरोक्त कंडिका “क” की समिति के द्वारा जांच किये गये उद्योगों में से जिन उद्योगों में अनियमितताएं पायी गयी, उनकी जानकारी † संलग्न प्रपत्र “ब” पर है. (ग) कंडिका “ख” की अनियमितताओं के लिए † संलग्न प्रपत्र “स” अनुसार कार्यवाही की गई है.

विधान सभा क्षेत्र लोरमी अंतर्गत विभिन्न आंगनबाड़ी केन्द्रों में रिक्त पद

8. (\*क्र. 223) **श्री तोखन साहू** : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधान सभा क्षेत्र लोरमी में आंगनबाड़ी केन्द्रों की संख्या कितनी है ? कितने आंगनबाड़ी केन्द्रों में कार्यकर्ता एवं सहायिका का पद रिक्त है ? केन्द्रों के नाम सहित जानकारी दें. (ख) उक्त आंगनबाड़ी केन्द्रों में पोषण आहार का प्रदाय किन-किन संस्थाओं द्वारा किया जा रहा है ? पोषण आहार का नियमित जांच कहां से कब-कब कराई जाती है ? (ग) रेडी-टू-ईट योजनांतर्गत कितनी संस्थाएं विधान सभा क्षेत्र में कार्य कर रही हैं ? नाम सहित जानकारी दें.

**महिला एवं बाल विकास मंत्री** (श्रीमती रमशीला साहू) : (क) लोरमी विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत कुल 388 आंगनबाड़ी केन्द्र स्वीकृत हैं एवं सभी केन्द्र संचालित हैं. कार्यकर्ता एवं सहायिका के रिक्त पदों की केन्द्रवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 अनुसार है. (ख) पूरक पोषण आहार प्रदाय कर रहे महिला स्व सहायता समूहों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2 अनुसार हैं. पूरक पोषण आहार कार्यक्रम अंतर्गत प्रतिमाह चक्रानुक्रम में 20 प्रतिशत महिला स्व सहायता समूहों के रेडी-टू-ईट फूड के नमूने भारत सरकार, खाद्य एवं पोषाहार बोर्ड की मुंबई स्थित प्रयोगशाला में रेण्डम आधार पर परीक्षण हेतु भेजे जाते हैं. (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-3 अनुसार है.

भानुप्रतापपुर विधान सभा क्षेत्र के कच्चे आरीडोंगरी में वृक्षों का रोपण एवं स्वास्थ्य शिविर का आयोजन

9. (\*क्र. 192) **श्री मनोज सिंह मंडावी** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भानुप्रतापपुर विधान सभा क्षेत्र के ग्राम कच्चे आरीडोंगरी अंतर्गत खनिज उत्खनन हेतु किस संस्था/फर्म को अनुमति कितने क्षेत्र में कितनी अवधि हेतु प्रदान की गई ? अनुमति प्रदत्त क्षेत्र में संबंधित संस्थान द्वारा अनुमति एवं बगैर अनुमति के कितने इमारती एवं गैर इमारती वृक्षों की कटाई की गई ? (ख) काटे गए वृक्षों के एवज में संबंधित संस्थान को कुल कितनी मात्रा में अनुबंध के अनुसार वृक्षों का रोपण किया जाना था ? अनुबंध के विरुद्ध किस-किस प्रजाति के कितने वृक्षों का रोपण कहां-कहां पर किया गया है ? वर्तमान में रोपित वृक्षों में से कितने प्रतिशत वृक्ष जीवित हैं ? (ग) क्या संबंधित संस्थान के द्वारा वृक्षरोपण के साथ ही स्थानीय व्यक्तियों के स्वास्थ्य के संबंध में शिविर का आयोजन वर्ष 2013 से 16 नवम्बर, 2014 के मध्य किया गया ? यदि हां, तो कहां-कहां पर तथा उसमें कहां-कहां के कौन-कौन से चिकित्सक सम्मिलित हुए थे ?

**मुख्यमंत्री** (डॉ. रमन सिंह) : (क) भानुप्रतापपुर विधान सभा क्षेत्र के ग्राम कच्चे आरीडोंगरी के वनमंडल पूर्व भानुप्रतापपुर के वन कक्ष क्रमांक 608 (पुराना 139) के रकबा 106.60 हेक्टर क्षेत्र पर खनिज लौह अयस्क खनिपट्टा दिनांक 30-09-2008 से 20 वर्ष की अवधि के लिए मेसर्स गोदावरी पावर एण्ड इस्पात लि. रायपुर को स्वीकृत किया गया है. स्वीकृत खनिपट्टा क्षेत्र में वृक्ष विदोहन अनुमति पश्चात् 21081 वृक्षों का विदोहन वन विभाग द्वारा किया गया है तथा 194 नग वृक्ष विदोहन हेतु शेष है. संबंधित संस्थान के द्वारा किसी भी प्रकार से वृक्षों से विदोहन नहीं किया गया है. (ख) काटे गये वृक्षों के एवज में संबंधित संस्थान द्वारा किसी भी प्रकार के वृक्षारोपण नहीं किया गया है. कंपनी द्वारा पर्यावरण क्लीयरेंस में दिये गये शर्तों के तहत कुल 24500 नग मिश्रित वृक्षों का रोपण किया गया है. संस्थान द्वारा रोपित वृक्ष की प्रजाति, संख्या, स्थल एवं जीवित वृक्षों की प्रतिशत की जानकारी †† संलग्न परिशिष्ट पर दर्शित है. (ग) आवेदक संस्थान द्वारा वर्ष 2013 से 18 नवम्बर 2014 के मध्य स्वास्थ्य शिविर का आयोजन नहीं किया गया है.

विकासखण्ड बिलाईगढ़ एवं कसडोल अंतर्गत विद्युतीकरण हेतु सम्मिलित ग्राम

10. (\*क्र. 230) **डॉ. सनम जांगड़े** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि विधानसभा क्षेत्र बिलाईगढ़ के अंतर्गत विकासखण्ड बिलाईगढ़ व कसडोल में सत्र 2012-2013 एवं 2013-2014 में राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना अंतर्गत डी.पी.आर. में कितने गांव शामिल किये गये हैं और उस पर क्या-क्या कार्यवाही हुई है ?

**मुख्यमंत्री** (डॉ. रमन सिंह) : राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत स्वीकृत विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन में ग्रामों के विद्युतीकरण का लक्ष्य वर्षवार नहीं, योजना की संपूर्ण अवधि के लिए निर्धारित किया जाता है. ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में रायपुर जिले के लिए स्वीकृत डीपीआर में विधानसभा क्षेत्र बिलाईगढ़ के अंतर्गत विकासखण्ड बिलाईगढ़ एवं कसडोल के क्रमशः 217 व 118 गांव शामिल किये गये थे. उक्त सभी ग्रामों हेतु स्वीकृत विद्युतीकरण कार्य पूर्ण कर दिया गया है.

कबीरधाम जिले में संचालित आंगनबाड़ी भवनों अहाता निर्माण

11. (\*क्र. 342) **श्री अशोक साहू** : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कबीरधाम जिले में संचालित आंगनबाड़ी भवनों में कितने में अहाता निर्माण हो चुका है और कितने शेष है ? (ख) क्या विधान सभा क्षेत्र कवर्धा के अंतर्गत प्रत्येक ग्राम/नगर में बच्चों की संख्या के आधार पर आंगनबाड़ी की संख्या पर्याप्त है ? यदि नहीं तो, कितने नवीन आंगनबाड़ी भवनों के निर्माण कार्य की योजना है ?

**महिला एवं बाल विकास मंत्री** (श्रीमती रमशीला साहू) : (क) कबीरधाम जिले में संचालित 1438 आंगनबाड़ी भवनों में से 799 आंगनबाड़ी भवनों में अहाता निर्माण हो चुका है. 130 आंगनबाड़ी भवनों में अहाता निर्माण शेष है. (ख) शहरी/ग्रामीण क्षेत्र में 400-800 की जनसंख्या पर 01 आंगनबाड़ी केन्द्र तथा 150-400 की जनसंख्या पर 01 मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र स्वीकृत किया जाता है. अनुसूचित जनजाति क्षेत्र अंतर्गत 300-800 की जनसंख्या पर 01 आंगनबाड़ी केन्द्र एवं 150-300 की जनसंख्या पर 01 मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र स्वीकृत किया जाता है. विधान सभा क्षेत्र कबीरधाम अंतर्गत 36 ग्रामों में 13 नवीन आंगनबाड़ी केन्द्र एवं 26 नवीन मिनी आंगनबाड़ी केन्द्रों में स्वीकृति प्रक्रियाधीन है. नवीन भवनों की स्वीकृति वित्तीय संसाधनों के उपलब्धता के आधार पर दी जाती है.

भरतपुर सोनहत वि. स. क्षेत्र में वोल्टेज की समस्या का निराकरण

12. (\*क्र. 422) **श्रीमती चम्पादेवी पावले** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भरतपुर विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत कितने ग्रामों में लो वोल्टेज की समस्या से संबंधित शिकायतें प्राप्त हुईं उसे दूर करने हेतु विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ? (ख) कितने गांवों के मजरा टोला में विद्युतीकरण करना शेष है ? कब तक पूर्ण कर लिया जायेगा ?

**मुख्यमंत्री** (डॉ. रमन सिंह) : (क) भरतपुर सोनहत विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत 02 ग्राम कठौतिया एवं ताराबहरा-कछौड़ में लो-वोल्टेज समस्या की शिकायतें प्राप्त हुई हैं. जिसमें से ग्राम कठौतिया में शिकायत का निराकरण कर दिया गया है तथा ग्राम ताराबहरा-कछौड़ में अतिरिक्त वितरण ट्रांसफार्मर स्थापित करने का कार्य यथाशीघ्र पूर्ण करने के प्रयास हैं. (ख) वर्तमान में कोरिया जिले के लिए स्वीकृत राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण (आर.जी.जी.व्ही.वाय) का कार्य प्रगति पर है. आर.जी.जी.व्ही.वाय के अंतर्गत कोरिया जिले के लिये स्वीकृत परियोजना प्रतिवेदन में भरतपुर सोनहत विधानसभा क्षेत्र के सम्मिलित कुल 36 ग्रामों के 92 मजराटोला में विद्युतीकरण कार्य शेष हैं. स्वीकृत योजना के अनुसार शेष अविद्युतीकृत मजराटोलों का कार्य दिनांक 31-12-2014 तक पूर्ण करने का प्रयास है.

राजीव गांधी विद्युतीकरण के तहत स्वीकृत राशि

13. (\*क्र. 127) **श्रीमती तेजकुंवर गोवर्धन नेताम** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2014-15 में राजीव गांधी विद्युतीकरण के तहत कितनी राशि की स्वीकृति दी गई है ? 30 अक्टूबर, 2014 की स्थिति में मानपुर-मोहला विधान सभा क्षेत्रांतर्गत कितने ग्रामों, मजराटोला, पारा में विद्युतीकरण का कार्य नहीं किया जा सका है ? कृपया ग्रामवार पूर्ण जानकारी दें. (ख) प्रश्नांश "क" के किन-किन ग्रामों, मजरा, टोला, पारा में विद्युतीकरण का कार्य प्रारंभ किया गया है ? कार्य कब तक पूर्ण करा लिया जावेगा ?

**मुख्यमंत्री** (डॉ. रमन सिंह) : (क) वर्ष 2014-15 में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आर.जी.जी.व्ही.वाय.) के तहत 04 जिलों यथा कोरबा, जांजगीर-चांपा, धमतरी एवं महासमुन्द के लिए राशि रु. 286.09 करोड़ की स्वीकृत रूलर इलेक्ट्रिफिकेशन कार्पोरेशन (आर.इ.सी.) नई दिल्ली से प्राप्त हुई है. 30 अक्टूबर 2014 की स्थिति में मानपुर-मोहला विधानसभा क्षेत्रांतर्गत 01 ग्राम यथा मुरेर एवं 29 मजरा/टोलों में ग्रामीण विद्युतीकरण का कार्य नहीं किया जा सका है. अविद्युतीकृत ग्राम तथा ग्रामवार मजरा टोलों की सूची † संलग्न परिशिष्ट में दर्शित है. (ख) प्रश्नांश “क” के किसी भी ग्राम, मजरा, टोला, पारा में विद्युतीकरण का कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है. उक्त ग्राम एवं मजरा टोलों में विद्युतीकरण का कार्य बारहवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आर.जी.जी.व्ही.वाय. में प्रस्तावित है. अतः योजना की स्वीकृति पश्चात् ही कार्य पूर्ण होने की जानकारी बताया जाना संभव होगा.

कोटा वि.स. क्षेत्र में व्यायामशाला एवं खेलकूद हेतु आवंटित राशि

14. (\*क्र. 155) **डॉ. (श्रीमती) रेणु जोगी** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कोटा विधानसभा क्षेत्र में व्यायामशाला एवं खेलकूद हेतु कितनी राशि पिछले पांच वर्षों में आवंटित की गई है ? (ख) क्या गौरैला नगर पंचायत के अंतर्गत कन्या महाविद्यालय में निर्मित स्टेडियम का उपयोग खेलकूद प्रतियोगिताओं के लिये किया जाता है ?

**मुख्यमंत्री** (डॉ. रमन सिंह) : (क) व्यायाम शाला हेतु राशि आवंटित नहीं की गई है एवं खेलकूद हेतु रुपये 13,40,040/- की राशि पिछले पांच वर्षों में आवंटित की गई है. (ख) जी हां.

गुंडरदेही विधान सभा क्षेत्र में आंगनबाड़ी केन्द्रों हेतु भवन की स्वीकृति

15. (\*क्र. 1) **श्री राजेन्द्र कुमार राय** : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) गुंडरदेही विधान सभा क्षेत्र में कितने आंगनबाड़ी केन्द्र स्वीकृत हैं ? कितने केन्द्रों हेतु भवन का निर्माण किया जा चुका है ? कितने केन्द्र भवन विहीन हैं ? (ख) भवन कब तक स्वीकृत हो जावेंगे ?

**महिला एवं बाल विकास मंत्री** (श्रीमती रमशीला साहू) : (क) गुंडरदेही विधान सभा क्षेत्र में 431 आंगनबाड़ी केन्द्र स्वीकृत हैं. 303 आंगनबाड़ी केन्द्रों हेतु भवनों का निर्माण किया जा चुका है. 92 आंगनबाड़ी केन्द्र भवन विहीन हैं. (ख) वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर विभागीय एवं अन्य मदों से भवन स्वीकृत करने की कार्यवाही की जाती है. अतः समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है.

प्रदेश में मीटर शिफ्टिंग में अनियमितता पर कार्यवाही

16. (\*क्र. 280) **श्री भूपेश बघेल** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2014 में दिनांक 18 नवम्बर, 2014 तक प्रदेश में मीटर शिफ्टिंग के नाम से कितनी राशि की अनियमितता एवं गबन की पुष्टि हो चुकी है ? जिलेवार जानकारी दें. (ख) उक्त वित्तीय अनियमितता में किन-किन लोगों को दोषी पाया गया ? दोषियों पर क्या-क्या कार्यवाही की गयी ?

**मुख्यमंत्री** (डॉ. रमन सिंह) : (क) वर्ष 2014 में दिनांक 18 नवम्बर 2014 तक प्रदेश में मीटर शिफ्टिंग के कार्यों की प्रारंभिक जांच में रु. 5,64,42,513/- की अनियमितता संज्ञान में आयी है. जिलेवार अनियमितता की राशि का विवरण †† संलग्न परिशिष्ट में दर्शित है. (ख) मीटर शिफ्टिंग में हुई अनियमितता में संलिप्त विभिन्न ठेकेदार यथा मे. विधवानी इन्फ्राटेक तुलसीनगर कोरबा, विजय कुमार अचतानी सरकंडा बिलासपुर, पंकज केला कटघोरा, राघवेन्द्र जायसवाल पाली, संजय नायडू कटघोरा, सहारा दास जगदलपुर, सुनील कडसे जगदलपुर, अमित कुमार जायसवाल कटघोरा, पिन्दु ठाकुर जगदलपुर को दोषी पाया गया है. उक्त सभी दोषी ठेकेदारों के विरुद्ध संबंधित पुलिस थानों में एफ.आई.आर. दर्ज की जा चुकी है. अनियमितता की राशि कंपनी के खाते में जमा करने बाबत नोटिस संबंधित ठेकेदारों को जारी किया गया है तथा उन्हें ब्लेक लिस्टेड भी किया गया है. इसके अतिरिक्त 18 विभागीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रथम दृष्टया दोषी पाया गया एवं उन्हें निलंबित कर विभागीय जांच की कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है.

बस्तर संभाग में वृहद मध्यम उद्योग स्थापना के लंबित प्रकरण

17. (\*क्र. 334) **श्री लखेश्वर बघेल** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बस्तर संभाग में वृहद एवं मध्यम उद्योग स्थापना के कितने प्रकरण विभाग में लंबित है ? क्या इन उद्योगों की स्थापना हेतु शासन द्वारा स्थान का चयन कर लिया गया है ? यदि हां तो, कहां-कहां ? (ख) बस्तर संभाग में किन-किन स्थानों पर औद्योगिक क्षेत्रों के विकास की कार्यवाही प्रचलन में है एवं कब से ? (ग) इन क्षेत्रों में कुल कितनी-कितनी भूमि कहां-कहां पर उद्योगों की स्थापना हेतु उपलब्ध होगी ?

**मुख्यमंत्री** (डॉ. रमन सिंह) : (क) बस्तर संभाग में वर्तमान में वृहद एवं मध्यम उद्योगों की स्थापना के 13 प्रकरण प्रक्रियाधीन/लंबित है. उद्योगों की स्थापना हेतु स्थान का चयन शासन द्वारा नहीं अपितु उद्योगों द्वारा किया जाता है. जानकारी प्रपत्र "अ" पर † संलग्न है. (ख) जानकारी प्रपत्र "ब" पर † संलग्न है. (ग) उपरोक्त "ख" के संबंध में दन्तेवाड़ा जिले के टेकनार औद्योगिक क्षेत्र में 9.016 हेक्टेयर भूमि उद्योगों की स्थापना हेतु उपलब्ध है. शेष प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना के पश्चात् ही भूमि की उपलब्धता की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी.

विधान सभा क्षेत्र बलौदा-बाजार अंतर्गत स्थापित संयंत्रों द्वारा सी.एस.आर. मद अंतर्गत व्यय राशि

18. (\*क्र. 33) **श्री जनकराम वर्मा** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधान सभा क्षेत्र बलौदाबाजार अंतर्गत स्थापित संयंत्रों से वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 में कितनी राशि सीएसआर के तहत प्राप्त हुई एवं कितनी-कितनी राशि किस-किस मद में व्यय की गई ? (ख) किस नियम के तहत उक्त राशि व्यय की गई ?

**मुख्यमंत्री** (डॉ. रमन सिंह) : (क) विधान सभा क्षेत्र बलौदाबाजार अंतर्गत स्थापित संयंत्रों के द्वारा प्रश्नाधीन अवधि में व्यय की गई मदवार जानकारी †† संलग्न परिशिष्ट पर है. (ख) उक्त राशि शासन की निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व नीति के तहत व्यय की गई है.

धरमजयगढ़ विधान सभा क्षेत्र में सबला योजना के तहत गठित समूह

19. (\*क्र. 116) **श्री लालजीत सिंह राठिया** : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सबला योजना के तहत धरमजयगढ़ विधान सभा क्षेत्र में कितने समूह किन विभागों द्वारा बनाये गये हैं ? (ख) उक्त समूह में कितने नियमित हैं ? उन्हें क्या-क्या प्रशिक्षण दिये गये हैं, तथा किन किन योजनाओं का लाभ सरकार द्वारा दिया जा रहा है ? इसमें कितने समूह लाभान्वित हुए और कितने योजना से वंचित है कारण बतावें ?

**महिला एवं बाल विकास मंत्री** (श्रीमती रमशीला साहू) : (क) सबला योजना के तहत धरमजयगढ़ विधान सभा क्षेत्र में 559 किशोरी समूह महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा गठित किये गये हैं. (ख) उक्त सभी 559 किशोरी समूह नियमित हैं. सबला योजना अंतर्गत किशोरी समूहों को प्रशिक्षण एवं अन्य योजना से जोड़ने का प्रावधान नहीं है.

रायगढ़ वन मण्डल अंतर्गत औद्योगिक प्रयोजन हेतु दी गई वन भूमि

20. (\*क्र. 197) **श्री उमेश पटेल** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विगत 05 वर्षों में रायगढ़ वन मण्डल अंतर्गत वन विभाग की कुल कितनी भूमि उद्योगों में लगाई गई है ? उद्योगवार ली गई भूमि की जानकारी देवें. (ख) क्या औद्योगिक ईकाईयों द्वारा वन भूमि व पेड़ कटाई की क्षतिपूर्ति दी गई है ? यदि हां तो बतावें, कितनी मात्रा में किन-किन स्थानों पर उद्योगों द्वारा भूमि प्रदान की गई है एवं कितनी मात्रा में पेड़ लगाये गये हैं ? (ग) जिन औद्योगिक ईकाईयों द्वारा वन भूमि के एवज में आज पर्यन्त क्षतिपूर्ति जमीन नहीं दी गई है एवं पेड़ नहीं लगाये गये हैं, उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

**मुख्यमंत्री** (डॉ. रमन सिंह) : (क) रायगढ़ जिले के रायगढ़ वनमण्डल अंतर्गत विगत 05 वर्षों में वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अंतर्गत 249.939 हे. वन भूमि उद्योगों में लगाई गई है. उद्योगवार जानकारी निम्नानुसार है :—

क्र. (1)	संस्था का नाम (2)	वनभूमि (हे.) (3)	राजस्व वन भूमि (हे.) (4)	योग (हे.) (5)
1.	मे. श्याम इस्पात प्रा.लि. तराईमाल	0.860	-	0.860
2.	मे. कोरबा वेस्ट पावर कं.लि. बड़े भण्डार	-	24.352	24.352

† परिशिष्ट "नौ"

†† परिशिष्ट "दस"

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3.	नवला स्टील एण्ड पावर लिमि., तराईमाल	0.024	-	0.024
4.	जायसवाल निको लि. -	194.330	29.890	224.220
5.	मे. सिंघल इन्टरप्राइजेस	0.350	-	0.350
6.	मे. सालासार स्टील एण्ड पावर लि.	0.133	-	0.133
<b>योग</b>		<b>195.697</b>	<b>54.242</b>	<b>249.939</b>

(ख) जी हां. कोई गैर वन भूमि नहीं दी गई है. नियमानुसार दुगने बिगड़े वन क्षेत्र में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु राशि दी गई जो कैम्पा मद में जमा है. वैकल्पिक वृक्षारोपण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है. (ग) प्रश्नांश (ख) के उत्तर के आलोक में प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता.

#### सरगुजा संभाग में आयोजित जनसमस्या निवारण शिविर

21. (\*क्र. 74) **श्री अमरजीत भगत** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सरगुजा संभाग में 31 मार्च, 2014 से 31 अक्टूबर, 2014 तक कुल कितने जनसमस्या निवारण शिविर कहां-कहां आयोजित किये गये ? (ख) जनसमस्या निवारण शिविर में कुल कितने आवेदन प्राप्त हुए कितने का निराकरण किया गया ? विभागवार एवं जिलेवार जानकारी दें ?

**मुख्यमंत्री** (डॉ. रमन सिंह) : (क) सरगुजा संभाग में 31 मार्च, 2014 से 31 अक्टूबर, 2014 तक कुल 48 जनसमस्या निवारण शिविर आयोजित किए गए. स्थलवार जानकारी † संलग्न प्रपत्र “अ” पर दर्ज है. (ख) जानकारी † संलग्न प्रपत्र “ब” पर दर्ज है.

#### बसना विधानसभा क्षेत्र में अवैध उत्खनन के दर्ज प्रकरणों पर कार्यवाही

22. (\*क्र. 392) **श्रीमती रूपकुमारी चौधरी** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि बसना विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत अवैध उत्खनन के कितने प्रकरण वर्ष 2010 से 2014 तक दर्ज किये गये हैं, तथा उनमें क्या कार्यवाही की गई ?

**मुख्यमंत्री** (डॉ. रमन सिंह) : महासमुन्द जिले के बसना विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत वर्ष 2010 से 2014 तक खनिजों के अवैध उत्खनन के कुल 06 प्रकरण दर्ज किये गये, जिनमें से 02 प्रकरण में राशि रुपये 3,17,170 वसूल की गई तथा 04 प्रकरण कलेक्टर न्यायालय में विचाराधीन है.

#### सुकमा जिले में रेत उत्खनन

23. (\*क्र. 14) **श्री कवासी लखमा** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सुकमा जिला में कितनी रेत खदानें हैं ? स्थलवार नाम सहित जानकारी बतायें ? (ख) क्या रेत उत्खनन हेतु निविदा बुलाया गयी थी ? यदि हां, तो किन-किन फर्मों की निविदा स्वीकृत की गयी ? (ग) सुकमा जिला के कौन-कौन से नगर पंचायतों, ग्राम पंचायतों में रेत उत्खनन हो रहा है ? नाम सहित जानकारी दें ? (घ) क्या रेत खदानों हेतु पर्यावरण विभाग की मंजूरी मिली है ? यदि हां तो कब ?

**मुख्यमंत्री** (डॉ. रमन सिंह) : (क) सुकमा जिले में रेत की ग्राम सुकमा, दोरनापाल, कोन्दा, मुलाकिसोली, छिन्दवाड़ा, फन्दीगुड़ा (इंजरम) एवं एराबोर में कुल 07 खदानें घोषित की गई हैं. (ख) छत्तीसगढ़ गौण खनिज रेत का उत्खनन एवं व्यवसाय विनियमन निर्देश 2006 के तहत ग्राम पंचायतों/जनपद पंचायतों/नगरीय निकायों को रेत खदानों के संचालन का अधिकार दिया गया है. उक्त निर्देशों में निविदा आमंत्रण करने का प्रावधान नहीं है. (ग) सुकमा जिले के किसी भी नगर पंचायत अथवा ग्राम पंचायत में पर्यावरण सम्मति के अभाव में रेत उत्खनन का कार्य नहीं हो रहा है. (घ) रेत खदान हेतु पर्यावरण विभाग की मंजूरी नहीं मिली है. ग्राम पंचायत फंदीगुड़ा (इंजरम) रेत खदान का पर्यावरण सम्मति मंजूरी हेतु प्रकरण प्रेषित किया गया है, जो राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, रायपुर के समक्ष विचाराधीन है.

अहिवारा विधान सभा क्षेत्र में डोलोमाईट उत्खनन हेतु दी गई अनुमति

24. (\*क्र. 102) **राजमंहत सांवला राम डाहरे** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधान सभा क्षेत्र अहिवारा में वर्ष 2011-12, 2012-13 एवं 2013-14 की अवधि में किन-किन ग्रामों में खनिज (डोलोमाईट) खनन हेतु किस-किस क्रेसर फर्म (संस्था) को कितनी अवधि हेतु अनुमति दी गई है ? (ख) कौन-कौन से ग्रामों को विकास कार्य हेतु कितनी-कितनी राशि की स्वीकृति दी गई है ?

**मुख्यमंत्री** (डॉ. रमन सिंह) : (क) अहिवारा विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत वर्ष 2011-12, 2012-13 एवं 2013-14 में किसी भी ग्राम में डोलोमाईट खनिज के खनन हेतु किसी भी क्रेसर, फर्म (संस्था) को अनुमति नहीं दी गई है. (ख) मुख्य खनिज डोलोमाईट से प्राप्त होने वाली रायल्टी की राशि को ग्रामों के विकास कार्य हेतु ग्राम पंचायतों को संवितरण का नियमों में प्रावधान नहीं है.

कटघोरा विधान सभा क्षेत्र में विद्युतीकरण

25. (\*क्र. 211) **श्री लखन देवांगन** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधान सभा क्षेत्र कटघोरा अंतर्गत वर्ष 2013-2014 एवं 2014-2015 तक कुल कितने ग्रामों, मजरा टोलों का विद्युतीकरण किये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है ? (ख) माह, अगस्त 2014 तक कितने ग्रामों, मजरा टोलों का विद्युतीकरण किया गया है ? (ग) शेष कितने ग्रामों, मजरा टोलों का विद्युतीकरण कार्य कब तक पूर्ण किया जावेगा ?

**मुख्यमंत्री** (डॉ. रमन सिंह) : (क) वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 में विधान सभा क्षेत्र कटघोरा के ग्रामों एवं मजराटोला के विद्युतीकरण हेतु कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया. (ख) राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत कोरबा जिले के लिये स्वीकृत विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन में कटघोरा विधान सभा क्षेत्र के सम्मिलित ग्रामों एवं मजरा टोलों में से 153 ग्रामों तथा उक्त ग्रामों के 393 मजरोंटोलों का विद्युतीकरण माह अगस्त 2014 तक किया गया है. (ग) बारहवीं पंचवर्षीय योजना में आर.जी.जी.व्ही.वाय के अंतर्गत कोरबा जिले के लिये स्वीकृत विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन अनुसार कटघोरा विधान सभा क्षेत्र के 100 से अधिक जनसंख्या वाले 56 बसाहटों का विद्युतीकरण दिनांक 25-08-2016 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है.

-----

## नियम 46 ( 2 ) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित तारांकित प्रश्नोत्तर

### विद्युत कंपनियों द्वारा सामग्री क्रय हेतु प्रभावशील नियम एवं उसका पालन

1. (क्र. 53) **श्री मोतीलाल देवांगन** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विद्युत मण्डल के विघटन के बाद बनी हुई विद्युत कंपनियों में सामग्रियों की खरीदी करने के लिए क्या कोई नियम प्रभावशील है ? यदि हां तो कब से एवं उस नियम का नाम बताएं तथा उसकी प्रति प्रदान करें. (ख) क्या उपरोक्त कंपनियों में से प्रत्येक के द्वारा में क्रय नियमों का पालन किया गया है ?

**मुख्यमंत्री** (डॉ. रमन सिंह) : (क) विद्युत मण्डल के विघटन के बाद बनी विद्युत कंपनियों में सामग्रियों की खरीदी अविभाजित मध्य प्रदेश विद्युत मण्डल तथा पूर्ववर्ती छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल के समय से स्थापित क्रय-प्रक्रिया के अनुसार अधिकार प्रत्यायोजन पुस्तिका एवं समय-समय पर जारी किए गए परिपत्रों का पालन करते हुए की जाती है. पृथक से कोई नियम विद्युत कंपनियों में प्रभावशील नहीं है. (ख) उत्तरांश (क) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उद्भूत नहीं होता.

### केशकाल विधान सभा क्षेत्र में ऊर्जाकृत ग्राम

2. (क्र. 57) **श्री संतराम नेताम** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) केशकाल विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 2012 से अक्टूबर 2014 तक कुल कितने ग्रामों एवं टोलों को ऊर्जाकृत करने हेतु कुल कितनी राशि प्रदान की गई ? कितनी राशि व्यय की गई तथा कार्य एजेन्सी कौन-कौन है ? वर्षवार जानकारी दें. (ख) प्रश्नांश "क" के तहत कितने ग्राम एवं टोलों को ऊर्जाकृत किया जा कर विद्युत आपूर्ति की गई है ? कुल स्वीकृत कार्यों में से कितने प्रतिशत कार्य संपादित हुआ है एवं कितने शेष है ? स्वीकृति उपरान्त कार्य संपादित नहीं होने से कौन-कौन से ग्राम एवं टोला ऊर्जा विहीन है ? (ग) ऊर्जा विहीन ग्रामों को कब तक ऊर्जाकृत कर दिया जावेगा ?

**मुख्यमंत्री** (डॉ. रमन सिंह) : (क) केशकाल विधान सभा क्षेत्र के ग्रामों एवं मजरो/टोलों के विद्युतीकरण का कार्य राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत अविभाजित बस्तर जिले के लिए स्वीकृत विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन में सम्मिलित कार्यों के अनुसार संपादित किया जा रहा है. उक्त योजना के अन्तर्गत राशि का आवंटन विधान सभावार नहीं किया जाता है. अतः केशकाल विधान सभा हेतु प्रदान की गई राशि की जानकारी संधारित नहीं होने के कारण देना संभव नहीं है. केशकाल विधान सभा क्षेत्र में किये गये कार्यों पर वर्ष 2012 से अक्टूबर 2014 तक राशि रु. 7.78 करोड़ व्यय किया गया है. उपरोक्त कार्य का क्रियान्वयन मेसर्स कोरामण्डल इंफ्रास्ट्रक्चर ( प्रा. ) लिमिटेड हैदराबाद द्वारा किया जा रहा है. वर्षवार व्यय की गई राशि की जानकारी † संलग्न प्रपत्र "अ" में दर्शित है. (ख) केशकाल विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 2012 से अक्टूबर 2014 तक कुल 116 ग्रामों एवं उनके 356 मजराटोलों को ऊर्जाकृत किया गया है. तदनुसार कुल स्वीकृत कार्यों का 44 प्रतिशत कार्य पूर्ण तथा 56 प्रतिशत कार्य शेष है. 148 ग्रामों में विद्युतीकरण कार्य शेष है. ग्रामवार जानकारी † संलग्न प्रपत्र "ब" में दर्शित है. (ग) ऊर्जा विहीन ग्रामों को वर्ष 2016 तक ऊर्जाकृत करने का प्रयास है.

### राज्य शासन द्वारा हेलीकॉप्टर एवं वायुयान के परिचालन एवं संधारण में व्यय राशि

3. (क्र. 58) **श्री संतराम नेताम** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2013 से 15 नवम्बर, 2014 की स्थिति में राज्य शासन द्वारा हेलीकॉप्टर एवं वायुयान के परिचालन एवं संधारण हेतु कितनी-कितनी राशि कब-कब व्यय की गई ? (ख) उपरोक्त अवधि में शासन द्वारा कुल कितने हेलीकॉप्टर एवं वायुयान किस-किस कार्य हेतु किससे-किससे एवं कब-कब किराए पर लिए गए एवं उनमें कितनी-कितनी राशि व्यय की गई ? वर्षवार बताएं.

**मुख्यमंत्री** (डॉ. रमन सिंह) : (क) राज्य शासन के पास एक शासकीय वायुयान B-200 एवं एक शासकीय हेलीकॉप्टर अगुस्ता-109 है. उपलब्ध शासकीय वायुयान एवं हेलीकॉप्टर पर 01 जनवरी, 2013 से 15 नवम्बर, 2014 तक में परिचालन एवं रख-रखाव पर निम्नानुसार व्यय हुआ है :-

वर्ष	माह	व्यय राशि (रुपये में)
(1)	(2)	(3)
2013	जनवरी 2013	5717915/-

(1)	(2)	(3)
2013	फरवरी 2013	3688829/-
	मार्च 2013	25882516/-
	अप्रैल 2013	850402/-
	मई 2013	2041849/-
	जून 2013	10684540/-
	जुलाई 2013	26580115/-
	अगस्त 2013	3347324/-
	सितम्बर 2013	3977230/-
	अक्टूबर 2013	4687848/-
	नवम्बर 2013	6349738/-
	31 दिसम्बर 2013	316337/-
	<b>योग</b>	<b>94124643/-</b>
2014	जनवरी 2014	2101374/-
	फरवरी 2014	1542725/-
	मार्च 2014	1001313/-
	अप्रैल 2014	933559/-
	मई 2014	1231179/-
	जून 2014	3355566/-
	जुलाई 2014	4068858/-
	अगस्त 2014	1780836/-
	सितम्बर 2014	1777722/-
	अक्टूबर 2014	804740/-
	15 नवम्बर 2014	764261/-
	<b>योग</b>	<b>19362133/-</b>
	<b>कुलयोग</b>	<b>113486776/-</b>

(ख) किराये के हेलीकॉप्टर/वायुयान पर व्यय निम्नानुसार है :- आलोच्य अवधि में किराये पर लिये गये वायुयान एवं हेलीकॉप्टर का विवरण † संलग्न परिशिष्ट पर है.

वर्ष (1)	माह (2)	विमानन विभाग (3)	गृह (पुलिस) विभाग (4)	योग (5)
2013-2014	जनवरी 2013	6170947/-	8265646/-	14436593/-
	फरवरी 2013	410501/-	21463267/-	21873768/-
	मार्च 2013	3315751/-	6840319/-	10156070/-
	अप्रैल 2013	788201/-	-	788201/-
	मई 2013	3412752/-	8309014/-	11721766/-
	जून 2013	2949116/-	20852455/-	23801571/-
	जुलाई 2013	-	4223763/-	4223763/-
	अगस्त 2013	4988340/-	3094891/-	8083231/-
	सितम्बर 2013	1972387/-	10734553/-	12706940/-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	अक्टूबर 2013	-	13796799/-	13796799/-
	नवम्बर 2013	-	12996391/-	12996391/-
	31 दिसम्बर 2013	-	28248555/-	28248555/-
	<b>योग</b>	<b>24007995/-</b>	<b>138825653/-</b>	<b>162833648/-</b>
2014-2015	जनवरी 2014	-	-	-
	फरवरी 2014	1293312/-	36094462/-	37387774/-
	मार्च 2014	-	18392839/-	18392839/-
	अप्रैल 2014	-	-	-
	मई 2014	-	-	-
	जून 2014	1621390/-	14319061/-	15940451/-
	जुलाई 2014	-	-	-
	अगस्त 2014	-	9163364/-	9163364/-
	सितम्बर 2014	805761/-	3112027/-	3917788/-
	अक्टूबर 2014	868620/-	-	868620/-
	<b>योग</b>	<b>4589083/-</b>	<b>81081753/-</b>	<b>85670836/-</b>
	<b>2013-14 एवं 2014-15</b>	<b>28597078/-</b>	<b>219907406/-</b>	<b>248504484/-</b>
	<b>कुल योग</b>			

जिला कांकेर में अवैध रेत उत्खनन एवं परिवहन के दर्ज प्रकरणों पर कार्यवाही

4. (क्र. 61) **श्री शंकर धुवा :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला कांकेर में वर्ष 2014 में दिनांक 15 नवम्बर, 2014 की स्थिति में कौन-कौन सी रेत खदानें किनको-किनको रेत उत्खनन हेतु कब-कब कितनी-कितनी अवधि हेतु लीज में दी गई ? विकासखण्डवार जानकारी दें। (ख) कंडिका “क” के तहत स्वीकृत खदानों में से कितनी खदानें पुनः निरस्त की गई एवं क्यों ? (ग) प्रश्नांश “क” की अवधि में कितनी स्वीकृत खदानों में से बगैर बिल्टी एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों के एवं कौन-कौन बगैर स्वीकृत रेत खदानों में से अवैध खनन एवं परिवहन के कुल कितने प्रकरण किसके-किसके विरुद्ध दर्ज किए गए हैं एवं उन पर क्या कार्यवाही की गई है ? (घ) क्या उपरोक्त स्वीकृत खदानों हेतु माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रेत खदानों की स्वीकृति हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति की अनिवार्यता का पालन किया गया है ? यदि नहीं तो क्यों ?

**मुख्यमंत्री (डॉ. रमन सिंह) :** (क) जिला कांकेर में रेत की खदानें लीज पर नहीं दी गई हैं। अपितु, छत्तीसगढ़ गौण खनिज रेत का उत्खनन एवं व्यवसाय विनियमन निर्देश 2006 के प्रावधान तहत रेत खदानों के संचालन का अधिकार ग्राम पंचायत/जनपद पंचायत/नगरी निकायों को दिये जाने से, वर्ष 2014 में दिनांक 15 नवम्बर, 2014 की स्थिति में ग्राम पंचायतों द्वारा संचालित 07 रेत खदानों की विकासखण्डवार जानकारी † संलग्न प्रपत्र “अ” पर दर्शित है। (ख) प्रश्नांश “क” में उल्लिखित ग्राम पंचायतों द्वारा संचालित रेत खदान निरस्त नहीं की गई हैं। (ग) जानकारी † संलग्न प्रपत्र “ब” पर दर्शित है। (घ) जी हां।

जिला कांकेर में स्वीकृत खनिज खदानों एवं रावघाट परियोजना एवं स्टील अथार्टी ऑफ इंडिया द्वारा संपादित सामुदायिक विकास कार्य

5. (क्र. 62) **श्री शंकर धुवा :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला कांकेर में स्वीकृत विभिन्न खनिज खदानों एवं रावघाट परियोजना तथा स्टील अथार्टी ऑफ इंडिया द्वारा वर्ष 2013 से 18 नवम्बर, 2014 की अवधि में कुल कितनी-कितनी राशि

सामुदायिक विकास कार्यों (सी.एस.आर.) के तहत व्यय की जानी थी तथा उक्त के एवज में कितनी-कितनी राशि किन-किन कार्यों हेतु कहाँ-कहाँ व्यय की गई ? वर्षवार, विधान सभा क्षेत्रवार, विकासखण्डवार जानकारी दें। (ख) क्या संपादित कार्यों का भौतिक सत्यापन एवं मूल्यांकन विभाग द्वारा किया गया है ?

**मुख्यमंत्री** (डॉ. रमन सिंह) : (क) खनिज कानूनों में सामुदायिक विकास कार्यों (सीएसआर) के अंतर्गत व्यय किये जाने हेतु राशि निर्धारित नहीं है। पांचवी अनुसूची के तहत अनुसूचित क्षेत्रों के लिए समथा निर्णय के परिप्रेक्ष्य में निजी कंपनी/खनिजपट्टेधारियों के परस्पर सहमति से सामुदायिक विकास कार्यों में व्यय करने हेतु अतिरिक्त शर्त जोड़ी जाती है। जिला कांकेर में मुख्य खनिजों के 03 खनिजपट्टेधारियों द्वारा वर्ष 2013 से 18 नवम्बर, 2014 की अवधि में सी.एस.आर. मद अन्तर्गत निर्धारित राशि एवं व्यय की गई राशि की जानकारी † संलग्न प्रपत्र “अ” पर दर्शित है। सी.एस.आर. मद में व्यय किये गये विकास कार्यों की वर्षवार, विधान सभावार एवं विकासखण्डवार जानकारी † संलग्न प्रपत्र “ब” पर दर्शित है। (ख) संपादित कार्यों का सत्यापन एवं मूल्यांकन खनिज विभाग द्वारा नहीं किया जाता है।

#### कोरिया जिले में औद्योगिक भूमि का आवंटन

6. (क्र. 67) **श्री श्याम बिहारी जायसवाल** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विगत तीन वर्षों में कोरिया जिले में उद्योगों की स्थापना हेतु किन-किन स्थानों पर औद्योगिक भूमि आवंटित की गई है और अभी तक किन-किन लोगों को आवंटित की गई है ? (ख) मनेन्द्रगढ़ क्षेत्र में परसगढ़ी औद्योगिक क्षेत्र कब से आवंटित है ? (ग) इस क्षेत्र का विकास सी.एस.आई.डी.सी. द्वारा किया गया है या नहीं ? यदि नहीं तो किन कारणों से विकास नहीं किया गया है ?

**मुख्यमंत्री** (डॉ. रमन सिंह) : (क) जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, कोरिया द्वारा कोरिया जिले में औद्योगिक क्षेत्र चैनपुर, तहसील-मनेन्द्रगढ़ में विगत तीन वर्षों में निम्नांकित उद्योगों की स्थापना हेतु भूमि आवंटित की गई है :-

क्र.	भू-आवंटित ईकाईयों के नाम
1.	मे. कोहिनूर इंटरप्राइजेज प्रो. श्री राजीव अग्रवाल
2.	मे. अरिहंत इंजीनियरिंग प्रो. श्रीमती राखी जैन
3.	मे. एस. जी. इण्डस्ट्रीज प्रो. श्री सौरभ गोयल
4.	मे. मधु कुमारी पशु एवं कुटकुट आहार प्रो. कु. मधु

(ख) मनेन्द्रगढ़ क्षेत्र ग्राम-परसगढ़ी की कुल 13.24 हेक्टेयर शासकीय भूमि औद्योगिक विकास हेतु राजस्व विभाग ने दिनांक 12-09-2003 को उद्योग विभाग को हस्तांतरित की है। (ग) जी नहीं। उपरोक्त “ख” में अंकित ग्राम-परसगढ़ी में विभाग के उपक्रम छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रीयल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमि. द्वारा स्थल निरीक्षण में भूमि को औद्योगिक क्षेत्र के विकास के लिए अनुपयुक्त पाये जाने के कारण विकास नहीं किया गया है।

#### कोरिया जिले में स्थापित उद्योग

7. (क्र. 68) **श्री श्याम बिहारी जायसवाल** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कोरिया जिले में किन-किन स्थानों पर कौन-कौन से उद्योग स्थापित हैं ? (ख) मनेन्द्रगढ़ विधान सभा क्षेत्र के चिरमिरी क्षेत्र में उद्योग लगाने की योजना है ? (ग) यदि हां तो, कब तक नहीं तो क्यों ?

**मुख्यमंत्री** (डॉ. रमन सिंह) : (क) कोरिया जिले में स्थापित उद्योगों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट में दर्शित है। (ख) सम्पूर्ण राज्य में जिसमें मनेन्द्रगढ़ विधान सभा क्षेत्र का चिरमिरी क्षेत्र भी आता है, औद्योगिकीकरण के प्रोत्साहन हेतु राज्य शासन औद्योगिक नीति के माध्यम से प्रोत्साहन सहायता प्रदान करता है। (ग) चिरमिरी क्षेत्र में सूक्ष्म एवं लघु श्रेणी के इकाई स्थापित हैं। भविष्य में औद्योगिक नीति के अन्तर्गत इच्छुक उद्योगों को प्रोत्साहन सहायता प्रदाय की जावेगी।

बलरामपुर जिले के रेवतीपुर गांव में ग्रेफाईट उत्खनन लीज हेतु लंबित आवेदन

8. (क्र. 77) **श्री अमरजीत भगत** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सरगुजा संभाग अंतर्गत बलरामपुर जिले के रेवतीपुर गांव में ग्रेफाईट उत्खनन लीज हेतु कितने आवेदन शासन के पास लंबित है ? उस पर क्या कार्यवाही की गई ? (ख) ग्रेफाईट उत्खनन लीज हेतु कुल कितने आवेदन कब-कब प्राप्त हुए ? उसमें क्या-क्या कार्यवाही की गई ?

**मुख्यमंत्री** (डॉ. रमन सिंह) : (क) सरगुजा संभाग अंतर्गत बलरामपुर जिले के रेवतीपुर गांव में ग्रेफाईट उत्खनन लीज हेतु माईनिंग लीज के कुल 06 आवेदन लंबित है. † संलग्न परिशिष्ट के सरल क्रमांक 03 से 08 तक आवेदन पत्र लंबित है एवं उस पर की गई कार्यवाही की जानकारी † संलग्न परिशिष्ट के कॉलम-05 पर दर्शित है. (ख) प्रश्नांश “क” के परिप्रेक्ष्य में खनिज ग्रेफाईट उत्खनन हेतु माईनिंग लीज के कुल 08 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिन पर की गई कार्रवाई की जानकारी † संलग्न परिशिष्ट के कॉलम-05 पर दर्शित है.

खुज्जी विधान सभा क्षेत्र में राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के तहत विद्युतीकृत ग्राम

9. (क्र. 86) **श्री भोलाराम साहू** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राजनांदगांव के खुज्जी विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना तथा अन्य योजना के तहत वर्ष 2012-13 से वर्ष 2014-15 में दिनांक 20-11-14 तक कितने गांवों को विद्युतीकरण किया गया है व कितनी राशि स्वीकृत किया गया है ? (ख) प्रश्नांश “क” के तहत कितने कार्य पूर्ण तथा कितने अपूर्ण है ? (ग) पूर्ण कार्यों के ग्रामों में से कितने ग्रामों को ऊर्जा की पूर्ति कर ऊर्जीकृत किया गया है ? तथा कितने को नहीं.

**मुख्यमंत्री** (डॉ. रमन सिंह) : (क) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत जिला राजनांदगांव के खुज्जी विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 2012-13 से वर्ष 2014-15 के दिनांक 20-11-2014 तक 249 ग्रामों में सघन विद्युतीकरण का कार्य पूर्ण किया गया है. राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में राशि की स्वीकृति जिलेवार की जाती है. राजनांदगांव जिले के लिए कुल राशि रुपये 45.54 करोड़ स्वीकृत हुई है. अतः विधान सभावार स्वीकृत राशि संधारित नहीं होने के कारण दिया जाना संभव नहीं है. (ख) उत्तरांश “क” में उल्लिखित समस्त ग्रामों में सघन विद्युतीकरण का कार्य पूर्ण हो गया है. अतः अपूर्ण कार्यों की जानकारी निरंक है. (ग) सभी 249 ग्रामों में पूर्ण किये गये सघन विद्युतीकरण कार्यों को ऊर्जीकृत कर दिया गया है.

खुज्जी विधान सभा क्षेत्र में सड़क किनारे रोपित पौधों में व्यय राशि

10. (क्र. 87) **श्री भोलाराम साहू** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राजनांदगांव जिले के खुज्जी विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत वर्ष 2012-13, 2013-14, 2014-15 में वन विभाग राजनांदगांव द्वारा किन-किन मार्गों में कितनी राशि से किस-किस प्रजाति के पौधे सड़क किनारे लगाये गये हैं ? (ख) उक्त पौधों की देखभाल, फेसिंग, पानी सिंचाई, सुरक्षा में कितनी राशि खर्च की गई ? मदवार/वर्षवार जानकारी प्रदान करें ? (ग) उक्त रोपित पौधे में कितने जीवित हैं ?

**मुख्यमंत्री** (डॉ. रमन सिंह) : (क) राजनांदगांव जिले के खुज्जी विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत वर्ष 2012-13, 2013-14 एवं 2014-15 में वन विभाग राजनांदगांव द्वारा किसी भी मार्ग में सड़क किनारे वृक्षारोपण का कार्य नहीं किया गया है. (ख) एवं (ग) प्रश्न उपस्थित नहीं होता.

अहिवारा विधान सभा क्षेत्र में रेत उत्खनन की स्वीकृति

11. (क्र. 103) **राजमहंत सांवलाराम डहरे** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधान सभा क्षेत्र अहिवारा में वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 में शिवनाथ नदी एवं खारून नदी पर कहां-कहां रेत उत्खनन हेतु स्वीकृति दी गई है ? (ख) स्वीकृति हेतु क्या-क्या मापदंड अपनाये गये एवं उत्खनन हेतु कितने-कितने घनमीटर की स्वीकृति दी गई है ? (ग) वर्षवार स्थानवार अलग-अलग जानकारी देवें ? (घ) वर्ष 2012-13, 2013-14 में स्वीकृत रेत खदानों में कितनी-कितनी लीज राशि प्राप्त हुई एवं कहां-कहां से प्राप्त नहीं हुई ? वर्षवार स्थानवार जानकारी देवें ? क्या रेत का मूल्य निर्धारण किया गया ? यदि हां तो प्रति घनमीटर कितना है ?

**मुख्यमंत्री** (डॉ. रमन सिंह) : (क) विधान सभा क्षेत्र अहिवारा में वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 में खारून नदी में कोई भी रेत खदान संचालित नहीं थी, शिवनाथ नदी में संचालित रेत खदानों की जानकारी † संलग्न परिशिष्ट पर दर्शित है. (ख) छत्तीसगढ़ शासन, खनिज साधन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 7-7/2004/12 रायपुर दिनांक 02-03-2006 द्वारा छत्तीसगढ़ गौण खनिज रेत का उत्खनन एवं व्यवसाय विनियमन निर्देश-2006 यथा संशोधित प्रावधानों एवं निर्धारित मापदंडों के अनुसार रेत खदानों का संचालन ग्राम पंचायत/जनपद पंचायत/नगरीय निकाय द्वारा किया जाता है. माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश दिनांक 05-08-2013 के द्वारा रेत खदानों के खनन हेतु पर्यावरण सम्मति आवश्यक की गई है. पर्यावरण सम्मतियों अन्तर्गत रेत के उत्खनन हेतु निर्धारित मात्रा की जानकारी † संलग्न परिशिष्ट के कॉलम नंबर-05 पर दर्शित है. (ग) जानकारी † संलग्न परिशिष्ट पर दर्शित है. (घ) जानकारी † संलग्न परिशिष्ट के कॉलम नंबर-06 पर दर्शित है. रेत का मूल्य शासन द्वारा निर्धारित नहीं किया गया है.

#### वनमंडल धरमजयगढ़ तथा रायगढ़ में पौधरोपण

12. (क्र. 117) **श्री लालजीत सिंह राठिया** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) धरमजयगढ़ तथा रायगढ़ वनमंडल में वर्ष 2013 से 22-11-2014 तक कितने-कितने पौधरोपण कहां-कहां किये गये हैं ? (ख) रोपित पौधों की प्रजाति कौन-कौन सी है ? प्रजातिवार तथा वनवार बतावें ? (ग) उक्त रोपित पौधों में कितने पौधे जीवित हैं ? कितने पौधे मर गये पौधे मरने का क्या कारण है ?

**मुख्यमंत्री** (डॉ. रमन सिंह) : (क) से (ग) जानकारी † संलग्न परिशिष्ट में दर्शित है.

#### रामपुर विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत माईंस हेतु अधिग्रहित भूमि का मुआवजा

13. (क्र. 120) **श्री श्यामलाल कंवर** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रामपुर विधान सभा क्षेत्र में कुल कितनी माईंस है ? कितने किसानों की जमीन अधिग्रहित की गयी है ? कितने किसानों को मुआवजा दिया गया है ? (ख) प्रभावित परिवारों में से कितने परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है ?

**मुख्यमंत्री** (डॉ. रमन सिंह) : (क) रामपुर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत सारुथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड द्वारा संचालित कुल 01 रजगामार माईंस आती है. इसमें 196 किसानों की जमीन अधिग्रहित की गई है एवं सभी को मुआवजा दिया जा चुका है. (ख) प्रभावित परिवारों में से कुल 22 पात्र परिवारों को नौकरी दिया गया है.

#### जिला महासमुंद में वनरक्षक के पदों पर भर्ती में अनियमितता संबंधी

14. (क्र. 135) **डॉ. विमल चोपड़ा** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2013-14 में महासमुंद जिले में वन विभाग द्वारा वनरक्षक के पदों पर कितने लोगों की भर्ती की गयी ? (ख) क्या उपरोक्त भर्ती में अनियमितता संबंधी शिकायतें शासन को प्राप्त हुई है ? यदि हां तो शिकायतों पर की गई कार्यवाही के संबंध में जानकारी दें ?

**मुख्यमंत्री** (डॉ. रमन सिंह) : (क) वर्ष 2013-14 में महासमुंद जिले के अंतर्गत महासमुंद वनमण्डल में कुल 10 लोगों की सीधी भर्ती की गई है. (ख) जी नहीं. अपितु दैनिक समाचार पत्रिका में प्रकाशित समाचार “फर्जी अंकसूची में बांट दी नौकरी” की कतरन कलेक्टर महासमुंद के माध्यम से वनमण्डलाधिकारी महासमुंद दिनांक 12-11-2014 को प्राप्त हुई है. वनमण्डलाधिकारी महासमुंद द्वारा छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल से अंकसूचियों की जांच कराये जाने पर श्री रूपसिंह पिता श्री अंजोर सिंह एवं श्री सुधांशु मिश्रा पिता श्री व्ही. एन. मिश्रा द्वारा भर्ती के समय प्रस्तुत की गई कक्षा 12वीं की अंकसूचियों की सत्यापित छायाप्रतियां फर्जी पाई गई हैं. दोनों प्रकरणों में नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है.

#### वित्तीय नियमों एवं ट्रेजरी नियमों के तहत बजट व्यय करने का प्रावधान

15. (क्र. 148) **श्री सत्यनारायण शर्मा** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या वन विभाग में वन वित्तीय नियमों एवं ट्रेजरी नियमों के तहत बजट व्यय करने का प्रावधान है ? यदि हां तो, क्या इसका पालन किया जा रहा है ? (ख) छत्तीसगढ़ राज्य में

काष्ठ चिरान अधिनियम 1984 के अंतर्गत तिमाही एवं मासिक जानकारी आरा मिल मालिक द्वारा दिया जाना आवश्यक है ? (ग) यदि हां तो कितने आरा मिल मालिकों ने विगत दो वर्ष में जानकारी नहीं दी गई तथा उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

**मुख्यमंत्री** (डॉ. रमन सिंह) : (क) जी हां, विभाग द्वारा इसका पालन किया जा रहा है. (ख) जी हां, छत्तीसगढ़ काष्ठ चिरान (विनियमन) नियम 1984 के उप नियम 6 (3) के अंतर्गत अनुज्ञप्तिधारी आरा मिलों से संबंधित लेखाओं की विवरणी आगामी मास की 10 तारीख तक संबंधित परिक्षेत्राधिकारी तथा अनुज्ञापन अधिकारी (वनमंडलाधिकारी) को दिया जाना आवश्यक है. (ग) विगत 2 वर्षों में समस्त आरा मिल मालिकों द्वारा वांछित जानकारी नियमानुसार प्रस्तुत की जा रही है. अतः उनके विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है.

#### सामरी विधान सभा क्षेत्र में आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालन

16. (क्र. 151) **डॉ. प्रीतम राम** : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सामरी विधान सभा क्षेत्र में कितने ग्रामों एवं मजराटोलों के आं.बा. केन्द्र एवं मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित हैं तथा ऐसे कितने केन्द्र हैं जहां संचालित नहीं हैं ? (ख) कितने आंगनबाड़ी केन्द्र भवन विहीन हैं तथा कब तक भवन निर्माण का कार्य पूर्ण किया जायेगा ?

**महिला एवं बाल विकास मंत्री** (श्रीमती रमशीला साहू) : (क) सामरी विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत 276 ग्रामों एवं मजराटोलों में 692 आंगनबाड़ी केन्द्र एवं 264 मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित हैं. स्वीकृत सभी ग्रामों एवं मजराटोलों में आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित हैं. (ख) सामरी विधान सभा क्षेत्र में 192 आंगनबाड़ी केन्द्र भवन विहीन हैं. आंगनबाड़ी भवन निर्माण की स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर दी जाती है. अतः निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है.

#### मरवाही एवं कोटा विधान सभा क्षेत्र में जामवंत योजना के तहत नर्सरी में तैयार फलदार पौधे

17. (क्र. 156) **डॉ. (श्रीमती) रेणु जोगी** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मरवाही एवं कोटा विधान सभा क्षेत्र में जामवंत योजना के तहत कितने और कौन-कौन से प्रजाति के फलदार पौधे वन रोपणियों (नर्सरी) में तैयार किये गये हैं ? (ख) इस वर्ष विभिन्न विकासखण्डों की किन-किन ग्राम पंचायतों में कितनी संख्या में फलदार पौधे वितरित किये गये हैं ?

**मुख्यमंत्री** (डॉ. रमन सिंह) : (क) मरवाही एवं कोटा विधान सभा क्षेत्र में जामवंत योजना के तहत किसी भी प्रजाति के फलदार पौधे वन रोपणियों (नर्सरी) में तैयार नहीं किये गये हैं. (ख) इस वर्ष जामवंत योजना के अंतर्गत कोई पौधे वितरित नहीं किये गये.

#### बिलासपुर जिले में अवैध उत्खनन के दर्ज प्रकरणों पर कार्यवाही

18. (क्र. 161) **श्री अमित अजीत जोगी** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि बिलासपुर जिले में वर्ष 2012-13 से 01 मई, 2014 के मध्य कितने लोगों के ऊपर अवैध उत्खनन के तहत एफआईआर दर्ज हुआ है तथा जिला खनिज की टास्क टीम ने क्या कार्यवाही की है ?

**मुख्यमंत्री** (डॉ. रमन सिंह) : बिलासपुर जिले में वर्ष 2012-13 से 01 मई 2014 के मध्य अवैध उत्खनन के तहत किसी भी व्यक्ति पर एफआईआर दर्ज नहीं हुआ है. जिला खनिज टास्क टीम के द्वारा प्रश्नांश अवधि में विभिन्न खनिजों के अवैध उत्खनन के 45 प्रकरण दर्ज किये जाकर राशि रुपये 19 लाख 42 हजार 730 की वसूली की गई है.

#### छ.ग. बाँयोफ्यूल विकास प्राधिकरण में स्थापित संयंत्रों की क्षमता

19. (क्र. 165) **श्री भैयाराम सिन्हा** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छ.ग. बाँयोफ्यूल विकास प्राधिकरण में कितनी-कितनी क्षमता के बाँयोडीजल संयंत्र कहां-कहां स्थापित किए गए हैं एवं इनमें से किन-किन संयंत्रों में बाँयोडीजल उत्पादन जारी है ? (ख) वर्तमान में कहां-कहां बाँयोडीजल आधारित सिंचाई परियोजनाएं क्रियाशील हैं ?

**मुख्यमंत्री** (डॉ. रमन सिंह) : (क) छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल विकास प्राधिकरण में 03 किलो लीटर प्रतिदिन की क्षमता का एक बायोडीजल उत्पादन सह प्रदर्शन संयंत्र रायपुर में स्थापित किया गया है एवं इसमें बायोडीजल उत्पादन किया जाता है। (ख) छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल विकास प्राधिकरण द्वारा वर्तमान में बायोडीजल आधारित सिंचाई परियोजनाएं क्रियाशील नहीं हैं।

#### खनिज क्षेत्र में एकाधिकार रोकने हेतु जारी अधिसूचना

20. (क्र. 189) **श्री देवजी भाई पटेल** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या राज्य शासन द्वारा कैलेण्डर वर्ष 2013 एवं 2014 में खनिज क्षेत्र में एकाधिकार रोकने के लिए अधिसूचना जारी की गई है ? यदि हां तो, कब-कब और क्या ? (ख) क्या कंडिका “क” के अधिसूचना में उल्लिखित खनिज का स्वयं के उद्योग में उपयोग ना कर मार्केटिंग करने वाले उद्योगों पर दण्ड का भी प्रावधान किया गया है ? यदि हां तो क्या, ब्यौरा दें ? (ग) कंडिका “क” की अधिसूचना के अनुसार किन-किन उद्योगों को कौन-कौन सी अयस्कों के उत्खनन का कार्य किन-किन उद्योगों को और कहां-कहां के लिए अनुमति दी गई है ?

**मुख्यमंत्री** (डॉ. रमन सिंह) : (क) राज्य शासन द्वारा कैलेण्डर वर्ष 2013 एवं 2014 में खनिज क्षेत्र में एकाधिकार रोकने के लिए विशिष्ट रूप से कोई विभागीय अधिसूचना जारी नहीं की गई है, तथापि राज्य शासन द्वारा भारत सरकार, खान मंत्रालय के ज्ञापन दिनांक 09 फरवरी, 2010 तथा 20 अक्टूबर 2011 के परिपालन में अधिसूचना दिनांक 21-06-2013 द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य की खनिज नीति 2002 में “गुणवत्ता संवर्धन तथा खनिज विकास” अन्तर्गत आंशिक संशोधन किया गया है। राज्य में किसी कंपनी/कापोरेशन/फर्म या निजी व्यक्ति का खनिज पर एकाधिकार न होने पाये इस पर नियंत्रण के उद्देश्य से किये गये इस संशोधन के फलस्वरूप, प्रत्येक खनिज रियायत धारक की खनिज की “केटिव यूज” हेतु आवश्यकता का आंकलन एवं विनिर्दिष्ट पहलुओं पर विचारोपरान्त खान एवं खनिज (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 11(5) के अंतर्गत खनिज रियायत स्वीकृति हेतु प्राथमिकता प्रदान किया जाता है। (ख) खनिज कानूनों में अनुबंध की शर्तों के उल्लंघन पर दण्ड के प्रावधान विद्यमान है। अतः उक्त अधिसूचना में स्वयं के उद्योग में खनिज के उपयोग ना कर मार्केटिंग करने वाले उद्योगों पर पृथक से दण्ड का प्रावधान नहीं किया गया है। (ग) उपरोक्त कंडिका “क” में उल्लिखित अधिसूचना दिनांक 21-06-2013 के परिप्रेक्ष्य में किसी भी उद्योग को राज्य में उत्खनन हेतु अनुमति नहीं दी गई है।

#### लोरमी विधान सभा क्षेत्र में कैम्पा/मनरेगा मद अंतर्गत स्वीकृत कार्य

21. (क्र. 222) **श्री तोखन साहू** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) लोरमी विधान सभा क्षेत्र में कैम्पा एवं मनरेगा योजनान्तर्गत वर्ष 2011-2012 से 2013-2014 तक कितने-कितने कार्य हेतु, कितनी-कितनी राशि स्वीकृत की गई ? वर्षवार जानकारी देवें। (ख) स्वीकृत कितने निर्माण कार्य आरंभ हुये हैं तथा कितने आरंभ नहीं हो पाये हैं ? स्वीकृत कार्यों की अद्यतन स्थिति क्या है ? वर्षवार जानकारी देवें। (ग) क्या कंडिका ख के तहत स्वीकृत कार्यों में अनियमितता की शिकायतें प्राप्त हुई हैं ? यदि हां तो, कौन-कौन से कार्यों हेतु एवं उन पर क्या-क्या कार्यवाही की गई ? (घ) क्या कैम्पा एवं मनरेगा मद की राशि को अन्य मद में व्यय किया गया है ? यदि हां तो, किन नियमों के तहत तथा इस हेतु कौन-कौन जिम्मेदार है ?

**मुख्यमंत्री** (डॉ. रमन सिंह) : (क) लोरमी विधान सभा क्षेत्र में कैम्पा एवं मनरेगा योजनान्तर्गत वर्ष 2011-12 से 2013-14 तक स्वीकृत कार्यों की जानकारी † संलग्न प्रपत्र “अ” में दर्शित है। (ख) स्वीकृत निर्माण कार्य आरंभ एवं अप्रारंभ की अद्यतन स्थिति की वर्षवार जानकारी † संलग्न प्रपत्र “ब” में दर्शित है। (ग) प्रश्नांश “ख” के तहत स्वीकृत कार्यों में अनियमितता की शिकायतें प्राप्त नहीं हुई है। (घ) कैम्पा एवं मनरेगा मद की राशि को अन्य कोई मद में व्यय नहीं किया गया है।

#### जिला बस्तर में मुख्यमंत्री तीर्थयात्रा योजना के तहत लाभान्वित हितग्राही

22. (क्र. 246) **श्री दीपक बैज** : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बस्तर जिले के अन्तर्गत वर्ष 2011-12, 2012-13, 2013-14 एवं 2014-15 में मुख्यमंत्री तीर्थयात्रा योजनान्तर्गत कितने तीर्थ यात्रियों को यात्रा हेतु भेजा गया ? प्रत्येक विकासखण्डवार यात्रा स्थल का विवरण देवें। (ख) कितने तीर्थ यात्रियों के यात्रा के दौरान गुम होने की जानकारी प्राप्त हुई ? (ग) कितने तीर्थ यात्रियों की यात्रा के दौरान मृत्यु हो गई ? मृत्यु का कारण सहित जानकारी देवें।

**महिला एवं बाल विकास मंत्री** (श्रीमती रमशीला साहू) : (क) बस्तर जिले के तीर्थयात्रियों की विकासखण्डवार जानकारी परिशिष्ट पर † संलग्न है. (ख) बस्तर जिले के दो तीर्थयात्री के गुम होने की जानकारी प्राप्त हुई थी जिसमें से एक मिल गया है. (ग) बस्तर जिले के किसी भी तीर्थयात्री की यात्रा के दौरान मृत्यु नहीं हुई है.

दंतेवाड़ा विधान सभा क्षेत्र में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों में स्वीकृत/रिक्त पद

23. (क्र. 250) **श्रीमती देवती कर्मा** : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दंतेवाड़ा विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत कुल कितने आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित है ? इनमें से कितने किराये के भवन में, कितने शासकीय भवन में संचालित है ? स्थलवार जानकारी दें. (ख) संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों में कितने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायिकाएं के पद स्वीकृत है ? स्वीकृत पद के विरुद्ध कितने रिक्त है ? केन्द्रवार जानकारी दें ?

**महिला एवं बाल विकास मंत्री** (श्रीमती रमशीला साहू) : (क) दंतेवाड़ा विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत कुल 993 आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित है इनमें से 408 आंगनबाड़ी केन्द्र किराये के भवन में एवं 585 शासकीय भवनों में संचालित है. स्थलवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 अनुसार है. (ख) संचालित 993 आंगनबाड़ी केन्द्रों में 993 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं 993 सहायिकाओं के पद स्वीकृत है. स्वीकृत पद के विरुद्ध आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के 37 पद रिक्त है एवं सहायिकाओं के 61 पद रिक्त है. केन्द्रवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2 अनुसार है.

सक्ती विधानसभा क्षेत्र में ग्राम/टोला/पारा का विद्युतीकरण

24. (क्र. 271) **डॉ. खिलावन साहू** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि सक्ती विधान सभा क्षेत्र के कितने ग्रामों, टोला, पारा में विद्युतीकरण, विद्युत कनेक्शन नहीं है ? ऐसे ग्रामों का सर्वे कराकर कब तक कनेक्शन प्रदान किया जायेगा ?

**मुख्यमंत्री** (डॉ. रमन सिंह) : सक्ती विधान सभा क्षेत्र के 127 ग्रामों के अविद्युतीकृत 244 बसाहटों में विद्युतीकरण एवं विद्युत कनेक्शन नहीं है. जांजगीर-चांपा जिले के लिए 12वीं पंचवर्षीय योजना के तहत स्वीकृत राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में सक्ती विधान सभा क्षेत्र के 116 ग्रामों के 229 बसाहटों के विद्युतीकरण हेतु निविदा कार्य प्रक्रियाधीन है. उक्त बसाहटों में कार्यादेश जारी होने की दिनांक से 02 वर्ष के अंदर विद्युतीकरण कार्य पूर्ण कर विद्युत कनेक्शन प्रदान किये जाने का लक्ष्य है. शेष 15 बसाहटों, जिनकी जनसंख्या 100 से कम है, को उक्त योजना में विद्युतीकरण हेतु शामिल नहीं किया गया है.

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से राज्य द्वारा बाण्ड एवं प्रतिभूति का विक्रय से प्राप्त राशि

25. (क्र. 295) **श्री टी. एस. सिंहदेव** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2009-10 से वित्तीय वर्ष 2013-14 में 20-11-2014 तक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा बाण्ड एवं प्रतिभूति (बॉण्ड) बेचकर कितनी राशि प्राप्त की गई ? निर्गम का दिनांक एवं राशि भी बताएं ? (ख) उक्त राशि पर देय ब्याज एवं उसकी वापसी की समय सीमा क्या है ?

**मुख्यमंत्री** (डॉ. रमन सिंह) : (क) वर्ष 2009-10 से वित्तीय वर्ष 2013-14 में 20-11-2014 तक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा बाण्ड एवं प्रतिभूति (बॉण्ड) बेचकर राशि रुपये 7400.00 करोड़ प्राप्त की गई है. निर्गम का दिनांक एवं राशि विवरण निम्नानुसार है :-

वर्ष (1)	राशि (करोड़ में) (2)	निर्गम का दिनांक (3)
2009-10	700.00	10-11-2009
2010-11	निरंक	निरंक
2011-12	निरंक	निरंक

(1)	(2)	(3)
2012-13	1,500.00	19-03-2013
2013-14	800.00	07-05-2013
2013-14	700.00	02-07-2013
2013-14	800.00	08-10-2013
2013-14	700.00	29-01-2014
2014-15	500.00	13-05-2014
2014-15	250.00	24-06-2014
2014-15	750.00	12-08-2014
2014-15	700.00	14-10-2014
<b>योग</b>	<b>7400.00</b>	

(ख) उक्त राशि पर देय ब्याज एवं उसकी वापसी की समय सीमा निम्नानुसार है :—

वर्ष	ब्याज दर (प्रतिशत)	वार्षिक ब्याज राशि	(रुपए करोड़ में)
			मूलधन की वापसी वर्ष
(1)	(2)	(3)	(4)
2009-10	8.25	57.75	11 नवम्बर, 2019
2010-11	निरंक	निरंक	निरंक
2011-12	निरंक	निरंक	निरंक
2012-13	8.65	129.75	20 मार्च, 2023
2013-14	8.12	64.96	08 मई, 2023
2013-14	8.02	56.14	03 जुलाई, 2023
2013-14	9.30	74.40	09 अक्टूबर, 2023
2013-14	9.60	67.20	30 जनवरी, 2024
2014-15	9.22	46.10	15 मई, 2024
2014-15	8.98	22.45	25 जून, 2024
2014-15	9.03	67.73	13 अगस्त, 2024
2014-15	8.85	61.95	16 अक्टूबर, 2024

मनगटा वन चेतना केन्द्र में विभिन्न कार्यों हेतु स्वीकृत राशि

26. (क्र. 309) **श्री दलेश्वर साहू** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राजनांदगांव जिले में संचालित मनगटा वन चेतना केन्द्र में वर्ष 2013-14 में किन-किन कार्य हेतु कितनी राशि स्वीकृत की गई ? (ख) स्वीकृत योजना में वन विभाग के सिविल कार्यों की तकनीकी स्वीकृति कौन प्रदान करता है ? व कौन से स्तर के अधिकारी तकनीकी रूप से अधिकृत हैं ? (ग) स्वीकृत योजना में किन-किन कार्यों हेतु किस-किस फर्मों से सामग्री क्रय की गई ? (घ) स्वीकृत योजना में किये गये कार्यों का मेजरमेंट किस अधिकारी के द्वारा किया गया एवं क्या नियुक्त अधिकारी को मेजरमेंट किये जाने हेतु अधिकृत किया गया था ?

**मुख्यमंत्री** (डॉ. रमन सिंह) : (क) जानकारी † संलग्न प्रपत्र “अ” में दर्शित है. (ख) वन विभाग के सिविल कार्यों की तकनीकी स्वीकृति प्रदान करने हेतु 5 लाख रुपये तक के कार्य के लिए वनमंडलाधिकारी तथा इससे अधिक राशि के समस्त कार्यों के लिए मुख्य वन संरक्षक, क्षेत्रीय को तकनीकी स्वीकृति जारी करने के पूर्ण अधिकार है. (ग) जानकारी † संलग्न प्रपत्र “ब” में दर्शित है. (घ) प्रश्नांकित योजना में किए गए कार्यों का मेजरमेंट परिक्षेत्राधिकारी, राजनांदगांव द्वारा किया गया है. वन वित्तीय संहिता में परिक्षेत्राधिकारी को माप पुस्तिका में माप दर्ज करने हेतु अधिकृत किया गया है.

बस्तर जिले में संचालित लौह अयस्क क्रशिंग यूनिट

27. (क्र. 335) **श्री लखेश्वर बघेल** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बस्तर जिले में कितने लौह अयस्क क्रशिंग यूनिट किन-किन ग्राम पंचायतों में संचालित हैं ? (ख) क्या संचालित क्रशिंग यूनिट के संचालन में पर्यावरण के दिशा निर्देशों का पालन किया जा रहा है ? (ग) क्रशिंग यूनिट से खनिज विभाग को कितनी रायल्टी प्राप्त होती है ? प्राप्त रायल्टी से किन-किन पंचायतों को राशि आवंटित की गई ? राशि का ब्यौरा विगत तीन वर्ष का क्रशिंग यूनिटवार एवं लाभान्वित पंचायतों का ब्यौरा पंचायतवार उपलब्ध करावें।

**मुख्यमंत्री** (डॉ. रमन सिंह) : (क) बस्तर जिले में कुल 16 लौह अयस्क क्रशिंग यूनिट बिलौरी, जाटम, पण्डरीपानी, तुसेल, रायकोट, डिरापाल एवं मावलीभाटा ग्राम पंचायतों में संचालित है। (ख) जी हां। (ग) क्रशिंग यूनिट से खनिज विभाग को कोई रायल्टी प्राप्त नहीं होती है। अतः राशि आवंटन का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

कवर्धा विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत अवैध उत्खनन के विरुद्ध दर्ज प्रकरण

28. (क्र. 343) **श्री अशोक साहू** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कवर्धा विधान सभा क्षेत्रांतर्गत वर्ष 2012-13 एवं 31 अक्टूबर, 2014 तक की स्थिति में कुल अवैध उत्खनन के कितने प्रकरण कब-कब और किनके विरुद्ध दर्ज किए गए ? (ख) अवैध उत्खनन एवं परिवहन के प्रकरणों पर क्या कार्यवाही की गई ? कृपया विकासखण्डवार जानकारी प्रदान करने की कृपा करें।

**मुख्यमंत्री** (डॉ. रमन सिंह) : (क) कवर्धा विधान सभा क्षेत्रांतर्गत वर्ष 2012-2013 से 31 अक्टूबर 2014 तक अवैध उत्खनन के कुल 104 प्रकरण दर्ज किये गये हैं। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "एक" पर दर्शित है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "एक" एवं "दो" पर दर्शित है।

विधान सभा क्षेत्र पण्डरिया में अस्थायी पंप कनेक्शनों हेतु लंबित आवेदनों का निराकरण

29. (क्र. 360) **श्री मोतीराम चंद्रवंशी** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधान सभा क्षेत्र पण्डरिया, जिला कबीरधाम में वर्ष 2013-14 में कृषि विद्युत पंप के कुल कितने अस्थायी कनेक्शन हैं ? (ख) कृषि विद्युत पम्पों के अस्थाई कनेक्शन हेतु कितने प्रकरण लंबित है ? कृपया विकासखण्डवार जानकारी देने की कष्ट करें। (ग) विद्युत पम्पों के अस्थाई कनेक्शन का निराकरण कब तक किये जाने का लक्ष्य रखा गया है ?

**मुख्यमंत्री** (डॉ. रमन सिंह) : (क) विधान सभा क्षेत्र पण्डरिया, जिला कबीरधाम में वर्ष 2013-14 में 1053 अस्थायी कृषि पंप कनेक्शन प्रदाय किए गए हैं। (ख) दिनांक 30-11-2014 की स्थिति में अस्थायी कनेक्शन हेतु कोई भी प्रकरण लंबित नहीं है। अतः विकासखण्डवार जानकारी निरंक है। (ग) उत्तरांश "ख" के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

विधान सभा क्षेत्र पण्डरिया में विभिन्न पेंशन योजनाओं के लंबित प्रकरणों का निराकरण

30. (क्र. 361) **श्री मोतीराम चंद्रवंशी** : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधान सभा क्षेत्र पण्डरिया में वर्ष 2010-11, 2011-12 एवं 2012-13 तथा 2013-14 में सामाजिक सुरक्षा पेंशन, सुखद सहारा पेंशन, राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन, राष्ट्रीय विकलांग पेंशन, राष्ट्रीय परिवार सहायता पेंशन योजना के कुल कितने प्रकरण स्वीकृत किये गये हैं ? (ख) प्रश्नांक (क) के अनुसार कितने प्रकरण लंबित है ? लंबित प्रकरणों का निराकरण कब तक कर दिया जावेगा ?

**महिला एवं बाल विकास मंत्री** (श्रीमती रमशीला साहू) : (क) विधान सभा क्षेत्र पण्डरिया में स्वीकृत प्रकरणों की जानकारी निम्नानुसार है :—

क्र.	योजना का नाम	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	योग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना	589	1620	555	426	3190
2.	सुखद सहारा योजना	383	1026	250	178	1837

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3.	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना.	382	2498	688	524	4092
4.	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्तजन पेंशन योजना.	5	6	18	13	42
5.	राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना	84	64	137	101	386
<b>योग</b>		<b>1443</b>	<b>5214</b>	<b>1648</b>	<b>1242</b>	<b>9547</b>

(ख) लंबित प्रकरण निरंक है. प्रश्न उपस्थित नहीं होता.

#### जगदलपुर व कांकेर वनवृत्त में वृक्षारोपण में व्यय राशि

31. (क्र. 376) **श्री मोहन मरकाम** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जगदलपुर वन वृत्त व कांकेर वन वृत्त में कुल कितना वन क्षेत्रफल (रकबा) है ? वर्ष 2013 एवं वर्ष 2014 में कितने वन क्षेत्रफल (रकबा) में विभागीय मद, कैम्पा मद, एफ.डी.ए. मद के तहत कुल कितने क्षेत्रफल (रकबा) में वृक्षारोपण किया गया ? (ख) वृक्षारोपण हेतु गड्डा खुदाई, सी.पी.टी. फेन्सिंग, पौधा परिवहन, पौधा तैयारी, रोपण निंदाई, खाद्य एवं कीटनाशक पर कुल कितनी-कितनी राशि व्यय की गई ?

**मुख्यमंत्री** (डॉ. रमन सिंह) : (क) जगदलपुर एवं कांकेर वृत्त में कुल 1953783.80 हे. वन क्षेत्रफल (रकबा) है. वर्ष 2013 एवं 2014 में 10518.72 हे. एवं 8 कि.मी. सड़क किनारे वृक्षारोपण विभागीय मद, कैम्पा मद, एफ.डी.ए. मद के तहत किया गया. (ख) प्रश्नांकित अवधि में वृक्षारोपण हेतु गड्डा खुदाई पर राशि 498.50 लाख रु., सी.पी.टी. पर 241.07 लाख रु., फैंसिंग पर 783.78 लाख रु., पौधा तैयारी पर 620.80 लाख रु., पौधा परिवहन पर 247.10 लाख रु., रोपण निंदाई पर 482.93 लाख रु., खाद पर 357.17 लाख रु. एवं कीटनाशक पर 90.81 लाख रु. व्यय की गई है.

#### जिला महासमुंद में कैम्पा योजना अंतर्गत स्वीकृत/व्यय राशि

32. (क्र. 384) **श्री रामलाल चौहान** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) महासमुंद जिले में कैम्पा योजना अंतर्गत 2012-13 एवं 2013-14 में कितनी राशि स्वीकृत की गई ? (ख) कैम्पा योजना अंतर्गत किन-किन कार्यों में कितनी-कितनी राशि व्यय की गई ? परिक्षेत्रवार बतायें ? (ग) छ.ग. प्रदेश में कैम्पा योजना अंतर्गत व्यय का क्या-क्या प्रावधान है ? (घ) क्या महासमुंद जिले में प्रावधान के अंतर्गत कार्य कराया गया है ?

**मुख्यमंत्री** (डॉ. रमन सिंह) : (क) महासमुंद जिले में कैम्पा योजना अंतर्गत 2012-13 एवं 2013-14 में स्वीकृत राशि का विवरण निम्नानुसार है :-

वर्ष	स्वीकृत राशि (रु. लाख में)
2012-13	1463.45
2013-14	651.05
<b>योग</b>	<b>2114.50</b>

(ख) कैम्पा योजना अंतर्गत कराये गये कार्यों में व्यय राशि का विवरण † संलग्न परिशिष्ट में दर्शित है. (ग) कैम्पा योजना अंतर्गत व्यय मनरेगा पद्धति से किये जाने का प्रावधान है. (घ) जी हां.

भरतपुर सोनहत वि.स. क्षेत्र में संचालित क्रेशरों द्वारा पर्यावरणीय अनुमति न लिये जाने पर कार्यवाही

33. (क्र. 423) **श्रीमती चम्पादेवी पावले** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भरतपुर सोनहत विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत वर्तमान अवधि में कितने-कितने क्रेशर माईनिंग संचालित हैं ? (ख) क्या सभी ने पर्यावरण विभाग से अनुमति प्राप्त की है ? (ग) यदि नहीं, तो शासन द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

**मुख्यमंत्री** (डॉ. रमन सिंह) : (क) भरतपुर सोनहत विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत वर्तमान में कुल 14 क्रेशर उद्योग संचालित है, जिनमें से 08 क्रेशर उत्खनिपट्टा क्षेत्र में तथा 06 क्रेशर भंडारण अनुज्ञप्ति प्राप्त कर संचालित है. (ख) जी हां. (ग) प्रश्नांश (ख) का उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है.

बसना वि.स. क्षेत्र में कैम्पा मद से स्वीकृत कार्य

34. (क्र. 426) **श्रीमती रूपकुमारी चौधरी** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बसना विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत वर्ष 2011 से 2014 तक कैम्पा मद से कौन-कौन से कार्य स्वीकृति किये गये हैं ? कार्यों की अद्यतन स्थिति क्या है ? (ख) मनरेगा में बसना विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत वन विभाग में कुल कितने काम वर्ष 2014 में स्वीकृत हुए जिसमें कितनी मजदूरी का भुगतान बाकी है ? भुगतान कब तक कर लिया जावेगा ?

**मुख्यमंत्री** (डॉ. रमन सिंह) : (क) बसना विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत वर्ष 2011 से 2014 तक कैम्पा मद से कराये गये कार्यों का विवरण † संलग्न परिशिष्ट में है. (ख) बसना विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत वर्ष 2014 में मनरेगा अंतर्गत 06 कार्य स्वीकृत है जिसमें मजदूरी भुगतान हेतु रुपये 95,142.00 लंबित है. जिला पंचायत से राशि प्राप्त होने के उपरांत तत्काल भुगतान की जावेगी.

-----

## अतारांकित प्रश्नोत्तर

### राज्य में वायुयान सेवाओं का प्रारंभ

1. (क्र. 07) श्री राजेन्द्र कुमार राय : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या राज्य के जिले अम्बिकापुर, बस्तर, कोरबा, जशपुर, रायगढ़, भिलाई (नन्दिनी) में पिछले वर्ष राज्य अंतर्गत वायुयान की सुविधा प्रारंभ की गई थी ? (ख) यदि हां तो वर्तमान में ये सेवायें चालू हैं ?

**मुख्यमंत्री (डॉ. रमन सिंह) :** (क) राज्य में विभिन्न जिलों में वायुयान सेवाओं का विस्तार करने हेतु विभाग द्वारा परिपत्र दिनांक 05-12-2012 से 30 जून 2013 तक प्रभावशील करने के निर्देश जारी किये गये थे तत्पश्चात् विभाग के परिपत्र दिनांक 19-07-2013 द्वारा समयावधि में वृद्धि करते हुए दिनांक 31-12-2013 तक अनुमति प्रदान की गई थी. (ख) वर्ष 2014 में वायुयान सेवाओं में वृद्धि करने हेतु कोई परिपत्र जारी नहीं किया गया है. वर्तमान में वायुयान सेवाओं का विस्तार करने हेतु इच्छुक कंपनियों से प्रस्ताव मांगे हैं, जिस पर कार्यवाही प्रचलन में है. पुनः सेवाएं प्रारंभ होने की निश्चित अवधि बताना संभव नहीं है.

### बालोद जिले में प्राप्त लौह अयस्क उद्योग की स्थापना संबंधी

2. (क्र. 8) श्री राजेन्द्र कुमार राय : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या राज्य शासन द्वारा बालोद जिले में प्राप्त लौह अयस्क हेतु उद्योग लगाये जाने हेतु कार्य योजना तैयार की गई है ? (ख) किन-किन स्थानों में लौह अयस्क का उत्खनन कर प्राईवेट सेक्टर में भेजा जा रहा है ? (ग) यदि हां तो जिला स्तर पर लौह अयस्क हेतु उद्योग कब तक स्थापित कर लिया जावेगा ?

**मुख्यमंत्री (डॉ. रमन सिंह) :** (क) राज्य शासन राज्य में जिसमें बालोद जिला भी सम्मिलित है, उद्यमियों को उद्योगों की स्थापना में सहयोग देने के लिये औद्योगिक नीति के अनुसार सुविधायें एवं अनुदान प्रदाय करता है. (ख) जिला बालोद के किसी भी खदान से लौह अयस्क का उत्खनन कर प्रायवेट सेक्टर को नहीं भेजा जा रहा है. (ग) प्रश्नांश “ख” के संदर्भ में प्रश्न उपस्थित नहीं होता.

### विधान सभा क्षेत्र बलौदाबाजार में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्र

3. (क्र. 51) श्री जनकराम वर्मा : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधान सभा क्षेत्र बलौदाबाजार में कुल कितने आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित हैं ? संचालित आंगनबाड़ी में कितने भवन विहीन हैं ? विकासखण्डवार जानकारी देवें ? (ख) आंगनबाड़ी केन्द्रों में कितने कार्यकर्ता एवं सहायिका के पद रिक्त हैं ? भर्ती की कार्यवाही कब तक पूर्ण कर ली जावेगी ?

**महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती रमशीला साहू) :** (क) विधान सभा क्षेत्र बलौदाबाजार में कुल 285 आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित हैं. संचालित आंगनबाड़ी केन्द्र में 54 आंगनबाड़ी केन्द्र भवन विहीन हैं. जानकारी † संलग्न परिशिष्ट अनुसार है. (ख) आंगनबाड़ी केन्द्रों में कार्यकर्ता के 13 एवं सहायिका के 4 पद रिक्त हैं. भर्ती की कार्यवाही सतत् प्रक्रिया में है. समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है.

### राज्य में पत्रकारों हेतु पेंशन एवं बीमा की सुविधाएं

4. (क्र. 55) श्री मोतीलाल देवांगन : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राज्य में मान्यता प्राप्त पत्रकारों की जिलेवार संख्या तथा मान्यता प्राप्त पत्रकार बनने हेतु मापदण्ड क्या हैं तथा उन्हें कौन-कौन सी सुविधाएं प्राप्त होती हैं ? (ख) क्या राज्य के पत्रकारों के लिए पेंशन एवं बीमा योजना लागू है यदि नहीं तो क्यों ? और कब तक इसे प्रारंभ किया जावेगा ?

**मुख्यमंत्री (डॉ. रमन सिंह) :** (क) राज्य में मान्यता प्राप्त पत्रकारों की जिलेवार संख्या †† संलग्न प्रपत्र “अ” पर दर्शित है. मान्यता प्राप्त पत्रकार बनने हेतु मापदण्ड †† संलग्न प्रपत्र “ब” पर दर्शित है. सुविधाएं †† संलग्न प्रपत्र “स” पर दर्शित है. (ख) राज्य के पत्रकारों के लिए पेंशन योजना लागू नहीं है. संचार प्रतिनिधि व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना लागू है. निश्चित समयावधि बताया जाना संभव नहीं है.

समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की स्थिति

5. (क्र. 56) **श्री मोतीलाल देवांगन** : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत कौन-कौन सी योजनाएं संचालित हैं ? राज्य एवं केन्द्रीय योजनाओं की पृथक-पृथक जानकारी दें ? (ख) संचालित योजनाओं से वर्ष 2013-14 में जांजगीर-चांपा विधान सभा क्षेत्र में कहां-कहां, कौन-कौन से कार्य कब-कब स्वीकृत हुए एवं इनको कब तक पूर्ण किया जाना था ? (ग) स्वीकृत कार्यों में से निर्धारित समयावधि में कितने कार्य पूर्ण हुए एवं कितने नहीं ? प्रकरणवार जानकारी दें ?

**महिला एवं बाल विकास मंत्री** (श्रीमती रमशीला साहू) : (क) जानकारी परिशिष्ट में † संलग्न है. (ख) एवं (ग) समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित योजनाओं से वर्ष 2013-14 में जांजगीर-चांपा विधान सभा क्षेत्र में कोई कार्य स्वीकृत नहीं हुए है. अतः प्रश्न उपस्थित नहीं होता है.

केशकाल विधान सभा क्षेत्र में स्वीकृत खनिज की खदानें

6. (क्र. 59) **श्री संतराम नेताम** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2012 से 15-11-2014 केशकाल विधान सभा क्षेत्र में की कौन-कौन सी लौह अयस्क की कुल कितनी खदानें किस-किस फर्म/एजेन्सी को खनन हेतु दी गई है ? (ख) स्वीकृत खदानों की एजेन्सी/फर्म के द्वारा सीएसआर मद में कुल कितने राशि के कौन-कौन से कार्य उपरोक्त अवधि में संपादित किए जाने थे ? तथा संबंधितों के द्वारा कहां-कहां पर कौन-कौन से कार्य संपादित किए गए हैं ? (ग) प्रश्नांश "ख" के तहत संपादित कार्यों का मूल्यांकन किसके द्वारा किया गया तथा उसमें क्या पाया गया ?

**मुख्यमंत्री** (डॉ. रमन सिंह) : (क) वर्ष 2012 से 15-11-2014 केशकाल विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत लौह अयस्क की कोई भी खदान किसी भी फर्म/एजेन्सी को स्वीकृत नहीं की गई है. (ख) प्रश्नांश "क" के परिप्रेक्ष्य में "ख" की जानकारी निरंक है. (ग) प्रश्नांश "ख" के परिप्रेक्ष्य में "ग" की जानकारी निरंक है.

केशकाल विधान सभा क्षेत्र में खेल मैदान एवं स्टेडियम की स्वीकृति

7. (क्र. 60) **श्री संतराम नेताम**: क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि केशकाल विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 2012 से 15 नवम्बर, 2014 की अवधि तक कुल कितने खेल मैदान एवं स्टेडियम स्वीकृत किए गए तथा स्वीकृत में से कितने पूर्ण हुए तथा कितने अपूर्ण हैं ?

**मुख्यमंत्री** (डॉ. रमन सिंह) : केशकाल विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 2012 से 15 नवम्बर, 2014 की अवधि तक कुल 20 खेल मैदान स्वीकृत हुए, जिसमें 03 पूर्ण एवं 17 अपूर्ण हैं तथा कुल 02 स्टेडियम का उन्नयन कार्य स्वीकृत किया गया, जिसमें 02 पूर्ण हैं.

कांकेर विधान सभा क्षेत्र में पेंशनधारियों के लंबित प्रकरण

8. (क्र. 63) **श्री शंकर धुवा** : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कांकेर विधान सभा क्षेत्र में समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित विभिन्न पेंशन योजना के तहत कितने आवेदन वर्ष 2013 से 18 नवम्बर, 2014 तक प्राप्त हुए ? वर्षवार विकासखण्डवार जानकारी दें ? (ख) आवेदनों में से कितने स्वीकृत हुए तथा कितने लंबित हैं ? लंबित प्रकरणों का निराकरण नहीं होने का क्या कारण है तथा इस हेतु कौन-कौन जिम्मेदार है ?

**महिला एवं बाल विकास मंत्री** (श्रीमती रमशीला साहू) : (क) विभिन्न पेंशन योजनाओं के अंतर्गत वर्ष 2013 में विकासखण्ड कांकेर में 1361 तथा विकासखण्ड नरहरपुर में 1971 आवेदन, वर्ष 2014-15 में 18 नवम्बर, 2014 तक विकासखण्ड कांकेर में 164 व विकासखण्ड नरहरपुर में 195 आवेदन कुल 3691 आवेदन प्राप्त हुए हैं. (ख) प्राप्त आवेदनों में से 3409 आवेदन स्वीकृत तथा 282 अस्वीकृत हुए हैं, कोई भी प्रकरण लंबित नहीं है, अतः कार्यवाही का प्रश्न उपस्थित नहीं होता.

खुज्जी विधान सभा क्षेत्रांतर्गत प्रदत्त अस्थाई विद्युत कनेक्शन

9. (क्र. 90) **श्री भोलाराम साहू** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि राजनांदगांव जिले के खुज्जी विधान सभा क्षेत्रांतर्गत वर्ष 2010-11 से वर्ष 2014-15 तक कृषि पंप, घरेलू व्यवसायिक एवं उद्योगों को कितने अस्थाई कनेक्शन दिये गये हैं ? कितने अस्थाई को स्थाई कनेक्शन किया गया है ?

**मुख्यमंत्री** (डॉ. रमन सिंह) : राजनांदगांव जिले के खुज्जी विधान सभा क्षेत्रांतर्गत वर्ष 2010-11 से वर्ष 2014-15 तक कृषि पंप, घरेलू व्यवसायिक एवं उद्योगों के उपभोक्ताओं को प्रदाय किये गये अस्थाई कनेक्शन तथा अस्थाई से स्थाई किये गये कनेक्शनों की संख्या निम्नानुसार है :-

क्र.	वर्ष	प्रदाय अस्थाई कनेक्शन की संख्या				अस्थाई से स्थाई किये गये कनेक्शन की संख्या			
		कृषि पंप	घरेलू	व्यवसायिक	औद्योगिक	कृषि पंप	घरेलू	व्यवसायिक	औद्योगिक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	2010-11	264	85	104	4	100	23	11	1
2.	2011-12	368	125	119	2	206	18	6	1
3.	2012-13	365	168	172	1	156	29	21	2
4.	2013-14	219	172	107	7	53	26	10	4
5.	2014-15	142	63	46	0	19	10	2	3
(30-11-14 तक)									
<b>योग</b>		<b>1358</b>	<b>613</b>	<b>548</b>	<b>14</b>	<b>534</b>	<b>106</b>	<b>50</b>	<b>11</b>

जंगल सफारी निर्माण हेतु स्वीकृत राशि एवं कार्य

10. (क्र. 96) **श्री धनेन्द्र साहू** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) नया रायपुर विकास प्राधिकरण से वन विभाग को जंगल सफारी निर्माण हेतु कुल कितनी राशि की स्वीकृति प्रदान की गई है ? (ख) तथा जंगल सफारी निर्माण हेतु कितनी-कितनी लागत के कौन-कौन से कार्य कराये जाने हैं ? (ग) किस-किस एजेन्सी को कौन-कौन से कार्य ठेके पर दिये गये हैं ?

**मुख्यमंत्री** (डॉ. रमन सिंह) : (क) नया रायपुर विकास प्राधिकरण से जंगल सफारी निर्माण हेतु किसी भी राशि की स्वीकृति प्रदान नहीं की गई है. (ख) जंगल सफारी निर्माण हेतु वर्तमान में निम्नांकित कार्य कराये जाने हैं :-

1. बाऊंड्रीवॉल निर्माण कार्य, लागत रु. 672.00 लाख
2. सर्विस रोड निर्माण कार्य, लागत रु. 54.40 लाख
3. हबीबोर सफारी के कार्य, लागत रु. 285.04 लाख
4. टायगर सफारी के कार्य, लागत रु. 339.51 लाख
5. बीयर सफारी के कार्य, लागत रु. 381.45 लाख

(ग) किसी भी एजेन्सी को कोई कार्य ठेके पर नहीं दिया गया है.

अभनपुर क्षेत्र के ग्रामों में नई बसाहटों का विद्युतीकरण

11. (क्र. 97) **श्री धनेन्द्र साहू** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि अभनपुर विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत के ग्रामों की नई बसाहटों में विद्युत खंभे लगाने हेतु राजीव गांधी विद्युतीकरण के तहत सभी ग्रामों का सर्वेक्षण एवं डी पी आर बनाने का कार्य कब तक कराया जावेगा ? विद्युतीकरण का कार्य कब तक पूर्ण किया जायेगा ?

**मुख्यमंत्री** (डॉ. रमन सिंह) : बारहवीं पंचवर्षीय योजना में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत अभनपुर विधान सभा क्षेत्र के समस्त 126 ग्रामों के नई बसाहटों में विद्युत खंभे लगाने हेतु सर्वेक्षण उपरांत विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तैयार कर लिया गया है. उक्त डीपीआर को अनुशंसा सहित स्वीकृति हेतु भारत सरकार को प्रेषित किया गया है. अतः डीपीआर की स्वीकृति उपरांत ही विद्युतीकरण के कार्य पूर्ण होने की जानकारी दिया जाना संभव है.

अहिवारा विधान सभा क्षेत्र में स्व सहायता समूह/संस्थाओं द्वारा रेडी टू ईट की आपूर्ति

12. (क्र. 109) **राजमंहत सांवलाराम डाहरे** : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधान सभा क्षेत्र अहिवारा में वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 में 22-11-14 तक रेडी टू ईट खाद्य सामग्री की सप्लाई किन-किन संस्था/स्व सहायता समूहों के द्वारा कितनी-कितनी मात्रा में की गई ? (ख) रेडी टू ईट की सप्लाई हेतु संबंधित संस्था को कुल कितनी मात्रा का कार्यादेश दिया गया ? कार्यादेश के विरुद्ध कितनी मात्रा में सप्लाई किया गया तथा संबंधित को कितना-कितना भुगतान किया गया ? (ग) रेडी टू ईट की संस्थाओं के विरुद्ध क्या गुणवत्ताविहीन सामग्री सप्लाई करने की शिकायत प्राप्त हुई ? (घ) यदि हां तो कौन-कौन सी संस्था के विरुद्ध तथा उन पर क्या-क्या कार्यवाही की गई ? सप्लाई की गई सामग्रियों की गुणवत्ता की जांच कहां-कहां से कराई गई तथा उनमें क्या पाया गया ?

**महिला एवं बाल विकास मंत्री** ( श्रीमती रमशीला साहू ) : (क) एवं (ख) जानकारी † संलग्न प्रपत्र “अ” अनुसार है. (ग) जी हां. एक शिकायत प्राप्त हुई है. (घ) ज्ञान गंगा स्व सहायता समूह जामुल के विरुद्ध शिकायत प्राप्त हुई है. प्राप्त शिकायत की जांच पश्चात संबंधित समूह को कार्य से पृथक करने की कार्यवाही प्रचलन में है. रेडी टू ईट फूड की गुणवत्ता की जांच भारत सरकार, खाद्य एवं पोषाहार बोर्ड की मुंबई स्थित प्रयोगशाला से कराई गई है. नमूनों में प्राप्त प्रोटीन एवं कैलोरी की मात्रा का समूहवार विवरण † संलग्न प्रपत्र “ब” अनुसार है.

औद्योगिक संस्थाओं में कार्यरत श्रमिकों के मृत्यु, मुआवजा व अनुकंपा नियुक्ति

13. (क्र. 113) **राजमंहत सांवलाराम डाहरे** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधान सभा क्षेत्र अहिवारा के विभिन्न औद्योगिक संस्थाओं में वर्ष 2012-13, 2013-14 में कुल कितने-कितने श्रमिकों की विभिन्न दुर्घटनाओं में मौत हुई है ? कितने-कितने श्रमिकों के परिजनों को मुआवजा राशि एवं अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की गई है ? (ख) कितने मृत श्रमिकों के परिजनों को आज पर्यन्त रोजगार नहीं दिया गया है ? कितनी संस्थाओं में किन-किन जिम्मेदार लोगों पर अपराधिक प्रकरण दर्ज किये गये हैं ? जानकारी प्रदान करें.

**मुख्यमंत्री** ( डॉ. रमन सिंह ) : (क) विधान सभा क्षेत्र अहिवारा के औद्योगिक संस्थानों में वर्ष 2012-13 में किसी श्रमिक की मौत नहीं हुई, तथा वर्ष 2013-14 में निर्माणाधीन कारखाना जे. के. लक्ष्मी सीमेंट लिमिटेड, ग्राम-मलपुरीखुर्द-खासाडीह में घटित दुर्घटना में 02 श्रमिकों की मौत हुई है. दोनों मृत श्रमिकों के परिजनों को कुल मुआवजा राशि रु. 16,08,000/- एवं एक श्रमिक के परिजन को अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की गई है, दूसरे श्रमिक के परिजनों द्वारा नौकरी करने से मना किया गया. (ख) प्रश्नांश “क” के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता. केवल एक संस्थान जे.के. लक्ष्मी सीमेंट लिमिटेड, ग्राम-मलपुरीखुर्द-खासाडीह के अधिभोगी श्री एस. के. वाली के विरुद्ध अपराधिक प्रकरण दर्ज किया गया है.

धरमजयगढ़ विधान सभा क्षेत्र में जंगली हाथियों द्वारा क्षति/मुआवजा

14. (क्र. 119) **श्री लालजीत सिंह राठिया**: क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) धरमजयगढ़ विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 2013 से 22-11-2014 तक जंगली हाथियों द्वारा कितने किसानों की कौन-कौन सी फसलों को नुकसान किया गया है ? (ख) कितने किसानों को मुआवजा दिया गया है ? कितने किसानों के शेष है ? शेष किसानों को मुआवजा कब तक दिया जायेगा ? (ग) शासन द्वारा नुकसान फसलों के मुआवजा प्रदान करने का क्या मापदंड है ? फसलवार बताएं.

**मुख्यमंत्री** ( डॉ. रमन सिंह ) : (क) प्रश्नाधीन अवधि में धरमजयगढ़ विधान सभा क्षेत्र में जंगली हाथियों द्वारा 2476 किसानों की धान, गेहूं, उड़द, गन्ना, केला, आम, कटहल, टमाटर, मूंगफली, सब्जी आदि फसलों को नुकसान किया गया है. (ख) प्रश्नाधीन अवधि में 2120 किसानों को आर्थिक सहायता दी गई है. शेष 356 किसानों को आर्थिक सहायता वितरण की कार्यवाही प्रगति पर है. (ग) आर्थिक सहायता भुगतान छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा जारी राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 दिनांक 02-04-2013 एवं यथा संशोधित क्रमांक एफ 1-108/राजस्व/राहत/2013/985 नया रायपुर दिनांक 23-09-2013 के अनुसार किया जाता है.

रामपुर विधान सभा क्षेत्र में बिजली उत्पादन कंपनी लैंको अमरकंटक हेतु भू-अधिग्रहण का मुआवजा

15. (क्र. 126) **श्री श्यामलाल कंवर** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रामपुर विधान सभा क्षेत्र में बिजली उत्पादन कंपनी लैंको अमरकंटक के द्वारा राज्य सरकार के साथ किस तरह का अनुबंध किया गया ? (ख) कितने किसानों की जमीन का अधिग्रहण किया गया ? अधिग्रहण के एवज में कितने किसानों को मुआवजा दिया गया है ? क्या अमरकंटक पॉवर लिमिटेड में जलसोधन हेतु

क्लोरीन अथवा हाईपोक्लोराईड का उपयोग किया जाता है ? (ग) स्थापित उद्योग से कितनी दूरी पर आबादी की गांवों के रूप में बसाहट है ? क्या यह बसाहट उद्योग स्थापना के पूर्व से स्थित है अथवा उद्योग स्थापना के पश्चात बसे हैं ?

**मुख्यमंत्री** (डॉ. रमन सिंह) : (क) लैंको अमरकंटक पावर लिमिटेड द्वारा राज्य शासन के साथ निष्पादित एमओयू तथा इम्प्लीमेंटेशन एग्रीमेंट की शर्तों के अधीन कोरबा जिले में 3240 मेगावाट क्षमता की परियोजना का निर्माण किया जा रहा है. (ख) लैंको अमरकंटक पावर लिमिटेड हेतु कुल 2,139 खातेदारों की भूमि अधिग्रहण किया गया. अधिग्रहित भूमि के एवज में प्रथम चरण में 375 खातेदारों को तथा दूसरे चरण में 1526 खातेदारों को मुआवजा भुगतान किया गया है. शेष खातेदारों को मुआवजा भुगतान प्रक्रिया में है. जलशोधन हेतु हाईपोक्लोराईड का नहीं, क्लोरिन का उपयोग किया जाता है. (ग) स्थापित पावर प्लांट से गांव की बसाहट 02 किलो मीटर की दूरी पर स्थित है. यह बसाहट पावर प्लांट की स्थापना के पूर्व से स्थित है.

श्रम विभाग की योजना विभिन्न योजना के तहत प्राप्त आवेदन एवं वितरित सहायता राशि

16. (क्र. 138) **डॉ. विमल चोपड़ा** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार मंडल छत्तीसगढ़ की भागुनी प्रसूति योजना, विश्वकर्मा दुर्घटना मृत्यु बीमा योजना, राजमाता विवाह योजना, सायकल, सिलाई मशीन वितरण योजना, औजार वितरण योजना, गंभीर बीमारी इलाज योजना, विश्वकर्मा सामान्य मृत्यु योजना के कितने आवेदन वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 में जिलेवार प्राप्त हुए ? (ख) इनमें से कितने को सहायता राशि बांटी गयी ? योजनावार एवं जिलेवार बताएं.

**मुख्यमंत्री** (डॉ. रमन सिंह) : (क) भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार मंडल छत्तीसगढ़ की भगिनी प्रसूति योजना, विश्वकर्मा दुर्घटना बीमा योजना, राजमाता विवाह योजना, सायकल सिलाई मशीन वितरण योजना, औजार वितरण योजना, गंभीर बीमारी इलाज योजना, विश्वकर्मा सामान्य मृत्यु योजना के तहत वर्ष 2013-14 में 1,87,974 एवं वर्ष 2014-15 में 48,463 (कुल 236437) आवेदन प्राप्त हुए. जिलेवार एवं योजनावार जानकारी प्रपत्र “अ” पर † संलग्न है. (ख) इनमें से कुल-2,16,742 को सहायता राशि बांटी गई. योजनावार एवं जिलेवार जानकारी प्रपत्र “ब” पर † संलग्न है.

संयुक्त वन प्रबंधन की समितियों का गठन एवं उनको आवंटित कार्य

17. (क्र. 149) **श्री सत्यनारायण शर्मा** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) संयुक्त वन प्रबंधन की कुल कितनी समितियां छत्तीसगढ़ राज्य में कार्यरत है ? (ख) वन विकास अभिकरण के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य के कितने वन मंडलों का चयन किया गया था तथा वर्ष 2011-12, 12-13 एवं 13-14 में कितनी राशि विभिन्न कार्यों के लिये प्राप्त हुई. वन मंडलवार विवरण दें. (ग) वन विकास अभिकरणों के माध्यम से समितियों का गठन करके ग्रामीणों की सलाह से वृक्षारोपण, जल मृदा संरक्षण, आस्थामूलक कार्य ग्रामों में कराना, प्रचार-प्रसार आदि जैसे महत्वपूर्ण कौन-कौन से कार्य किया जाना था ?

**मुख्यमंत्री** (डॉ. रमन सिंह) : (क) संयुक्त वन प्रबंधन की कुल 7887 समितियां छत्तीसगढ़ राज्य में कार्यरत हैं. (ख) वन विकास अभिकरण के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य के 32 वन मंडलों का चयन किया गया था तथा उक्त वन मंडलों में वर्ष 2011-12, 2012-13 एवं 2013-14 में विभिन्न कार्यों के लिए क्रमशः राशि रु. 2482.39 लाख, 1456.48 लाख एवं 1990.15 लाख कुल राशि रु. 5929.02 लाख प्राप्त हुई है. प्राप्त राशि का वनमण्डलवार विवरण †† संलग्न परिशिष्ट में दर्शित है. (ग) वन विकास अभिकरणों में वन प्रबंधन समिति सदस्यों/ग्रामीणों की सलाह एवं सहभागिता से निम्नानुसार कार्य किया जाना था :-

1. **वृक्षारोपण** : वृक्षारोपण के तहत प्रथम वर्ष में तैयारी, द्वितीय वर्ष में रोपण एवं इसके पश्चात तीन वर्षों तक रख-रखाव का कार्य किया जाना है. वृक्षारोपण के अंतर्गत मुख्य घटक निम्नानुसार है :-

- सहायक प्राकृतिक पुनरुत्पादन
- कृत्रिम पुनरुत्पादन
- बांस रोपण
- मिश्रित वृक्षारोपण
- औषधि रोपण (हर्ब्स एवं सर्ब्स)

2. **जल मृदा संरक्षण कार्य** : जल मृदा संरक्षण कार्यों के अंतर्गत वनों के पुनरुत्पादन स्तर को बनाये रखते हुए वनों के विकास हेतु विभिन्न संरचनाओं जैसे-कंटूर ट्रैच, गली प्लगिंग, चेक डेम इत्यादि बनाये जाने हैं.
3. **ग्रामों में आस्थामूलक कार्य** : वन प्रबंधन समितियों में वनों के प्रति आस्था जागृत करते हुए वनों की सुरक्षा एवं विकास में ग्रामीणों की पूर्ण सहभागिता प्राप्त करने के उद्देश्य से योजनांतर्गत चयनित ग्रामों में आस्थामूलक कार्य जैसे—सीसी रोड, तालाब खनन, गहरीकरण, मंदिर निर्माण, सामुदायिक भवन निर्माण एवं ग्रामीणों की आवश्यकता एवं मांग अनुसार आयमूलक कार्य कराये जाने हैं.
4. **जागरूकता एवं प्रचार-प्रसार** : वन विकास अभिकरण योजना की जानकारी एवं वनों की सुरक्षा एवं विकास के प्रति ग्राम वासियों को जागरूक करने हेतु प्रशिक्षण एवं प्रचार-प्रसार के कार्य कराये जाने हैं.
5. **सूक्ष्म प्रबंध योजना तैयार करना** : योजनांतर्गत चयनित समिति क्षेत्र में वनों के साथ-साथ ग्राम के सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान हेतु ग्रामवासियों के सहयोग से सूक्ष्म प्रबंध योजना तैयार की जाती है. जिसमें प्रस्तावित कार्यों के अनुसार योजना में कार्य कराये जाने हैं.
6. **मूल्यांकन एवं अनुश्रवण** : परियोजना के क्रियान्वयन उपरांत कराये गये कार्यों का मूल्यांकन विशेषज्ञों द्वारा समिति सदस्यों के सहयोग से कराया जाना है.

#### श्रमिकों के वेलफेयर के नाम से ठेकेदारों से राशि की कटौती का प्रावधान

18. (क्र. 150) **श्री सत्यनारायण शर्मा** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रदेश में चल रहे निर्माण कार्यों के ठेकेदारों को दिये जाने वाले भुगतान से 1 प्रतिशत श्रमिकों के वेलफेयर के नाम से राशि कटौती की जाती है ? (ख) यदि हां तो जनवरी 2012 से मार्च 2014 तक कितनी राशि इस मद से प्राप्त हुई है ? (ग) प्राप्त हुई राशि से कितना उपयोग हुआ एवं किस विभाग के द्वारा किया गया ?

**मुख्यमंत्री** (डॉ. रमन सिंह) : (क) जी हां. (ख) जनवरी, 2012 से मार्च, 2014 तक रु. 241,69,65,003/- राशि इस मद से प्राप्त हुई है. (ग) प्राप्त राशि से रु. 182,80,43,297/- का उपयोग हुआ एवं श्रम विभाग द्वारा निर्माण श्रमिकों एवं उनके परिवार के कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु किया गया है.

#### सामरी विधान सभा में लो वोल्टेज एवं लाईट ब्रेकडाउन की समस्या का निराकरण

19. (क्र. 153) **डॉ. प्रीतम राम** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि सामरी विधान सभा क्षेत्र में बिजली की लो वोल्टेज एवं लाईट ब्रेकडाउन की समस्या को देखते हुए क्या अतिरिक्त ट्रांसफार्मर लगाये जायेंगे ? यदि हां तो, कब तक ?

**मुख्यमंत्री** (डॉ. रमन सिंह) : सामरी विधान सभा क्षेत्र में विद्युत लो वोल्टेज एवं ब्रेक डाउन से संबंधित समस्या के निराकरण के लिए अतिरिक्त ट्रांसफार्मर लगाने की आवश्यकता वर्तमान में नहीं पाई गई है. भविष्य में आवश्यकता होने पर तदनुसार कार्यवाही की जावेगी.

#### सामरी विधान सभा क्षेत्र के ग्राम एवं पारों का विद्युतीकरण

20. (क्र. 154) **डॉ. प्रीतम राम** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधान सभा क्षेत्र सामरी में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम के तहत 2014 तक कितने ग्रामों एवं पारा, मजरा टोलों में विद्युतीकरण किया गया ? (ख) विद्युतीकरण से वंचित ग्राम, पारा, मजरा टोलों में कब तक विद्युतीकरण किया जावेगा ?

**मुख्यमंत्री** (डॉ. रमन सिंह) : (क) विधान सभा क्षेत्र सामरी में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत 30 नवम्बर 2014 तक 177 ग्रामों एवं उनके 544 मजरा टोलों में विद्युतीकरण का कार्य किया गया है. (ख) 11वीं पंचवर्षीय योजना में स्वीकृत राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना अंतर्गत स्वीकृत विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन में सम्मिलित कार्यों में से पूर्ण किये गये कार्यों के समायोजन उपरांत शेष बचे कार्यों को 31 दिसम्बर 2014 तक पूर्ण किए जाने का लक्ष्य है.

गौरैला विकासखण्ड के ग्राम पंचायतों का विद्युतीकरण

21. (क्र. 157) **डॉ. (श्रीमती) रेणु जोगी** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) गौरैला विकासखण्ड के ग्राम पंचायत टांडपथरा, बानघाट, पीढ़ा एवं जोबाटोला (पीपरखूटी ग्राम पंचायत) में कब तक विद्युतीकरण किया जायेगा ? (ख) क्या यह सही है कि तवाडबरा ग्राम में मध्यप्रदेश विद्युत मंडल के द्वारा बिजली प्रदाय की जा रही है ? (ग) यदि हां तो तवाडबरा ग्राम पंचायत के बिजली बिलों का भुगतान किस विद्युत मंडल को किया जा रहा है ?

**मुख्यमंत्री** (डॉ. रमन सिंह) : (क) 12वीं पंचवर्षीय योजना अंतर्गत राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के क्रियान्वयन हेतु तैयार किये गए विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) में विकासखंड गौरैला के ग्राम पंचायत टांडपथरा, बानघाट पीढ़ा एवं पीपरखूटी (जोबाटोला) विद्युतीकरण हेतु सम्मिलित हैं। तदानुसार तैयार किए गए डीपीआर अनुशंसा सहित भारत सरकार को स्वीकृति हेतु प्रेषित की गयी है। स्वीकृति उपरांत कार्य आदेश जारी करने के पश्चात् ही विद्युतीकरण की अवधि बताया जाना संभव है। (ख) जी नहीं। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी मध्यप्रदेश पूर्वी क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी से केवल बिजली का क्रय कर तवाडबरा ग्राम में बिजली प्रदाय करती है। (ग) ग्राम तवाडबरा ग्राम पंचायत में बिजली बिलों का भुगतान छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित को किया जाता है।

बिलासपुर जिले में विद्युत विहीन ग्रामों में सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना

22. (क्र. 163) **श्री अमित अजीत जोगी** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2010 से 31 मई, 2014 के मध्य सौर ऊर्जा विभाग द्वारा बिलासपुर जिले के कितने विद्युत विहीन ग्रामों में सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए गए ? कितनी राशि व्यय की गई ? वर्तमान में कितने ग्रामों में सौर ऊर्जा के माध्यम से बिजली प्रदान की जा रही है ?

**मुख्यमंत्री** (डॉ. रमन सिंह) : वर्ष 2010 से 31 मई 2014 के मध्य छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (क्रेडा) द्वारा बिलासपुर जिले के 05 विद्युत विहीन ग्रामों में सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए गए। उक्त संयंत्रों की स्थापना पर रु. 35,63,061/- राशि व्यय की गई। वर्तमान में 09 ग्रामों में सौर ऊर्जा के माध्यम से बिजली प्रदान की जा रही है।

जिला दुर्ग एवं बालोद में मुख्यमंत्री कौशल विकास योजनांतर्गत प्रशिक्षणों की संख्या

23. (क्र. 169) **श्री भैयाराम सिन्हा** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत दुर्ग एवं बालोद जिला में 20-11-14 तक कितने व्यक्ति प्रशिक्षित हुए हैं ? उक्त दोनों जिलों में किन-किन संस्थाओं को इस योजना के अंतर्गत वी.टी.पी. सेंटर बनाया गया है ? (ख) इन वी.टी.पी. संस्थाओं के द्वारा कितने विद्यार्थी प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं ?

**मुख्यमंत्री** (डॉ. रमन सिंह) : (क) मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत 20-11-2014 तक दुर्ग जिले में 361 एवं बालोद जिले में 62 हितग्राही प्रशिक्षित हुए। उक्त योजना के तहत दुर्ग एवं बालोद जिले में प्रशिक्षण हेतु वी.टी.पी. सेंटर की जानकारी परिशिष्ट पर † संलग्न है। (ख) इन वी.टी.पी. संस्थाओं के द्वारा कुल 423 विद्यार्थी प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं।

अवैध उत्खनन/परिवहन के दर्ज मामलों पर कार्यवाही

24. (क्र. 190) **श्री देवजी भाई पटेल** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) 1 जनवरी, 2013 से 20 नवंबर, 2014 तक जिला रायपुर, गरियाबंद, बलौदाबाजार क्षेत्रांतर्गत अवैध उत्खनन/परिवहन के कितने-कितने प्रकरण दर्ज किए गए विकासखण्डवार स्थान सहित जानकारी दें ? (ख) कंडिका “क” के प्रकरणों में कितना-कितना अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया, यदि हां तो प्रकरणवार ब्यौरा दें ? अर्थदण्ड करने के राज्य शासन के क्या दिशा निर्देश हैं ? (ग) कंडिका “क” के प्रकरणों में पुनरावृत्ति करने वालों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की प्रावधान है ? कितने प्रकरणों में कार्यवाही सुनिश्चित की गई ?

**मुख्यमंत्री** (डॉ. रमन सिंह) : (क) 1 जनवरी 2013 से 20 नवम्बर 2014 तक जिला रायपुर, गरियाबंद, बलौदाबाजार क्षेत्रांतर्गत अवैध उत्खनन एवं परिवहन के दर्ज प्रकरण की विकासखंड एवं स्थान सहित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-“एक” एवं “दो” पर दर्शित है। (ख) कंडिका “क” के प्रकरणों में अधिरोपित वसूल की गई समझौता राशि (अर्थदण्ड) का प्रकरणवार ब्यौरा पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट “एक” एवं “दो” पर दर्शित है। खनिज नियमों में समझौता राशि (अर्थदण्ड) अधिरोपित करने हेतु खान एवं खनिज (विकास एवं विनियम) अधिनियम

1957 की धारा 21 एवं गौण खनिज नियम 1996 के नियम 53 तथा छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 247 में प्रावधानित है। (ग) पुनरावृत्ति करने वालों के विरुद्ध अतिरिक्त दण्ड का प्रावधान खान एवं खनिज (विकास एवं विनियम) अधिनियम 1957 की धारा 21 (2) एवं गौण खनिज नियम 1996 के नियम 53 (5) के तहत प्रावधानित है, सक्षम अधिकारी अधिरोपित जुमाने के अतिरिक्त दण्ड वसूल करने का प्रावधान है। प्रश्नांश “क” के प्रकरणों में पुनरावृत्ति के तहत की गई कार्यवाही की जानकारी निरंक है।

जिला रायपुर में गुणवत्ताहीन पूरक पोषण आहार बनाने वालों के विरुद्ध कार्यवाही

25. (क्र. 191) **श्री देवजी भाई पटेल** : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायपुर जिले के अंतर्गत रेडी टू ईट योजना के तहत किन-किन एन.जी.ओ./स्व सहायता समूहों को पूरक पोषण आहार बनाने का कार्य आवंटित किया गया है? उनके नाम, पता सहित विकासखण्डवार जानकारी दें? (ख) कंडिका “क” के द्वारा निर्मित पोषण आहार के सैंपल जांच का क्या प्रावधान है? 1 जनवरी 2012 से 20 नवम्बर 2014 तक किन-किन केन्द्रों से सैंपल लिया गया? सैंपल जांच का निष्कर्ष बतावें? (ग) गुणवत्ताहीन पूरक पोषण आहार बनाने वाले समूहों के विरुद्ध दण्ड के क्या प्रावधान हैं? किन-किन समूहों पर प्रावधान के तहत कब-कब कार्यवाही की गई? और क्या?

**महिला एवं बाल विकास मंत्री** (श्रीमती रमशीला साहू) : (क) रायपुर जिले में रेडी टू ईट प्रदाय का कार्य कर रहे महिला स्वसहायता समूहों की विकासखंडवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 अनुसार है। एन.जी.ओ. को रेडी टू ईट का कार्य नहीं दिया गया है। (ख) पूरक पोषण आहार कार्यक्रम अंतर्गत प्रतिमाह चक्रानुक्रम में 20 प्रतिशत महिला स्वसहायता समूहों के रेडी टू ईट फूड के नमूने भारत सरकार, खाद्य एवं पोषाहार बोर्ड की मुंबई स्थित प्रयोगशाला में रेण्डम आधार पर परीक्षण हेतु भेजे जाते हैं। प्रश्नाधीन अवधि में लिये गये नमूने से संबंधित जानकारी परिशिष्ट-2 अनुसार है। (ग) रेडी टू ईट फूड के नमूनों के विश्लेषण में प्रोटीन एवं कैलोरी की मात्रा कम पाये जाने पर अनुपातिक रूप से संबंधित समूह के देयक से कटौती की जाती है। यदि किसी समूह के लगातार दो नमूने निर्धारित मापदण्ड अनुसार नहीं पाये जाने पर संबंधित समूह को कार्य से पृथक करने का प्रावधान है। समूहवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2 अनुसार है।

भानुप्रतापपुर विधान सभा क्षेत्र में खेल मैदान एवं स्टेडियम की स्वीकृति

26. (क्र. 194) **श्री मनोज सिंह मंडावी** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भानुप्रतापपुर विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 2013 से 18 नवम्बर, 2014 की अवधि में कहां-कहां पर खेल मैदान एवं स्टेडियम स्वीकृत किए गए? विकासखण्डवार जानकारी दें? उनकी कार्य एजेंसी कौन थी? (ख) स्वीकृत कार्यों में से कितने कार्य पूर्ण हुए तथा कितने नहीं एवं क्यों? निर्धारित समयावधि में कार्य पूर्ण नहीं होने के कारण कार्य एजेंसी पर क्या-क्या कार्यवाही की गई?

**मुख्यमंत्री** (डॉ. रमन सिंह) : (क) जानकारी † संलग्न परिशिष्ट के स्तम्भ 1 से 6 में दर्शित है। (ख) जानकारी † संलग्न परिशिष्ट के स्तम्भ 7, 8 में दर्शित है।

भानुप्रतापपुर विधान सभा क्षेत्र में स्वीकृत आंगनबाड़ी/मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र

27. (क्र. 195) **श्री मनोज सिंह मंडावी** : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भानुप्रतापपुर विधान सभा क्षेत्र में कुल कितने आंगनबाड़ी एवं मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित हैं? उपरोक्त में कितने स्वयं के भवन में एवं कितने किराये के भवन में संचालित हैं? विकासखंडवार जानकारी दें? (ख) भानुप्रतापपुर विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 2013 से 18 नवम्बर, 2014 की स्थिति में कुल कितने आंगनबाड़ी एवं मिनी आंगनबाड़ी कहां-कहां स्वीकृत किए गए, उनकी कार्य एजेंसी कौन-कौन हैं तथा उसमें कितने पूर्ण एवं कितने अपूर्ण हैं? विकासखण्डवार जानकारी दें? (ग) शेष भवन विहीन आंगनबाड़ी एवं मिनी आंगनबाड़ी केन्द्रों की संख्या कितनी हैं? उक्त हेतु भवन की व्यवस्था कब तक कर दी जावेगी?

**महिला एवं बाल विकास मंत्री** (श्रीमती रमशीला साहू) : (क) भानुप्रतापपुर विधान सभा क्षेत्र में 638 आंगनबाड़ी केन्द्र एवं 76 मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित हैं। उपरोक्त में 578 आंगनबाड़ी केन्द्र एवं 12 मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र स्वयं के भवन में तथा 60 आंगनबाड़ी केन्द्र एवं 64 मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र किराये के भवन में संचालित हैं। विकासखंडवार जानकारी †† संलग्न प्रपत्र “अ” अनुसार है। (ख) भानुप्रतापपुर विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 2013 से 18 नवम्बर, 2014 की स्थिति में कुल 17 आंगनबाड़ी केन्द्र (विकासखंड चारामा में 6, दुर्ग कौदल में 11) एवं 8 मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र भवन विकासखंड चारामा में स्वीकृत किये गये हैं तथा उनकी कार्य एजेंसी मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत चारामा एवं दुर्गकौदल है। उनमें से 01 आंगनबाड़ी भवन एवं 8 मिनी आंगनबाड़ी भवन पूर्ण हैं तथा 4 आंगनबाड़ी भवन अप्रारंभ एवं 12 आंगनबाड़ी भवन अपूर्ण है। विकासखंडवार जानकारी †† संलग्न प्रपत्र “ब” अनुसार है। (ग) भानुप्रतापपुर विधान सभा क्षेत्र में 9 आंगनबाड़ी केन्द्र एवं 64 मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र भवन विहीन है। आंगनबाड़ी भवन निर्माण वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर किया जाता है। अतः निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

कटघोरा विधान सभा क्षेत्र में संचालित आंगनबाड़ी एवं मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र

28. (क्र. 214) **श्री लखन देवांगन** : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा क्षेत्र कटघोरा अंतर्गत कुल कितने आंगनबाड़ी एवं मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित हैं ? संचालित केन्द्रों में स्वयं के भवन कितने हैं ? कितने भवन विहीन हैं ? (ख) भवन विहीन आंगनबाड़ी केन्द्रों हेतु कब तक स्वयं के भवन निर्मित कराये जायेंगे ?

**महिला एवं बाल विकास मंत्री** (श्रीमती रमशीला साहू) : (क) विधान सभा क्षेत्र कटघोरा अंतर्गत कुल 483 आंगनबाड़ी केन्द्र एवं 20 मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित हैं. संचालित केन्द्रों में से 402 आंगनबाड़ी केन्द्र एवं 07 मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र स्वयं के भवन में संचालित हैं. 81 आंगनबाड़ी केन्द्र एवं 13 मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र भवन विहीन हैं. (ख) आंगनबाड़ी भवन निर्माण वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर किया जाता है. अतः निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है.

विधान सभा लोरमी के ग्रामों में ट्रांसफार्मरों के खराब होने/सुधार संबंधी

29. (क्र. 226) **श्री तोखन साहू** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) लोरमी विधान सभा क्षेत्र में किन-किन ग्रामों में, कब से ट्रांसफार्मर खराब है या खराब होने की शिकायत प्राप्त हुई है ? क्या खराब ट्रांसफार्मर बदले जा चुके हैं ? ग्रामवार जानकारी देवें ? (ख) लोरमी विधान सभा क्षेत्र में किन-किन ग्रामों में अतिरिक्त ट्रांसफार्मर लगाने हेतु प्रस्तावित है ? प्रस्तावित ट्रांसफार्मर को कब तक लगाया जायेगा ? ग्रामवार जानकारी देवें.

**मुख्यमंत्री** (डॉ. रमन सिंह) : (क) लोरमी विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 2014-15 में दिनांक 30-11-2014 तक विभिन्न ग्रामों में 160 ट्रांसफार्मर खराब होने की शिकायत प्राप्त हुई है. जी हां सभी 160 खराब ट्रांसफार्मर बदल दिये गये हैं. ग्रामवार जानकारी † संलग्न प्रपत्र “अ” में दर्शित है. (ख) बारहवीं पंचवर्षीय योजना में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत मुंगेली जिला हेतु तैयार की गई विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) में लोरमी विधान सभा क्षेत्र के 84 ग्रामों में 119 अतिरिक्त ट्रांसफार्मर लगाया जाना प्रस्तावित है. मुंगेली जिले के लिये तैयार किये गये डीपीआर को अनुशंसा सहित स्वीकृति हेतु भारत सरकार को प्रेषित किया गया है. विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन पर भारत सरकार की स्वीकृति उपरांत क्रय आदेश जारी होने पर ट्रांसफार्मर लगाये जाने की समय सीमा की जानकारी दिया जाना संभव होगा. ग्रामवार जानकारी † संलग्न प्रपत्र “ब” में दर्शित है.

विधान सभा क्षेत्र लोरमी अचानकमार टाईगर रिजर्व अंतर्गत शेरों की गणना

30. (क्र. 227) **श्री तोखन साहू** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या लोरमी विधान सभा क्षेत्र में अचानकमार टाईगर रिजर्व के अंतर्गत शेरों की गणना की जाती है ? यदि हां तो, कब से की जा रही है ? वर्षवार शेरों की संख्या की जानकारी देवें. (ख) शेरों की गणना हेतु कितनी राशि स्वीकृत की गई है और कितनी राशि खर्च की जा चुकी है ? विगत 03 वर्षों की जानकारी देवें.

**मुख्यमंत्री** (डॉ. रमन सिंह) : (क) लोरमी विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत अचानकमार टाईगर रिजर्व क्षेत्र में भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून के तत्वाधान में शेर एवं अन्य वन्य प्राणियों का आंकलन किया जाता है. यह आंकलन वर्ष 2006 से भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून के तत्वाधान में किया जा रहा है. वर्ष 2010 में हुए आंकलन के आधार पर अचानकमार लैंड स्कैप में बाघों की संख्या 11 से 13 के मध्य थी. वर्ष 2014 के फरवरी माह में वन्यप्राणियों का आंकलन पुनः कराया गया एवं आंकड़े विश्लेषण हेतु भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून को भेजे गये हैं. परिणाम अप्राप्त है. (ख) वन्यप्राणियों के आंकलन हेतु निम्न में दर्शाये अनुसार राशि स्वीकृत एवं व्यय की गयी.

वर्ष	स्वीकृत राशि	राशि रुपये में
		व्यय राशि
2012-13	निरंक	निरंक
2013-14	3,03,800/-	3,03,430/-
2014-15	निरंक	निरंक

विधान सभा क्षेत्र बिलाईगढ़ में प्रदत्त उत्खनिपट्टे

31. (क्र. 234) **डॉ. सनम जांगड़े** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधान सभा क्षेत्र बिलाईगढ़ में रेत उत्खनन, क्वारी लीज व चूना पत्थर हेतु वर्ष 2012-13 से 22 नवम्बर, 2014 तक कितने खनिज पट्टे प्रदान किये गये हैं ? (ख) उक्त अवधि में अवैध खनिज उत्खनन पर क्या-क्या कार्यवाही हुई है ? यदि नहीं तो, क्यों ?

**मुख्यमंत्री** (डॉ. रमन सिंह) : (क) बिलाईगढ़ विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत वर्ष 2012-13 से 22, नवम्बर 2014 तक की अवधि में रेत की कोई खदान संचालित नहीं है तथा गौण खनिज चूनापत्थर की 08 क्वारी लीज (उत्खनिपट्टा) स्वीकृत किये गये हैं. (ख) उक्त अवधि में अवैध खनिज उत्खनन के कुल 05 प्रकरण दर्ज किये गये, जिनमें से 04 प्रकरण में राशि 160650/- रुपये वसूल की गई एवं 01 प्रकरण कलेक्टर, न्यायालय में विचाराधीन है.

विधान सभा क्षेत्र बिलाईगढ़ व कसडोल अंतर्गत हाथियों द्वारा फसल की क्षति/मुआवजा

32. (क्र. 235) **डॉ. सनम जांगड़े** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधान सभा क्षेत्र बिलाईगढ़ व कसडोल के अंतर्गत वनांचल क्षेत्र में सत्र 2012-2013 व सत्र 2013-2014 में हाथियों द्वारा कितने गांव के कितने किसानों के फसल को नुकसान हुआ है ? प्रभावित किसानों हेतु मुआवजे का क्या प्रावधान है ? 22-11-2014 तक कितने किसानों को मुआवजा प्रदान किया गया है ? कितने प्रकरण लंबित है ? (ख) विधान सभा क्षेत्र बिलाईगढ़ के अंतर्गत वन परिक्षेत्र अर्जुनी में ईमारती लकड़ियों की अवैध कटाई की कितनी शिकायतें मिली हैं ? सत्र 2012-2013 व 2013-2014 में कितनी कटाई हुई है ?

**मुख्यमंत्री** (डॉ. रमन सिंह) : (क) विधान सभा क्षेत्र बिलाईगढ़ व कसडोल के अंतर्गत वनपरिक्षेत्रों में वर्ष 2012-2013 व 2013-2014 में हाथियों द्वारा किसानों की फसल नुकसानी से संबंधित कोई प्रकरण पंजीबद्ध नहीं हुए हैं, अतः प्रभावित किसानों को क्षतिपूर्ति राशि भुगतान करने का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता. कोई प्रकरण लंबित भी नहीं है. प्रभावित किसानों को मुआवजा भुगतान के पूर्व नुकसानी का आंकलन क्षेत्र के संबंधित सरपंच, वनपरिक्षेत्र सहायक/वनरक्षक, संबंधित हल्के के पटवारी एवं वन प्रबंध समिति के अध्यक्ष की समित द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है तथा मुआवजा राशि की अनुशंसा की जाती है. समिति द्वारा क्षति का आंकलन होने के उपरांत वन परिक्षेत्र सहायक द्वारा प्रकरण संबंधित रेंज ऑफिस में जमा किया जाता है. रेंज ऑफिसर प्रकरण उपवनमंडलाधिकारी के माध्यम से वनमंडलाधिकारी को स्वीकृति हेतु भेजते हैं. वनमंडलाधिकारी की स्वीकृति उपरांत संबंधित रेंज ऑफिसर द्वारा भुगतान किया जाकर प्रतिवेदन वनमंडल कार्यालय को प्रेषित किया जाता है. वित्तीय वर्ष 2014-15 में दिनांक 22-11-2014 तक फसल की क्षतिपूर्ति के 419 प्रकरण लंबित हैं, जिनमें से 339 प्रकरणों का रु. 218089.00 राशि की स्वीकृति प्रदान कर भुगतान की कार्यवाही हेतु कोषालय भेजा गया है. (ख) विधान सभा क्षेत्र बिलाईगढ़ के अंतर्गत अर्जुनी परिक्षेत्र में वर्ष 2012-13 में अवैध कटाई की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है. वर्ष 2013-14 में 02 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिसकी जांच राजपत्रित अधिकारी से करायी गई, जांच में अवैध कटाई में सागौन के 142 टूट, सेन्हा-01 टूट, तेन्दू-01 टूट एवं घटोल-01 टूट इस प्रकार कुल 145 टूट पाये गये.

अकलतरा विधान सभा क्षेत्र के आंगनबाड़ी केन्द्रों हेतु भवन व्यवस्था

33. (क्र. 242) **श्री चुन्नीलाल साहू** (अकलतरा) : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अकलतरा विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत कितने आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित हैं ? कितने आंगनबाड़ी शासकीय भवन में संचालित हैं ? कितने किराये में ? (ख) किराये में चल रहे आंगनबाड़ी केन्द्रों के लिये कब तक शासकीय भवन तैयार कर लिया जावेगा ?

**महिला एवं बाल विकास मंत्री** (श्रीमती रमशीला साहू) : (क) अकलतरा विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत 336 आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित हैं. 226 आंगनबाड़ी केन्द्र स्वयं के भवन में तथा 4 आंगनबाड़ी केन्द्र अन्य शासकीय भवन में इस प्रकार कुल 230 आंगनबाड़ी केन्द्र शासकीय भवनों में संचालित है. 85 आंगनबाड़ी केन्द्र किराये के भवनों में तथा 21 आंगनबाड़ी केन्द्र सामुदायिक भवनों में संचालित है. (ख) आंगनबाड़ी भवन निर्माण वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर किया जाता है. अतः निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है.

प्रदेश में पंजीकृत खेल संस्थाओं को प्रदत्त अनुदान

34. (क्र. 247) **श्री दीपक बैज** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छत्तीसगढ़ प्रदेश में कितनी खेल संस्था पंजीकृत है ? वर्ष 2012-13, 2013-14 एवं 2014-15 में शासन द्वारा कितना अनुदान संस्थाओं को दिया गया ? (ख) उक्त अवधि में विभाग द्वारा कितने प्रतिभागियों को राष्ट्रीय स्तर पर खेलने भेजा गया ?

**मुख्यमंत्री** (डॉ. रमन सिंह) : (क) वर्तमान में 43 खेल संस्थाएं पंजीकृत हैं. वर्ष 2012-13 में कुल 37 खेल संस्थाओं को 7896207, वर्ष 2013-14 में कुल 31 खेल संघ/संस्थाओं को 7794931 एवं वर्ष 2014-15 (दिनांक 30-11-2014 की स्थिति में) में कुल 16 खेल संस्थाओं को 1445850 की अनुदान राशि स्वीकृत की गई. (ख) उक्त अवधि में विभाग द्वारा कुल 461 प्रतिभागियों को राष्ट्रीय स्तर पर भेजा गया.

विधान सभा क्षेत्र चित्रकोट अंतर्गत निर्माण कार्यों की स्थिति

35. (क्र. 248) **श्री दीपक बैज** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधान सभा क्षेत्र चित्रकोट अंतर्गत वन विभाग के द्वारा वर्ष 2013-14 व 2014-15 में कौन-कौन से निर्माण कार्य किन-किन स्थानों पर कराए गए ? (ख) कार्य किस योजना व किस मद से स्वीकृत किया गया और कार्य की वास्तविक स्थिति क्या है ?

**मुख्यमंत्री** (डॉ. रमन सिंह) : (क) विधान सभा क्षेत्र चित्रकोट अंतर्गत वन विभाग के द्वारा वर्ष 2013-14 में मटनार से भेजामार्ग पर 02 पुलिया, बिसपुर से गोरछापर मार्ग 03 पुलिया एवं ग्राम रेखा में 01 स्टापडेम का निर्माण किया गया. वर्ष 2014-15 में बस्तानार पटेलपारा में 01 नग चबूतरा निर्माण किया गया. (ख) पुलिया का निर्माण अनुसूचित जन जाति योजना 6886-वनमार्गों पर रपटा/पुलिया निर्माण मद से तथा स्टापडेम एवं चबूतरा निर्माण ईमारती लकड़ी एवं बांस के राजकीय व्यापार मद के अंतर्गत विदोहन से प्राप्त होने वाली 15 प्रतिशत लाभांश राशि से कराया गया है. सभी निर्माण कार्य पूर्ण हो चुके हैं.

विधान सभा क्षेत्र जैजैपुर में बी.पी.एल. विद्युत उपभोक्ताओं की जानकारी

36. (क्र. 257) **श्री केशव चन्द्रा** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधान सभा क्षेत्र जैजैपुर अंतर्गत कितने बी.पी.एल. हितग्राहियों को विद्युत कनेक्शन दिया गया है ? कितने उपभोक्ता के यहां मीटर लगाया गया है ? (ख) बी.पी.एल. उपभोक्ताओं को कितने यूनिट की छूट है ?

**मुख्यमंत्री** (डॉ. रमन सिंह) : (क) विधान सभा क्षेत्र जैजैपुर अंतर्गत 26,753 बी.पी.एल. हितग्राहियों को विद्युत कनेक्शन दिया गया है. उक्त सभी बी.पी.एल. उपभोक्ताओं के यहां मीटर लगाया गया है. (ख) बी.पी.एल. उपभोक्ताओं को 40 यूनिट प्रतिमाह के मान से छूट है.

सक्ती विधान सभा क्षेत्र में ग्राम डुमरपारा में मेसर्स बालाजी मेटल मिनरल्स प्रा.लि. को स्वीकृत शासकीय भूमि

37. (क्र. 272) **डॉ. खिलावन साहू** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सक्ती विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम डुमरपारा (बारद्वारा) में संचालित मेसर्स बालाजी मेटल मिनरल्स प्रा.लि. को माईन्स हेतु कितनी शासकीय जमीन दी गई है ? (ख) हेल्को ब्लास्टिंग हेतु कब-कब कहां से अनुमति ली गई है ? विगत 3 वर्षों की जानकारी दें.

**मुख्यमंत्री** (डॉ. रमन सिंह) : (क) सक्ती विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम डुमरपारा (बारद्वार) में मेसर्स बालाजी मेटल मिनरल्स प्रा.लि. को डोलोमाइट खनिज का खनिपट्टा कुल 42.754 हे. शासकीय भूमि पर स्वीकृत की गई है. (ख) हेल्को ब्लास्टिंग के नाम से अनुमति नहीं ली गई है. श्री खाटूश्याम टेंडर्स बिलासपुर से ब्लास्टिंग का कार्य कराया जा रहा है. श्री खाटू श्याम टेंडर्स को संयुक्त मुख्य विस्फोटक नियंत्रक आगरा द्वारा दिनांक 31-03-2015 तक के लिये ब्लास्टिंग हेतु लाईसेंस प्राप्त है.

जिला जांजगीर-चांपा में स्थित प्रकाश इण्डस्ट्री को आवंटित शासकीय एवं निजी भूमि

38. (क्र. 273) **डॉ. खिलावन साहू** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला जांजगीर-चांपा में स्थित प्रकाश इण्डस्ट्री को कितनी शासकीय और निजी जमीन दी गई है ? (ख) पी.आई.एल. अपने लाभांश का एक निश्चित हिस्सा सी.एस.आर. के अंतर्गत व्यय करता है ? यदि हां तो कितना ? (ग) विगत 3 वर्षों में पंचायतवार, वर्षवार, कार्यवार प्रभावित गांवों को कितनी राशि दी गई है ?

**मुख्यमंत्री** (डॉ. रमन सिंह) : (क) जिला जांजगीर-चांपा में स्थित मेसर्स प्रकाश इण्डस्ट्रीज लिमि. को 504.694 एकड़ शासकीय भूमि और 33.99 एकड़ निजी भूमि कुल 518.684 एकड़ भूमि सीएसआईडीसी द्वारा आवंटित की गई है. इसके अतिरिक्त वन परिक्षेत्र अधिकारी चांपा द्वारा 96.98 एकड़ भूमि दी गई है. (ख) शासन की निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व नीति, 2013 में रुपये 500 करोड़ से कम शुद्ध लाभ वालों

को शुद्ध लाभ का 3% एवं रुपये 500 करोड़ से अधिक शुद्ध लाभ वाले उद्योगों को शुद्ध लाभ का 2% (न्यूनतम 15 करोड़ रुपये) व्यय करना है। कंपनी अधिनियम, 2013 जो 1 अप्रैल, 2014 से प्रभावी है, के अनुसार विगत तीन वर्षों के औसत लाभ का 2% व्यय सी.एस.आर. मद में व्यय करना है। (ग) प्रकाश इण्डस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा व्यय की गई राशि † संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।

भ्रष्टाचार निरोधक शाखा एवं आर्थिक अपराध शाखा द्वारा की गई कार्यवाही

39. (क्र. 281) **श्री भूपेश बघेल** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कैलेण्डर वर्ष 2009 से 2014 में 20 नवम्बर, 2014 तक कितने अधिकारी-कर्मचारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार निरोधक शाखा एवं आर्थिक अपराध शाखा द्वारा कार्यवाही की गयी ? (ख) इनमें से कितने प्रकरणों में उक्त दिनांक तक न्यायालय में चालान प्रस्तुत किये गये ? कितने प्रकरणों में सजा सुनाई गयी ?

**मुख्यमंत्री** (डॉ. रमन सिंह) : (क) प्रश्नांकित अवधि में भ्रष्टाचार निरोधक शाखा एवं आर्थिक अपराध शाखा द्वारा 324 प्रकरणों में कुल 378 अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई। (ख) प्रश्नांश “क” में वर्णित प्रकरणों में से उक्त अवधि तक 176 प्रकरणों में चालान माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किये गये तथा सभी प्रकरण माननीय न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण किसी भी प्रकरण में सजा नहीं सुनायी गयी है।

छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा आयोजित इनवेस्टर्स मीट में निष्पादित एम.ओ.यू. एवं पूंजी निवेश

40. (क्र. 282) **श्री भूपेश बघेल** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2012 में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा आयोजित इनवेस्टर्स मीट में कितने फर्म/कंपनियों/उद्योगों द्वारा भाग लिया गया ? (ख) उक्त मीट में राज्य सरकार ने कितने एम.ओ.यू. किये गये ? किये गये एम.ओ.यू. में से कितनों ने कार्य प्रारंभ कर दिया ? (ग) उक्त इनवेस्टर्स मीट में कितने रुपयों का निवेश हुआ ? अब तक प्रदेश के कितने लोगों को रोजगार प्राप्त हुआ ?

**मुख्यमंत्री** (डॉ. रमन सिंह) : (क) वर्ष 2012 में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा आयोजित इनवेस्टर्स मीट में प्रमुख रूप से 449 उद्योगपति एवं 149 उद्योगों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। (ख) इनवेस्टर्स मीट 2012 में विभिन्न विभागों द्वारा 257 एम.ओ.यू. निष्पादित किये गये जिनमें से 17 एम.ओ.यू. में कार्य प्रारंभ किये गये। (ग) उत्तरांश “ख” में उल्लेखित 17 एम.ओ.यू. अंतर्गत रुपये 236.72 करोड़ का पूंजी निवेश हुआ है, जिसमें प्रदेश के 592 व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त हो चुका है।

जिला जांजगीर-चांपा में राजीवगांधी विद्युतीकरण योजनांतर्गत चोरी हुए ट्रांसफार्मर के स्थान पर नवीन ट्रांसफार्मर की स्थापना

41. (क्र. 306) **श्री केशव चन्द्रा** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि राजीवगांधी विद्युतीकरण योजनांतर्गत जिला जांजगीर-चांपा में कुल कितने ट्रांसफार्मर की चोरी हुई है ? उक्त चोरी हुए कितने ट्रांसफार्मर को बदला गया है एवं अभी तक कितने नहीं बदला गया है ?

**मुख्यमंत्री** (डॉ. रमन सिंह) : राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजनांतर्गत जिला-जांजगीर-चांपा में कुल 384 ट्रांसफार्मर की चोरी हुई है। चोरी हुए 384 ट्रांसफार्मरों में से 294 ट्रांसफार्मर बदल दिये गये हैं तथा 90 ट्रांसफार्मर बदले नहीं गये हैं।

डोंगरगांव विधान सभा क्षेत्र में वृहद एवं मध्यम उद्योगों द्वारा सामुदायिक विकास योजना के तहत व्यय राशि

42. (क्र. 312) **श्री दलेश्वर साहू** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि राजनांदगांव जिले में स्थित किन-किन वृहद एवं मध्यम उद्योगों द्वारा विगत 5 वर्षों में सामुदायिक विकास योजना के तहत डोंगरगांव विधान सभा क्षेत्र में कितनी-कितनी राशि व्यय की गई ? वर्षवार, मदवार, स्थान सहित जानकारी दें ?

**मुख्यमंत्री** (डॉ. रमन सिंह) : जानकारी परिशिष्ट पर †† संलग्न है।

जिला राजनांदगांव में सामान्य विकास निधि मद से व्यय की गई राशि

43. (क्र. 313) **श्री दलेश्वर साहू** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राजनांदगांव जिले में सामान्य विकास निधि मद से 1 अप्रैल, 2013 से 20 नवम्बर, 2014 तक मदवार किस-किस कार्य के लिए कितनी राशि व्यय की गई ? (ख) खर्च की गई राशि की जानकारी कार्यवार एवं ग्रामवार देवें ? (ग) कितने कार्य का कार्यादेश दिया जा चुका है एवं कितने का शेष है ? कार्यवार पूर्ण/अपूर्ण की जानकारी देवें.

**मुख्यमंत्री** (डॉ. रमन सिंह) : (क) राजनांदगांव जिले में विद्युत वितरण कंपनी द्वारा सामान्य विकास मद से 01 अप्रैल 2013 से 20 नवम्बर 2014 तक नये कनेक्शन प्रदाय करने, ट्रांसफार्मर की क्षमता वृद्धि करने, निम्नदाब/उच्चदाब विद्युत लाइन की भूमि से सुरक्षित दूरी बढ़ाने एवं अन्य कार्यों के लिए राशि रु. 355.68 लाख व्यय किया गया है. (ख) व्यय की गई राशि का कार्यवार एवं ग्रामवार विवरण पुस्तकालय में रखे प्रपत्र "अ" में दर्शित है. (ग) स्वीकृत सभी 465 कार्यों हेतु कार्यादेश जारी कर दिये गये हैं, जिसमें से 373 कार्य पूर्ण किये गये हैं एवं 92 कार्य अपूर्ण है. पूर्ण एवं अपूर्ण कार्यों का विवरण पुस्तकालय में रखे प्रपत्र "अ" में दर्शित है.

बस्तर संभाग अंतर्गत मीटर शिफ्टिंग की स्थिति

44. (क्र. 336) **श्री लखेश्वर बघेल** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2013-14, वर्ष 2014-15 में 20 नवम्बर, 2014 की स्थिति में बस्तर संभाग अंतर्गत कितने विद्युत मीटर शिफ्टिंग किये गये ? क्या मीटर शिफ्टिंग का कार्य पूर्ण हो चुका है ? कितने स्थानों में शिफ्टिंग कार्य अपूर्ण है ? (ख) क्या प्रश्नांश "क" में किसी प्रकार की अनियमितता प्रकाश में आई है ? यदि हां तो दोषी अधिकारी/ कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

**मुख्यमंत्री** (डॉ. रमन सिंह) : (क) वर्ष 2013-14 एवं वर्ष 2014-15 में 20 नवम्बर 2014 की स्थिति में बस्तर संभाग के अंतर्गत क्रमशः 9859 एवं 7680 विद्युत मीटर शिफ्टिंग का कार्य पूर्ण किया गया है. 20 नवम्बर 2014 की स्थिति में स्वीकृत कार्यों में से 8501 विद्युत मीटर शिफ्टिंग का कार्य शेष है. (ख) मीटर शिफ्टिंग कार्य हेतु फर्जी कार्यादेश जारी कर अनियमितता/गबन के प्रकरण संज्ञान में आये हैं, जिनमें प्रथम दृष्टया दोषी पाये जाने पर बस्तर संभाग के अंतर्गत 04 विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों को निलंबित कर विभागीय जांच की कार्यवाही की जा रही है जिनमें से तीन अधिकारियों के विरुद्ध थाने में एफ.आई.आर. दर्ज की जा चुकी है.

बस्तर विधान सभा क्षेत्र में सड़कों की मरम्मत हेतु स्वीकृत राशि

45. (क्र. 337) **श्री लखेश्वर बघेल** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बस्तर विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत कौन-कौन सी सड़कें वन विभाग के अंतर्गत आती हैं ? (ख) इन सड़कों की मरम्मत, नवीनीकरण, डामरीकरण के लिये वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 में कितना कार्य कितनी-कितनी लागत का किया गया ?

**मुख्यमंत्री** (डॉ. रमन सिंह) : (क) बस्तर विधान सभा क्षेत्र में वन विभाग के अंतर्गत आने वाली सड़कों की जानकारी † संलग्न प्रपत्र "अ" में दर्शित है. (ख) उक्त सड़कों की मरम्मत, नवीनीकरण, डामरीकरण के लिये वर्ष 2012-13 एवं वर्ष 2013-14 में कराये गये कार्यों एवं उनकी लागत राशि का विवरण † संलग्न प्रपत्र "ब" में दर्शित है.

कवर्धा विधान सभा क्षेत्र में रोपित पौधों का संधारण एवं व्यय राशि

46. (क्र. 350) **श्री अशोक साहू** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कवर्धा विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत 2012-13 एवं 2013-14 में कितने हेक्टेयर भूमि पर कितने-कितने पौधे रोपे गये हैं ? इन पर कितनी राशि व्यय की गई ? (ख) रोपित पौधों के रख रखाव पर कितनी राशि व्यय की गई है एवं कितनी राशि व्यय करने की योजना है ? (ग) क्या रोपित पौधे के विकास (प्रगति) पर कोई विभागीय समीक्षा होती है ? यदि हां तो विस्तृत जानकारी विकासखण्डवार देने की कृपा करें ?

**मुख्यमंत्री** (डॉ. रमन सिंह) : (क) विधान सभा क्षेत्र कवर्धा के अंतर्गत वर्ष 2012-13 में 2219.53 हेक्टेयर में 1.5 कि.मी. में 28 लाख 50 हजार 590 पौधे तथा वर्ष 2013-14 में 1931.021 हेक्टेयर में 29 लाख 52 हजार 800 पौधे रोपित किए गए. रोपण पर कुल व्यय

रुपये 938.224 लाख हुआ है. (ख) प्रश्नांश “क” के रोपित पौधों पर अक्टूबर 2014 तक 461.388 लाख रुपये रख रखाव पर व्यय हुए हैं एवं 196.58 लाख रुपये आगामी रख रखाव पर व्यय किए जाने की योजना है. (ग) प्रश्नांश “क” के दोनों वर्षों के रोपण बोडला विकासखण्ड में है. रोपित पौधे के प्रगति के संबंध में प्रत्येक वर्ष जीवित पौधों की गणना की जाती है. इसके अतिरिक्त अंतवृत्तीय मूल्यांकन के साथ-साथ वनमंडलाधिकारी, मुख्य वन संरक्षक एवं प्रभारी अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक के द्वारा भी समीक्षा का कार्य किया जाता है.

कवर्धा विधान सभा क्षेत्र में विभिन्न पेंशन योजनाओं के स्वीकृत प्रकरण

47. (क्र. 351) **श्री अशोक साहू** : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कवर्धा विधान सभा क्षेत्रांतर्गत वर्ष 2011-12, 2012-13 एवं 2013-14 में सामाजिक सुरक्षा पेंशन, सुखद, सहारा पेंशन, राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन, राष्ट्रीय विकलांग पेंशन, राष्ट्रीय परिवार सहायता पेंशन योजना में कुल कितने प्रकरण स्वीकृत किये गये ? वर्षवार, पंचायतवार एवं विकासखण्डवार जानकारी देने की कृपा करें ? (ख) कंडिका “क” में वर्षवार लंबित प्रकरणों का विस्तृत विवरण प्रदान करने की कृपा करें. (ग) लंबित प्रकरणों का निराकरण कब तक किया जाना संभव होगा ?

**महिला एवं बाल विकास मंत्री** (श्रीमती रमशीला साहू) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट में है. (ख) लंबित प्रकरण निरंक है. (ग) प्रश्न उपस्थित नहीं होता.

विधान सभा क्षेत्र पण्डरिया में पौधरोपण एवं रख-रखाव में व्यय राशि

48. (क्र. 369) **श्री मोतीराम चंद्रवंशी** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधान सभा क्षेत्र पण्डरिया के अंतर्गत 2012-13 एवं 2013-14 में कितने हेक्टेयर भूमि पर किन-किन प्रजाति के पौधे रोपे गये हैं ? इन पर कितनी राशि व्यय की गई है ? (ख) रख रखाव पर कितनी राशि व्यय की गई ? (ग) क्या रोपित पौधों के प्रगति (विकास) पर कोई विभागीय समीक्षा होती है ? यदि हां तो विस्तृत जानकारी देने का कष्ट करें ?

**मुख्यमंत्री** (डॉ. रमन सिंह) : (क) विधान सभा क्षेत्र पण्डरिया के अंतर्गत वर्ष 2012-13 एवं वर्ष 2013-14 में 675 हेक्टेयर में बांस, आंवला, सागौन, नीलगिरी, अर्जुन, खम्हार, शिशु, करंज, जामुन एवं अन्य मिश्रित प्रजाति के पौधे रोपित किए गए. रोपण पर कुल रुपये 460.222 लाख व्यय हुआ है. (ख) प्रश्नांश “क” के रोपित पौधों पर अक्टूबर 2014 तक 63.801 लाख रुपये रख रखाव पर व्यय हुए हैं. (ग) रोपित पौधे की प्रगति के संबंध में प्रत्येक वर्ष जीवित पौधों की गणना की जाती है. इसके अतिरिक्त अंतवृत्तीय मूल्यांकन के साथ-साथ वनमंडलाधिकारी, मुख्य वन संरक्षक एवं प्रभारी अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक के द्वारा भी समीक्षा का कार्य किया जाता है.

विधान सभा क्षेत्र पण्डरिया के स्वसहायता समूहों को रेडी टू ईट फूड निर्माण हेतु किया गया भुगतान

49. (क्र. 370) **श्री मोतीराम चंद्रवंशी** : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधान सभा क्षेत्र पण्डरिया के किस-किस विकासखण्ड को, किस-किस महिला स्वसहायता समूह द्वारा रेडी टू ईट फूड बनाने का कार्य दिया गया है ? प्रतिमाह उन्हें कितनी-कितनी राशि का भुगतान किया जाता है ? (ख) एक महिला स्वसहायता समूह को कितने आंगनबाड़ी केन्द्रों का कार्य दिया जाता है ? (ग) रेडी टू ईट फूड का सेम्पल परीक्षण कहां से कब-कब कराया जाता है ? तथा उनके आहार में क्या-क्या खाद्य सामग्री अंतर्निहित रहती है ?

**महिला एवं बाल विकास मंत्री** (श्रीमती रमशीला साहू) : (क) विधान सभा क्षेत्र पण्डरिया अंतर्गत आंगनबाड़ी केन्द्रों में रेडी टू ईट प्रदाय कर रहे महिला स्वसहायता समूह तथा उन्हें प्रतिमाह भुगतान की गई राशि की जानकारी † संलग्न परिशिष्ट अनुसार है. (ख) एक महिला स्वसहायता समूह को रेडी टू ईट फूड निर्माण एवं प्रदाय हेतु सामान्यतः एक पर्यवेक्षक सेक्टर अंतर्गत आने वाले 25 आंगनबाड़ी केन्द्रों का कार्य दिया जाता है. (ग) रेडी टू ईट फूड के नमूने भारत सरकार, खाद्य एवं पोषाहार बोर्ड की मुंबई स्थित प्रयोगशाला में प्रतिमाह 20 प्रतिशत महिला स्वसहायता समूहों के नमूने चक्रानुक्रम में रेण्डम आधार पर परीक्षण हेतु भेजे जाते हैं. रेडी टू ईट फूड में गेहूं, चना, सोयाबीन, शक्कर एवं तेल का समावेश होता है.

राज्य के उत्कृष्ट खिलाड़ियों को शासकीय सेवा में नियुक्ति संबंधी

50. (क्र. 381) **श्री मोहन मरकाम** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2010 से वर्ष 2013 तक राज्य में कौन-कौन से खिलाड़ी ने किस-किस खेल में अन्तर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय स्तर पर खेल कर, राज्य को गौरव दिलाया ? कौन-कौन से खिलाड़ियों को उत्कृष्ट खिलाड़ी घोषित किया गया ? (ख) कंडिका “क” के अनुसार किन-किन उत्कृष्ट खिलाड़ियों को राज्य सरकार ने खेल विभाग अथवा अन्य

विभागों में शासकीय सेवा में पदस्थ किया ? क्या सरकारी नौकरी में उत्कृष्ट प्रतिभावान खिलाड़ियों के लिए कोई कोटा निर्धारित है ?

**मुख्यमंत्री** (डॉ. रमन सिंह) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे “क” एवं परिशिष्ट “ख” के स्तम्भ 02 में दर्शित है. (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट “क” के स्तम्भ 03 में दर्शित है. छत्तीसगढ़ राज्य शासकीय सेवा में उत्कृष्ट खिलाड़ी भर्ती नियम में राज्य के उत्कृष्ट खिलाड़ियों की नियुक्ति हेतु कोई अधिकतम पद संख्या निर्धारित नहीं की गई है.

महासमुंद जिले में विकलांगों के पुनर्वास हेतु, विभिन्न योजनाओं से प्राप्त राशि

51. (क्र. 388) **श्री रामलाल चौहान** : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 में दिनांक 20 नवम्बर, 2014 तक समाज कल्याण विभाग द्वारा निःशुल्क पुनर्वास योजना अंतर्गत महासमुंद जिले को विकलांगों के पुनर्वास हेतु कितनी-कितनी राशि किस-किस योजनाओं से प्राप्त हुई है ? (ख) कितनी राशि व्यय की गई कितनी शेष है ? (ग) उपरोक्त अवधि में निराश्रितों के लिए किन-किन मदों से कितनी राशि प्राप्त हुई कितनी राशि किन-किन कार्यों में खर्च की गई कितनी राशि शेष है ?

**महिला एवं बाल विकास मंत्री** (श्रीमती रमशीला साहू) : (क) एवं (ख) जानकारी † संलग्न प्रपत्र “अ” में है. (ग) जानकारी † संलग्न प्रपत्र “ब” में है. प्राप्त राशि का उपयोग परिशिष्ट में दर्शाई गई योजनाओं/कार्यों के लिए ही किया गया है.

सरायपाली विधान सभा क्षेत्र में शिविर में जन शिकायत निवारण प्राप्त आवेदनों का निराकरण

52. (क्र. 389) **श्री रामलाल चौहान** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2013 से 20-11-11 तक सरायपाली विधान सभा क्षेत्र में कब-कब और कहाँ-कहाँ जन समस्या निवारण शिविर का आयोजन किया गया है ? ग्रामवार तिथिवार जानकारी दें ? (ख) जन समस्या निवारण शिविरों में कुल शिकायत/आवेदन प्राप्त हुए हैं ? (ग) प्राप्त शिकायतों/आवेदनों में से कितने का निराकरण कर दिया गया एवं कितने शेष है ? (घ) शेष आवेदनों पर कब तक कार्यवाही कर ली जावेगी ?

**मुख्यमंत्री** (डॉ. रमन सिंह) : (क), (ख) एवं (ग) जानकारी †† संलग्न परिशिष्ट पर दर्ज है. (घ) प्राप्त सभी शिकायतों/आवेदन पत्रों का निराकरण हो चुका है.

बसना विधान सभा क्षेत्र में प्रदायित कृषि विद्युत पंप कनेक्शन संबंधी

53. (क्र. 393) **श्रीमती रूपकुमारी चौधरी** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बसना विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत वर्ष 2003 में कुल कितने कृषि विद्युत पंप कनेक्शन थे ? और वर्ष 2014 में कुल कितने कृषि विद्युत पंप कनेक्शन दिया गया है ? (ख) कुल कितने कृषि विद्युत कनेक्शन दिया जाना बाकी है ? और कब तक दे दिया जायेगा ?

**मुख्यमंत्री** (डॉ. रमन सिंह) : (क) बसना विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत दिनांक 31-03-2003 की स्थिति में कुल 1,141 कृषि विद्युत पंप कनेक्शन थे. वर्ष 2014 में 30-11-2014 तक 581 कृषि विद्युत पंप कनेक्शन दिए गए हैं. (ख) दिनांक 30-11-2014 की स्थिति में कृषि विद्युत पंपों के 497 औपचारिकतापूर्ण आवेदन लंबित हैं. उक्त लंबित आवेदनों के कार्य पूर्ण कर 31-03-2015 तक कनेक्शन जारी करने का लक्ष्य है.

पामगढ़ विधान सभा क्षेत्र में पोषण खाद्य सामग्री वितरण हेतु कार्यरत स्व सहायता समूह

54. (क्र. 420) **श्री अंबेश जांगड़े** : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि पामगढ़ विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत संचालित आंगनबाड़ी में एन.जी.ओ. द्वारा पोषण खाद्य सामग्री वितरण हेतु कितने स्व सहायता समूहों द्वारा कार्य किया जा रहा है तथा कब से ?

**महिला एवं बाल विकास मंत्री** (श्रीमती रमशीला साहू) : आंगनवाड़ी केन्द्रों में पूरक पोषण आहार का प्रदाय एन.जी.ओ. द्वारा नहीं किया जाता, बल्कि महिला स्व सहायता समूहों द्वारा किया जाता है। पामगढ़ विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत 13 महिला स्व सहायता समूहों द्वारा रेडी टू ईट एवं 177 महिला स्व सहायता समूहों द्वारा नाश्ता तथा गर्म भोजन का प्रदाय किया जा रहा है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।

बलौदाबाजार-भाटापारा जिले में सीमेंट प्लांटों को प्रदत्त माईनिंग लीज

55. (क्र. 421) **श्री शिवरतन शर्मा** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बलौदाबाजार-भाटापारा जिले में किन-किन सीमेंट प्लांट हेतु किन-किन स्थानों पर खनिज उत्खनन हेतु कितने-कितने रकबे का खनिज पट्टा (माईनिंग लीज) प्रदान किया गया है ? (ख) माईनिंग लीज प्रदान करते वक्त शासन द्वारा क्या-क्या शर्तें निर्धारित की गई है ? (शर्तें हिन्दी में उपलब्ध कराने का कष्ट करें)। (ग) क्या सभी प्लांटों द्वारा शर्तों का पालन किया जा रहा है, यदि नहीं तो वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 में दिनांक 20 नवम्बर, 2014 तक किन-किन प्लांटों के विरुद्ध शिकायत प्राप्त हुई तथा शासन द्वारा क्या-क्या कार्यवाही की गई ?

**मुख्यमंत्री** (डॉ. रमन सिंह) : (क) बलौदाबाजार-भाटापारा जिले में सीमेंट प्लांट हेतु स्वीकृत खनिजपट्टा (माईनिंग लीज) की जानकारी † संलग्न प्रपत्र “अ” पर दर्शित है। (ख) शासन द्वारा खनिज रियायत नियम 1960 के नियम 27 के तहत निर्धारित शर्तों के अधीन खनिजपट्टा (माईनिंग लीज) स्वीकृत किया जाता है। खनिजपट्टाधारी के परस्पर सहमति से अतिरिक्त शर्त जोड़ी जाती है, अतिरिक्त शर्तों की खनिजपट्टेवार जानकारी † संलग्न प्रपत्र “ब” पर दर्शित है। (ग) जी हां, सभी सीमेंट प्लांट के द्वारा शर्तों का पालन किया जा रहा है। अतः शिकायत पर कार्यवाही का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

भरतपुर सोनहत वि. स. क्षेत्र में कैम्पा मद से स्वीकृत राशि

56. (क्र. 425) **श्रीमती चम्पा देवी पावले** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भरतपुर सोनहत विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत कैम्पा मद से वर्ष 2012-13 से 20-11-2014 तक क्या-क्या कार्य कराए गये ? (ख) क्या उक्त कार्य कहां-कहां प्रारंभ कर दिये गये हैं ? यदि नहीं तो क्यों ?

**मुख्यमंत्री** (डॉ. रमन सिंह) : (क) भरतपुर सोनहत विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत कैम्पा मद से वर्ष 2012-13 से 20-11-2014 तक कराये गये कार्यों का विवरण निम्नानुसार है :-

वर्ष	कार्य का नाम
2012-13	सहायक प्राकृतिक पुनरुत्पादन
2013-14	सहायक प्राकृतिक पुनरुत्पादन विशेष प्रजाति रोपण सिंचित बांस नीलगिरी रोपण
2014-15	सहायक प्राकृतिक पुनरुत्पादन

(ख) भरतपुर सोनहत विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत कराये गये कार्यों का स्थलवार विवरण †† संलग्न परिशिष्ट में है। मात्र कक्ष क्रमांक 1051 में रोपण हेतु क्षेत्र उपयुक्त नहीं पाये जाने के कारण कार्य प्रारंभ नहीं किये गये हैं।

## परिशिष्ट "तीन"

[ तारांकित प्रश्न संख्या 05 (क. 253) के भाग (क) की जानकारी ]

वर्ष 2011-2012 चालु/निर्माणाधीन उद्योगों में घटित दुर्घटनायें :-

क्रं	उद्योग का नाम	घटित दुर्घटनायें		योग	कारखाना प्रबंधनों द्वारा प्रदाय मुआवजा राशि	प्रबंधनों द्वारा प्रदाय अतिरिक्त सहायता राशि	शासन स्तर से प्रदाय राशि
		प्राणांतक	गंभीर				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	मेसर्स- प्रकाश इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, पोस्ट- चांपा, जिला- जांजगीर-चांपा (छ.ग.)	04	02	06	-	रु. 2,60,000/-	-
2	मेसर्स-श्री श्याम एगो मिलिंग इण्डस्ट्रीज, ग्राम-बनारी, नैला, जिला-जांजगीर-चांपा (छ.ग.)	01	-	01	रु. 4,48,335/-	रु. 25,000/-	-
3	मेसर्स आरसमेटा कैप्टिव पावर कं. लिमि., पोस्ट-गोपाल नगर, जिला-जांजगीर-चांपा (छ.ग.)	01	-	01	रु. 4,57,572/-	रु. 5,00,000/-	-
4	नारायण प्रसाद अग्रवाल क्रशर यूनिट, C/O-नारायण प्रसाद अग्रवाल, ग्राम-बिरगहनी, पोस्ट/तह.-चांपा, जिला-जांजगीर-चांपा (छ.ग.)	01	-	01	-	रु. 90,000/-	-
5	मेसर्स के.एस.के. महानदी पावर कंपनी लिमिटेड, नरियरा, अकलतरा, जिला-जांजगीर-चांपा (छ.ग.)	02	-	02	रु. 9,49,243/-	रु. 3,60,000/-	-
6	मेसर्स-डी.बी.पावर लिमिटेड, ग्राम-बडादरहा, पोस्ट-कनवेल, तह.-डभरा, जिला-जांजगीर-चांपा (छ.ग.)	02	-	02	रु. 8,38,642/-	रु. 5,80,000/-	-



1	2	3	4	5	6	
3	बास्तानार	बास्तानार	1	मौ दुर्गा स्व सहायता समूह तितिरगांव धरमपुरा जगदलपुर	1	मौ दत्तेश्वरी स्व सहायता समूह तितिरगांव जगदलपुर
			2	मौ दुर्गा स्व सहायता समूह तितिरगांव (र.बला योजना )	2	जागरण महिला स्व सहायता समूह लोकमान्य तिलक वार्ड क्र-37 जगदलपुर
			-	-	-	जागृति स्व सहायता समूह बडेकिलेपाल बास्तानार वि०ख० बास्तानार
			-	-	-	गंगा बंको स्व सहायता समूह कोडेनार/बंको स्व सहायता समूह छोटेकिलेपाल वि०ख० बास्तानार
			-	-	-	मौ दत्तेश्वरी स्व सहायता समूह काकतूर वि०ख० बास्तानार
			-	-	-	दुर्गा स्व सहायता समूह हडकोपारा मुतनपाल वि०ख० बास्तानार
			-	-	-	मौ दत्तेश्वरी स्व सहायता समूह बास्तानार नाकापारा वि०ख० बास्तानार
			-	-	-	अम्बिका महिला स्व-सहायता समूह इरिकपाल विकासखण्ड तोकापाल
योग			2	2	8	
4	दरमा	दरमा (आंशिक)	1	पनिहारी स्व सहायता समूह कुकानार	1	पनिहारी स्व सहायता समूह कुकानार वि०ख० दरमा
			2	बिमला स्व सहायता समूह छिन्दावाडा	2	बिमला स्व सहायता समूह छिन्दावाडा वि०ख० दरमा
			3	जलनीमाता स्व सहायता समूह गुमडपाल	3	जलनीमाता स्व सहायता समूह गुमडपाल वि०ख० दरमा
			4	भुरडावती स्व सहायता समूह बडे कडमा	4	भुरडावती स्व सहायता समूह बडे कडमा वि०ख० दरमा
			5	गीता स्व सहायता समूह मंगनार	5	गीता स्व सहायता समूह मंगनार वि०ख० दरमा
			-	-	-	आस्ता स्व सहायता समूह छिन्दावाडा वि०ख० दरमा
			-	-	-	साई स्व सहायता समूह कुकानार (वर्तमान में निलंबित) वि०ख० दरमा
योग			5	5	7	
कुल योग			समूहों की संख्या - 24	समूहों की संख्या - 24	समूहों की संख्या - 32	

परिशिष्ट "दो"

[ तारांकित प्रश्न संख्या 04 (क. 385) के भाग (ख) एवं (ग) की जानकारी ]

प्रपत्र "अ"

सरायपाली विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत माह अप्रैल 2013 से माह अप्रैल 2014 तक रेडी टू ईट उत्पादनकर्ता समूहों की जांच संबंधी जानकारी

क.	विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत परियोजना का नाम	समूह का नाम जहाँ रेडी टू ईट फूड का निरीक्षण किया गया	निरीक्षणकर्ता अधिकारी का नाम व पदनाम	निरीक्षण का दिनांक
1	2	3	4	5
1	सरायपाली	कावेरी महिला स्व सहायता समूह केना	श्रीमती उमा देवी पटेल पर्यवेक्षक	22.04.2013
				25.05.2013
				20.06.2013
				22.07.2013
				23.08.2013
				25.09.2013
				24.10.2013
				25.11.2013
				20.12.2013
				22.01.2014
				21.02.2014
				21.03.2014
				22.04.2014
				2
24.05.2013				
25.06.2013				
20.07.2013				
21.07.2013				
22.08.2013				
24.09.2013				
20.10.2013				
21.11.2013				
21.12.2013				
22.01.2014				

सरायपाली विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत माह अप्रैल 2013 से माह अप्रैल 2014 तक रेडी टू ईट उत्पादनकर्ता समूहों की जांच संबंधी जानकारी

क.	विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत परियोजना का नाम	समूह का नाम जहाँ रेडी टू ईट फूड का निरीक्षण किया गया	निरीक्षणकर्ता अधिकारी का नाम व पदनाम	निरीक्षण का दिनांक
1	2	3	4	5
				23.02.2014
				15.03.2014
				22.04.2014
				23.04.2013
				22.05.2013
				23.06.2013
				24.07.2013
				25.08.2013
				20.09.2013
3	सरायपाली	कस्तुरबा महिला स्व सहायता समूह अन्तर्ला	श्रीमती सहोद्रा बंजारे पर्यवेक्षक	21.10.2013
				22.11.2013
				21.12.2013
				20.01.2014
				20.02.2014
				22.03.2014
				24.04.2014
				22.04.2013
				25.05.2013
				20.06.2013
				22.07.2013
				23.08.2013
				25.09.2013
4	सरायपाली	तुलसी स्व सहायता समूह सल्डीह	श्रीमती सहोद्रा बंजोर पर्यवेक्षक	24.10.2013
				25.11.2013
				20.12.2013

सरायपाली विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत माह अप्रैल 2013 से माह अप्रैल 2014 तक रेडी टू ईट उत्पादनकर्ता समूहों की जांच संबंधी जानकारी

क.	विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत परियोजना का नाम	समूह का नाम जहाँ रेडी टू ईट फूड का निरीक्षण किया गया	निरीक्षणकर्ता अधिकारी का नाम व पदनाम	निरीक्षण का दिनांक
1	2	3	4	5
				22.01.2014
				21.02.2014
				22.03.2014
				23.04.2014
				22.04.2013
				22.05.2013
			श्रीमती उमा देवी पटेल पर्यवेक्षक	23.06.2013
				24.07.2013
				25.08.2013
5	सरायपाली	जय अम्बे महिला स्व सहायता समूह चट्टीगिरोला	श्रीमती उमा देवी पटेल (प्रशासनिक) प्रभारी परियोजना अधिकारी (दिनांक 27.08.2013 से दिनांक 13.08.2014 तक)	20.09.2013
				20.10.2013
				21.11.2013
				22.12.2013
				25.01.2014
				20.02.2014
				19.03.2014
				20.04.2014
				20.04.2013
				21.05.2013
				22.06.2013
				22.07.2013
				23.08.2013
6	सरायपाली	लक्ष्मी महिला स्व सहायता समूह मुंधा	श्रीमती चंद्रिका कुमार पर्यवेक्षक	23.09.2013
				25.10.2013
				25.11.2013

सरायपाली विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत माह अप्रैल 2013 से माह अप्रैल 2014 तक रेडी टू ईट उत्पादनकर्ता समूहों की जांच संबंधी जानकारी

क्र.	विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत परियोजना का नाम	समूह का नाम जहाँ रेडी टू ईट फूड का निरीक्षण किया गया	निरीक्षणकर्ता अधिकारी का नाम व पदनाम	निरीक्षण का दिनांक
1	2	3	4	5
				20.12.2013
				21.01.2014
				22.02.2014
				22.03.2014
				22.04.2013
7	सरायपाली	माँ शारदा स्व सहायता समूह नवरंगपुर	श्रीमती सहोद्रा बंजोर पर्यवेक्षक	22.05.2013
				23.06.2013
				24.07.2013
				25.08.2013
				20.09.2013
				20.10.2013
				21.11.2013
				22.12.2013
				25.01.2014
				20.02.2014
19.03.2014				
20.04.2014				
8	सरायपाली	सरस्वती महिला स्व सहायता समूह गुठानीपाली	श्रीमती चंद्रिका कुमार पर्यवेक्षक	24.04.2013
				24.05.2013
				25.06.2013
				20.07.2013
				21.07.2013
				22.08.2013
				24.09.2013
20.10.2013				

सरायपाली विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत माह अप्रैल 2013 से माह अप्रैल 2014 तक रेडी टू ईट उत्पादनकर्ता समूहों की जांच संबंधी जानकारी

क.	विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत परियोजना का नाम	समूह का नाम जहाँ रेडी टू ईट फूड का निरीक्षण किया गया	निरीक्षणकर्ता अधिकारी का नाम व पदनाम	निरीक्षण का दिनांक
1	2	3	4	5
				21.11.2013
				21.12.2013
				22.01.2014
				23.02.2014
				15.03.2014
				22.04.2014
				22.04.2013
				22.05.2013
			श्रीमती लक्ष्मी मिश्रा (प्रशासनिक) प्रभारी परियोजना अधिकारी (दिनांक 31.08.2012 से दिनांक 26.08.2013 तक)	23.06.2013
				24.07.2013
				25.08.2013
9	सरायपाली	एकता महिला स्व सहायता समूह सल्डीह		20.09.2013
				20.10.2013
				21.11.2013
			श्रीमती लक्ष्मी मिश्रा पर्यवेक्षक	22.12.2013
				25.01.2014
				20.02.2014
				19.03.2014
				20.04.2014
				24.04.2013
				24.05.2013
			श्रीमती लक्ष्मी मिश्रा (प्रशासनिक) प्रभारी परियोजना अधिकारी (दिनांक 31.08.2012 से दिनांक 26.08.2013 तक)	25.06.2013
				20.07.2013
				21.07.2013
				22.08.2013

सरायपाली विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत माह अप्रैल 2013 से माह अप्रैल 2014 तक रेडी टू ईट उत्पादनकर्ता समूहों की जांच संबंधी जानकारी

क.	विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत परियोजना का नाम	समूह का नाम जहाँ रेडी टू ईट फूड का निरीक्षण किया गया	निरीक्षणकर्ता अधिकारी का नाम व पदनाम	निरीक्षण का दिनांक
1	2	3	4	5
10	सरायपाली	रुद्रेश्वरी महिला स्व सहायता समूह घुचापाली	श्रीमती लक्ष्मी मिश्रा पर्यवेक्षक	24.09.2013 20.10.2013 21.11.2013 21.12.2013 22.01.2014 23.02.2014 15.03.2014 22.04.2014
11	बसना	मां शारदा स्व सहायता समूह - भुतहाबाहरा	श्रीमती पी.लकड़ा (प्रशासनिक) प्रभारी परियोजना अधिकारी	02.05.2013 02.02.2014
12		वैष्णवी महिला स्व सहायता समूह - पैता	श्रीमती पी.लकड़ा (प्रशासनिक) प्रभारी परियोजना अधिकारी	30.05.2013 28.03.2014
13		संजीवनी महिला स्व सहायता समूह - पैता	श्रीमती पी.लकड़ा (प्रशासनिक) प्रभारी परियोजना अधिकारी	30.05.2013 28.03.2014
14		लक्ष्मी महिला स्व सहायता समूह - रूपापाली	श्रीमती पी.लकड़ा (प्रशासनिक) प्रभारी परियोजना अधिकारी	26.06.2013 23.04.2014

प्रपत्र "ब"

सरायपाली विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत रेडी टू ईट उत्पादनकर्ता समूहों के नमूनों के विश्लेषण संबंधी जानकारी

क्र.	रेडी टू ईट उत्पादनकर्ता महिला स्व सहायता समूहों का नाम व पता	प्रश्नाधीन अवधि में प्रेषित नमूनों की संख्या	रिपोर्ट प्राप्त नमूनों की संख्या
1	4	5	6
1	कावेरी महिला स्व सहायता समूह देना	2	रिपोर्ट अप्राप्त
2	ओम शांति महिला स्व सहायता समूह सरायपाली	2	—"
3	कस्तुरबा महिला स्व सहायता समूह अन्तर्ला	2	—"
4	तुलसी स्व सहायता समूह सल्डीह	2	—"
5	जय अम्बे महिला स्व सहायता समूह चट्टीगिरोला	2	—"
6	लक्ष्मी महिला स्व सहायता समूह मुंघा	2	—"
7	माँ शारदा स्व सहायता समूह नपरंगपु	2	—"
8	सरस्वती महिला स्व सहायता समूह गुठानीपाली	2	—"
9	एकता महिला स्व सहायता समूह सल्डीह	2	—"
10	रुद्रेश्वरी महिला स्व सहायता समूह घुचापाली	2	—"
11	माँ शारदा स्व सहायता समूह - भुतहाबाहरा	4	रिपोर्ट अप्राप्त
12	वैष्णवी महिला स्व सहायता समूह - पैता	3	—"
13	संजीवनी महिला स्व सहायता समूह - पैता	4	—"
14	लक्ष्मी महिला स्व सहायता समूह - रूपापाली	4	—"

क्रं.	उद्योग का नाम	घटित दुर्घटनायें		योग	कारखाना प्रबंधनों द्वारा प्रदाय मुआवजा राशि	प्रबंधनों द्वारा प्रदाय अतिरिक्त सहायता राशि	शासन स्तर से प्रदाय राशि
		प्राणांतक	गंभीर				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
7	मेसर्स-बी.जी.आर. एनर्जी प्राइवेट लिमि. 2x500 मेगावाट मडवा, तेंदूभाठा थर्मल पावर प्रोजेक्ट, छ.ग. राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी लिमि. मडवा, जिला-जांजगीर-चांपा (छ.ग.)	01	—	01	रु.4,68,109 /—	रु. 25,000 /—	—
8	मेसर्स- 2x500 मेगावाट मडवा, तेंदू, थर्मल पावर प्लांट, जिला-जांजगीर-चांपा (छ.ग.)	—	01	01	—	—	—
9	2x500 मेगावाट मडवा, तेंदूभाठा थर्मल पावर प्लांट, छ.ग. राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी लिमि. मडवा, जिला-जांजगीर-चांपा (छ.ग.)	—	01	01	—	—	—

वर्ष 2012-2013 चालु/निर्माणाधीन उद्योगों में घटित दुर्घटनायें :-

क्रं.	उद्योग का नाम	घटित दुर्घटनायें		योग	कारखाना प्रबंधनों द्वारा प्रदाय मुआवजा राशि	प्रबंधनों द्वारा प्रदाय अतिरिक्त सहायता राशि	शासन स्तर से प्रदाय राशि
		प्राणांतक	गंभीर				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	मेसर्स- गीता फुड इण्डस्ट्रीज, पोस्ट- चंद्रपुर,तहसील-डभरा, जिला- जांजगीर चांपा (छ.ग.)	01	-	01	रु. 3,17,210/-	रु. 10,000/-	-
2	मेसर्स-मध्य भारत पेपर लिमिटेड पोस्ट -बिरगहनी, चांपा, जिला-जांजगीर-चांपा (छ.ग.)	-	01	01	-	-	-
3	मेसर्स- प्रकाश इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, पोस्ट- चांपा, जिला- जांजगीर -चांपा (छ.ग.)	-	01	01	-	-	-
4	मेसर्स-डी.बी.पावर लिमिटेड, ग्राम-बडादरहा, पोस्ट-कनवेल, तह. -डभरा, जिला-जांजगीर-चांपा (छ.ग.)	04	-	04	रु. 33,73,040/-	रु. 6,00,000/-	-
5	2x500 मेगावाट मडवा, तेंदूभाठा थर्मल पावर प्लांट, छ.ग. राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी लिमि. मडवा, जिला-जांजगीर-चांपा (छ.ग.)	02	-	02	रु. 10,31,729/-	रु. 2,05,000/-	-
6	मेसर्स के.एस.के. महानदी पावर कंपनी लिमिटेड,ग्राम/पोस्ट- नरियरा, अकलतरा, जिला-जांजगीर-चांपा (छ.ग.)	-	01	01	-	-	-

**वर्ष 2013-2014 चालु/निर्माणाधीन उद्योगों में घटित दुर्घटनायें :-**

क्रं.	उद्योग का नाम	घटित दुर्घटनायें		योग	कारखाना प्रबंधनों द्वारा प्रदाय मुआवजा राशि	प्रबंधनों द्वारा प्रदाय अतिरिक्त सहायता राशि	शासन स्तर से प्रदाय राशि
		प्राणांतक	गंभीर				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	मेसर्स- प्रकाश इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, पोस्ट- चांपा, जिला- जांजगीर -चांपा (छ.ग.)	04	-	04	-	रु. 6,85,000/-	-
2	मेसर्स-विष्णु राईस मिल, ग्राम-सेमरा, तह.व थाना-नवागढ़, जिला-जांजगीर-चांपा (छ.ग.)	01	-	01	रु. 2,13,000/-	रु. 50,000/-	-
3	मेसर्स छ.ग. स्टील एण्ड पावर लिमि., ग्राम-अमझर, पोस्ट-चांपा, जिला-जांजगीर-चांपा (छ.ग.)	-	01	01	-	-	-
4	मेसर्स-एथेना छ.ग. पावर लिमि. 2x600 मेगावाट सिंघीतरई, थर्मल पावर प्रोजेक्ट, ग्राम- सिंघीतरई, तह. -डभरा जिला-जांजगीर-चांपा (छ.ग.)	01	-	01	रु. 4,40,544/-	रु. 3,30,000/-	-
5	ठेका कंपनी, मेसर्स-एल.एण्ड टी. कंस्ट्रक्शन पावर ट्रान्समिशन, एण्ड ड्रिस्ट्रीब्यूशन, चेन्नई, (तमिलनाडू) संनिर्माण स्थल ग्राम झलमला, तह-अकलतरा, जिला-जांजगीर-चांपा (छ.ग.)	01	01	02	रु. 14,28,440/-	रु. 1,00,000/-	-
6	मेसर्स-डी.बी.पावर लिमिटेड, ग्राम-बडादरहा, पोस्ट-कनवेल, तह. -डभरा, जिला-जांजगीर-चांपा (छ.ग.)	02	-	02	रु. 17,51,960/-	रु. 2,70,000/-	-

क्रं	उद्योग का नाम	घटित दुर्घटनायें		योग	कारखाना प्रबंधनों द्वारा प्रदाय मुआवजा राशि	प्रबंधनों द्वारा प्रदाय अतिरिक्त सहायता राशि	शासन स्तर से प्रदाय राशि
		प्राणांतक	गंभीर				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
7	मेसर्स आर.के.एम.पावर जेन प्रा.लिमि., ग्राम—उचपिंडा, तह.—डभरा, जिला—जांजगीर—चांपा (छ.ग.)	01	01	02	रु. 6,77,760 /—	रु. 3,25,000 /—	—
8	ठेका कंपनी, मेसर्स—सुनील हाईटेक इंजिनियर्स लिमि. साईट ऑफिस मेसर्स—डी.बी. पावर लिमिटेड, ग्राम—बडादरहा, जिला—जांजगीर—चांपा (छ.ग.)	01	—	01	रु. 4,40,544 /—	रु. 18,000 /—	—
9	ठेका कंपनी मेसर्स—बी.जी.आर. सिस्टम लिमि. साईट ऑफिस—में. 2x500 मेगावाट मडवा, तेंदूभाठा थर्मल पावर प्रोजेक्ट, मडवा, जिला—जांजगीर—चांपा (छ.ग.)	01	—	01	रु. 8,61,120 /—	रु. 1,50,000 /—	—
10	मेसर्स अबीर इन्फ्रास्ट्रकचर प्रा.लि. सिंधीतरई थर्मल पावर प्रोजेक्ट, ग्राम सिंधीतरई तह—डभरा, जिला—जांजगीर—चांपा (छ.ग.) एवं मेसर्स सेनू इंजीनियरिंग वकर्स, प्रगती नगर, दर्सी, पो.—जमनापाली, जिला—कोरबा (छ.ग.)	01	—	01	रु. 5,86,742 /—	रु. 4,54,343 /—	—

क्रं.	उद्योग का नाम	घटित दुर्घटनायें		योग	कारखाना प्रबंधनों द्वारा प्रदाय मुआवजा राशि	प्रबंधनों द्वारा प्रदाय अतिरिक्त सहायता राशि	शासन स्तर से प्रदाय राशि
		प्राणांतक	गंभीर				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
11	टेका कंपनी मेसर्स-बी.जी.आर. सिस्टम लिमि. एवं मेसर्स मेकाबर बीके साईट ऑफिस -मे. 2X500 मेगावाट मडवा, तेंदूभाठा थर्मल पावर प्रोजेक्ट, मडवा, जिला-जांजगीर-चांपा (छ.ग.)	01	—	01	रु. 5,90,961 /—	रु. 4,00,000 /—	—
12	मेसर्स -2X500 मेगावाट मडवा, तेंदूभाठा थर्मल पावर प्लांट, छ.ग. राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी लिमि. ग्राम तेंदूभाठा, पोस्ट-सरखों, जिला-जांजगीर-चांपा (छ.ग.)	—	02	02	रु. 45,494 /—	—	—

परिशिष्ट "चार"

[ तारांकित प्रश्न संख्या 06 (क. 147) के भाग (ख) की जानकारी ]

क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के अंतर्गत वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 में वनमण्डलवार किए गए वृक्षारोपण का विवरण

वृत्त	वनमण्डल का नाम	वर्ष	वृक्षारोपण क्षेत्र का रकबा (हे.में)	रोपित पौधे की संख्या	रोपित पौधे के प्रजातियों का नाम	जीवित पौधे का प्रतिशत	
1	2	3	4	5	6	7	
सरगुजा	सूरजपुर	2012-13	18.396	20240	सागौन, आवंला, खम्हार, बांस एवं अन्य	90%	
	बलरामपुर		219.590	276349	सागौन, बांस, खम्हार, आवंला, शिशु, महुआ अन्य	96%	
	सरगुजा		151.500	166650	सागौन, आवंला, खम्हार, शिशु, अरकेरिया, बांस एवं अन्य	90%	
	कोरिया		324.196	357313	सागौन, खम्हार, आवंला, शिशु, शीशम, बांस, हल्दु	95%	
योग सरगुजा वृत्त			713.684	820752			
जगदलपुर	दंतेवाड़ा		51.000	51000	सागौन, बांस	70%	
	बरतर		65.224	67181	सागौन, आवंला, काजू	81%	
योग जगदलपुर वृत्त			116.224	118181			
रायपुर	रायपुर		31.874	36000	बांस, आवंला, अर्जुन, शिशु, करंज, आम, जामुन, नीम, खम्हार अन्य	90%	
	गरियाबंद		33.598	37510	सागौन, बांस, आवंला, शिशु	88%	
योग रायपुर वृत्त			65.472	73510			
बिलासपुर	कोरबा		61.000	68625	सागौन, बांस, आवंला	87%	
योग बिलासपुर वृत्त			61.000	68625			
कांकेर	उत्तर कोण्डगांव	110.000	256250	सागौन, आवंला	84%		
	दक्षिण कोण्डगांव	357.000	836250	सागौन, आवंला, नीलगिरी	84%		
	कांकेर	510.000	703732	सागौन, बांस, आवंला, शिशु, सिरस, नीम	87%		
	पश्चिम	35.000	38500	सागौन, बांस, आवंला, शिशु, अन्य	92%		
योग कांकेर वृत्त			1012.000	1834732			
योग (2012-13)			1968.380	2915800			

वृत्त	वनमण्डल का नाम	वर्ष	वृक्षारोपण क्षेत्र का रकबा (हे.में)	रोपित पौधे की संख्या	रोपित पौधे के प्रजातियों का नाम	जीवित पौधे का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7
सरगुजा	सरगुजा	2013-14	900.000	990000	सागौन, आवला, खम्हार, बांस, साल, शिशु, महुआ, जामुन एवं अन्य	90%
	कोरिया		170.000	187000	सागौन, खम्हार, आवला, शिशु, शीशम, बांस, हल्दु	95%
	बलरामपुर		460.000	506000	सागौन, खम्हार, आवला, अर्जुन, बांस अन्य	95%
योग सरगुजा वृत्त			1530.000	1683000		
कांकेर	कांकेर	2013-14	425.000	467500	सागौन, बांस, आवला, खम्हार, अर्जुन, शीशु, अन्य	90%
	उत्तर कोण्डागांव		155.000	170500	सागौन, आवला, नीलगिरी, अर्जुन, खम्हार, शीशु जामुन नीम अन्य	88%
	दक्षिण कोण्डागांव		290.000	319000	सागौन	84%
	पश्चिम		139.000	152900	सागौन, बांस आवला, शीशु अन्य	92%
	पूर्व भानुतापपुर		160.000	176000	सागौन, बांस, शीशु	90%
योग कांकेर वृत्त			1169.000	1285900		
दिलासपुर	कोरवा	2013-14	695.000	764500	सागौन, बांस, आवला, खम्हार, अर्जुन, करंज अन्य	94%
	कटघोरा		199.900	219890	सागौन, बांस, आवला, शिशु, करंज, बरगद, पीपल, अर्जुन, जामुन, महुआ, कुल्लू, हन्दू, खम्हार	93%
	मरवाही		250.000	275000	सागौन, बांस, आवला, शिशु, करंज	95%
योग दिलासपुर वृत्त			1144.900	1259390		
दुर्ग	दुर्ग	2013-14	89.200	111980	हल्दुगुन्डी, बीजा, महुआ, अर्जुन, बांस, नीलगिरी, शिशु, आवला, बेल, खम्हार एवं अन्य	94%
	खैरागढ़		28.706	31576	सागौन, आवला, बांस, अर्जुन, करंज	95%
	राजनांदगांव		197.160	216876	अर्जुन, बीजा, शिशु, महुआ, नीम, आवला, बहेड़ा	98%
योग दुर्ग वृत्त			315.066	360432		
रायपुर	रायपुर	2013-14	23.771	25258	बांस, आवला, अर्जुन, ईमली, नीम अन्य	90%
	बलौदाबाजार		22.469	24715	करंज, अर्जुन, नीलगिरी	96%
योग रायपुर वृत्त			46.240	49973		
योग (2013-14)			4205.206	4638695		
महायोग (2012-13 एवं 2013-14)			6173.586	7554493		

## परिशिष्ट "पांच"

[ तारांकित प्रश्न संख्या 07 (क. 188) के भाग (क), (ख) एवं (ग) की जानकारी ]

## प्रपत्र "अ"

क्र.	अधिकारी का नाम	जांच किये जाने वाले इकाईयों का नाम/स्थान
1	2	3
1	<ol style="list-style-type: none"> <li>श्री सुरेश कच्छप, महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, रायगढ़</li> <li>श्री एम.एल. अनन्त सहकारिता विस्तार अधिकारी रायगढ़</li> <li>श्री शिवशंकर चौधरी, राजस्व निरीक्षक (नजूल) रायगढ़</li> <li>श्री धनुर्जय डनसेना राजस्व पटवारी, तहसील-रायगढ़</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>मेसर्स जिंदल सरिया प्रा.लि. यूनिट एक जोरापाली रायगढ़।</li> <li>मेसर्स जिंदल सरिया प्रा.लि. यूनिट दो जोरापाली रायगढ़।</li> <li>मेसर्स बैद्यनाथ फूड बांजीपाली रायगढ़।</li> <li>मेसर्स बैद्यनाथ फूड यूनिट दो बांजीपाली रायगढ़।</li> </ol>
2	<ol style="list-style-type: none"> <li>श्री एच.आर. कुर्रे, प्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, रायगढ़</li> <li>श्री आर.डी. धृतलहरे, सहकारिता निरीक्षक, रायगढ़</li> <li>श्री नान्हू राम सारथी, राजस्व निरीक्षक (नजूल) रायगढ़</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>आशा प्रिंटर्स एवं पब्लिसर्स अद्विशहरीय औद्योगिक संस्थान चक्रधरनगर</li> <li>मेसर्स श्याम प्रोसेसिंग यूनिट रामनिवास टाकिज रोड रायगढ़</li> <li>मेसर्स राधे गोविंद केमिकल्स यूनिट-2 ग्राम चिराईपाली जिला रायगढ़</li> </ol>
3	<ol style="list-style-type: none"> <li>श्री जेवियर टोप्पो सहायक प्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, रायगढ़</li> <li>श्री एच.आर. नागवंशी, सहकारिता, निरीक्षक,</li> <li>तहसीलदार, सारंगढ़</li> <li>श्री साहू, राजस्व निरीक्षक, पुसौर</li> <li>श्रीमती पूर्णिमा मेहर पटवारी</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>मेसर्स माँ भगवती इण्डस्ट्रीज ग्राम- तडोला</li> <li>मेसर्स माँ भगवती एग्रो फूड प्रोसेसिंग ग्राम- तडोला</li> <li>मेसर्स माँ भगवती पैडी परबाईलिंग ग्राम- तडोला</li> <li>मेसर्स हनुमान राईस प्रोडक्ट मानिकपुर, तहसील- सारंगढ़</li> <li>मेसर्स माँ दुर्गा राईस मिल बासनीबहरा सारंगढ़।</li> <li>मेसर्स सीता राईस मिल सहसपुर सारंगढ़</li> </ol>

## प्रपत्र "ब"

क्र.	इकाई का नाम	निरीक्षण के दौरान पायी गई अनियमितताएं
1.	मेसर्स बैद्यनाथ फूड यूनिट दो बांजीपाली रायगढ़।	उद्योग के आकस्मिक निरीक्षण दिनांक 17.01.2014 के समय उद्योग बंद पाया गया।
2.	मेसर्स जिंदल सरिया प्रा.लि. यूनिट दो जोरापाली रायगढ़।	<p>1. उद्योग के आकस्मिक निरीक्षण दिनांक 17.01.2014 के समय उद्योग बंद पाया गया एवं उद्योग में मशीनें नहीं पायी गयी।</p> <p>2. ब्याज अनुदान के स्वीकृति के पूर्व उद्योग के क्रियाशील नहीं होने, विद्युत कनेक्शन विच्छेदित पाये जाने एवं भू-खण्ड के विधि सम्मत दस्तावेज नहीं होने के बावजूद अनुदान स्वीकृत किया गया है।</p> <p>3. प्लांट परिसर को रहवास हेतु किराये पर दिया जाना पाया गया।</p> <p>4. ब्याज अनुदान का क्लेम नियमानुसार त्रैमासिक / छःमाही परीक्षण करने के स्थान पर एक साथ 30 माह की अवधि का किया गया एवं स्वीकृति आदेश भी जारी किया गया।</p>
3.	मेसर्स माँ भगवती एग्रो इण्डस्ट्रीज ग्राम- तडोला	उद्योग के आकस्मिक निरीक्षण दिनांक 17.01.2014 के समय उद्योग बंद एवं मुख्य द्वार पर ताला लगा हुआ पाया गया।
4.	मेसर्स माँ भगवती एग्रो फूड प्रोसेसिंग ग्राम- तडोला	<p>1. उद्योग के आकस्मिक निरीक्षण दिनांक 17.01.2014 के समय उद्योग बंद पाया गया।</p> <p>2. उद्योग को सामान्य उद्योग के अन्तर्गत अनुदान स्वीकृत करने के स्थान पर विशेष थ्रस्ट सेक्टर की श्रेणी के अन्तर्गत स्वीकृत किया गया जिससे रू. 4,08,119 अधिक अनुदान स्वीकृत हुआ।</p> <p>3. विशेष थ्रस्ट सेक्टर के अन्तर्गत स्वीकृत ब्याज अनुदान क्लेम अवधि के प्रकरणों में अधिक स्वीकृत किये गये अनुदान को आगामी प्रकरणों में समायोजन करने के संचालनालय के आदेशों का लगभग 1 वर्ष पश्चात् पालन किया गया, जिससे राज्य शासन को राजस्व की हानि हुई।</p>

5.	मेसर्स माँ भगवती पैडी परबाईलिंग ग्राम- तडोला	<p>1. उद्योग के आकस्मिक निरीक्षण दिनांक 17.01. 2014 के समय उद्योग बंद एवं मुख्य द्वार पर ताला लगा हुआ पाया गया ।</p> <p>2. उद्योग को सामान्य उद्योग के अन्तर्गत अनुदान स्वीकृत करने के स्थान पर विशेष थ्रस्ट सेक्टर की श्रेणी के अन्तर्गत स्वीकृत किया गया जिससे रू. 4,12,021 अधिक अनुदान स्वीकृत हुआ ।</p> <p>3. विशेष थ्रस्ट सेक्टर के अन्तर्गत स्वीकृत ब्याज अनुदान क्लेम अवधि के प्रकरणों में अधिक स्वीकृत किये गये अनुदान को आगामी प्रकरणों में समायोजन करने के संचालनालय के आदेशों का लगभग 1 वर्ष पश्चात् पालन किया गया, जिससे राज्य शासन को राजस्व की हानि हुई ।</p>
----	---	---

## प्रपत्र "स"

(1) कलेक्टर, रायगढ़ द्वारा की गई कार्यवाही का तिथिवार विवरण –

क्र.	कार्यवाही का विवरण	तिथि
1.	औद्योगिक नीति के अन्तर्गत स्वीकृत ब्याज अनुदान के संबंध में प्राप्त शिकायत की जांच हेतु 3 जांच दलों का गठन	15.01.2014
2.	जांच दलों की रिपोर्ट के आधार पर वर्तमान में बंद इकाईयों को ब्याज अनुदान के तत्कालीन स्वीकृतकर्ता अधिकारी के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराने हेतु महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, रायगढ़ को निर्देशित किये जाने बाबत सूचना पत्र प्रमुख सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग तथा संचालक उद्योग को	21.01.2014
3.	जांच दलों की रिपोर्ट के आधार पर वर्तमान में बंद इकाईयों को ब्याज अनुदान के तत्कालीन स्वीकृतकर्ता अधिकारी के विरुद्ध नियमानुसार प्राथमिकी दर्ज कराने हेतु महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, रायगढ़ को निर्देशित किया गया ।	21.01.2014
4.	तत्कालीन प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, रायगढ़ के विरुद्ध आरोप पत्र का प्रारूप संपूर्ण अभिलेखों सहित वाणिज्य एवं उद्योग विभाग को प्रेषित	04.02.2014
5.	बंद इकाईयों को अनुदान स्वीकृत करने से संबंधित स्वीकृतकर्ता अधिकारियों के विरुद्ध नियमानुसार प्राथमिकी दर्ज कराने के निर्देश के पालन में मुख्य महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, रायगढ़ द्वारा नगर पुलिस अधीक्षक, चक्रधर नगर रायगढ़ को सम्पूर्ण अभिलेख उपलब्ध कराये गये	13.02.2014
6.	बंद इकाईयों को अनुदान स्वीकृत करने से संबंधित स्वीकृतकर्ता अधिकारियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने के संबंध में पुलिस अधीक्षक, रायगढ़ को पत्र प्रेषित ।	16.07.2014
7.	संबंधित थानों में प्राथमिकी दर्ज नहीं होने के कारण पुलिस अधीक्षक रायगढ़ को अर्द्धशासकीय पत्र प्रेषित	10.11.2014

(2) राज्य शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग द्वारा की गई कार्यवाही का तिथिवार विवरण—

क्र.	कार्यवाही का विवरण	तिथि
1.	शासन द्वारा सूचना प्राप्त होने पर दोषी अधिकारियों के विरुद्ध तत्काल कार्यवाही के निर्देश दिये गये	24.01.2014
2.	बंद इकाईयों को स्वीकृत ब्याज अनुदान की वसूली बाबत उद्योग संचालनालय द्वारा निर्देशित किया गया (उद्योग संचालनालय के निर्देशों पर जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र रायगढ़ द्वारा पांचों इकाईयों को नोटिस जारी एवं रू0 5.00 लाख की वसूली की जा चुकी है)	04.02.2014
3	कलेक्टर, रायगढ़ से प्राप्त आरोप पत्र के प्रारूप एवं उद्योग संचालनालय से परीक्षण उपरांत प्राप्त आरोप पत्र एवं प्रस्ताव अनुसार तत्कालीन मुख्य महाप्रबंधक का निर्लंबन आदेश जारी	26.02.2014
4.	तत्कालीन मुख्य महाप्रबंधक के विरुद्ध आरोप पत्र जारी	28.02.2014
5.	बंद इकाईयों को अनुदान अनुशंसा करने वाले प्रबंधक को कारण बताओं नोटिस जारी	01.10.2014

## परिशिष्ट "छः"

[ तारांकित प्रश्न संख्या 09 (क. 192) के भाग (ख) की जानकारी ]

संस्थान द्वारा रोपित वृक्ष की प्रजाति, संख्या, स्थल एवं जीवित वृक्षों की प्रतिशत की जानकारी

क्रमांक	रोपित स्थल का नाम	रोपित प्रजाति	रोपित पौधों की संख्या	वर्तमान में जीवित पौधों की संख्या	जीवित पौधा का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6
1	कच्चे गांव से पर्रेकोड़ों रोड़	केशिया सेमिया और छातिम	5000	4250	85
2	पर्रेकोड़ों से हिरगे रोड़	केशिया सेमिया और छातिम	2500	2100	84
3	कच्चे से सालहे रोड़	केशिया सेमिया और छातिम	2500	2050	82
4	पर्रेकोड़ों से वयनर रोड़	केशिया सेमिया और छातिम	5000	4250	85
5	भूरसापारा रोड़	केशिया सेमिया और छातिम	2500	2250	90
6	पर्रेकोड़ों से वयनर हाटकोंदल रोड़	केशिया सेमिया और छातिम शीशम सागौन	4000	3400	85
7	कच्चे माईस से सालहे रोड़	केशिया सेमिया और छातिम शीशम सागौन	3000	2730	91

## परिशिष्ट "सात"

[ तारांकित प्रश्न संख्या 13 (क. 127) के भाग (क) की जानकारी ]

मानपुर-मोहला विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम एवं मजराटोला की सूची जिनमें कार्य नहीं किया जा सका है

ग्राम की सूची

क्रमांक	ग्राम का नाम
01	मुरेर

मजरा टोला की सूची

क्रमांक	मुख्य ग्राम का नाम	ग्राम में सम्मिलित मजराटोला का नाम
1	2	3
1.	मारी	फांसीटोला
2.	इटोड़ा	पहाड़ियापारा
3.	पाटनखास	जागीरावडोंगरी
4.	केसरीटोला	पहाड़ीटोला
5.	बोदल	डबरीपारा
6.	कैवटटोला	डिपरापारा
7.	विजयपुर	सुकृतपारा
8.	बीरसिंगटोला	सड़कपारा
9.	टेकामटोला	पथराटोला
10.	अंगारा	दुराटोला
11.	हिददड़	स्कूलपारा
12.	मडियानवाडवी	हिन्दपारा
13.	चिरचारी	घानीडीह
14.	परसघाट	आवासपारा
15.	भूरसाटोला	पठादीपारा
16.	कोसमी	ठाकुरटोला
17.	तुमड़ीकसा	बरेलटोला
18.	भटगांव	बोगापारा
19.	कोतरी	दोबीटोला
20.	तोलुम	मोकड़मपारा
21.	मानपुर	महका
22.	पानाबरस	रानीपारा
23.	परालझरी	दुलोरटोला
24.	दोरका	शेषपारा
25.	जामड़ी	झियाजामड़ी
26.	आड़ेझार	डिपरापारा
27.	देवरसुर	तोहारपारा
28.	जाड़ेटोला	बोगाटोला
29.	परमेटा	नदियापारा

**मीटर शिफ्टिंग कार्यों में जिलेवार अनियमितता की राशि का विवरण**

क्रमांक	जिले का नाम	राशि (रु.में)
01	मुंगेली	56,64,735
02	जांजगीर चांपा	1,43,30,520
03	कोरबा	1,21,36,635
04	रायगढ़	21,06,000
05	जशपुर	72,25,110
06	बस्तर	11,93,794
07	कोण्डागांव	8,87,880
08	बीजापुर	1,28,97,839
कुल योग		5,64,42,513

## परिशिष्ट "नौ"

[ तारांकित प्रश्न संख्या 13 (क. 127) के भाग (क) की जानकारी ]

## प्रपत्र "अ"

क्र.	जिले का नाम	वृहद एवं मध्यम उद्योगों की स्थापना हेतु क्रियाधीन/लंबित संख्या	औद्योगिक इकाईयों द्वारा चयनित स्थान
1	2	3	4
1.	बस्तर	1. मेसर्स टाटा स्टील मुम्बई	ग्राम बेलर, बड़ेपरोदा, बड़ांजी, बेलियापाल, दाबपाल, धुरागांव, टकरागुड़ा, सिरीशगुड़ा, कुम्हली छिन्दगांव, तह. -जगदलपुर
		2. मेसर्स गोंटरमन पाइप्स इंडिया लिमिटेड, 24, परंगनास (साउथ), वेस्ट बंगाल	ग्राम गुरुम, तहसील-जगदलपुर
		3. मे. बलदेव एलायज प्रा.लि., रायपुर	ग्राम रायकोट, तहसील तोकापाल
		4. मे. एनएमडीसी लिमिटेड, हैदराबाद	ग्राम नगरनार, तहसील-जगदलपुर
		5. मे. बलदेव एनर्जी एण्ड केमिकल्स	ग्राम कुरंदी, तहसील-जगदलपुर
2	दन्तेवाड़ा	6. एस्सार स्टील छत्तीसगढ़ लिमिटेड, हजीरा	ग्राम धुरली एवं भांसी, जिला दन्तेवाड़ा
3	उ.ब. कांकेर	7. कुशल इस्पात एण्ड पावर लिमिटेड, बस्तर रोड धमतरी	स्थान चयनित नहीं।
		8. कुशल इस्पात एण्ड पावर लिमिटेड, बस्तर रोड धमतरी	स्थान चयनित नहीं।
		9. मेसर्स मूमल माइनिंग प्रा.लि., सिविल लाईन रायपुर	स्थान चयनित नहीं।
		10. मेसर्स के.जी.एन. निनरल एवं मेटल प्रा.लि. सिविल लाईन रायपुर	ग्राम- बारगारी
		11. मेसर्स इण्डस स्मेल्टर्स लि.मि., औद्योगिक क्षेत्र उरला रायपुर	ग्राम- मरकाटोला
		12. मेसर्स जीवनलाल जैन, लोढ़ा निवास बस्तर रोड, धमतरी	ग्राम- नाथियानवागांव
		13. मेसर्स गोदावरी पावर एण्ड इस्पात लि.मि. हीराआरकैड पण्डरी रायपुर	ग्राम- आरीडोंगरी

## बस्तर संभाग में औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना की कार्यवाही

क्र.	जिले का नाम	औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना में आने वाले ग्राम	औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना हेतु कार्यवाही प्रचलन का दिनांक	रिमार्क
1	बीजापुर	ग्राम- तुमला, तहसील- भैरमगढ़	17.06.2013	-
2	सुकमा	ग्राम- बालटिकरा, विकासखण्ड- छिन्दगढ़	15.07.2014	-
3	कांकेर	1. ग्राम- लखनपुरी, तहसील- चारामा	12.01.2011	-
		2. ग्राम- माकड़ीखुना तहसील- कांकेर	07.12.2001	-
4	बस्तर	1. ग्राम- मारकेल, तहसील- जगदलपुर	28.06.2012	-
		2. ग्राम- कलचा, तहसील- जगदलपुर	03.04.2013	-
5	द.ब. दंतेवाड़ा	ग्राम- टेकनार	-	औद्योगिक क्षेत्र स्थापित हो चुका है।

## परिशिष्ट "दस"

[ तारांकित प्रश्न संख्या 18 (क. 33) के भाग (क) की जानकारी ]

विधानसभा क्षेत्र बलौदाबाजार अंतर्गत स्थापित संयंत्रों द्वारा सीएसआर के तहत व्यय की जानकारी :-

## 1. अम्बुजा सीमेन्ट फाऊंडेशन- भाटापारा

क्र.	मद	व्यय राशि (रु. लाख में)	
		वर्ष 2013-14	वर्ष 2014-15
1	जल संसाधन प्रबंध एवं पेय जल परियोजना	28.73	33.19
2	कृषि विकास (प्रक्षेत्र वानिकी एवं वनीकरण)	20.14	7.19
3	पशुपालन विकास कार्यक्रम	-	-
4	गैर पारम्परिक उर्जा कार्यक्रम	0.77	1.5
5	स्वास्थ्य एवं स्वच्छता कार्यक्रम	23.27	7.24
6	शिक्षा विकास	14.67	5.63
7	कौशल एवं उद्यमियता विकास	86.24	32.46
8	महिला कार्यक्रम	2.84	0.7
9	एकीकृत सामुदायिक विकास कार्यक्रम (ग्रामीण आधारभूत संरचना विकास) एवं प्रशासनिक व्यय	85.5	5.81
10	समन्वय एवं प्रशासनिक व्यय	49.62	22.1
11	अन्य	-	0.14
12	अतिरिक्त गतिविधे	11.85	0.06
13	स्थायी व्यय	-	-
योग :-		<b>323.63</b>	<b>116.02</b>

## 2. अल्ट्राटेक सीमेन्ट लिमिटेड- रावन

क्र.	मद	व्यय राशि (रु. लाख में)	
		वर्ष 2013-14	वर्ष 2014-15
1	शिक्षा एवं क्षमता विकास	7.82	0.54
2	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	7.32	7.07
3	आजिविका संवर्धन	10.70	39.35
4	आधारभूत संरचनाओं का विकास	296.62	3.54
5	सामाजिक मुद्दे	2.25	2.22
योग :-		324.71	52.72

## 3. अल्ट्राटेक सीमेन्ट लिमिटेड- हिरमी

क्र.	मद	व्यय राशि (रु. लाख में)	
		वर्ष 2013-14	वर्ष 2014-15
1	शिक्षा	6.12	6.65
2	स्वास्थ्य	3.37	1.44
3	आधारभूत संरचना	52.27	19.21
4	सतत आर्थिक विकास	13.79	14.49
5	सामाजिक सरोकार	15.80	3.11
योग :-		91.35	44.90

## 4. लाफार्ज सीमेन्ट लिमिटेड- बलौदाबाजार

क्र.	मद	व्यय राशि (रु. लाख में)	
		वर्ष 2013-14	वर्ष 2014-15
1	हरियर छत्तीसगढ़- 2010 (सड़क किनारे वृक्षारोपण 2010 का संधारण)	-	15.80
2	हरियर छत्तीसगढ़- 2012 (सड़क किनारे वृक्षारोपण 2012 का संधारण)	-	36.08
3	हरियर छत्तीसगढ़- 2014 (10 कि०मी० सड़क किनारे वृक्षारोपण 2014)	-	105.13
4	स्वास्थ्य	175.07	-
5	शिक्षा	45.35	-
6	रोजगार	7.74	-
7	ग्रामीण अधोसंरचना विकास	59.40	-
योग :-		287.56	157.01

## परिशिष्ट "ग्यारह"

[ तारकित प्रश्न संख्या 21 (क्र. 74) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी ]

प्रपत्र "अ"

सरगुजा संभाग में 31 मार्च से 31 अक्टूबर, 2014 तक जनसमस्या निवारण शिविरों के आयोजन की स्थलवार जानकारी

क्रमांक	सरगुजा संभाग के जिले का नाम					
	जशपुर	सूरजपुर	बलरामपुर-रामानुजगंज	सरगुजा	कोरिया	
1.	वलिबा	बैजनाथपुर (ल)	डीपाडीहबुर्द	सरगा	सारा	
2.	तुमला	उमापुर	घुघरीबुर्द	अमलाभिट्टी	डूमरिया	
3.	जामझोर	तारा	उलिया	कोट	कुडेली	
4.	सुजीबहार	केतका	पतरापारा	गंगारी	नटवाही	
5.	टेकूल	धरमपुर	जवाहनगर	देवटिकरा	बंशीपुर	
6.	साहीडांड	कछिया	पिपरील	पटोरा	जरोधा	
7.	मधवा	जगतपुर	सुलसुली	बड़ादमाली	तोलगा	
8.	चराईडांड	बकिरमा	शारदापुर (ई)	चादों	बरबसपुर	
9.	फरसाकानी	बरकर	-	बिल्हमा	गरुडडोल	
10.	-	कसकेला	-	बांसाझाल	दुधासी (खमरौध)	
11.	-	जगतल	-	-	-	

## प्रपत्र "ब"

सरजुजा संभाग में 31 मार्च से 31 अक्टूबर, 2014 तक जनसमस्या निवारण शिविरों में प्राप्त एवं निराकृत आवेदनों की विभागावार एवं जिलेवार जानकारी

क्र.	विभाग का नाम	सरजुजा संभाग के जिले का नाम											
		जशपुर		सूरजपुर		बलरामपुर-रामजुगंज		सरजुजा		कोरिया			
		प्राप्त	निराकृत	प्राप्त	निराकृत	प्राप्त	निराकृत	प्राप्त	निराकृत	प्राप्त	निराकृत		
1.	परिवहन	1	0	28	0	3	3	12	2	14	14		
2.	पंचायत एवं ग्रामीण विकास	280	231	1200	969	192	113	385	275	531	322		
3.	वन	12	3	141	116	38	26	82	29	45	42		
4.	स्कूल शिक्षा	33	25	300	1+0	17	5	70	16	74	56		
5.	आदिवासी विकास	19	8	64	19	30	30	50	25	1	1		
6.	ऊर्जा	63	48	376	263	50	27	111	51	196	179		
7.	स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा	7	4	554	468	35	32	22	18	32	25		
8.	लोक निर्माण	1	1	54	24	7	5	18	6	18	16		
9.	जलसमाधान	7	1	58	20	52	19	29	12	33	28		
10.	लोक स्वास्थ्य एवं यांत्रिकी	58	56	0	0	56	53	173	155	114	110		
11.	कृषि	5	3	62	59	11	9	49	32	18	11		
12.	पशुपालन एवं मत्स्यपालन	8	7	28	28	1	0	8	4	4	3		
13.	गृह	2	1	39	15	2	2	26	3	9	2		
14.	महिला बाल विकास	5	1	73	56	10	4	23	9	26	23		
15.	समाज कल्याण	0	0	0	0	0	0	26	17	0	0		
16.	आर्थिकी एवं सांख्यिकी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
17.	सहकारिता	2	2	39	29	1	1	12	4	2	2		
18.	राजस्व एवं आपदा प्रबंधन	726	713	1415	712	193	133	591	484	928	902		
19.	आवकारी	1	1	6	5	2	1	3	3	0	0		
20.	खाद्य	83	69	216	98	75	43	69	20	309	259		
21.	वाणिज्य एवं उद्योग	1	0	0	0	0	0	2	1	0	0		
22.	खनिज	0	0	1	1	0	0	1	0	2	0		
23.	संस्कृति एवं पुरातत्व	0	0	0	0	1	0	1	0	3	0		
24.	नगरीय प्रशासन एवं विकास	0	0	2	0	1	1	2	0	1	0		
25.	जनशक्ति नियोजन	1	0	2	0	1	1	2	0	1	0		
26.	श्रम	0	0	10	10	1	0	0	0	0	0		
27.	जनसम्पर्क	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0		
28.	वाणिज्यकर	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0		
29.	आवास एवं परिवारण	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0		
30.	अन्य	2	0	61	24	7	7	6	1	50	39		
	योग	1317	1174	4750	3053	785	514	1771	1170	7407	5407		

नियम 46 (2) के अंतर्गत प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित तारांकित प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट "बारह"

[ परिवर्तित अतरांकित प्रश्न संख्या 02 (क. 57) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी ]

प्रपत्र "अ"

राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत स्वीकृत विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन में सम्मिलित  
केशकाल विधानसभा क्षेत्र के 264 ग्रामों के विद्युतीकरण की अद्यतन स्थिति

क्र.	कार्य संक्षेप में	वर्ष 2011-12	वर्ष 2012-13	वर्ष 2013-14	कुल
1	विद्युतीकृत ग्रामों की संख्या	12	96	08	116
2	विद्युतीकृत मजरा टोलों की संख्या	28	308	20	356
3	व्यय की गई राशि रुपये लाख में	20.35	414.49	343.89	778.73

प्रपत्र-ब

## केशकाल विधान सभा क्षेत्रांतर्गत

स्वीकृति उपरांत राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के द्वारा कार्य संपादित नहीं

क्र०	ग्राम का नाम
1	2
1	कोरगांव
2	बांसकोट
3	कुरूभाट
4	मारंगपुरी
5	कोरनोबेड़ा
6	बैंजनपुरी
7	आमागुहान
8	कोपरा
9	मण्डोकी
10	कलेपाल
11	छोटे राजपुर
12	जोड़ीकेरा
13	कुल्दाडिही
14	गम्हरी
15	हरवेल
16	कलगांव
17	टेंवसा
18	बालेंगा
19	हानावण्डी
20	आमागांव
21	खलारी
22	बस्तरबुडरा
23	बड़ेराजपुर
24	विश्रामपुरी
25	मानिकपुरी
26	कोंदा बेड़ा
27	भण्डारवण्डी
28	पावडा
29	बोथा
30	चगानार
31	छिंदली
32	फुपगांव
33	चादांबेल गांव
34	मोहलई

क्र०	ग्राम का नाम
1	2
35	जैतपुर
36	पलना
37	सिरीकलार
38	बनचपई
39	कोलंगा
40	कोतपाड़
41	मीसरी
42	बड़ेओडेंगा
43	मादे
44	ककोबेड़ा
45	परोदा
46	कुलनार
47	मोदेंगा
48	जुगदर्ई
49	फुण्डेर
50	अड़वाल
51	फुटानचांदबेड़ा
52	बड़गांव
53	बंजोड़ा
54	दावदे
55	रांधना
56	भनगापाल
57	मैनपुर
58	कोंदा पखना
59	गोहाड़ा
60	तोया पाल
61	चिंगनार
62	चनियागांव
63	चिन्दीबेड़ा
64	खण्डसारा
65	तोरकी
66	हाटचपई
67	गवड़ी
68	केलाकोट
69	छोटे ओडेंगा
70	बोकौराबेड़ा
71	जनकी
72	फरसगांव
73	बड़ेंडोंगर

क्र०	ग्राम का नाम
1	2
74	पलोरा
75	मटेंगा
76	कुएं
77	भंडरापाल
78	डोडेरापाल
79	सीलाटा
80	गढधनोरा
81	बनीयागांव
82	उपर मुरवेण्ड
83	रांधना
84	उमरदान
85	नवागढ
86	मुरनार
87	जामगांव
88	खालेमुरवेण्ड
89	गोडाघर
90	कुकड़ादन
91	हरवाकोदो
92	नयानार
93	खेतारपाल
94	पीपरा
95	बींझे
96	कावागांव
97	दुन्दाबेड़मा
98	पराली
99	कोनागांव
100	कोटोड़ी
101	कलेपाल
102	तीमड़ी
103	हिचका
104	सवालवाही
105	कोरगांव
106	चुरेगांव
107	करारमेटा
108	खालेंचंदेली
109	गढदाद
110	उमला
111	करमरी
112	भाटगांव

क्र०	ग्राम का नाम
1	2
113	पडडे
114	बीटलखौली
115	तोडासी
116	बदवार
117	बेलगांव
118	बड़ेखौली
119	सुन्दुरमेटा
120	होनहाड़
121	कुपागोन्दी
122	धनोरा
123	खालेबेन्दी
124	बुईकी जुगानार
125	कोरकोटी
126	ईरागांव
127	अरण्डी
128	केशकाल
129	गिरगोली
130	ऊपरबंदी
131	ऊपरचंदेली
132	बावेनीमरी
133	बेडमामरी
134	मीदडे
135	कुमड़
136	मडगांव
137	कुदावाही
138	गड़सिलयारी
139	कहानारगांव
140	कोहकामेटा
141	अवरी
142	तुमुस्कोनाड़ी
143	उरन्दाबेड़ा
144	आलमेर
145	सदाड़ी
146	दिगानार
147	रावबेड़ा
148	हुडावा

## परिशिष्ट "तेरह"

[ परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 03 (क. 58) के भाग (ख) की जानकारी ]

क्र०	यात्रा दिनांक अवधि	कम्पनी का नाम	हेली०/विमान के प्रकार	उड़ान का समय	किसके द्वारा यात्रा की गई	भुगतान
01.	12.01.13	एयरकिंग चार्टर नई दिल्ली	Bell-407 VT-TBE (हेलीकॉप्टर)	04:20	मान. मुख्यमंत्री जी	4,03,286
	13.01.13				मान. मुख्यमंत्री जी	
02.	13.01.13	छत्तीसगढ़ एविएशन अकादमी दुर्ग	Bell-412 VT-MRV (हेलीकॉप्टर)	17:30	(Positioning)	38,92,565
	14.01.13				मान. मुख्यमंत्री जी एवं अन्य मंत्री गण	
					मान. मुख्यमंत्री जी एवं अन्य मंत्री गण	
					माननीया सुश्री लता उर्सेडी	
					मान. मुख्यमंत्री जी एवं अन्य मंत्री गण	
					मान. मुख्यमंत्री जी एवं अन्य मंत्री गण	
16.01.13	मान. मुख्यमंत्री जी एवं अन्य मंत्री गण					
17.01.13	मान. मुख्यमंत्री जी एवं अन्य मंत्री गण					
21.01.13	मान. मुख्यमंत्री जी एवं अन्य मंत्री गण					
03.	16.01.13	एयरकिंग चार्टर नई दिल्ली	Bell-407 VT-TBE (हेलीकॉप्टर)	15:20	(Positioning)	11,88,400
	17.01.13				मान. श्री केदार कश्यप जी एवं अन्य मंत्री गण	
	18.01.13				मान. श्री केदार कश्यप जी एवं अन्य मंत्री गण	
	19.01.13				मान. मुख्यमंत्री जी एवं अन्य मंत्री गण	
	20.01.13				मान. श्री केदार कश्यप जी एवं अन्य मंत्री गण	
	21.01.13				मान. श्री केदार कश्यप जी एवं अन्य मंत्री गण	
04.	19.01.13	छत्तीसगढ़ एविएशन अकादमी दुर्ग	Bell-407 VT-TBE (हेलीकॉप्टर)	08:55	मान. मुख्यमंत्री जी एवं अन्य मंत्री गण	6,86,696
	20.01.13				मान. मुख्यमंत्री जी एवं अन्य मंत्री गण	
	21.01.13				मुख्य सचिव महोदय	
<b>कुल योग</b>						<b>61,70,947</b>
05.	01.02.13	छत्तीसगढ़ एविएशन अकादमी दुर्ग	Charter C-90 VT-HYA (विमान)	06:25	मान. श्री सियाराम साहू	4,10,501
	02.02.13				मान. श्री सियाराम साहू	
	08.02.13				माननीया सुश्री लता उर्सेडी	
<b>कुल योग</b>						<b>4,10,501</b>

क्र०	यात्रा दिनांक अवधि	कम्पनी का नाम	हेली०/विमान के प्रकार	उड़ान का समय	किसके द्वारा यात्रा की गई	भुगतान
06.	07.03.13	एयरकिंग चार्टर नई दिल्ली	B-200 VT-RSM (विमान)	07:15	मान. राज्यपाल महोदय जी	6,96,726
	08.03.13				मान. राज्यपाल महोदय जी	
	08.03.13				मान. राज्यपाल महोदय जी	
07.	08.03.13	एयरकिंग चार्टर नई दिल्ली	VT-PSB (विमान)	09:55	मान. मुख्यमंत्री जी	14,73,797
	08.03.13				मान. मुख्यमंत्री जी	
	08.03.13				मान. मुख्यमंत्री जी	
	08.03.13				मान. मुख्यमंत्री जी	
	09.03.13				मान. सुषमा स्वराज जी	
	09.03.13				मान. सुषमा स्वराज जी	
08.	11.03.13	एयरकिंग चार्टर नई दिल्ली	B-200 VT-RSM (विमान)	13:00	मान. राज्यपाल महोदय जी	11,45,228
	11.03.13				मान. राज्यपाल महोदय जी	
	12.03.13				मान. राज्यपाल महोदय जी	
	13.03.13				मान. राज्यपाल महोदय जी	
	13.03.13				मान. राज्यपाल महोदय जी	
<b>कुल योग</b>						<b>33,15,751</b>
09.	05.04.13	छत्तीसगढ़ एविएशन अकादमी दुर्ग	Charter C-90 VT-HYA (विमान)	02:35	विधान सभा स्पीकर	1,56,930
10.	06.04.13	एयरकिंग चार्टर नई दिल्ली	B-200 VT-RSM (विमान)	04:15	मान. राजेश मूणत	3,68,148
	06.04.13				मान. राजेश मूणत	
	06.04.13				मान. राजेश मूणत	
	06.04.13				मान. राजेश मूणत	
11.	17.04.13	एयरकिंग चार्टर नई दिल्ली	B-200 VT-RSM (विमान)	02:55	मान. मुख्यमंत्री जी	2,63,123
	17.04.13				मान. मुख्यमंत्री जी	
	17.04.13				मान. मुख्यमंत्री जी	
<b>कुल योग</b>						<b>7,88,201</b>
12.	06.05.13	छत्तीसगढ़ एविएशन अकादमी दुर्ग	Charter C-90 VT-HYA (विमान)	01:50	कवरेज हेतु रायपुर के पत्रकारों को ले जाने 02-विमान की सेवा उपलब्ध कराने बाबत्	1,19,167

क्र०	यात्रा दिनांक अवधि	कम्पनी का नाम	हेली०/विमान के प्रकार	उड़ान का समय	किसके द्वारा यात्रा की गई	भुगतान
13.	06.05.13	सारथी एयरवेज़ प्रा०लि० नई दिल्ली	Hainker VT-BTA (विमान)	04:35	मान. लाल कृष्ण आडवानी जी	6,96,726
14.	26.05.13	एयरकिंग चार्टर नई दिल्ली	VT-EHB (विमान)	07:05	मान. व्ही० सी० शुक्ला एवं अन्य मंत्रीगण	6,88,037
	26.05.13				मान. व्ही० सी० शुक्ला एवं अन्य मंत्रीगण	
	27.05.13				मान. व्ही० सी० शुक्ला एवं अन्य मंत्रीगण	
15.	29.05.13	एयरकिंग चार्टर नई दिल्ली	VT-REM (विमान)	02:05	माननीया सुश्री लता उसेंडी	1,90,563
	29.05.13				मान. ननकीराम कंवर	
16.	05.05.13	एयरकिंग चार्टर नई दिल्ली	Bell-407 VT-JIB (हेलीकाप्टर)	16:00	माननीया सुश्री लता उसेंडी	14,34,175
	06.05.13				माननीया सुश्री लता उसेंडी	
	07.05.13				माननीया सुश्री लता उसेंडी	
	08.05.13				माननीया सुश्री लता उसेंडी	
	09.05.13				माननीया सुश्री लता उसेंडी	
	10.05.13				माननीया सुश्री लता उसेंडी	
<b>कुल योग</b>						<b>34,12,752</b>
17.	06.06.13	एयरकिंग चार्टर नई दिल्ली	VT-DBL (विमान)	09:55	मान. मुख्यमंत्री जी	20,60,011
	06.06.13				मान. मुख्यमंत्री जी	
	07.06.13				मान. मुख्यमंत्री जी	
	07.06.13				मान. मुख्यमंत्री जी	
	09.06.13				मान. मुख्यमंत्री जी	
	09.06.13				मान. मुख्यमंत्री जी	
	09.06.13				मान. मुख्यमंत्री जी	
18.	13.06.13	एयरकिंग चार्टर नई दिल्ली	VT-SDJ (विमान)	09:25	मान. स्वामी सर्वहितानन्द, सचिव रामकृष्ण मिशन भोपाल	8,89,105
	13.06.13				मान. स्वामी सर्वहितानन्द, सचिव रामकृष्ण मिशन भोपाल	
	13.06.13				मान. स्वामी सर्वहितानन्द, सचिव रामकृष्ण मिशन भोपाल	
<b>कुल योग</b>						<b>29,49,116</b>

19.	13.08.13	एविएशन विंग, तमिलनाडू (चेन्नई)	Bell-412 EP-TNG हेलीकाप्टर)	06:00	मान. मुख्यमंत्री जी	7,04,944
	14.08.13				मान. मुख्यमंत्री जी	

क्र०	यात्रा दिनांक अवधि	कम्पनी का नाम	हेली०/विमान के प्रकार	उड़ान का समय	किसके द्वारा यात्रा की गई	भुगतान
20.	26.08.13	एयरकिंग चार्टर नई दिल्ली	Bell-407 VT-JIB (हेलीकाप्टर)	01:25	मान. श्री अरुण जेटली	1,19,383
	27.08.13				मान. श्री अरुण जेटली	
21.	12.08.13	एयरकिंग चार्टर नई दिल्ली	Learjet 60xR VT-DBC (विमान)	08:50	मान. मुख्यमंत्री जी	17,95,519
	13.08.13				मान. मुख्यमंत्री जी	
22.	18.08.13	एयरकिंग चार्टर नई दिल्ली	B-200 VT-SRC Air ambulance (विमान)	06:10	मान. दिलीप सिंह जूदेव के पार्थिव शरीर को दिल्ली से जशपुर लाने हेतु	5,56,969
23.	26.08.13	एयरकिंग चार्टर नई दिल्ली	Citation VT-CLD (विमान)	04:35	मान. श्री अरुण जेटली	7,04,478
	27.08.13				मान. श्री अरुण जेटली	
24.	26.08.13	एयरकिंग चार्टर नई दिल्ली	B-200 VT-SRC (विमान)	12:25	मान. मुख्यमंत्री जी एवं अन्य मंत्री गण	11,07,053
	27.08.13				मान. मुख्यमंत्री जी एवं अन्य मंत्री गण	
	30.08.13				मान. मुख्यमंत्री जी एवं अन्य मंत्री गण	
<b>कुल योग</b>						<b>49,88,340</b>
25.	07.09.13	सारथी एयरवेज प्रा०लि० नई दिल्ली	Citation x LS VT-CLA (विमान)	03:50	मान. राजनाथ सिंह, मान. के० पी० सिंह मान. जे० पी० नड्डा, मान. हरीशंकर व्यास	7,96,820
26.	16.09.13	सारथी एयरवेज प्रा०लि० नई दिल्ली	Faltn 2000 VT-AVH (विमान)	03:35	मान. लाल कृष्ण आडवानी, मान. दीपक चोपड़ा एवं मान. राकेश कोनलवारी	11,75,567
<b>कुल योग</b>						<b>19,72,387</b>
27.	12.12.13	एयरकिंग चार्टर नई दिल्ली	विमान प्रीमियम 1A	08:25	मान. मुख्यमंत्री जी एवं अन्य मंत्री गण	14,93,916
	13.12.13					
	14.12.13					

28.	29.12.13	एयरकिंग चार्टर नई दिल्ली	विमान प्रीमियम 1A	06:50	मान. मुख्यमंत्री जी एवं अन्य मंत्री गण	14,09,013
	30.12.13					
<b>कुल योग</b>						<b>29,02,929</b>

क्र0	यात्रा दिनांक अवधि	कम्पनी का नाम	हेली0/विमान के प्रकार	उड़ान का समय	किसके द्वारा यात्रा की गई	भुगतान
30.	15.02.14	एयरकिंग चार्टर नई दिल्ली	Learjet 60xR VT-DBC (विमान)	06:25	मान. मुख्यमंत्री जी	12,93,312
	16.02.14					
	16.02.14					
	16.02.14					
<b>कुल योग</b>						<b>12,93,312</b>
31.	04.06.14	एयरकिंग चार्टर नई दिल्ली	Hawker 600XP (विमान)	06:25	मान. मुख्यमंत्री जी	16,21,390
<b>कुल योग</b>						<b>16,21,390</b>
32.	26.09.14	एयरकिंग चार्टर नई दिल्ली	VT-KBN (विमान)	04:25	मान. मुख्यमंत्री जी	8,05,761
	26.09.14					
	27.09.14					
33.	30.09.14	इंडिया फ्लाई सेफ एविएशन, नई दिल्ली	VT-JSC (विमान)	—	मान.केदार कश्यप जी	बिल आज दिनांक तक अप्राप्त
<b>कुल योग</b>						<b>8,05,761</b>
34.	31.10.14	एयरकिंग चार्टर नई दिल्ली	CJ-2 (विमान)	04:40	मान. मुख्यमंत्री जी	8,68,620
<b>कुल योग</b>						<b>8,68,620</b>
35.	12.11.14	एयरकिंग चार्टर नई दिल्ली	B-200 (विमान)	07:05	AIIMS के डॉक्टरों की टीम हेतु	6,52,820
<b>कुल योग</b>						<b>6,52,820</b>

## परिशिष्ट "चौदह"

[ परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 04 (क. 61) के भाग (क) एवं (ग) की जानकारी ]

## प्रपत्र "अ"

जिला कांकेर में ग्राम पंचायतों द्वारा संचालित रेत खदान की विकासखण्डवार जानकारी

क.	ग्राम पंचायत का नाम	नदी का नाम	खसरा /रकबा	पर्यावरण सम्मति दिनांक एवं अवधि
1	2	3	4	7
<b>विकासखण्ड – भानुप्रतापपुर</b>				
1	ग्राम पंचायत सम्बलपुर	खण्डी नदी	358 / 1 / 5.00	दिनांक 07.06.2014 से 03 वर्ष
<b>विकासखण्ड – चारामा</b>				
2	ग्राम पंचायत नारा	महानदी	1025 / 5.00	दिनांक 26.05.2014 से 03 वर्ष
3	ग्राम पंचायत चिनौरी	महानदी	917 / 5.00	दिनांक 26.05.2014 से 03 वर्ष
4	ग्राम पंचायत सराधू नवागांव	महानदी	145 / 5.00	दिनांक 07.06.2014 से 03 वर्ष
5	ग्राम पंचायत टाहकापार	महानदी	370 / 15.00	दिनांक 01.05.2014 से 03 वर्ष
<b>विकासखण्ड – कांकेर</b>				
6	ग्राम पंचायत सरंगपाल	महानदी	149 / 1 / 5.00	दिनांक 01.05.2014 से 03 वर्ष
7	ग्राम पंचायत बारदेवरी	चिनार नदी	1145 / 5.00	दिनांक 16.07.2014 से 03 वर्ष

## प्रपत्र ब

जिला कांकेर अंतर्गत रेत खदान से अवैध उत्खनन एवं परिवहन के दर्ज प्रकरण एवं उन पर की गई कार्रवाई की जानकारी

क्रमांक	दिनांक	अवैध उत्खनन कर्ता का नाम	अवैध उत्खनन का स्थान	खनिज की मात्रा (घन मी०)	कार्रवाई का विवरण/वसूल की गई राशि (रूपये में)	
<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	
स्वीकृत रेत खदान से						
निरंक						
अस्वीकृत रेत खदान से						
1	16.07.14	मो. फिरोज कंस्ट्रक्शन कांकेर	आतुरगॉव	140	कलेक्टर, न्यायालय में विचाराधीन	
<b>अवैध परिवहन</b>						
क्र०	दिनांक	वाहन चालक का नाम	वाहन क्र०	ग्राम	खनिज की मात्रा (घन मी०)	कार्रवाई का विवरण/वसूल की गई राशि (रूपये में)
1	2	3	4	5	6	7
स्वीकृत रेत खदान से						
निरंक						
अस्वीकृत रेत खदान से						
1	03.04.14	श्री संजय पि. सत्तेसिंग	सीजी-05-ए-11 62	मनकेशरी, कांकेर	04	6500

2	03.04.14	श्री सुनिल पि. मंगलसिंग	सीजी-04-डी-3 560	संरंगपाल, कांकेर	04	6500
3	09.04.14	श्री राज विश्वकर्मा	नई महिन्द्रा 475 डीआई	नारा, कांकेर	04	6500
4	12.04.14	श्री रमेश नागु	सीजी - 19-0499	कांकेर	04	6500
5	06.05.14	श्री महेश पि. ग्वालूराम	सीजी - 04 जेड - G2277	सिंगारभाट , कांकेर	01	5500
6	06.05.14	श्री ग्वालू पटेल	सीजी 19 - जी - 2334	सिंगारभाट , कांकेर	04	6500
7	08.05.14	श्री अमीतकुमार	सीजी - 04-1722	व्यासकोंगेरा कांकेर	03	6500
8	15.05.14	श्री कुशल नेताम	सीजी - 19- जी - 1851	कोदाभाट, कांकेर	01	5500
9	21.05.14	श्री रघुवीर पि. दयाराम	सीजी - 05-9597	नान्दनमारा	03	6500
10	02.06.14	श्री निमती नाग	सीजी - 05- जी - 0980	बरदेभाटा	01	5250
11	04.06.14	श्री गोलू पटेल	सीजी - 19- जी - 1851	कोदाभाट	04	6500
12	11.06.14	श्री रमेश	सीजी - 19 एच- 1383	कोदाभाट	04	6500
13	16.06.14	श्री राजू कोरेटी पित्र रामनाथ	नई शक्ति टेक 439	आतुरगांव तह. कांकेर	04	6500
14	25.06.14	श्री दिनेश साहू	सीजी - 05-3508	कोडेजुंगा कांकेर	04	6500
15	17.07.14	श्री नरोत्तम	नई महेन्द्र 475 डी	ईच्छापुर, कांकेर	04	6500

16	04.07.14	श्री सुरेन्द्र साहू	सीजी - 04- डी ए - 3968	बागोडार , कांकेर	03	6500
17	17.07.14	श्री रमवीर कावडे	सीजी - 05- जी - 7633	चिवरांज, कांकेर	04	6500
18	07.08.14	श्री राघेलाल	सीजी - 05- जेड बी - 0122	पत्थरी, कांकेर	05	7000
19	14.08.14	श्री अनित कुमार मंडावी	सीजी 17 - जी - 1334	कोकपुर, कांकेर	03 .	6500
20	27.08.14	श्री केमन जैन	सीजी - जी - 1851	पटौद, कांकेर	03 .	6500
21	21.09.14	श्री आशाराम तेली	सीजी - 05-5308	कोडेजुगां, कांकेर	04	6500
22	16.09.14	श्री निर्मल सलाम	सीजी - 7एन ए - 1315	ब्यासकोंगेरा ,कांकेर	04	6500
23	07.10.14	श्री रोधेलाल	सीजी - 05-2 बी- 0122	आतुरगांव तह. कांकेर	03	6500
24	13.10.14	श्री पनेश्वर सलाम	नई महेन्द्र 475 डी	कोटेला, कांकेर	03	6500
26	07.04.14	श्री महेश नाग	सीजी - 02- जेड जी - 2277	कोदाभाट, कांकेर	12	12000
27	11.06.14	श्री जागेश्वर साहू	नई हलैण्ड 450	मचान्दूर, चारामा	04	6500
28	15.04.14	श्री भुनश्वर पि. दौलत	सीजी - 05- जी - 2419	चारामा	04	6500
29	21.04.14	श्री तरून कोमना	सीजी - 07- डी - 6844	कसावही, चारामा	04 .	6500
30	21.04.14	श्री सन्तुराम पि. लखन	सीजी - 05 ए - 6524	डोकला, चारामा	04	6500

31	21.04.14	श्री दिपकचंद	नई स्वराज 843 एक्स एम	चारामा	01	5500
32	15.05.14	श्री शिवकुमार	नई हालैण्ड 3220	चारामा	01	5500
33	15.05.14	श्री राजकुमार साहू	नई स्वराज735एक्स एम	चारामा	02	5750
34	15.05.14	श्री संजय सोनकर	सीजी - 05- जी - 3051	चारामा	04 .	6500
35	18.06.14	विरेन्द्र कुमार ठाकुर	सीजी - 19- जी - 0233	मचान्दूर, चारामा	04	6500
36	23.06.14	श्री मनोज कुमार	नई हलैण्ड 450	मचांदूर	04 .	6500
37	23.06.14	श्री अश्वनी बंजारे	सीजी - 05-3508	डोकला, चारामा	04	6500
38	11.07.14	श्री मनोज कुमार	नई हालैण्ड 4010	मचान्दूर, चारामा	04	6500
39	11.07.14	श्री जितेन्द्र	सीजी 19 - जी - 1812	हाराडुला, चारामा	04	6500
40	21.08.14	श्री विमल यादव	नई महेन्द्र 4510	मचान्दूर, चारामा	04	6500
41	21.08.14	श्री विष्णु	नई महेन्द्र 4510	मचान्दूर, चारामा	04	6500
42	23.08.14	श्री भागवत पोया	नई महेन्द्र 475 डी	तारसगांव ,चारामा	02	5750
43	29.09.14	श्री जीत सोनकर	नई हालैण्ड 3220	चारामा,	04	6500
44	29.09.14	श्री शंकर सिन्हा	सीजी - 05-43051	चारामा,	04	6500

45	29.09.14	श्री भूनूराम	सीजी - 05जी- 2419	चारामा	04	6500
46	29.09.14	श्री लीलेश्वर	नई महेन्द्र-575 डि आई	तेलगरा, चारामा	04	6500
47	07.10.14	श्री गुलशन नेताम	सीजी - 05- जी- 8172	कुरुभाट, चारामा	04	6500
48	23.06.14	किशन लाल	सीजी . 04. डीए . 4224	मुड़खुसरा , चारामा	04	6500
49	13.10.14	श्री दुर्गेश	नई मेसी 2410	कहाड़गोदी, चारामा	02	5750
50	15.04.14	श्री डोमन साहू	सीजी - 07 सीए - 0203	भानपुरी तह. गुरुर	05	7000
51	15.04.14	श्री दौलत साहू	नई स्वराज 843 एक्स एम	धनोरा तह. गुरुर	04	6500
52	15.04.14	श्री भावसिंह पि. प्रताप	नई स्वराज 843 एक्स एम	धवनपुर तह. गुरुर	04	6500
53	15.04.14	श्री मानसिंग पि.. खेजूराम	सीजी - 07 -एन - 0498	धनोरा तह. गुरुर	04	6500
54	15.04.14	श्री गौकरण पित्र मंशाराम	नई स्वराज 843 एक्स एम	धनोरा तह. गुरुर	04	6500
55	15.04.14	श्री टुमनलाल पित्र मुरहा	सीजी 05 - सी - 6808	धनोरा तह. गुरुर	02	5700
56	15.04.14	श्री वासुदेव पि. लीलाराम	सीजी - 05- डी - 0818	धनोरा तह. गुरुर	04	6500
57	15.04.14	श्री छलेश कुमार	सीजी - 04- डी बी - 6933	कन्हारपुरी, गुरुर	04	6500
58	15.04.14	श्री उमेश कुमार	सीजी - 05-5565	कन्हारपुरी, गुरुर	04	6500

59	15.04.14	श्री ओमप्रकाश	नई हलैण्ड 450	गुरुर, बालोद	04	6500
60	15.04.14	श्री विक्रम पि. बिसौहा	सीजी - 05- जी - 3946	कन्हानपुरी, गुरुर	04	6500
61	23.06.14	श्री जगेश्वर कुमार	सीजी - 04- टीआर - 0011	धनेली तह. गुरुर	05	7000
62	18.06.14	योगेश्वर	नई स्वराज 735 एक्स एम	बरही, बालोद	04	6500
63	18.06.14	ढालूराम साहू	सीजी - 07- एन - 1801	कुलिया , बालोद	04	6500
64	18.06.14	प्रितम यादव	सीजी - 07- सी - 4919	देवारभाट, बालोद	05	7000
65	18.06.14	यशवन्त कूमार पटेल	सीजी - 07- सीए - 3628	बरही तह. बालोद	04	6500
66	13.10.14	श्री मोहन	नई स्वराज 735 एक्स एम	दल्लीराजहर I	03	6500
67	14.07.14	श्री त्रिभुवन सिंह नेताम	सीजी - 19- जी - 2815	करप , नरहरपुर	04	6500
68	09.04.14	श्री विजय कोमरा	सीजी - 05- जी - 7524	रामपुर, नरहरपुर	04	6500
69	09.04.14	श्री महरसिंग पि. पुसउ	नई सोनालिका	चनार, नरहरपुर	02	5750
70	16.05.14	श्री दिलीप यादव	महिन्द्रा 475 डीआई	नरहरपुर	04	6500
71	24.05.14	श्री तीजराम	सीजी - 07- सी- 5941	सरोना	02	5750
72	24.05.14	श्री कन्हैया कोराम	नई सोनालिका	धनेसरा	03	6500

73	24.05.14	श्री नागेश पि. साधुराम	सीजी - 19- जी - 2601	धनेसरा	02	5750
74	18.06.14	श्री गुलशन कुमार	नई सोनालिका	साल्हेटोला	04	6500
75	23.04.14	श्री बिटेश कुमार	नई महिन्द्रा 275 डीआई	आमगांव, सिहावा	03	6500
76	07.10.14	श्री छब्बी लोहार	नई मेसी 2410	कन्हारगांव, भानु.	04	6500
77	07.10.14	श्री रवि लोहार	सीजी - 05- जी - 1729	कन्हारगांव, भानु.	04	6500
78	07.10.14	श्री हनेश गोड़	सीजी - 07- ए - 3285	कन्हारगांव, भानु.	04	6500
79	23.04.14	श्री छोटू विश्वास	नई महिन्द्रा बी -275 डि	पखांजूर	04	6500
80	23.04.14	श्री हरबिलाज विश्वास	नई महिन्द्रा बी -275	पी.व्ही. 10, पखांजूर	04	6500
81	23.04.14	श्री निखिल मंडल	नई महिन्द्रा 275 डीआई	पी.व्ही. 56, पखांजूर	03	6500

## परिशिष्ट "पंद्रह"

[ परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 05 (क. 62) के भाग (क) की जानकारी ]

प्रपत्र "अ"

सी.एस.आर. मद अन्तर्गत निर्धारित राशि एवं व्यय की गई राशि की जानकारी

क्रमांक	खनिपट्टाधारी का नाम	सी.एस.आर. मद अन्तर्गत निर्धारित राशि (लाख रूपये में)		सी.एस.आर. मद अन्तर्गत व्यय की गई राशि (लाख रूपये में)	
		2013-14	2014-15	2013-14	2014-15
1	2	3	4	5	6
1	मेसर्स भिलाई स्टील प्लांट	राशि निर्धारित नहीं		263.58	722.37
2	मेसर्स जयसवाल निको लिमिटेड	राशि निर्धारित नहीं		5.62	11.77
3	गोदावरी इस्पात लिमिटेड	24.00	13.29	200.00	64.25

1. भिलाई इस्पात संयंत्र द्वारा विधानसभा क्षेत्र अंतागढ़ विकासखण्ड अंतागढ़ के रावघाट क्षेत्र में कराये गये विकास कार्यों की जानकारी

वर्ष 2013-14

व्यय की गई राशि 263.58 लाख

किये गये कार्यों का विवरण	क्षेत्र जहां विकास कार्य किया गया	व्यय राशि (लाख में)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सुविधाएं	रावघाट क्षेत्र में 19 मेडिकल कैंप आयोजित किये गये, हितग्राहियों की संख्या 6604	27.90
इन्फ्रास्ट्रक्चर स्वास्थ्य सुविधाएं	अंतागढ़ में स्वास्थ्य चिकित्सा सुविधा (रावघाट क्षेत्र)	14
शिक्षा	रावघाट क्षेत्र के आदिवासी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा 6वीं से 12वीं तक दल्लीराजहरा बी.एस.पी. स्कूल में प्रदाय किया जा रहा है।	59.12
छात्रवृत्ति	वर्ष 2013-14 में रावघाट क्षेत्र के स्कूलों में छात्रवृत्ति प्रदाय किया गया।	12.97
महिलाओं को स्वरोजगार	रावघाट क्षेत्र के आदिवासी छात्राओं को निःशुल्क नर्सिंग प्रशिक्षण (रेल्वे लाईन प्रभावित परिवार) पीजी नर्सिंग कॉलेज भिलाई	30.24
खेल एवं सामान्य गतिविधि	ऑल इंडिया फूटबॉल प्रतियोगिता डी.एफ.ए. नारायणपुर में आयोजन (प्रायोजक)	5.00
	सेल खेल मेला नारायणपुर में आयोजित।	35.00
सौर उर्जा सुविधा	रावघाट क्षेत्रों में सौर उर्जा लाइट एवं सौर उर्जा वाटर पम्प सुविधा प्रदान की गई।	79.17
	सी.एस.आर. गतिविधियों की प्रदर्शनी (प्रधानमंत्री पुरुस्कार हेतु चयन) 01.12.2013 से 03.12.2013 तक	0.18
	<b>कुल</b>	<b>263.58</b>

वर्ष 2014-15

व्यय की गई राशि 722.37 लाख

किये गये कार्यों का विवरण	क्षेत्र जहां विकास कार्य किया गया	व्यय राशि (लाख में)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सुविधाएं	रावघाट क्षेत्र में मेडिकल कैंप आयोजित किये गये एवं बेहतर स्वास्थ्य सुविधा जे.एल.एन. अस्पताल भिलाई में रिफर किया गया।	7.99

इन्फ्रास्ट्रक्चर स्वास्थ्य सुविधाएं	अंतागढ़ में स्वास्थ्य चिकित्सा सुविधा (रावघाट क्षेत्र)	3.57
शिक्षा	रावघाट क्षेत्र के आदिवासी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा 6वीं से 12वीं तक दल्लीराजहरा बी.एस.पी. स्कूल में प्रदाय किया जा रहा है।	26.22
महिलाओं को स्वरोजगार	रावघाट क्षेत्र के आदिवासी छात्राओं को निःशुल्क नर्सिंग प्रशिक्षण (रेल्वे लाईन प्रभावित परिवार) पीजी नर्सिंग कॉलेज भिलाई	63.59
खेल एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम	सेल खेल मेला नारायणपुर में आयोजित।	35.00
सौर उर्जा सुविधा	रावघाट क्षेत्रों में सौर उर्जा लाईट सुविधा प्रदान की गई	586.00
	<b>कुल</b>	<b>722.37</b>

2. मेसर्स जायसवाल निको एण्ड इंडस्ट्रीज कंपनी द्वारा विधानसभा क्षेत्र अंतागढ़ विकासखण्ड कोयलीबेड़ा के क्षेत्र में कराये गये विकास कार्यों की जानकारी

वर्ष 2013-14

व्यय की गई राशि 5.62 लाख

किये गये कार्यों का विवरण	क्षेत्र जहां विकास कार्य किया गया	व्यय राशि (लाख में)
स्वास्थ्य देखभाल, स्वच्छता एवं पेयजल	पन्नडुब्बी पंप और पंप हाउस बरबसपुर गांव और बोरवेल और पन्नडुब्बी पंप भाईसासूर, बरबसपुर और चारगांव की मरम्मत कार्य	8221.00
	संगठित चिकित्सा स्वास्थ्य उपचार और नेत्र जांच चारगाव, सुरेवाही, भाईसासूर और बरबसपुर गांव में जरूरतमंद ग्रामीणों के लिए शिविर	3360.00
	चिकित्सा केन्द्र और स्वास्थ्य सहायक के पारिश्रमिक कार्य ग्राम चारगांव	
एजुकेशनल एवं ट्रेनिंग	आईटीआई कोर्स और लायनडोगरी खान क्षेत्र के स्थानीय लड़कियों के लिए नर्सिंग कोर्स	161050.00
	निःशुल्क कोचिंग कंप्यूटर शिक्षा और जरूरतमंद छात्रों के लिए बरबसपुर गांव में स्टेनरी के साथ सुविधा	110332.00
स्पोर्ट्स	ग्रामीण खेलों के आयोजन और बरबसपुर, बरवी और चारगांव, लायनडोगरी खानों के गांवों में चारगांव, परौण्डी, सुरेवाही, भाईसासूर मेटाबोदली के गांवों में खेलों को बढ़ावा देना	15459.00
	ग्रामीण क्रीड़ा उत्सव एवं बरबसपुर में पुराने और कमजोर लोगों के लिए कंबल वितरण	76269.00
	चारगांव और भाईसासूर में क्रिकेट की तरह राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता खेलों को बढ़ावा देने के लिए सहायता	15030.00

	उपलब्ध कराने गांव के व्यक्तियों को प्रोत्साहन	
स्वयं सहायता समूहों एवं आय सृजन प्रशिक्षण	ग्राम बरबसपुर में जरूरतमंद लड़कियों और महिलाओं को सिलाई कोचिंग सेंटर हेतु निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया गया	69418.40
	स्थानीय लड़कों को नौकरी उन्मुखी प्रशिक्षण प्रदान करना गरीब और जरूरतमंद ग्रामीणों को आर्थिक रूप से आत्म निर्भर बनने के लिए इतनी के रूप में मेटाबोदली और लांयनडोगरी खान परिधी ग्रामीणों को मधुमक्खी पालन प्रशिक्षण और उपकरण प्रदान किया गया	
	मेटाबोदली खान क्षेत्रों के छात्रों आईटीआई नौकरी उन्मुखी प्रशिक्षण	62682.00
	चारगांव, परौण्डी एवं सुरेवाही आदि के गांवों में फलों के पौधों का वितरण	
सामुदायिक कल्याण और पारंपरिक कला और संस्कृति की पदोन्नति	चारगांव में 108 डायल आपातकालीन कॉल के लिए ग्रामीणों द्वारा उपयोग किया जा सकता है जो टेलीफोन कनेक्शन की संचार की सुविधा के साथ मनोरंजन एवं सांस्कृतिक कल्याण	
	चारगांव, परौण्डी और भाईसासूर गांव में पारंपरिक कला और संस्कृति को बढ़ावा देना	12900.00
अन्य परिधीय विकास	ग्राम लांयनडोगरी माईस क्षेत्र के कोरर शहर में यातायात बोर्ड उपलब्ध कराने के द्वारा सुरक्षा चेतना को बढ़ावा देना	15730.00
	सुरेवाही और चारगांव के स्कूलों के आसपास वृक्षारोपण द्वारा संतुलन पारिस्थितिकी प्रणाली	12332.00
	ग्राम परवी में आयोजित लाईव स्टॉक के लिए जांच शिविर किया गया।	
	मुख्य मार्ग ग्राम चारगांव एवं भाईसासूर में रोड़ मरम्मत का कार्य किया गया	
	जिला कांकेर मुख्यालय में राज्योत्सव पर सी.एस.आर. प्रदर्शनी	
	<b>कुल</b>	<b>562783.40</b>
<b>वर्ष 2014-15</b>		
<b>व्यय की गई राशि 11,77,158 लाख</b>		
<b>किये गये कार्यों का विवरण</b>	<b>क्षेत्र जहां विकास कार्य किया गया</b>	<b>व्यय राशि (लाख में)</b>
स्वास्थ्य देखभाल, स्वच्छता एवं पेयजल	पन्नडुब्बी पंप और पंप हाउस बरबसपुर गांव और बोरवेल और पन्नडुब्बी पंप भाईसासूर, बरबसपुर और चारगांव की मरम्मत कार्य	854.80

	संगठित चिकित्सा स्वास्थ्य उपचार और नेत्र जांच चारगांव, सुरेवाही, भाईसासूर और बरबसपुर गांव में जरूरतमंद ग्रामीणों के लिए शिविर	1057.51
	चिकित्सा केन्द्र और स्वास्थ्य सहायक के पारिश्रमिक कार्य ग्राम चारगांव	169024.00
एजुकेशनल एवं ट्रेनिंग	स्थानीय लड़को को आईटीआई कोर्स और लायनडोगरी खान क्षेत्र के स्थानीय लड़कियों के लिए नर्सिंग कोर्स प्रशिक्षण	11840.00
	निःशुल्क कोचिंग कंप्यूटर शिक्षा और जरूरतमंद छात्रों के लिए बरबसपुर गांव में स्टेशनरी के साथ सुविधा प्रदान	77546.00
स्पोर्ट्स	ग्रामीण खेलों के आयोजन और बरबसपुर, बरवी और चारगांव, लायनडोगरी खानों के गांवों में चारगांव, परौण्डी, सुरेवाही, भाईसासूर मेटाबोदली के गांवों में खेलों को बढ़ावा देना	6340.00
	ग्रामीण क्रीड़ा उत्सव एवं बरबसपुर में पुराने और कमजोर लोगों के लिए कंबल वितरण	
	चारगांव और भाईसासूर में क्रिकेट की तरह राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता खेलों को बढ़ावा देने के लिए सहायता उपलब्ध कराने गांव के व्यक्तियों को प्रोत्साहन	24110.00
स्वयं सहायता समूहों एवं आय सृजन प्रशिक्षण	ग्राम बरबसपुर में जरूरतमंद लड़कियों और महिलाओं को सिलाई कोचिंग सेंटर हेतु निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया गया	35212.00
	स्थानीय लड़कों को नौकरी उन्मुखी प्रशिक्षण प्रदान करना	28780.00
	गरीब और जरूरतमंद ग्रामीणों को आर्थिक रूप से आत्म निर्भर बनने के लिए इतनी के रूप में मेटाबोदली और लायनडोगरी खान परिधी ग्रामीणों को मधुमक्खी पालन प्रशिक्षण और उपकरण प्रदान किया गया	299716.00
	मेटाबोदली खान क्षेत्रों के छात्रों आईटीआई नौकरी हेतु उन्मुखी प्रशिक्षण	138120.00
स्वयं सहायता समूहों एवं आय सृजन प्रशिक्षण	चारगांव, परौण्डी एवं सुरेवाही आदि के गांवों में फलों के पौधों का वितरण	26596.00
सामुदायिक कल्याण और पारंपरिक कला और संस्कृति की पदोन्नति	चारगांव में 108 डायल आपातकालीन कॉल के लिए ग्रामीणों द्वारा उपयोग किया जा सकता है जो टेलीफोन कनेक्शन की संचार की सुविधा के साथ मनोरंजन एवं सांस्कृतिक कल्याण कार्यक्रम	41675.00
	चारगांव, परौण्डी और भाईसासूर गांव में पारंपरिक कला और संस्कृति को बढ़ावा देना	35048.00
अन्य परिधीय विकास	ग्राम लायनडोगरी माईस क्षेत्र के कोरर शहर में यातायात बोर्ड उपलब्ध कराने के द्वारा सुरक्षा चेतना को बढ़ावा देना	
	सुरेवाही और चारगांव के स्कूलों के आसपास वृक्षारोपण द्वारा संतुलन पारिस्थितिकी प्रणाली	

ग्राम परवी में आयोजित लाईव स्टॉक के लिए की जांच शिविर किया गया	40185.00
मुख्य सड़क ग्राम चारगांव एवं भाईसासूर में रोड़ मरम्मत का कार्य किया गया	48000.00
जिला कांकेर मुख्यालय में राज्योत्सव पर सी.एस.आर. प्रदर्शनी	3735.00
<b>कुल</b>	<b>985927.00</b>

3. मेसर्स गोदावरी पावर एण्ड इस्पात लिमिटेड द्वारा विधानसभा क्षेत्र भानुप्रतापपुर विकासखण्ड भानुप्रतापपुर के क्षेत्र में कराये गये विकास कार्यों की जानकारी

वर्ष 2013-14

व्यय हेतु निर्धारित राशि 24.00 लाख

व्यय की गई राशि 2.22 लाख

किये गये कार्यों का विवरण	क्षेत्र जहां विकास कार्य किया गया	व्यय राशि (लाख में)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य	प्राथमिक चिकित्सा स्वास्थ्य केन्द्र	59.82
शिक्षा	खान के पास के गांवों में खेल व शिक्षा को बढ़ावा देने	5.41
स्वास्थ्य एवं सुरक्षा	स्वास्थ्य सुरक्षा एवं पर्यावरण पर जागरूकता	0.3
सामुदायिक विकास	गांव कच्चे और खान के पास के गांवों में सामुदायिक विकास को बढ़ावा देना	11.09
मासिक रखरखाव	उद्घाटन व गांव परेकोड़ों में शीतला देवी मंदिर की मासिक रखरखाव	4.92
प्रशिक्षण	ग्राम कच्चे के छात्रों के लिए ई संस्कार कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र पर व्यय	7.44
वृक्षारोपण	खान के आसपास के गांवों में बागवानी एवं वृक्षारोपण के रखरखाव पर व्य	29.06
पेय जल	प्याउ में लगे हुए जनशक्ति और पानी टेंकर का वेतन व्यय	1.14
शिक्षा	कच्चे और परेकोड़ों ग्राम पंचायत के स्कूलों में नियुक्त शिक्षकों का वेतन	1.72
पेय जल	गर्मियों के दौरान खान के आसपास के गांवों में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए पानी टैंकरों पर व्यय	7.26
	क्षमता 30000 लीटर के पानी टंकी का निर्माण ग्राम कच्चे	12.87
रखरखाव	निर्माण व ग्राम कच्चे के बाईपास रोड़ का रखरखाव	40.07
विकास कार्य	माईस क्षेत्र में ढांचागत विकास पर व्यय	11.9
	चारदीवारी, ग्रिल, शीतला देवी मंदिर कच्चे के लिए ज्योति कलश कक्ष और रसोई कक्ष का निर्माण	7.16
	ग्राम कच्चे में नाली निर्माण कार्य	9.82

	आसपास के गांवों में धूल दमन के लिए सड़को पर पानी के छिड़काव	8.39
	ग्राम कच्चे पर बैरक इमारत की पहली मंजिल का निर्माण	4.47
	<b>कुल</b>	<b>222.84</b>

**वर्ष 2014-15**

व्यय हेतु निर्धारित राशि 13.29 लाख

व्यय की गई राशि 64.25 लाख

किये गये कार्यों का विवरण	क्षेत्र जहां विकास कार्य किया गया	व्यय राशि (लाख में)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य	प्राथमिक चिकित्सा स्वास्थ्य केन्द्र संचालन	22.15
शिक्षा	खान के पास के गांवों में खेल व शिक्षा को बढ़ावा देने	1.13
प्रशिक्षण	स्अचिक का उद्घाटन एवं कच्चे और परेकोड़ो में सिलाई सेंटर	0.83
मासिक रखरखाव	गांव परेकोड़ो में शीतला देवी मंदिर की मासिक रखरखाव	0.20
प्रशिक्षण	ग्राम कच्चे के छात्रों के लिए ई संस्कार कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र पर व्यय	4.1
वृक्षारोपण	खान के आसपास के गांवों में बागवानी एवं वृक्षारोपण के रखरखाव पर व्यय	18.06
पेयजल	प्याउ हंट में लगे हुए जनशक्ति और पानी टैंकर का वेतन	0.39
पेयजल	गर्मियों के दौरान खान के आसपास के गांवों में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए पानी टैंकरों पर व्यय	3.96
शिक्षा	कच्चे और परेकोड़ो ग्राम पंचायत के स्कूलों में नियुक्त शिक्षकों का वेतन	2.24
मासिक रखरखाव	आसपास के गांवों में धूल दमन के लिए सड़कों पर पानी के छिड़काव	1.05
	05 नगरक्षमता सिटेक्स टैंक परेकोड़ो और सीम चौक के लिए जारी किए	0.25
रखरखाव	रखरखाव साल्हे से कच्चे रोड़ पारित	3.00
विकास कार्य	माईस क्षेत्र में ढांचागत विकास पर व्यय	4.03
	दफईयापारा एवं परेकोड़ो में तालाब की सफाई	0.35
	शिक्षक दिवस की पूर्व संध्या पर शिक्षकों को सम्मानित करने के कार्यक्रम आयोजित	0.47
	मिडिल स्कूल कच्चे के स्काउट और गाइड के छात्रों के लिए समान विवरण	0.45
	ग्राम कच्चे और खान के आसपास के ग्रामों में सामुदायिक विकास को बढ़ावा देना	2.38
	<b>कुल</b>	<b>65.04</b>

## परिशिष्ट "सोलह"

[ परिवर्तित अतारंकित प्रश्न संख्या 8 (क्र. 77) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी ]

जिला बलरामपुर, तहसील रामानुजगंज, ग्राम रेवतीपुर में खनिज ग्रेफाइट उत्खनन माईनिंग लीज(खनिपट्टा) हेतु लंबित/प्राप्त आवेदन, पत्रों एवं उन पर की कार्यवाही की जानकारी

क्र.	आवेदक का नाम	आवेदन दिनांक	आवेदित रकबा	आवेदन पत्रों पर की गई कार्रवाई की जानकारी
1	2	3	4	5
1.	मेसर्स नकोड़ा मिनरल प्रा0लि0, दुर्ग	18.09.1992	19.477	पूर्ववर्ती मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग के पत्र दिनांक 25.4.1995 द्वारा खनिपट्टा स्वीकृत किया गया, जिसे छत्तीसगढ़ शासन, खनिज साधन विभाग के पत्र दिनांक 12.2.2003 द्वारा मेसर्स सुखदेव प्रसाद गोयनका के पक्ष में हस्तांतरण किया गया। जिसे विभागीय पत्र दिनांक 12.8.2009 द्वारा लैप्स किया गया।
2.	मेसर्स जिन्दत्त मिनरल्स प्रा0लि0, दुर्ग	18.09.1992	12.198	पूर्ववर्ती मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग के पत्र दिनांक 08.11.1995 द्वारा खनिपट्टा स्वीकृत किया गया, जिसे छत्तीसगढ़ शासन, खनिज साधन विभाग के पत्र दिनांक 12.2.2003 द्वारा मेसर्स एस0अनकुन मिनरल्स के पक्ष में हस्तांतरण किया गया। जिसे विभागीय पत्र दिनांक 06.07.2009 द्वारा लैप्स किया गया।
3	आशीष गुप्ता, सदर रोड अम्बिकापुर	06.03.2010	19.477 हेक्टर	आवेदन पत्र खनिज रियायत नियम, 1960 के नियम-60 के तहत समय पूर्व(प्री-मैच्योर) आवेदन की श्रेणी में आने के कारण स्वीकृति योग्य नहीं है। प्रकरण निराकरण की कार्यवाही हेतु प्रक्रियाधीन है।
4	जिल मेटेलिक्स प्रा0लि0 महाराणा प्रताप चौक बिलासपुर	10.11.2010	23.30 हेक्टर	संबंधित वनमण्डलाधिकारी एवं तहसीलदार का जांच प्रतिवेदन अपेक्षित है। प्रकरण वांछित जांच प्रतिवेदन प्राप्त किए जाने की कार्यवाही हेतु लंबित है।
5	जिल मेटेलिक्स प्रा0लि0 महाराणा प्रताप चौक बिलासपुर	10.11.2010	26.09 हेक्टर	आवेदक द्वारा आवेदित क्षेत्र का अभिप्रेमाणित पूर्वक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है। खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा-5(2) एवं खनिज रियायत नियम, 1960 के नियम-22(4) के प्रावधान अनुसार मायनिंग प्लान तैयार करने हेतु पूर्वक्षण डाटा उपलब्ध न होने से खनिपट्टा स्वीकृत किया जाना विधि संगत नहीं है। प्रकरण निराकरण की कार्यवाही हेतु प्रक्रियाधीन है।
6	जिल मेटेलिक्स प्रा0लि0 महाराणा प्रताप चौक बिलासपुर	04.10.2011	48.31 हेक्टर	संबंधित वनमण्डलाधिकारी एवं तहसीलदार का जांच प्रतिवेदन अपेक्षित है। प्रकरण वांछित जांच प्रतिवेदन प्राप्त किए जाने की कार्यवाही हेतु लंबित है।

क्र.	आवेदक का नाम	आवेदन दिनांक	आवेदित रकबा	आवेदन पत्रों पर की गई कार्रवाई की जानकारी
1	2	3	4	5
7	आशीष गुप्ता, सदर रोड अम्बिकापुर	04.10.2011	17.93 हेक्टर	आवेदक द्वारा आवेदित क्षेत्र का अभिप्रमाणित पूर्वक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है। खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा-5(2) एवं खनिज रियायत नियम, 1960 के नियम-22(4) के प्रावधान अनुसार मायनिंग प्लान तैयार करने हेतु पूर्वक्षण डाटा उपलब्ध न होने से खनिजपट्टा स्वीकृत किया जाना विधि संगत नहीं है। प्रकरण निराकरण की कार्यवाही हेतु प्रक्रियाधीन है।
8	गुरप्रीत सिंह बाबरा, रिंग रोड अम्बिकापुर	04.03.2012	12.105 हेक्टर	संबंधित वनमण्डलाधिकारी एवं तहसीलदार का जांच प्रतिवेदन अपेक्षित है। प्रकरण वांछित जांच प्रतिवेदन प्राप्त किए जाने की कार्यवाही हेतु लंबित है।

## परिशिष्ट "सत्रह"

[ परिवर्तित अतारंकित प्रश्न संख्या 11 (क्र. 103) के भाग (क) से (घ) की जानकारी ]

विधान सभा क्षेत्र अहिवाग में वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 में शिवनाथ नदी में संचालित रेत खदानों की जानकारी

क्र.	खदान का नाम	खरारा नंबर	रकबा (एकड़ में)	पर्यावरण सम्मति अनुसार वार्षिक उत्खनन हेतु निर्धारित मात्रा (घन मीटर में)	पंवायतों को ज.मा रायल्टी (रुपये में)
1	2	3	4	5	6
<b>वर्ष 2012-13</b>					
1	ननकट्टी	01	5.00	आवश्यक नहीं	603240 /-
2	खवेलीडीह	01	2.00		11840 /-
3	चिखली	01	4.85		10040 /-
4	समोदा	01	9.00		302000 /-
5	डोंडरी	387	5.00		236420 /-
6	भेड़सर	574	9.00		20200 /-
7	सिरसा खुर्द	847	9.85		20200 /-
8	पथरिया	1795	8.50		141820 /-
9	परसदा	01	4.90		86120 /-
10	सहगांव	181	2.91		200000 /-
11	मेडेसरा	103	1.75		221240 /-
12	डांडेसरा	350	9.00		52860 /-
<b>वर्ष 2013-14 (01.04.2013 से 04.08.2013 तक)</b>					
1	ननकट्टी	01	5.00	आवश्यक नहीं	416000 /-
2	समोदा	01	9.00		12000 /-
3	भेड़सर	574	9.00		24000 /-
4	परसदा	01	4.90		36000 /-
5	सहगांव	181	2.91		108000 /-
6	मेडेसरा	103	1.75		228000 /-
<b>वर्ष 2013-14 (05.08.2013 से 31.03.2014 तक)</b>					
1.	मेडेसरा	103	1.75 हेक्टर	6000	119960 /-
2.	डांडेसरा	350	3.66 हेक्टर	73000	198560 /-
3	ननकट्टी	672	18.700 हेक्टर	100000	975400 /-

## परिशिष्ट "अट्ठारह"

[ परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 12 (क्र. 117) के भाग (क), (ख) एवं (ग) की जानकारी ]

## धरमजयगढ़ तथा रायगढ़ वनमंडल में वर्ष 2013 से 22-11-2014 तक रोपित पौधों की स्थलवार एवं प्रजातिवार जानकारी तथा रोपित एवं मृत पौधों की जानकारी

क्र.	वर्ष	वनमंडल का नाम	रोपण क्षेत्र का नाम	रोपण पौधों का संख्या	रोपण की प्रजाति	जीवित पौधे	मृत पौधे	पौधे का मृत होने का कारण
01	02	03	04	05	06	07	08	09
	2013	रायगढ़	826 पी	50000	सागौन	99%	1%	दीमक प्रकोप
			1137 पी	20000	बांस	90%	10%	जंगली सुअर, खरगोश एवं दीमक का प्रकोप
			1160 पी	12000	बांस	80%	20%	
			1161 पी	12000	बांस	90%	10%	
			997 पी	25000	साल व अन्य	100%	0%	
			744 पी	25000	साल व अन्य	99%	1%	दीमक प्रकोप
			813	6000	बांस	75%	25%	दीमक प्रकोप एवं सुअर द्वारा
			कुकरीपोली, 162 राजस्व	11000	शिशू, करंज, अर्जुन व अन्य	80%	20%	जंगली सुअर, खरगोश एवं दीमक का प्रकोप
			बरमौना 57/1, 2 राजस्व	11000	शिशू, करंज, अर्जुन व अन्य	85%	15%	
			नंदगांव 603, 662/1, 696 राजस्व	11000	शिशू, करंज, अर्जुन व अन्य	90%	10%	
			846 आर.एफ. पार्ट-1	10000	बांस	85%	15%	दीमक प्रकोप एवं सुअर द्वारा
			846 आर.ए.ए. पार्ट-2	10000	बांस	80%	14%	दीमक प्रकोप एवं सुअर द्वारा
			बसनाझर 1-93 आर. पार्ट-1	10000	बांस	85%	15%	जंगली सुअर, खरगोश एवं दीमक का प्रकोप
			बसनाझर 1193 आर. पार्ट-2	10000	बांस	85%	15%	जंगली सुअर, खरगोश एवं दीमक का प्रकोप
			1090 पी सारगढ़	12000	बांस	95%	5%	दीमक से मृत
			पतराणाली 1278 पी	12000	बांस	86%	14%	दीमक एवं अन्य कीट लगने से
			चिमटापानी 1345 नारंगी	12000	बांस	85%	15%	

क्र.	वर्ष	वनमण्डल का नाम	रोपण क्षेत्र का नाम	रोपण पौधों का संख्या	रोपण की प्रजाति	जीवित पौधे	मृत पौधे	पौधे का मृत होने का कारण
01	02	03	04	05	06	07	08	09
	2013	धरमजयगढ़	क्वार्टरपतरा	21892	सागौन, बांस, आबला, खन्हार, अन्य मिश्रित	92%	8%	दीमक एवं प्राकृतिक प्रकोप
			डाहीडाड	77000	सागौन, बांस, आबला, खन्हार, अन्य मिश्रित	91%	9%	
			शाहीगढ़	27500	सागौन, बांस, आबला	90%	10%	प्राकृतिक प्रकोप
			जुनवानी	55000	सागौन, आबला, करंज, अन्य	95.6	5%	टाण्ड मारिस के बगह से वृक्षारोपण क्षेत्र में सूखपन रहा
			तेन्दुमुडी	55000	सागौन, बांस, ईमली, अ.बला, खन्हार, नीलगिरी, अन्य मिश्रित	93%	7%	प्राकृतिक प्रकोप एवं हाथी प्रभावित क्षेत्र होने के कारण
			पुसव्दा	55000	सागौन, बांस, ईमली, आबला, खन्हार, नीलगिरी, अन्य मिश्रित	91%	9%	
			बरतापाली	20000	आबला, अन्य	91%	9%	दीमक एवं प्राकृतिक प्रकोप
			आमापाली	20000	आबला, अन्य	91%	9%	दीमक एवं प्राकृतिक प्रकोप
			बीजापतरा	16500	बाजा	100%	0%	दीमक एवं प्राकृतिक प्रकोप
			पुरुगा	27225	बाजा	91%	9%	प्राकृतिक प्रकोप
			दुगापुर	22000	सागौन, बांस, खन्हार, नीलगिरी, अर्जुन, शियु, करंज, जामुन, मिश्रित	91%	9%	दीमक एवं प्राकृतिक प्रकोप
			बोकरामुडा	33000	सागौन, बांस, खन्हार, नीलगिरी, अर्जुन, नीम, आबला, आम, ईमली, करंज, जामुन, मिश्रित	91%	9%	प्राकृतिक प्रकोप एवं हाथी प्रभावित क्षेत्र होने के कारण
			छातासरई	12500	बांस	87%	13%	प्राकृतिक प्रकोप

योग :-

701617

क्र.	वर्ष	वनमण्डल का नाम	रोपण क्षेत्र का नाम	रोपण पौधों का संख्या	रोपण की प्रजाति	जीवित पौधे	मृत पौधे	पौधे का मृत होने का कारण
01	02	03	01	03		07	08	
..	2014	रायगढ़	870 / 1 ना. खोलभदरा (ब) केवाली, बरगढ़	4000	खट्टार, शिशु	98%	2%	रीमक का प्रकोप
			870 / 1 ना. खोलभदरा (द) केवाली, बरगढ़	6000	सागौन, बांस, खट्टार, शिशु	93%	2%	रीमक का प्रकोप
			ना. प्राणडैरा केवाली	20000	सागौन, बांस	98%	2%	रीमक का प्रकोप
			322 ना. चीताखोल(पूर्व) केवाली, बरगढ़	4000	सागौन	99%	1%	रीमक का प्रकोप
			1104 ना. चीताखोल(पश्चिम) केवाली, बरगढ़	4000	सागौन	99%	1%	रीमक का प्रकोप
			545 ना. दलदलीपतारा केवाली, बरगढ़	10000	सागौन	98%	2%	रीमक का प्रकोप
			344 / 2 ना. करमपाठ(अ) काफरमार, जोबी	23568	सागौन, बांस, अर्जुन व अन्य	95%	1%	रीमक का प्रकोप
			512 / 1 ना. करमपाठ(ब) काफरमार, जोबी	16168	सागौन, अर्जुन व अन्य	98%	2%	रीमक का प्रकोप
			700 / 1 ना. चीताकठरा काफरमार, जोबी	5200	सागौन	98%	2%	रीमक का प्रकोप
			40 ना. डैराडीह छोटपण्डरमुड़ा, जोबी	16000	सागौन	98%	2%	रीमक का प्रकोप

क्र.	वर्ष	दनमण्डल का नाम	रोपण क्षेत्र का नाम	रोपण पौधों का संख्या	रोपण की प्रजाति	जीवित पौधे	मृत पौधे	पौधे का मृत होने का कारण
01	02	03	04	05	06	07	08	09
	2014	रायगढ़	173 / 1 ना कोराकान, छोटेपणसुड़ा, जोकी	4000	सागौन	99%	1%	दीमक का प्रकोप
			744 पी पाता	25000	साल	100%	0%	दीमक प्रकोप
			1003 तिलगाडहर	34627	सागौन, बांस, नीलगिरी व अन्य	96%	4%	दीमक प्रकोप
			1026 ना. कोसमखार	24000	सागौन, आवला व अन्य	100%	0%	
			724 पी. शलवाही डोंगरी	18428	सागौन	99%	1%	दीमक प्रकोप
			856 पी. डागडाही	561	सागौन	100%	0%	
			805 टपरगा	9469	सागौन	99%	1%	दीमक प्रकोप
			1226 आ. कोसमखार	11278	सागौन, बांस	95%	5%	दीमक एवं अन्य काट लगने से
			1224 पी. नावागढ़	5460	सागौन, बांस	96%	4%	
			1351 पी. रनमुड़ा	8814	सागौन, बांस	97%	3%	
			1350 ना. रनमुड़ा	9530	सागौन, बांस	98%	2%	
			1334 ना. घरघोड़ी (पोरड़ी)	4651	सागौन, बांस	97%	3%	
			1330 ना. घरघोड़ी (डोरमदरा ब)	2028	सागौन, बांस	98%	2%	
			1331 ना. घरघोड़ी (डोरमदरा स)	2168	सागौन, बांस	96%	4%	
			1333 ना. घरघोड़ी (डोरमदरा इ)	1673	सागौन, बांस	97%	3%	
			1338 ना. घरघोड़ी (पाहर)	7267	सागौन, बांस	96%	4%	
			1335 ना. घरघोड़ी (डोंगरी अ)	11884	सागौन, बांस	99%	1%	
			1336 ना. घरघोड़ी (डोंगरी ब)	3919	सागौन, बांस	95%	5%	
2014		रायगढ़	1055 पी. देवगाव डोंगरी	33106	आवला, अर्जुन, शिशू, करज व अन्य	97%	3%	दीमक से मृत

क्र.	वर्ष	वनमण्डल का नाम	रोपण क्षेत्र का नाम	रोपण पौधों का संख्या	रोपण की प्रजाति	जीवित पौधे	मृत पौधे	पौधे का मृत होने का कारण
01	02	03	04	05	06	37	08	09
			1657 पी सोडिका	26608	आवला, अर्जुन, करज व अन्य	97%	3%	दीमक से मृत
			1065 पी. दपका	21978	आवला, अर्जुन, शिशू, करज व अन्य	97%	3%	दीमक से मृत
			1069 पी. देवलास	19137	आवला, अर्जुन, शिशू, करज व अन्य	97%	3%	दीमक से मृत
			792 पी. एफ. जाजगीर	10000	आंवला; व अन्य	99%	1%	दीमक प्रकोप
			832 आ. एफ. जमडंबरी	10000	आवला व अन्य	98%	2%	दीमक प्रकोप
			844 पी. एफ. झिगोल	20000	बांस	96%	4%	दीमक प्रकोप एवं सुअर द्वारा
			854 पी. एफ. डागडाही	20000	बांस	98%	2%	दीमक प्रकोप
			नवाडीह 1201 आर. एफ.	10000	खम्हार, शिशू	96%	4%	दीमक एवं अन्य कीट लगने से
			डागडाही 859 एवं 860 ओ. ए.	27500	सागौन	95%	5%	दीमक प्रकोप
			1185 पी.	16500	खम्हार, अर्जुन, शिशू व अन्य	98%	2%	दीमक प्रकोप
			1138 पी	16500	बांस, खम्हार, शिशू, करज, अन्य	98%	2%	दीमक प्रकोप
			241/01क देहजरी	11000	अर्जुन, शिशू, करज, जामून व अन्य	98%	2%	दीमक प्रकोप
			1127 पी. एफ.	2000	सागौन	98%	2%	दीमक प्रकोप
2014		रायगढ़	नवाडीह 1201 आर. एफ.	2000	खम्हार, शिशू	95%	5%	दीमक एवं अन्य कीट लगने से
			राई 1317 आर. एफ.	2000	खम्हार, शिशू	95%	5%	दीमक एवं अन्य कीट लगने से
			डागडाही 800 ओ. ए.	11000	सागौन	98%	2%	दीमक प्रकोप

क्र.	वर्ष	वनमण्डल का नाम	रोपण क्षेत्र का नाम	रोपण पौधों का संख्या	रोपण की प्रजाति	जीवित पौधे	मृत पौधे	पौधे का मृत होने का कारण
01	02	03	04	05	96	07	08	09
			डागडाही 741 पी	11000	सागौन	98%	2%	दीमक प्रकोप
			ढोलनारा 741 पी	5500	सागौन	98%	2%	दीमक प्रकोप
			23/1 एवं 75/1 राजस्व	11000	खम्हार, अर्जुन, शिशू, करज व अन्य	98%	2%	दीमक प्रकोप
			कुरू 75/1	11000	खम्हार, अर्जुन, शिशू, करज व अन्य	98%	2%	दीमक प्रकोप
			कुरू ओ.ए. 23/1 एवं 75/1	11000	खम्हार, अर्जुन, शिशू, करज व अन्य	98%	2%	दीमक प्रकोप
			1032 भडिसार	10000	सागौन	97%	3%	दीमक से मृत
			1083 नहरखोल	7000	सागौन	97%	3%	दीमक से मृत
			1087 गराबधा	7000	सागौन	96%	4%	दीमक से मृत
			1066 मारोदरहा	30800	आंवला, अर्जुन, शिशू, करज व अन्य	96%	4%	दीमक से मृत
			क.क्र. 1317 आर.ए.क.	20000	बांस	95%	5%	दीमक एवं अन्य कीट लगने से
			क.क्र. 1300, 1310 आर.ए.क.	40600	बांस	96%	4%	दीमक एवं अन्य कीट लगने से
2014		धरमजयगढ़	पाकरगांव	55000	सागौन, आंवला, अर्जुन, करज, अन्य	90%	10%	प्राकृतिक प्रकोप
			कुड़ेकेला	27500	सागौन, आंवला, खम्हार, नीलगिरी, शिशू	90%	10%	प्राकृतिक प्रकोप एवं हाथी प्रभावित क्षेत्र होने
			भण्डीबहरी	62500	सागौन	98%	2%	प्राकृतिक प्रकोप
			हाटी उत्तर	55000	सागौन	98%	2%	प्राकृतिक प्रकोप
			शूमरमहुआ	106500	सागौन, आंवला, खम्हार, शिशू, करज,	95%	5%	प्राकृतिक प्रकोप एवं हाथी प्रभावित क्षेत्र होने
			कंधीरा	32000	आंवला, अर्जुन, अन्य मिश्रित	100%	0%	
			रैरुमा	22000	बांस	100%	0%	
2014		धरमजयगढ़	ससकोबा	16000	बांस	100%	0%	प्राकृतिक प्रकोप

क्र.	वर्ष	दनमण्डल का नाम	रोपण क्षेत्र का नाग	रोपण पौधों का संख्या	रोपण की प्रजाति	जीवित पौधे	मृत पौधे	पौधे का मृत होने का कारण
01	02	03	04	05	06	07	08	09
			बलपदा	10800	बांस	100%	0%	
			चीतामाड़ा	20000	बांस	100%	0%	प्राकृतिक प्रकोप
			खड़गाव	17600	बांस	97%	3%	
			देहरमाल	25000	सागीन	99%	1%	प्राकृति प्रकोप
			लोढान	25000	सागीन	99%	1%	प्राकृति प्रकोप
			नकटीमार	57500	सागीन	98%	2%	प्राकृति प्रकोप
			जोगड़ा उत्तर	55000	सागीन	97%	3%	प्राकृति प्रकोप
			हाटी दक्षिण	112500	सागीन	97%	3%	प्राकृति प्रकोप
			सांलगघारा	125000	सागीन	99%	1%	प्राकृति प्रकोप
			झूमरमनुआ	11060	सागीन, आवला, खम्हार, शिशु, करंज, अन्य मिश्रित	90%	10%	हाथी प्रभावित क्षेत्र होने के कारण
			लोहागड़ा	27500	सागीन, आवला, खम्हार, शिशु, करंज,	90%	10%	हाथी प्रभावित क्षेत्र होने के कारण
			गुजकट्टी	20000	बांस	91%	9%	प्राकृति प्रकोप
2014		धरमजयगढ़	तेजपुर	16000	बांस	100%	0%	खण्ड बाँस की वजह से दृक्षारोपण क्षेत्र में सूखापन रहा
			चिड़ोडीह	4000	बांस	99%	1%	
			उदुदा	44000	सागीन, काजू, महुआ	90%	10%	दोमक एवं प्राकृतिक प्रकोप
			तेन्दुमार	16500	सागीन, महुआ, बीजा, देहरा	89%	11%	दोमक एवं प्राकृतिक प्रकोप
			कोयलार	4000	सागीन, महुआ, बीजा, देहरा, आवला, बांस	90%	10%	दोमक एवं प्राकृतिक प्रकोप
			जुनवानी	11000	सागीन, अकसिया, नीलागिरी, करंज	99%	1%	खण्ड बाँस की वजह से दृक्षारोपण क्षेत्र में सूखापन रहा

क्र.	वर्ष	वनमण्डल का नाम	रोपण क्षेत्र का नाम	रोपण पौधों का संख्या	रोपण की प्रजाति	जीवित पौधे	मृत पौधे	पौधे का मृत होने का कारण
01	02	03	04	05	06	07	08	09
			धौरामाठा	11000	सागौन, अकेसिया, नीलगिरी, करंज	98%	2%	खण्ड बारिस की बजह से वृक्षारोपण क्षेत्र में सूखापन रहा
			चूल्हाखोल	11000	सागौन, अकेसिया, नीलगिरी, करंज, आंवला, बीजा	98%	2%	खण्ड बारिस की बजह से वृक्षारोपण क्षेत्र में सूखापन रहा
			कड़ना	11000	सागौन, अकेसिया, नीलगिरी, अमलतास	98%	2%	खण्ड बारिस की बजह से वृक्षारोपण क्षेत्र में सूखापन रहा
			जुनवानी	11000	सागौन, अकेसिया, नीलगिरी, करंज, आंवला, बीजा	98%	2%	खण्ड बारिस की बजह से वृक्षारोपण क्षेत्र में सूखापन रहा
			धौरामाठा	5500	सागौन, अकेसिया, करंज	98%	2%	खण्ड बारिस की बजह से वृक्षारोपण क्षेत्र में सूखापन रहा
			चूल्हाखोल	5500	सागौन, अकेसिया, करंज, नीलगिरी	97%	3%	खण्ड बारिस की बजह से वृक्षारोपण क्षेत्र में सूखापन रहा
			कड़ना	5500	सागौन, करंज	99%	1%	खण्ड बारिस की बजह से वृक्षारोपण क्षेत्र में सूखापन रहा
			योग :-	1756722				

## परिशिष्ट "उन्नीस"

[ परिवर्तित अतारंकित प्रश्न संख्या 21 (क्र. 222) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी ]

प्रपत्र "अ"

लोरमी विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत कैम्पा मद एवं मनरेगा मद में स्वीकृत कार्य एवं राशि की जानकारी

विधान सभा क्षेत्र का नाम	वनमण्डल का नाम	मद/रीष	वर्ष	स्वीकृत कार्य का नाम	रकम					
					भौतिक कार्य संख्या	स्वीकृत राशि (लाख रु. में)				
1	2	3 2200	4	5	6	7				
लोरमी	बिलासपुर	2200	2011-12	14 वनग्रामों में 6" बोर छनन कार्य	14	60.06				
	अचानकमार टायगर रिजर्व, बिलासपुर	कैम्पा मद	2012-13	निरक	1	14.85				
		2200	2013-14	परिक्षेत्र कार्यालय भवन वनरक्षक भवन	10	37.00				
<b>योग</b>					<b>25</b>	<b>111.91</b>				
लोरमी	बिलासपुर	मनरेगा	2011-12	वनमार्ग उन्चयन	32	320.00				
				मिश्रित पौधा तैयारी	3	25.80				
				सागौन पौधा तैयारी	2	17.20				
				मिश्रित पौधा तैयारी	15	149.85				
				आम वृक्षारोपण	3	10.49				
				तालाब गहरीकरण	11	68.42				
				तालाब निर्माण	1	14.00				
				आम रोपण	7	52.61				
				<b>योग</b>					<b>74</b>	<b>658.37</b>
				<b>कुल योग</b>					<b>99</b>	<b>770.28</b>

प्रपत्र "ब"

लोरमी विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत कैम्पा मद एवं मनरेगा मद में निर्माण कार्य की अद्यतन स्थिति

विधान सभा क्षेत्र का नाम	ब्लॉक का नाम	मदशीर्ष	वर्ष	स्वीकृत कार्य का नाम	लक्ष्य		उपलब्धि		कार्य की अद्यतन स्थिति				
					भौतिक कार्य संख्या	स्वीकृत राशि (लाख रु. में.)	भौतिक कार्य संख्या	व्यय राशि (लाख रु. में)	पूर्ण	प्रारंभ	अप्रारंभ		
लोरमी	विलासपुर	3	4	5	6	7	7	7					
					14	60.06	11	39.45	11	-	3		
		कैम्पा मद	2011-12	निरंक	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2012-13	परिक्षेत्र कार्यालय भवन	1	14.85	1	5.23	-	1	-	-	-
			2013-14	वर्षाक्षक भवन	10	37.00	10	31.39	-	10	-	-	
					25	111.91	22	76.07	11	11	3		
<b>योग</b>													
लोरमी	विलासपुर	मनरेगा	2011-12	वनमार्ग रन्वयन	32	320.00	15	80.00	-	15	17		
				तालाब सफाईकरण	11	68.42	11	34.21	-	11	-		
				तालाब निर्माण	1	14.00	1	3.50	-	1	-		
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			2012-13	-	-	-	-	-	-	-	-		
				2013-14	-	-	-	-	-	-	-		
<b>योग</b>					44	402.42	27	117.71	0	27	17		
<b>कुल योग</b>					69	514.33	49	193.78	11	38	20		

## परिशिष्ट "बीस"

[ परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 22 (क. 246) के भाग (क) की जानकारी ]

मुख्यमंत्री तीर्थयात्रा योजनान्तर्गत विकासखण्डवार यात्रा स्थल का विवरण

क्र.	वर्षा	विकासखण्ड	यात्रियों की संख्या	यात्रा स्थल
1	2	3	4	5
1	2011-12	निरंक	निरंक	निरंक
2	2012-13	1 जगदलपुर 2 बस्तर 3 बकावंड 4 लोहाण्डीगुडा 5 तोकापाल 6 बास्तानार 7 दरभा	100 104 64 85 30 11 49	1.पुरी भुवनेश्वर
		1 जगदलपुर 2 बस्तर 3 बकावंड 4 लोहाण्डीगुडा 5 तोकापाल 6 बास्तानार 7 दरभा	18 00 10 06 03 00 04	2.अमृतसर स्वर्णमंदिर
		1 जगदलपुर 2 बस्तर 3 बकावंड 4 लोहाण्डीगुडा 5 तोकापाल 6 बास्तानार 7 दरभा	20 05 04 07 00 01 00	3.अजमेर षरीफ
3	2013-14	1 जगदलपुर 2 बस्तर 3 बकावंड 4 लोहाण्डीगुडा 5 तोकापाल 6 बास्तानार 7 दरभा	94 130 39 25 44 00 27	1.षिरडी षनिसिंगनापुर त्रयम्बकेश्वर
		1 जगदलपुर 2 बस्तर 3 बकावंड 4 लोहाण्डीगुडा 5 तोकापाल 6 बास्तानार 7 दरभा	134 60 65 14 99 00 50	2.मथुरा, वृन्दावन

1	2	3	4	5
	2013-14	1 जगदलपुर 2 बस्तर 3 बकावंड 4 लोहाण्डीगुडा 5 तोकापाल 6 बास्तानार 7 दरभा	12 00 04 00 03 00 04	3.नागापट्टनम वेलागंणी चर्च
		1 जगदलपुर 2 बस्तर 3 बकावंड 4 लोहाण्डीगुडा 5 तोकापाल 6 बास्तानार 7 दरभा	12 00 00 00 05 00 05	4.सम्वेद षिखर
		1 जगदलपुर 2 बस्तर 3 बकावंड 4 लोहाण्डीगुडा 5 तोकापाल 6 बास्तानार 7 दरभा	234 00 42 00 30 0 33	5.प्रयाग काषी
		1 जगदलपुर 2 बस्तर 3 बकावंड 4 लोहाण्डीगुडा 5 तोकापाल 6 बास्तानार 7 दरभा	119 57 23 00 57 00 25	6.हरिद्वार-ऋषिकेष
		1 जगदलपुर 2 बस्तर 3 बकावंड 4 लोहाण्डीगुडा 5 तोकापाल 6 बास्तानार 7 दरभा	23 00 00 00 00 23 05	7.श्रवणबेल गोला
		1 जगदलपुर 2 बस्तर 3 बकावंड 4 लोहाण्डीगुडा 5 तोकापाल 6 बास्तानार 7 दरभा	30 00 00 00 00 00 05	8.अमृतसर स्वर्णमंदिर

1	2	3	4	5
	2013-14	1 जगदलपुर 2 बस्तर 3 बकावंड 4 लोहाण्डीगुडा 5 तोकापाल 6 बास्तानार 7 दरभा	179 90 85 00 39 59 09	9.द्वारिका, सोमनाथ
4	2014-15	1 जगदलपुर 2 बस्तर 3 बकावंड 4 लोहाण्डीगुडा 5 तोकापाल 6 बास्तानार 7 दरभा	126 63 35 37 30 00 16	1.बाबा बैजनाथधाम
		1 जगदलपुर 2 बस्तर 3 बकावंड 4 लोहाण्डीगुडा 5 तोकापाल 6 बास्तानार 7 दरभा	11 04 03 00 04 04 00	2.अमृतसर स्वर्णमंदिर
		1 जगदलपुर 2 बस्तर 3 बकावंड 4 लोहाण्डीगुडा 5 तोकापाल 6 बास्तानार 7 दरभा	22 05 02 00 00 00 00	3.अजमेर षरीफ
		1 जगदलपुर 2 बस्तर 3 बकावंड 4 लोहाण्डीगुडा 5 तोकापाल 6 बास्तानार 7 दरभा	00 00 00 00 00 00 00	4.सम्बेद षिखर
		1 जगदलपुर 2 बस्तर 3 बकावंड 4 लोहाण्डीगुडा 5 तोकापाल 6 बास्तानार 7 दरभा	14 03 04 00 11 00 04	5.षिरडी, षनि सिघनापुर त्रयम्बकेष्वर

1	2	3	4	5
	2014-15	1 जगदलपुर 2 बस्तर 3 बकावंड 4 लोहाण्डीगुडा 5 तोकापाल 6 बास्तानार 7 दरभा	214 00 79 20 22 00 25	6.उज्जैन ओकारेध्वर
		1 जगदलपुर 2 बस्तर 3 बकावंड 4 लोहाण्डीगुडा 5 तोकापाल 6 बास्तानार 7 दरभा	13 00 10 00 04 00 00	7.प्रयाग काषी
		1 जगदलपुर 2 बस्तर 3 बकावंड 4 लोहाण्डीगुडा 5 तोकापाल 6 बास्तानार 7 दरभा	13 04 07 00 03 00 04	8.श्रवणबेल गोला भटाराका मठ चंदरगिरी

## परिशिष्ट "इक्कीस"

[ परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 26 (क. 309) के भाग (क) एवं (ग) की जानकारी ]

## प्रपत्र "अ"

## प्रश्नांश 'क' कार्य एवं स्वीकृत राशि की जानकारी

स्वीकृत कार्य का नाम	स्वीकृत राशि (लाख में)
चैन लिंक फेसिंग कार्य	162.916
पर्यावरण प्रशिक्षण एवं चेतना जागरण केन्द्र का निर्माण	21.250
ट्यूबवेल खनन	3.560
सोलर सिस्टम	5.754
विद्युतीकरण	2.578
पंप हाउस निर्माण	1.250
प्रवेश द्वार निर्माण	5.200
घबुतरा पगोडा बोर्ड सोलर सिस्टम का सेड निर्माण एवं अन्य व्यय	1.658
वाद्य टावर निर्माण	7.000
ओपन ऐयर थियेटर निर्माण	6.000
नेचर ट्रेल का निर्माण	10.000
सोलर ऊर्जा स्ट्रीट लाईट	3.000
जल संरक्षण संरचना का निर्माण	7.000
ट्यूबवेल उत्खनन एवं पंप हाउस निर्माण पेय जल व्यवस्था	2.000
तालाब निर्माण कक्ष 548	7.787
भू-जल संरक्षण कार्य कक्ष 548, 549	4.480
बाल लद्या गनगट्टा	10.00
योग -	261.433

## प्रपत्र "ब"

## प्रश्नांश 'ग' सामग्री क्रय का फर्मवार विवरण

क्र.	स्वीकृत कार्य का नाम	क्रय की गई सामग्री का नाम	फर्म का नाम जिससे सामग्री क्रय की गई
1	2	3	5
1	पत्थर दिवाल निर्माण एवं फेंसिंग कार्य	रेत 6000 घ.मी.	साहू गिट्टी उद्योग, टेड़ेसरा
		सीमेंट 3795 बैग	दीपाली इंटरप्राइजेस, राजनांदगांव
		चैनलिक 28486 कि.ग्रा.	खाटू श्याम कृपा उद्योग, भनपुरी, रायपुर
		चैनलिक 22886 कि.ग्रा.	श्री साईराम इंटरप्राइजेस, रायपुर
		चैनलिक 7910 कि.ग्रा.	तनय इंटरप्राइजेस, बंजारी रोड, रायपुर
		चैनलिक 14165 कि.ग्रा.	श्री श्यामकृपा सिंग, बेमेतरा
		चैनलिक 6143 कि.ग्रा.	साहिल इंटरप्राइजेस, बालमिकी चं.क, बिलासपुर
		रेत 1156.80 घ.मी.	रंगनलाल जैन उद्योग, राजनांदगांव
		रेत 168 घ.मी.	दीपाली इंटरप्राइजेस, राजनांदगांव
		चैनलिक 6600 कि.ग्रा.	श्री साई उद्योग, रवेली दुर्ग
2	सी.एस.आर. भिलाई स्टील प्लांट	78.920 मे.टन एंगल आयरन	भिलाई स्टील प्लांट, भिलाई द्वारा सी.एस. आर. (CSR) मद के तहत निशुल्क प्रदाय की गई
3	पर्यावरण प्रशिक्षण एवं चेतना जागरण कार्यक्रम हेतु चेक लिंक फैंस, स्नैकप्रफ टैन्च प्लैट फार्म फार टेन्ट, स्टोर टैन्ट किचन, टायलेट वाटर, सफ्लाई, सेन्टरी, वर्क सोलर, विद्युतीकरण, गार्ड रूम आदि का निर्माण	सीमेंट 200 बैग	आदित्य इंटरप्राइजेस, राजनांदगांव
		साईज पत्थर 5000 नग	आदित्य इंटरप्राइजेस, राजनांदगांव
		कत्तल पत्थर 24 घ.मी.	आदित्य इंटरप्राइजेस, राजनांदगांव
		रेत 24 घ.मी.	आदित्य इंटरप्राइजेस, राजनांदगांव
4	ट्यूबवेल खनन सबमर्सिबल पंप केबल वायर अन्य सामग्री एवं फिटिंग सहित, सोलर सिस्टम, विद्युतीकरण, पंप हाउस निर्माण, प्रवेश द्वार निर्माण, चबुतरा पगोडा बोर्ड सीलर सिरटम का सेड निर्माण एवं अन्य व्यय	ट्यूबवेल खुदाई एवं सामग्री सहित	कार्यपालन यंत्री पी.एच.ई. राजनांदगांव
		ट्यूबवेल 3 एच.पी. का 1 नग	निदेशक क्रेडा विद्युत नियामक आयोग, रायपुर
		ट्यूबवेल 2 एच.पी. का 2 नग	
		विद्युत कनेक्शन हेतु अग्रिम राशि भुगतान	आर.ए.ओ.सी.एस.ई.डी.सी.एल., राजनांदगांव
		प्रवेश द्वार हेतु सामग्री क्रय	आदित्य इंटरप्राइजेस, राजनांदगांव
		सीमेंट 272 बैग	दीपाली इंटरप्राइजेस, राजनांदगांव
		ईट 6000 नग	चिंतामणी उद्योग, राजनांदगांव
		20 एम.एम. गिट्टी 1000 घ.फीट	चिंतामणी उद्योग, राजनांदगांव
		40 एम.एम. गिट्टी 500 घ.फीट	चिंतामणी उद्योग, राजनांदगांव
		16 एम.एम. छड़ 486 कि.ग्रा.	चिंतामणी उद्योग, राजनांदगांव
		8 एम.एम. छड़ 793 कि.ग्रा.	चिंतामणी उद्योग, राजनांदगांव
		रेत 1200 घ.फीट	चिंतामणी उद्योग, राजनांदगांव

क्र.	स्वीकृत कार्य का नाम	क्रय की गई सामग्री का नाम	फार्म का नाम जिससे सामग्री क्रय की गई
1	2	3	5
5	वाच टावर निर्माण	एंगल साईज 75X75X6 - 1005 कि.ग्रा. एंगल साईज 50x50x6 - 2080 कि.ग्रा. एंगल साईज 40X5 - 1763 कि.ग्रा. प्लेट 12एमएम, 3एमएम. - 806 कि.ग्रा. छड़ 12एमएम, 309 कि.ग्रा. बोल्ट 55.500 कि.ग्रा. कलर कोटेड शीट 6 नग वैल्विंग राड 8 नं. 4 पेटी	जय अम्बे ट्रेडर्स राजनांदगांव जय अम्बे ट्रेडर्स, राजनांदगांव जय अम्बे ट्रेडर्स, राजनांदगांव जय अम्बे ट्रेडर्स, राजनांदगांव जय अम्बे ट्रेडर्स, राजनांदगांव
6	ओपन ऐयर थियेटर निर्माण	पाईप 3X1/1.2 मात्रा 612 कि.ग्रा. सीमेंट 500 बैग क्रेशर गिट्टी 27 घ.मी. ईट 50000 नग वाइडिंग वायर 46.80 कि.ग्रा. गिट्टी 40 एम.एम. 13.500 घ.मी. रेत 40 घ.मी. रॉड 3300 कि.ग्रा. लोहा 1700 कि.ग्रा.	जय अम्बे ट्रेडर्स, राजनांदगांव आदित्य इंटरप्राइजेस, राजनांदगांव आदित्य इंटरप्राइजेस, राजनांदगांव आदित्य इंटरप्राइजेस, राजनांदगांव आदित्य इंटरप्राइजेस, राजनांदगांव आदित्य इंटरप्राइजेस, राजनांदगांव आदित्य इंटरप्राइजेस, राजनांदगांव आदित्य इंटरप्राइजेस, राजनांदगांव आदित्य इंटरप्राइजेस, राजनांदगांव आदित्य इंटरप्राइजेस, राजनांदगांव
7	सोलर ऊर्जा स्ट्रीट लाइट	सोलर ऊर्जा स्ट्रीट लाइट	क्रेडा, राजनांदगांव
8	जल संरक्षण संरचना का निर्माण	रेत 24 घ.मी. क्रेशर गिट्टी 54 घ.मी. एम.एस. रॉड 1200 कि.ग्रा.	सिन्हा कृषि फार्म एवं बिल्डिंग मटे.रेयल सप्लायर, ग्राम मंगचुवा सिन्हा कृषि फार्म एवं बिल्डिंग मटे.रेयल सप्लायर, ग्राम मंगचुवा सिन्हा कृषि फार्म एवं बिल्डिंग मटे.रेयल सप्लायर, ग्राम मंगचुवा
		सीमेंट 613 बैग रेत 20.80 घ.मी. क्रेशर गिट्टी 24.30 घ.मी.	दीपाली इंटरप्राइजेस, राजनांदगांव दीपाली इंटरप्राइजेस, राजनांदगांव दीपाली इंटरप्राइजेस, राजनांदगांव
		क्रेशर गिट्टी 40 एमएम. 10.800 घ.मी. एम.एस. रॉड 16एमएम. 24.74 कि.ग्रा. एम.एस. रॉड 10एमएम. 526 कि.ग्रा.	दीपाली इंटरप्राइजेस, राजनांदगांव दीपाली इंटरप्राइजेस, राजनांदगांव दीपाली इंटरप्राइजेस, राजनांदगांव
9	ट्यूब वेल उत्खनन एवं पंप हाउस निर्माण पेयजल व्यवस्था	सबमर्सीबल पम्प, पेट्रोल बोर्ड, केबल वायर आदि सर्विस वायर	शिव बोरवेल, राजनांदगांव शिव बोरवेल, राजनांदगांव

परिशिष्ट "बाईस"

[ परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 32 (क. 384) के भाग (ख) की जानकारी ]

महासमुन्द्र, जिले में कैम्पा योजना अंतर्गत वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 में स्वीकृत कार्य का विवरण

जिले का नाम	वनमंडल का नाम	परिक्षेत्र का नाम	वर्ष	स्वीकृत कार्य का नाम	लक्ष्य			उपलब्धि	
					भौतिक (हे० में)	आर्थिक (रु. लाख में)	भौतिक (हे० में)	आर्थिक (रु. लाख में)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>वर्ष 2012-13</b>									
महासमुन्द्र	महासमुन्द्र	महासमुन्द्र	2012-13	सिंचित खन्हार रोपण कक्ष क्रमांक 69	10.00	20.37	10.00	22.81	
		महासमुन्द्र		सिंचित विशिष्ट प्रजाति रोपण कक्ष क्रमांक 22	25.00	30.33	25.00	33.53	
		महासमुन्द्र		सिंचित विशिष्ट प्रजाति रोपण कक्ष क्रमांक 59	20.00	15.93	20.00	17.67	
		महासमुन्द्र		नदी तट वृक्षारोपण मुडेना	11.00	10.46	11.00	9.58	
		महासमुन्द्र		आंवला औषधी रोपण कक्ष क्रमांक 69	30.00	17.00	30.00	10.88	
		महासमुन्द्र		असिंचित कुल्लू प्रजाति रोपण कक्ष क्रमांक 25	15.00	12.68	15.00	11.16	
		महासमुन्द्र		गाड़ाघाट केन्द्रीय रोपणी	1	10.00	1	7.76	
		महासमुन्द्र		नदी तट रोपण नांदगाव - 1	2.600	2.47	2.600	2.18	
		महासमुन्द्र		नदी तट रोपण नांदगाव - 2	2.50	2.14	2.50	1.84	
		महासमुन्द्र		नदी तट रोपण कांपा (सुमगांव)	3.500	3.33	3.500	2.41	
		महासमुन्द्र		वनसिवनी (कोडार नदी तट)	5.500	5.23	5.500	2.67	
		महासमुन्द्र		भवन निर्माण (वन परिक्षेत्र कार्यालय महासमुन्द्र - 1 नग)	1	11.12	1	11.12	
		महासमुन्द्र		वनरक्षक भवन (रायचुम - 1 नग)	1	3.70	1	3.25	
		महासमुन्द्र		वनरक्षक भवन (सोरिद - 1 नग)	1	3.70	1	3.14	
महासमुन्द्र	पानी टकी निर्माण वनमंडल परिसर - 1 नग	1	4.57	1	4.52				
महासमुन्द्र	सिंचित विशिष्ट प्रजाति (15 हे०)	15.00	21.83	15.00	19.82				
महासमुन्द्र	सिंचित सागौन रोपण कक्ष क्रमांक 190 (721)	10.00	19.81	10.00	24.85				
महासमुन्द्र	नदी तट वृक्षारोपण बगनई नाला	10.00	9.51	10.00	6.51				
महासमुन्द्र	असिंचित विशिष्ट प्रजाति रोपण कक्ष क्रमांक 191	50.00	20.55	50.00	18.19				
महासमुन्द्र	वनरक्षक भवन (कार्यालय परिसर - 1 नग)	1	3.70	1	3.70				
महासमुन्द्र	वनरक्षक भवन (कार्यालय परिसर - 1 नग)	1	3.70	1	3.70				

जिले का नाम	वनमंडल का नाम	परिक्षेत्र का नाम	वर्ष	स्वीकृत कार्य का नाम	लक्ष्य		उपलब्धि	
					भौतिक (हे० में)	आर्थिक (रु. लाख में)	भौतिक (हे० में)	आर्थिक (रु. लाख में)
महासमुन्द		बागबाहरा	2012-13	असिंचित विशिष्ट प्रजाति रोपण कक्ष क्रमांक 202	15.00	5.87	15.00	5.22
				असिंचित विशिष्ट प्रजाति रोपण कक्ष क्रमांक 186	50.00	19.55	50.00	18.33
				असिंचित विशिष्ट प्रजाति रोपण कक्ष क्रमांक 462	40.00	15.64	40.00	11.42
				सिंचित बीजा रोपण (5 हे०) कक्ष क्रमांक 190	5.00	7.28	5.00	9.46
				नदी तट वृक्षारोपण जोंक नदी	10.00	9.51	10.00	7.90
				ग्राम वन वृक्षारोपण कसहीबाहरा	19.00	19.74	19.00	12.82
				वनपाल भवन कार्यालय परिसर - 1 नग	1	5.00	1	5.48
				वनरक्षक भवन (राजाडेरा - 1 नग)	1	3.70	1	3.80
				वनरक्षक भवन (बम्हनी - 1 नग)	1	3.70	1	3.72
				वन परिक्षेत्र कार्यालय - 1 नग	1	14.85	1	0.00
				नदी तट वृक्षारोपण पुरगीनाला	20.00	38.94	20.00	22.23
				असिंचित विशिष्ट प्रजाति रोपण कक्ष क्रमांक 433	50.00	23.30	50.00	17.08
				असिंचित विशिष्ट प्रजाति रोपण कक्ष क्रमांक 397	50.00	23.30	50.00	11.48
				वनरक्षक भवन (सिंघोड़ा - 1 नग)	1	3.70	1	2.11
				वनरक्षक भवन (सरायपाली - 1 नग)	1	3.70	1	4.14
				ग्राम वन वृक्षारोपण छिरलेवा	25.00	25.98	25.00	20.55
				वनरक्षक भवन बसना/भवरपूर	2	7.40	2	7.43
वनरक्षक भवन (कार्यालय परिसर - 4 नग)	1	14.80	1	14.79				
बलौदाबाजार		कोठारी		रामपुर वनग्राम में विस्थापन कार्य	135+1=	70.67	135+1=	70.67
				लाटादावर वनग्राम में विस्थापन कार्य	136 परिवार	182.47	136 परिवार	182.47
				नवापारा वनग्राम में विस्थापन कार्य	98 परिवार	732.25	98 परिवार	732.25
				योग 2012-13		1463.45		1384.65

जिले का नाम	वनमंडल का नाम	परिक्षेत्र का नाम	वर्ष	स्वीकृत कार्य का नाम	लक्ष्य		उपलब्धि	
					भौतिक (है० में)	आर्थिक (रु. लाख में)	भौतिक (है० में)	आर्थिक (रु. लाख में)
				<b>वर्ष 2013-14</b>				
				सिंचित बास /नीलगिरी रोपण कक्ष क्रमांक 69	15.00	21.83	15.00	9.48
				ग्राम वन वृक्षारोपण कोसंरंगी	10.00	9.76	10.00	7.25
				विशिष्ट प्रजाति असिंचित रोपण कक्ष क्रमांक 73	22.00	14.30	22.00	12.00
				विशिष्ट प्रजाति असिंचित रोपण कक्ष क्रमांक 445	26.00	16.90	26.00	13.68
				विशिष्ट प्रजाति असिंचित रोपण कक्ष क्रमांक - 06	18.00	11.70	18.00	9.16
				असिंचित विशिष्ट प्रजाति कक्ष क्रमांक 186 (पाली)	20.00	9.20	20.00	1.33
			2013-14	ग्राम वन वृक्षारोपण धनोरा	10.00	9.76	10.00	5.34
				ग्राम वन वृक्षारोपण बलौदा	10.00	9.76	10.00	6.34
				विशिष्ट प्रजाति असिंचित रोपण कक्ष क्रमांक - 500	20.00	13.00	20.00	10.94
				विशिष्ट प्रजाति असिंचित रोपण वृक्ष क्रमांक - 406	20.00	13.00	20.00	8.05
				लाटादादर वनग्राम में विस्थापन कार्य	१४ परिवार	129.02	98 परिवार	127.06
				नवापारा वनग्राम में विस्थापन कार्य	168 परिवार	392.83	168 परिवार	4.41
				<b>योग 2013-14</b>		<b>651.05</b>		<b>215.04</b>
				<b>कुल योग 2012-13 एवं 2013-14</b>		<b>2114.50</b>		<b>1599.69</b>

## परिशिष्ट "तेईस"

[ परिवर्तित अतारणित प्रश्न संख्या 34 (क. 426) के भाग (क) की जानकारी ]

## बसना विधान सभा क्षेत्र में दिसम्बर 2011 से 2014 तक स्वीकृत कार्य का विवरण

विधान सभा क्षेत्र का नाम	वनमंडल का नाम	परिक्षेत्र का नाम	वर्ष	स्वीकृत कार्य का नाम	लक्ष्य		उपलब्धि		कार्य की अद्यतन स्थिति
					भौतिक	आर्थिक (रु. लाख में)	भौतिक	आर्थिक (रु. लाख में)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		बसना	2010-11	बसना से जगदीशपुर रोड किनारे वृक्षारोपण	2 K.m	12.97	2 K.m	8.58	कार्य पूर्ण एवं रख रखाव कार्य प्रगति पर
		पिथौरा	2010-11	जगदीशपुर से बम्हनी रोड किनारे वृक्षारोपण	5 K.m	32.42	5 K.m	9.89	कार्य पूर्ण एवं रख रखाव कार्य प्रगति पर
	महासमुन्द	पिथौरा	2010-11	सांकरा से झगरेनडीह रोड किनारे वृक्षारोपण	5 K.m	32.42	5 K.m	24.25	कार्य पूर्ण एवं रख रखाव कार्य प्रगति पर
		बसना	2011-12	ग्राम बन छिरलेवा वृक्षारोपण	25 Hac.	25.98	25 Hac.	20.55	कार्य पूर्ण एवं रख रखाव कार्य प्रगति पर
		पिथौरा	2011-12	वनरक्षक आवास भवन कटंगतराई	1 नग	3.70	1 नग	3.70	कार्य पूर्ण
	बलौदाबाजार	कोठारी	2011-12	रामपुर वनग्राम में विस्थापन कार्य	135 परिवार	1154.57	135 परिवार	1154.57	कार्य पूर्ण
		बसना	2012-13	लाटादादर वनग्राम में विस्थापन कार्य	98 परिवार	545.70	98 परिवार	545.70	कार्य पूर्ण
		पिथौरा	2012-13	वनरक्षक आवास भवन बसना/भदरपुर	2 नग	7.40	2 नग	7.43	कार्य पूर्ण
	महासमुन्द	पिथौरा	2012-13	वनरक्षक आवास भवन बम्हनी	1 नग	3.70	1 नग	3.72	कार्य पूर्ण
		पिथौरा	2012-13	वनरक्षक आवास भवन पिथौरा	1 नग	5.00	1 नग	5.48	कार्य पूर्ण
		काष्ठागार	2012-13	वनरक्षक आवास भवन पिथौरा	4 नग	14.80	4 नग	14.79	कार्य पूर्ण
	नौदाबाजार	कोठारी	2012-13	रामपुर वनग्राम में विस्थापन कार्य	135+1=	70.67	135+1=	70.67	कार्य पूर्ण
				लाटादादर वनग्राम में विस्थापन कार्य	136 परिवार		136 परिवार		
			2013-14	लाटादादर वनग्राम में विस्थापन कार्य	98 परिवार	182.47	98 परिवार	182.47	कार्य पूर्ण
				लाटादादर वनग्राम में विस्थापन कार्य	98 परिवार	129.02	98 परिवार	127.06	कार्य पूर्ण
				योग		2220.81		2178.85	

## परिशिष्ट "चौबीस"

[ अतारांकित प्रश्न संख्या 03 (क. 51) के भाग (क) की जानकारी ]

## बलौदाबाजार विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत संचालित आंगनवाड़ी केन्द्रों एवं भवन विहीन की विकासखण्डवार जानकारी

क्र.	विधानसभा क्षेत्र का नाम	विकासखण्ड का नाम	परियोजना का नाम	सरल क्रमांक	कुल स्वीकृत आं.बा. केन्द्र	संचालित आ.बा. केन्द्र	सरल क्रमांक	संचालित आं.बा. केन्द्रों में कितने भवन विहीन है
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	बलौदाबाजार	बलौदाबाजार	बलौदाबाजार	1	वार्ड क्र. 01	वार्ड क्र. 01	1	वार्ड क्र. 01
				2	वार्ड क्र. 01ब	वार्ड क्र. 01ब	2	वार्ड क्र. 01ब
				3	वार्ड क्र. 02	वार्ड क्र. 02	3	वार्ड क्र. 02
				4	वार्ड क्र. 03	वार्ड क्र. 03	4	वार्ड क्र. 03
				5	वार्ड क्र. 04	वार्ड क्र. 04	5	वार्ड क्र. 04
				6	वार्ड क्र. 05	वार्ड क्र. 05	6	वार्ड क्र. 05
				7	वार्ड क्र. 06 अ	वार्ड क्र. 06 अ	7	वार्ड क्र. 06 अ
				8	वार्ड क्र. 06 ब	वार्ड क्र. 06 ब	8	वार्ड क्र. 06 ब
				9	वार्ड क्र. 07	वार्ड क्र. 07	9	वार्ड क्र. 07
				10	वार्ड क्र. 08	वार्ड क्र. 08	10	वार्ड क्र. 08
				11	वार्ड क्र. 09 अ	वार्ड क्र. 09 अ	11	वार्ड क्र. 09 अ
				12	वार्ड क्र. 9 ब	वार्ड क्र. 9 ब	12	वार्ड क्र. 9 ब
				13	वार्ड क्र. 10 ए	वार्ड क्र. 10 ए	13	वार्ड क्र. 10 ए
				14	वार्ड क्र. 10 ब	वार्ड क्र. 10 ब	14	वार्ड क्र. 10 ब
				15	वार्ड क्र. 11 अ	वार्ड क्र. 11 अ	15	वार्ड क्र. 11 अ
				16	वार्ड क्र. 11 ब	वार्ड क्र. 11 ब	16	वार्ड क्र. 11 ब
				17	वार्ड क्र. 12	वार्ड क्र. 12	17	वार्ड क्र. 12
				18	वार्ड क्र. 13 अ	वार्ड क्र. 13 अ	18	वार्ड क्र. 13 अ
				19	वार्ड क्र. 13 ब	वार्ड क्र. 13 ब	19	वार्ड क्र. 13 ब
				20	वार्ड क्र. 14 अ	वार्ड क्र. 14 अ	20	वार्ड क्र. 14 अ
				21	वार्ड क्र. 14 ब	वार्ड क्र. 14 ब	21	वार्ड क्र. 14 ब
				22	वार्डक्र.15	वार्डक्र.15	22	वार्डक्र.15
				23	वार्ड क्र. 16	वार्ड क्र. 16	23	वार्ड क्र. 16
				24	वार्ड क्र. 17	वार्ड क्र. 17	24	वार्ड क्र. 17
				25	वार्ड क्र. 18 अ	वार्ड क्र. 18 अ	25	वार्ड क्र. 18 अ
				26	वार्ड क्र. 18 ब	वार्ड क्र. 18 ब	26	वार्ड क्र. 18 ब
				27	अर्जुनी 1	अर्जुनी 1		
				28	अर्जुनी 2	अर्जुनी 2		
				29	अर्जुनी 3	अर्जुनी 3		
				30	अर्जुनी 4	अर्जुनी 4		
				31	अर्जुनी 5	अर्जुनी 5		
				32	अर्जुनी 6	अर्जुनी 6		

क्र.	विधानसभा क्षेत्र का नाम	विकासखण्ड का नाम	परियोजना का नाम	सरल क्रमांक	कुल स्वीकृत आं.बा. केन्द्र	संचालित आ.बा. केन्द्र	सरल क्रमांक	संचालित आं.बा. केन्द्रों में कितने भवन विहिन है
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				33	अर्जुनी 7	अर्जुनी 7		
				34	अर्जुनी 8	अर्जुनी 8		
	बलौदाबाजार	बलौदाबाजार	बलौदाबाजार	35	रवान 1	रवान 1		
				36	रवान 2	रवान 2		
				37	रवान 3	रवान 3		
				38	रवान 4	रवान 4		
				39	रवान 5	रवान 5		
				40	रवान 6	रवान 6		
				41	रवान 7	रवान 7		
				42	रवान 8	रवान 8		
				43	करमदा 1	करमदा 1		
				44	करमदा 2	करमदा 2		
				45	करमदा 3	करमदा 3		
				46	करमदा 4	करमदा 4		
				47	करमदा 5	करमदा 5		
				48	भदरापाली 1	भदरापाली 1		
				49	भदरापाली 2	भदरापाली 2		
				50	भदरापाली 3	भदरापाली 3		
				51	मूढीपार	मूढीपार		
				52	खैरताल 1	खैरताल 1		
				53	खैरताल 2	खैरताल 2		
				54	खैरताल 3	खैरताल 3	27	खैरताल 3
				55	पौसरी 1	पौसरी 1		
				56	पौसरी 2	पौसरी 2		
				57	कोकडी 1	कोकडी 1		
				58	कोकडी 2	कोकडी 2		
				59	कोकडी 3	कोकडी 3		
				60	कोकडी 4	कोकडी 4		
				61	परसाभदेर1	परसाभदेर1		
				62	कुकरदी 1	कुकरदी 1		
				63	कुकरदी 2	कुकरदी 2		
				64	कुकरदी 3	कुकरदी 3		
				65	भरसेली 1	भरसेली 1		
				66	भरसेली 2	भरसेली 2	28	भरसेली 2
				67	छुईहा मा.	छुईहा मा.		
				68	छुईहा र.	छुईहा र.	29	छुईहा र.

क्र.	विधानसभा क्षेत्र का नाम	विकासखण्ड का नाम	परियोजना का नाम	सरल क्रमांक	कुल स्वीकृत आं.बा. केन्द्र	संचालित आ.बा. केन्द्र	सरल क्रमांक	संचालित आं.बा. केन्द्रों में कितने भवन विहिन है
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				69	भरसेला बडा 1	भरसेला बडा 1		
				70	भरसेला बडा 2	भरसेला बडा 2		
				71	भरसेला बडा 3	भरसेला बडा 3	30	भरसेला बडा 3
	बलौदाबाजार	बलौदाबाजार	बलौदाबाजार	72	सोनपूरी	सोनपूरी		
				73	शुक्लाभाठा 1	शुक्लाभाठा 1		
				74	शुक्लाभाठा 2	शुक्लाभाठा 2		
				75	लटुवा 1	लटुवा 1		
				76	लटुवा 2	लटुवा 2		
				77	लटुवा 3	लटुवा 3		
				78	लटुवा 4	लटुवा 4		
				79	लटुवा 5	लटुवा 5	31	लटुवा 5
				80	लटुवा 6	लटुवा 6	32	लटुवा 6
				81	लटुवा 7	लटुवा 7	33	लटुवा 7
				82	चरोटी 1	चरोटी 1		
				83	चरोटी 2	चरोटी 2	34	चरोटी 2
				84	परसाभदेर	परसाभदेर		
				85	अचानकपुर	अचानकपुर		
				86	सकरी 1	सकरी 1		
				87	सकरी 2	सकरी 2		
				88	सकरी 3	सकरी 3		
				89	सकरी 4	सकरी 4	35	सकरी 4
				90	पहंदा 1	पहंदा 1		
				91	पहंदा 2	पहंदा 2	36	पहंदा 2
				92	लिमाही	लिमाही		
				93	कंजी 1	कंजी 1		
				94	कंजी 2	कंजी 2		
				95	कंजी 3	कंजी 3		
				96	हलवाई खपरी	हलवाई खपरी		
				97	मगरचबा 1	मगरचबा 1		
				98	मगरचबा 2	मगरचबा 2	37	मगरचबा 2
				99	खैरघटा	खैरघटा		
				100	रसेडा 1	रसेडा 1		
				101	रसेडा 2	रसेडा 2		
				102	रसेडा 3	रसेडा 3		
				103	रसेडा 4	रसेडा 4	38	रसेडा 4
				104	खजरी	खजरी		

क्र.	विधानसभा क्षेत्र का नाम	विकासखण्ड का नाम	परियोजना का नाम	सरल क्रमांक	कुल स्वीकृत आं.बा. केन्द्र	संचालित आ.बा. केन्द्र	सरल क्रमांक	संचालित आं.बा. केन्द्रों में कितने भवन विहिन है
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				105	ढाबाडीह	ढाबाडीह		
				106	झोका	झोका		
				107	केशडबरी	केशडबरी	39	केशडबरी
				108	पारागांव	पारागांव	40	पारागांव
	बलौदाबाजार	बलौदाबाजार	बलौदाबाजार	109	बोईरडीह	बोईरडीह	41	बोईरडीह
				110	सोनाडीह 1	सोनाडीह 1		
				111	सोनाडीह 2	सोनाडीह 2		
				112	सोनाडीह 3	सोनाडीह 3		
				113	मोहतरा 1	मोहतरा 1		
				114	मोहतरा 2	मोहतरा 2		
				115	मोहतरा 3	मोहतरा 3	42	मोहतरा 3
				116	घवई	घवई		
				117	बुडगहन	बुडगहन		
				118	पुरैना	पुरैना		
				119	नयापारा	नयापारा		
				120	छुईहा.(मुडि.)	छुईहा.(मुडि.)		
				121	कोलियारी 1	कोलियारी 1		
				122	कोलियारी 2	कोलियारी 2	43	कोलियारी 2
				123	सलौनी 1	सलौनी 1		
				124	सलौनी 2	सलौनी 2		
				125	देवरी 1	देवरी 1		
				126	देवरी 2	देवरी 2		
				127	भाठागांव	भाठागांव		
				128	गैतरा 1	गैतरा 1		
				129	गैतरा 2	गैतरा 2		
				130	गैतरा 3	गैतरा 3	44	गैतरा 3
				131	रसेडी 1	रसेडी 1		
				132	रसेडी 2	रसेडी 2		
				133	रसेडी 3	रसेडी 3		
				134	रसेडी 4	रसेडी 4		
				135	मेढ 1	मेढ 1		
				136	मेढ 2	मेढ 2		
				137	मेढ 3	मेढ 3	45	मेढ 3
				138	खैरी	खैरी		
				139	बेमेतरा	बेमेतरा		
				140	मुडियाडीह	मुडियाडीह		

क्र.	विधानसभा क्षेत्र का नाम	विकासखण्ड का नाम	परियोजना का नाम	सरल क्रमांक	कुल स्वीकृत आं.बा. केन्द्र	संचालित आ.बा. केन्द्र	सरल क्रमांक	संचालित आं.बा. केन्द्रों में कितने भवन विहिन है
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				141	सेम्हराडीह	सेम्हराडीह		
				142	रिसदा 1	रिसदा 1	46	रिसदा 1
				143	रिसदा 2	रिसदा 2		
				144	रिसदा 3	रिसदा 3		
				145	रिसदा 4	रिसदा 4		
	बलौदाबाजार	बलौदाबाजार	बलौदाबाजार	146	रिसदा 5	रिसदा 5		
				147	पुरान	पुरान		
				148	टेलकी 1	टेलकी 1		
				149	टेलकी 2	टेलकी 2		
				150	पुरैना खपरी 1	पुरैना खपरी 1	47	पुरैना खपरी 1
				151	पुरैना खपरी 2	पुरैना खपरी 2		
				152	पुरैना खपरी 3	पुरैना खपरी 3		
				153	दशरमा 1	दशरमा 1		
				154	दशरमा 2	दशरमा 2	48	दशरमा 2
				155	दशरमा 3	दशरमा 3	49	दशरमा 3
				156	दशरमा 4	दशरमा 4	50	दशरमा 4
				157	खमरिया यदु 1	खमरिया यदु 1		
				158	खमरिया यदु 2	खमरिया यदु 2		
				159	खम्हरियाचांपा 1	खम्हरियाचांपा 1		
				160	खम्हरियाचांपा 2	खम्हरियाचांपा 2	51	खम्हरियाचांपा 2
				161	चांपा 1	चांपा 1		
				162	चांपा 2	चांपा 2	52	चांपा 2
				163	चिचोली	चिचोली		
				164	पौसरी	पौसरी		
				165	पिपराही	पिपराही		
				166	भररुवाडीह	भररुवाडीह		
				167	ढाबाडीह	ढाबाडीह	53	ढाबाडीह
				168	सेम्हराडीह 1	सेम्हराडीह 1		
				169	सेम्हराडीह 2	सेम्हराडीह 2		
				170	ढनढनी 1	ढनढनी 1		
				171	ढनढनी 2	ढनढनी 2	54	ढनढनी 2
				172	सरकीपार	सरकीपार		
				173	गोड खपरी	गोड खपरी		
				174	करमनडीह 1	करमनडीह 1		
				175	करमनडीह 2	करमनडीह 2		

क्र.	विधानसभा क्षेत्र का नाम	विकासखण्ड का नाम	परियोजना का नाम	सरल क्रमांक	कुल स्वीकृत आं.बा. केन्द्र	संचालित आ.बा. केन्द्र	सरल क्रमांक	संचालित आं.बा. केन्द्रों में कितने भवन विहिन है
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				176	खपरी	खपरी		
	<b>योग</b>				<b>176</b>	<b>176</b>	<b>54</b>	<b>54</b>
2	बलौदाबाजार	सिमगा	सिमगा	177	रवेली	रवेली		
				178	रावन 1	रावन 1		
				179	रावन 2	रावन 2		
				180	रावन 3	रावन 3		
	बलौदाबाजार	सिमगा	सिमगा	181	रावन 4	रावन 4		
				182	रावन 5	रावन 5		
				183	रावन 6	रावन 6		
				184	तिल्दाबांधा 1	तिल्दाबांधा 1		
				185	तिल्दाबांधा 2	तिल्दाबांधा 2		
				186	भोथाडीह	भोथाडीह		
				187	नेवारी	नेवारी		
				188	फुलवारी	फुलवारी		
				189	सकलोर 1	सकलोर 1		
				190	सकलोर 2	सकलोर 2		
				191	कसहीडीह	कसहीडीह		
				192	परसवानी	परसवानी		
				193	झीपन 1	झीपन 1		
				194	झीपन 2	झीपन 2		
				195	पड़कीडीह	पड़कीडीह		
				196	पड़कीडीह	पड़कीडीह		
				197	खपराडीह 1	खपराडीह 1		
				198	खपराडीह 2	खपराडीह 2		
				199	मोहरा 1	मोहरा 1		
				200	मोहरा 2	मोहरा 2		
				201	मोहरा 3	मोहरा 3		
				202	भालेसूर	भालेसूर		
				203	बरडीह 1	बरडीह 1		
				204	बरडीह 2	बरडीह 2		
				205	पौंसरी	पौंसरी		

क्र.	विधानसभा क्षेत्र का नाम	विकासखण्ड का नाम	परियोजना का नाम	सरल क्रमांक	कुल स्वीकृत आं.बा. केन्द्र	संचालित आ.बा. केन्द्र	सरल क्रमांक	संचालित आं.बा. केन्द्रों में कितने भवन विहिन है
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				206	हथबंद 1	हथबंद 1		
				207	हथबंद 2	हथबंद 2		
				208	हथबंद 3	हथबंद 3		
				209	धोधा 1	धोधा 1		
				210	धोधा 2	धोधा 2		
				211	धोधा 3	धोधा 3		
				212	नेवधा	नेवधा		
	बलौदाबाजार	सिमगा		213	नेवधा	नेवधा		
				214	खिलोरा	खिलोरा		
				215	खिलोरा	खिलोरा		
				216	भैंसा	भैंसा		
				217	भैंसा	भैंसा		
				218	उड़ेला	उड़ेला		
				219	केसली	केसली		
				220	केसली	केसली		
				221	बिलईडबरी	बिलईडबरी		
				222	भंवरगढ़	भंवरगढ़		
				223	गोरदी 1	गोरदी 1		
				224	गोरदी 2	गोरदी 2		
				225	सोनबरसा	सोनबरसा		
				226	नवापारा 1	नवापारा 1		
				227	नवापारा 2	नवापारा 2		
				228	नवापारा 3	नवापारा 3		
				229	लोहारी	लोहारी		
				230	बरडीह	बरडीह		
				231	संकरी	संकरी		
				232	जांगड़ा 1	जांगड़ा 1		
				233	जांगड़ा 2	जांगड़ा 2		
				234	बिटकुली 1	बिटकुली 1		
				235	बिटकुली 2	बिटकुली 2		
				236	मुड़पार 1	मुड़पार 1		

क्र.	विधानसभा क्षेत्र का नाम	विकासखण्ड का नाम	परियोजना का नाम	सरल क्रमांक	कुल स्वीकृत आं.बा. केन्द्र	संचालित आं.बा. केन्द्र	सरल क्रमांक	संचालित आं.बा. केन्द्रों में कितने भवन विहिन है
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				237	मुड़पार 2	मुड़पार 2		
				238	भोथीडीह	भोथीडीह		
				239	सिनोधा 1	सिनोधा 1		
				240	सिनोधा 2	सिनोधा 2		
				241	करेली	करेली		
				242	डिग्गी	डिग्गी		
				243	शि0 केसली1	शि0 केसली1		
				244	शि0 केसली2	शि0 केसली2		
	बलौदाबाजार	सिमगा	सिमगा	245	धोबनीडीह	धोबनीडीह		
				246	बुडगहन 1	बुडगहन 1		
				247	बुडगहन 2	बुडगहन 2		
				248	खैरवारी	खैरवारी		
				249	खपरी	खपरी		
				250	भटभेरा 1	भटभेरा 1		
				251	भटभेरा 2	भटभेरा 2		
				252	भटभेरा 3	भटभेरा 3		
				253	सुहेला 1	सुहेला 1		
				254	सुहेला 2	सुहेला 2		
				255	सुहेला 3	सुहेला 3		
				256	सुहेला 4	सुहेला 4		
				257	आमाकोनी 1	आमाकोनी 1		
				258	आमाकोनी 2	आमाकोनी 2		
				259	मटिया 1	मटिया 1		
				260	मटिया 2	मटिया 2		
				261	टेकारी	टेकारी		
				262	फरहदा 1	फरहदा 1		
				263	फरहदा 2	फरहदा 2		
				264	जरौद 1	जरौद 1		
				265	जरौद 2	जरौद 2		
				266	जरौद 3	जरौद 3		
				267	रानीजरौद 1	रानीजरौद 1		

क्र.	विधानसभा क्षेत्र का नाम	विकासखण्ड का नाम	परियोजना का नाम	सरल क्रमांक	कुल स्वीकृत आं.बा. केन्द्र	संचालित आ.बा. केन्द्र	सरल क्रमांक	संचालित आं.बा. केन्द्रों में कितने भवन विहिन है
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				268	रानीजरौद 2	रानीजरौद 2		
				269	बासीन	बासीन		
				270	करही	करही		
				271	चण्डी 1	चण्डी 1		
				272	चण्डी 2	चण्डी 2		
				273	अमेरी	अमेरी		
				274	पेण्डी 1	पेण्डी 1		
				275	पेण्डी 2	पेण्डी 2		
				276	कुथरौद 1	कुथरौद 1		
	बलौदाबाजार	सिमगा	सिमगा	277	कुथरौद 2	कुथरौद 2		
				278	कुथरौद 3	कुथरौद 3		
				279	कुथरौद 4	कुथरौद 4		
				280	हिरमी 1	हिरमी 1		
				281	हिरमी 2	हिरमी 2		
				282	हिरमी 3	हिरमी 3		
				283	हिरमी 4	हिरमी 4		
				284	हिरमी 5	हिरमी 5		
				285	हिरमी 6	हिरमी 6		
	<b>योग</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>285</b>	<b>285</b>	<b>285</b>	<b>54</b>	<b>54</b>

## परिशिष्ट "पच्चीस"

[ अतारंकित प्रश्न संख्या 04 (क. 55) के भाग (क) की जानकारी ]

प्रपत्र "अ"

## // राज्य में मान्यता प्राप्त पत्रकारों की जिलेवार संख्या //

जिला	संख्या
रायपुर	43
गरियाबंद	02
बलौदाबाजार-भाटापारा	06
धमतरी	07
महासमुन्द	09
दुर्ग	27
बेमेतरा	03
बालोद	03
राजनांदगाव	14
विलासपुर	25
रायगढ़	04
जांगीर-चांपा	08
कोरबा	17
कबीरधाम	06
अंबिकापुर-सरगुजा	10
जशपुर	05
कोरिया	05
जलरामपुर-रामानुजगंज	01
सूरजपुर	01
जगदलपुर	06
वीजापुर	01
दंतेवाड़ा	01
कोण्डागांव	01
कांकेर	02

## //मान्यता प्राप्त पत्रकार बनने हेतु मापदण्ड//

- (1) आवेदक को पूर्णकालिक पत्रकार, फोटोग्राफर या कैमरागेन होना चाहिये ।
- (2) संचार माध्यमों के ऐसे प्रतिनिधि स्वतंत्र पत्रकार के रूप में अधिमान्यता के लिए आवेदन कर सकेंगे जो कम से कम 20 वर्ष की सेवा के बाद सेवानिवृत्त हुए हों तथा जिन्हें पूर्व में भी अधिमान्यता प्राप्त रही हो, आवेदन के साथ, सेवानिवृत्ति के बाद भी सक्रिय पत्रकार होने का प्रमाण अंकित किया जाना चाहिए ।
- (3) अधिमान्यता के लिए आवेदन पत्रकार के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण से न्यायालय को अभियोग पत्र दाखिल होने पर पूर्व में न्यायालय से दंडित होने की स्थिति में उनको अधिमान्यता की आर्हता नहीं होगी ।
- (4) श्रमजीवी पत्रकार का निवास अधिमान्यता के आवेदन में उल्लेखित पदस्थापना के स्थान पर होना चाहिए ।
- (5) आवेदन करने वाले श्रमजीवी पत्रकार के संस्थान में श्रमजीवी पत्रकार और अन्य समाचार कर्मचारों सेवा की शर्तों और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1955 लागू होना चाहिए ।
- (6) राज्य अधिमान्यता के लिए न्यूनतम 10 (दस) वर्ष की पत्रकारिता का अनुभव तथा जिला अधिमान्यता के लिए न्यूनतम 5 (पांच) वर्ष की पत्रकारिता का अनुभव अनिवार्य होगा ।

### अधिमान्य प्राप्त पत्रकारों को प्राप्त सुविधाएं

1. अधिमान्य पत्रकारों के विरुद्ध डी.आई.जी. स्तर के अधिकारी से जांच पश्चात ही गिरफ्तारी की जा सकती है।
2. मंत्रालय प्रवेश की पात्रता।
3. रेलयात्रा में 50 प्रतिशत छूट

## परिशिष्ट "छब्बीस"

[ अतारंकित प्रश्न संख्या 05 (क. 56) के भाग (क) की जानकारी ]

## प्रदेश में समाज कल्याण विभाग के अन्तर्गत संचालित राज्य एवं केन्द्रीय योजनाओं की पृथक-पृथक जानकारी

क्रमांक	योजनाओं का नाम
<b>राज्य योजनाएं</b>	
1.	सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना
2.	सुखद सहारा योजना
3.	वरिष्ठ नागरिक सहायता योजना
4.	छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री तीर्थयात्रा योजना
5.	नशाबंदी कार्यक्रम
6.	शराब व्यसन मुक्ति अभियान (भारतमाता वाहिनी योजना)
7.	कलापथक योजना
8.	सामर्थ्य विकास योजना
9.	कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरण प्रदाय योजना
10.	निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना
11.	निःशक्तजन छात्रवृत्ति योजना
12.	निःशक्त व्यक्तियों के शिक्षण प्रशिक्षण हेतु शासकीय संस्थाएं
13.	निःशक्त कल्याण के क्षेत्र में कार्यरत स्वैच्छिक संस्थाओं को सहायक अनुदान
14.	जिला पुनर्वास/जिला निःशक्त पुनर्वास केन्द्र
15.	दीनदयाल निःशक्तजन पुनर्वास कार्यक्रम
16.	निःशक्तजन राज्य स्तरीय पुरस्कार योजना
<b>केन्द्रीय योजनाएं</b>	
1.	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना
2.	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना
3.	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्तजन पेंशन योजना
4.	राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना
5.	वयोवृद्ध व्यक्तियों के लिए एकीकृत कार्यक्रम
6.	मद्यपान एवं नशीली दवाओं का दुरुपयोग निवारण योजना
7.	सहायक यंत्रों/उपकरणों की खरीद/फिटिंग के लिए विकलांग व्यक्तियों को सहायता की योजना (एडिप योजना)
8.	दीनदयाल निःशक्तजन पुनर्वास योजना
9.	राष्ट्रीय ग्रामीण निःशक्तजन पुनर्वास कार्यक्रम
10.	निःशक्त व्यक्ति अधिनियम-1995 के कियान्वयन हेतु योजना (Scheme of Implementation of PwD Act, 1995 (SIPDA))

## परिशिष्ट "सत्ताईस"

[ अतारंकित प्रश्न संख्या 12 (क. 109) के भाग (क), (ख) एवं (घ) की जानकारी ]

प्रपत्र "अ"

विधानसभा क्षेत्र अहिलारा में वर्ष 2012-13, 2013-14 एवं 2014-15 में दिनांक 22.11.14 तक रेडी टू इंट खाद्य सामग्री प्रदाय कर रहे महिला स्व सहायता समूहों को प्रदायित कार्यदेश मात्रा, समूह द्वारा प्रदायित मात्रा व भुगतान संबंधी जानकारी

परियोजना का नाम	विधान सभा क्षेत्र का नाम	क्र.	संस्था / स्व सहायता समूह का नाम व पता	वर्ष 2012-13				वर्ष 2013-14				वर्ष 2014-15 (अप्रैल 2014 से 22.11.14 तक)		
				समूह को प्रदायित कार्यदेश में दर्शित मात्रा (कि.ग्रा.)	समूह द्वारा प्रदायित मात्रा (कि.ग्रा.)	समूह को प्रदायित कार्यदेश में दर्शित मात्रा (कि.ग्रा.)	समूह द्वारा प्रदायित मात्रा (कि.ग्रा.)	समूह को प्रदायित कार्यदेश में दर्शित मात्रा (कि.ग्रा.)	समूह द्वारा प्रदायित मात्रा (कि.ग्रा.)	समूह को प्रदायित कार्यदेश में दर्शित मात्रा (कि.ग्रा.)	समूह द्वारा प्रदायित मात्रा (कि.ग्रा.)	समूह को प्रदायित कार्यदेश में दर्शित मात्रा (कि.ग्रा.)	समूह द्वारा प्रदायित मात्रा (कि.ग्रा.)	समूह को प्रदायित कार्यदेश में दर्शित मात्रा (कि.ग्रा.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
दुर्ग ग्रा.	अहिलारा	1	जय संतोषी स्व.सहा.समूह सिरसाखुर्द	33994.43	33994.43	865498	31572.36	31572.36	848034	19802.82	19802.82	531904		
"--"	"--"	2	नवतुलसी ममत्व स्व.सहा.समूह कुटेलाभाटा	19575.79	19575.79	498400	19159.60	19159.60	514627	13423.62	13423.62	360558		
"--"	"--"	3	प्रगति स्व.सहा.समूह बोडेगांव	25701.38	25701.38	680058	24863.64	24863.64	667837	17021.80	17021.80	457206		
"--"	"--"	4	श्रद्धा स्व.सहा.समूह डौर	25077.33	25077.33	663546	21781.19	21781.19	585043	12417.02	12417.02	333521		
"--"	"--"	5	ममत्व स्व.सहा.समूह गनियारी	36887.44	36887.44	976042	29432.04	29432.04	790544	20350.29	20350.29	546609		
"--"	"--"	6	ममत्व स्व.सहा.समूह अंजोराढावा	7757.37	7757.37	205260	14301.14	14301.14	384129	6101.88	6101.88	163896		
"--"	"--"	7	ममत्व स्व.सहा.समूह खेदामारा	2827.13	2827.13	74806	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0		
योग :-				151820.87	151820.87	3963610	141109.96	141109.96	3790214	89117.43	89117.43	2393694		
अहिलारा	अहिलारा	8	जय अन्वे काली स्व.सहायता समूह गिरहोला	56380.64	56380.64	1441796	52443.69	52443.69	1419892	16906.00	16906.00	454092		
"--"	"--"	9	दुर्गा स्व.सहायता समूह मलपूरिकला	57000.08	57000.08	1451223	60187.00	60187.00	1688790	35093.00	35093.00	867390		
"--"	"--"	10	किरण स्व.सहायता समूह सुरजजीह	95049.40	95049.40	2399107	94221.67	94221.67	2518479	38379.94	38379.94	1030886		
"--"	"--"	11	एकला स्व.सहायता समूह संडी	94254.41	94254.41	2240723	99272.87	99272.87	2652396	53127.96	53127.96	1427016		
"--"	"--"	12	तुलसी स्व.सहायता समूह कुहारी	0.00	0.00	0	5978.68	5978.68	160586	9912.84	9912.84	266260		
योग :-				302684.53	302684.53	7532849	312103.90	312103.90	8440143	153419.74	153419.74	4045644		
धमधा	अहिलारा	13	वैभव लक्ष्मी स्व.-सहायता समूह धमधा	51934.43	51934.43	1303056	44676.08	44676.08	1162456	27974.80	27974.80	669610		
योग :-				51934.43	51934.43	1303056	44676.08	44676.08	1162456	27974.80	27974.80	669610		

विधानसभा अतारिक्त प्रश्न क्रमांक 109

विधानसभा क्षेत्र अरिवारा में वर्ष 2012-13, 2013-14 एवं 2014-15 में दिनांक 22.11.14 तक रेडी टू ईट खाद्य सामग्री प्रदाय कर रहे महिला स्व सहायता समूहों को प्रदायित कार्यदिश मात्रा, समूह द्वारा प्रदायित मात्रा व मुगतान संबंधी जानकारी

परियोजना का नाम	विधान सभा क्षेत्र का नाम	क्र.	संस्था/स्व सहायता समूह का नाम व पता	वर्ष 2012-13			वर्ष 2013-14			वर्ष 2014-15 (अप्रैल 2014 से 22.11.14 तक)			
				समूह को प्रदायित कार्यदिश में दर्शित मात्रा (कि.ग्रा.)	समूह द्वारा प्रदायित मात्रा (कि.ग्रा.)	समूह को मुगतान की गई राशि (रूपये में)	समूह दो प्रदायित कार्यदिश में दर्शित मात्रा (कि.ग्रा.)	समूह द्वारा प्रदायित मात्रा (कि.ग्रा.)	समूह को मुगतान की गई राशि (रूपये में)	समूह को प्रदायित कार्यदिश में दर्शित मात्रा (कि.ग्रा.)	समूह द्वारा प्रदायित मात्रा (कि.ग्रा.)	समूह को मुगतान की गई राशि (रूपये में)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
निलाई 2	अरिवारा	14	ज्ञानगा: स्व सहायता समूह, जामुल	44701.00	44701.00	1138087	80029.00	80029.00	2132677	41774.71	41774.71	41774.71	1122069
--	--	15	साक्षी स्व सहायता समूह, सुपेला	25290.00	25290.00	643883	46241.00	46241.00	1233378	26382.40	26382.40	26382.40	708631
--	--	16	ज्योति स्व सहायता समूह, चरोदा	23179.50	23179.50	590150	26186.34	26186.34	697666	16262.31	16262.31	16262.31	436896
--	--	17	दुर्गा स्व सहायता समूह, चरोदा	23136.12	23136.12	569046	21702.99	21702.99	578105	13390.22	13390.22	13390.22	359661
--	--	18	प्रगति स्व सहायता समूह, मोरिद	15764.89	15764.89	401374	19799.29	19799.29	526884	10989.68	10989.68	10989.68	295183
योग :-				132071.50	132071.50	3362540	193958.62	193958.62	5168710	108799.32	108799.32	108799.32	2922350
महायोग :-				638511.33	638511.33	1612055	691848.56	691848.56	18561523	379311.29	379311.29	379311.29	10031298







## परिशिष्ट "अट्‌टाईस"

[ अतारांकित प्रश्न संख्या 16 (क. 138) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी ]

क्र.	जिले का नाम	भगिनी प्रसूति योजना		विश्वकर्मा दुर्घटना मृत्यु बीमा योजना		राजमाता विवाह योजना		सायकल वितरण योजना		सिलार्ड मशीन वितरण योजना		औजार वितरण योजना		गंभीर बीमारी इलाज योजना		विश्वकर्मा सामान्य मृत्यु योजना	
		वर्ष 2013-14	वर्ष 2014-15	वर्ष 2013-14	वर्ष 2014-15	वर्ष 2013-14	वर्ष 2014-15	वर्ष 2013-14	वर्ष 2014-15	वर्ष 2013-14	वर्ष 2014-15	वर्ष 2013-14	वर्ष 2014-15	वर्ष 2013-14	वर्ष 2014-15	वर्ष 2013-14	वर्ष 2014-15
1	रायपुर	1578	1335	1	3	702	1139	5359	1207	14956	800	12960	1678	1	37	276	303
2	बिलासपुर	394	434	2	0	312	627	2720	522	2100	0	7222	0	0	0	90	88
3	अम्बिकापुर	19	15	0	0	2	3	201	0	337	16	2141	0	0	0	13	11
4	कोरबा	155	404	0	0	141	273	1600	0	1000	0	4000	0	0	0	23	38
5	बलरामपुर	11	3	1	1	1	6	22	0	164	34	496	166	0	0	0	0
6	सुकमा	5	120	0	5	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	धमतरी	62	144	11	0	134	27	905	339	1250	347	2900	385	0	3	15	40
8	कोण्डागांव	15	40	0	0	21	26	0	0	0	0	575	0	0	0	3	3
9	राजनांदगाव	2206	2106	0	0	1761	3213	11100	0	24612	0	19138	0	0	0	295	400
10	मुंगेली	11	10	1	1	11	25	650	0	600	0	1100	0	0	0	3	3
11	बालोद	129	318	15	21	103	357	395	740	1100	735	702	489	0	3	1	3
12	बेमेतरा	216	659	2	2	133	306	250	1632	800	1766	1423	1357	1	0	33	72
13	कर्कधा	86	595	0	1	43	233	1009	152	944	253	1112	166	4	12	12	103
14	रायगढ	84	798	0	0	286	241	2973	1580	1251	0	2976	0	0	0	64	75
15	जगदलपुर	10	18	0	4	10	17	42	56	176	43	534	274	0	0	4	6
16	महासमुंद	1713	1289	132	229	583	432	3178	134	7404	31	105	13	3	8	195	91

1 7	गरियाबंद	429	314	1	0	329	502	218	4	1179	6	1355	2	1	4	44	90
1 8	दंतेवाडा	18	22	0	1	1	14	1761	0	200	0	1550	0	0	0	1	10
1 9	दुर्ग	487	439	1	1	689	773	935	1115	2865	1388	2086	474	0	6	90	58
2 0	सूरजपुर	27	60	0	0	1	30	500	0	500	0	0	2000	0	0	11	14
2 1	कांकेर	53	35	0	1	35	34	0	325	0	172	2	440	0	0	20	6
2 2	बलौदा बाजार	2514	1769	0	0	1151	1493	1350	0	1100	0	3700	0	0	0	1215	177
2 3	जशपुर	37	40	0	0	21	31	155	0	320	0	0	0	0	0	9	5
2 4	जांजगीर चांपा	110	329	0	0	164	943	750	2346	1750	314	0	80	0	0	53	42
2 5	कोरिया	67	222	0	0	18	46	400	475	300	0	480	0	0	0	8	17
2 6	नारायणपुर	1	4	0	1	2	5	150	28	100	16	40	35	0	0	0	0
2 7	बीजापुर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>योग</b>		<b>10437</b>	<b>11522</b>	<b>167</b>	<b>271</b>	<b>6654</b>	<b>10807</b>	<b>36623</b>	<b>10655</b>	<b>65008</b>	<b>5921</b>	<b>66597</b>	<b>7559</b>	<b>10</b>	<b>73</b>	<b>2478</b>	<b>1655</b>

## विधान सभा, अतारांकित प्रश्न क्रमांक-138 के प्रश्नांश "ख" की जानकारी

क्र.	जिले का नाम	भगिनी प्रसूति योजना	विश्वकर्मा दुर्घटना मृत्यु बीमा योजना	राजमाता विवाह योजना	सायकल वितरण योजना	सिलाई मशीन वितरण योजना	औजार वितरण योजना	गंभीर बीमारी इलाज योजना	विश्वकर्मा सामान्य मृत्यु योजना
1	रायपुर	2709	4	1737	5558	15139	14116	11	501
2	बिलासपुर	740	5	939	2874	2100	7222	0	178
3	अम्बिकापुर	26	0	2	201	355	2141	0	20
4	कोरबा	495	0	362	1600	1000	4000	0	46
5	बलरामपुर	12	2	6	22	188	662	0	0
6	सुकमा	119	5	11	0	0	0	0	0
7	धमतरी	206	5	161	905	1250	2900	1	55
8	कोण्डागांव	55	0	47	0	0	575	0	6
9	राजनांदगाव	3749	0	4455	11100	24612	17484	0	537
10	मुंगेली	21	2	36	650	600	1100	0	6
11	बालोद	447	36	460	1135	1835	1191	0	3
12	बेमेतरा	726	4	333	1374	1976	1680	1	83
13	कर्वधा	379	0	153	1161	1197	1278	16	59
14	रायगढ	822	0	527	4553	1251	2976	0	139
15	जगदलपुर	20	0	23	87	209	808	0	7
16	महासमुंद	1979	0	645	3178	7404	105	3	159
17	गरियाबंद	651	1	678	218	1179	1355	2	99
18	दंतेवाडा	40	1	15	1761	200	1550	0	11

19	दुर्ग	700	2	1205	1320	2865	2086	0	128
20	सूरजपुर	87	0	31	500	500	2000	0	25
21	कांकेर	88	1	69	325	172	442	0	26
22	बलौदा बाजार	4475	0	2126	1350	1100	3700	0	1418
23	जशपुर	77	0	52	155	320	0	0	12
24	जांजगीर चांपा	230	1	363	750	1750	0	0	72
25	कोरिया	289	0	64	875	300	480	0	25
26	नारायणपुर	1	1	6	178	116	75	0	0
27	बीजापुर	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>योग</b>		<b>19143</b>	<b>70</b>	<b>14506</b>	<b>41830</b>	<b>67618</b>	<b>69926</b>	<b>34</b>	<b>3615</b>

## परिशिष्ट "उनतीस"

[ अतारांकित प्रश्न संख्या 17 (क. 149) के भाग (ख) की जानकारी ]

## वन विकास अभिकरणों को वर्षवार प्राप्त राशि का विवरण

क्र.	श्रृंखला	वनमण्डल	विभिन्न कार्यों के लिए प्राप्त वर्षवार राशि			कुल
			2011-12	2012-13	2013-14	
1	2	3	4	5	6	7
1	रायपुर	रायपुर (बलौदा बाजार)	137.68	86.35	114.25	338.28
2		पूर्व रायपुर	41.88	45.35	95.86	183.09
3		उदंती (गरियाबंद)	54.67	40.75	35.73	131.15
4		महारासुंद	109.46	71.29	79.35	260.10
5		धमतरी	151.20	81.41	109.55	342.16
योग			494.89	325.15	434.74	1254.78
6	कांकेर	उत्तर कोण्डागांव	36.98	10.54	19.01	66.53
7		द. कोण्डागांव	63.79	36.07	53.63	153.49
8		प. भानुप्रतापपुर	44.94	0.00	6.34	51.28
9		पू. भानुप्रतापपुर	32.29	5.69	25.22	63.20
10		नारायणपुर	37.69	0.91	12.02	50.62
11		कांकेर	62.62	0.00	7.55	70.17
योग			278.31	53.21	123.77	455.29
12	जगदलपुर	बस्तर	120.84	81.50	81.41	283.75
13		सुकगा	42.13	20.86	24.21	87.20
14		दंतेवाड़ा	56.99	33.88	43.12	133.99
15		बीजापुर	62.28	33.76	44.75	140.79
योग			282.24	170.00	193.49	645.73
16	दुर्ग	दुर्ग (बालोद)	77.25	34.69	96.49	208.43
17		खैरागढ़	123.16	55.27	30.81	209.24
18		कवर्धा	106.99	76.99	133.44	317.42
19		राजनांदगांव	0.00	11.51	45.01	56.52
योग			307.40	178.46	305.75	791.61

क्र.	वृत्त	वनमण्डल	विभिन्न कार्यों के लिए प्राप्त वर्षवार राशि			कुल
			2011-12	2012-13	2013-14	
1	2	3	4	5	6	7
20	बिलासपुर	कटघोरा	152.34	88.88	130.29	371.51
21		रायगढ़	92.48	63.36	85.87	241.71
22		कोरबा	92.70	47.89	49.27	189.86
23		जांजगीर-चांपा	59.99	34.56	20.81	115.36
24		धरमजयगढ़	75.29	54.43	102.74	232.46
25		मरवाही	134.38	92.80	119.25	347.04
26		बिलासपुर	72.77	44.23	25.41	142.41
योग			679.95	426.15	534.25	1640.35
27	सरगुजा	द. सरगुजा (सरगुजा)	74.34	61.30	115.78	251.42
28		उ. सरगुजा (सुरजपुर)	94.71	50.34	26.80	171.85
29		पू. सरगुजा (बलरामपुर)	77.19	87.27	56.28	220.74
30		मनेन्द्रगढ़	65.99	25.22	16.59	107.90
31		जशपुर	70.93	42.68	114.90	228.51
32		कोरिया	56.44	36.70	67.70	160.84
योग			439.60	302.51	398.15	1140.26
महायोग			2482.39	1456.48	1990.15	5939.02

## परिशिष्ट "तीस"

[ अतिरिक्त प्रश्न संख्या 23 (क. 169) के भाग (क) की जानकारी ]

क्रमांक	जिले का नाम	वी.टी.पी. का नाम	प्रशिक्षण प्राप्त हितग्राहियों की संख्या
1	दुर्ग	श्री फाउण्डेशन, न्यू सिविक सेंटर, भिलाई	21
		भिलाई महिला मण्डल, सुपेला, भिलाई	133
		प्रज्ञा हॉस्पिटल, भिलाई	40
		इंस्टीट्यूट ऑफ स्त्रील ऐजुकेशन, दुर्ग	54
		फिनीक्स कंस्ट्रक्शन, नेहरू नगर, भिलाई	113
2	बालोद	श्री फाउण्डेशन भिलाई	19
		औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, बालोद	43
		<b>कुल योग</b>	<b>423</b>



परिशिष्ट "बत्तीस"  
[ अतारकित प्रश्न संख्या 27 (क. 195) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी ]

प्रपत्र "अ"

क.	विधानसभा क्षेत्र का नाम	विकासखण्ड का नाम	संचालित ऑ. बा. केन्द्रों की संख्या	संचालित मिनी आंगनवाड़ी केन्द्रों की संख्या	स्वयं के भवन में संचालित मिनी आंगनवाड़ी केन्द्रों की संख्या	स्वयं के भवन में संचालित आंगनवाड़ी केन्द्रों की संख्या	किराये के भवन में संचालित आंगनवाड़ी केन्द्रों की संख्या	किराये के भवन में संचालित मिनी आंगनवाड़ी केन्द्रों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	30	भानुप्रतापपुर	223	12	200	3	23	9
2		चारामा	180	26	175	8	5	18
3		दुर्गकोदल	235	38	203	1	32	37
		योग	638	76	578	12	60	64

प्रपत्र "व"

मानुप्रतापपुर में वर्ष 2013 से 18 नवम्बर 2014 तक की स्थिति में स्वीकृत आगनवाड़ी एवं मिनी आगनवाड़ी भवन की जानकारी

क्र.सं.	विधानसभा क्षेत्र का नाम	विकासखण्ड का नाम	वर्ष 2013 से 18 नवम्बर 2014 की स्थिति में स्वीकृत आगनवाड़ी भवनों के नाम	निमाण की स्थिति			निमाण ए.सी. का नाम	वर्ष 2013 से 18 नवम्बर 2014 की स्थिति में स्वीकृत आगनवाड़ी भवनों के नाम	निमाण की स्थिति			निमाण ए.सी. का नाम
				अप्रारम्भ	अपूर्ण	पूर्ण			अप्रारम्भ	अपूर्ण	पूर्ण	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	80 मानुप्रतापपुर	मानुप्रतापपुर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2		चारामा	बागडौंगरी कुम्हारपारा	1	1	1	मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत चारामा	कुरुटोला	-	-	-	-
			जैसाकर्ना-4					गिधाली				
			कोटरा आवासपारा	1	1	1		गिरहोला				
			मयाना 3	1	1	1		कोटरा				
			मंचादूर 2	1	1	1		चपेती				
			तिलेझर 3	1	1	1		माहुद				
								ऐरचुआ				
								खैरखेड़ा बांधपारा				
3		दुर्गकौदल	चिखली	1	1	1	मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत दुर्गकौदल					
			बडेपराती	1	1	1						
			सरधुधमरे	1	1	1						
			गरदा	1	1	1						
			आंधेवाड़ा कलारटोला	1	1	1						
			खेडेगांव 2	1	1	1						
			बुरके 2	1	1	1						
			कोडेकुरस 3	1	1	1						
			हामतवाही 2	1	1	1						
			जवाहर खेडेगांव	1	1	1						
			सिहारी कोमरापारा	1	1	1						
			योग	4	12	1		8	0	0	8	

## परिशिष्ट "तैंतीस"

[ अतारांकित प्रश्न संख्या 29 (क. 226) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी ]

प्रपत्र "अ"

**लोरमी विधान सभा में वर्ष 2014-15 में दिनांक 30.11.2014 तक खराब हुए ट्रांसफार्मर का ग्रामवार जानकारी**

क्रमांक	ग्राम	ट्रांसफार्मर खराब होने की तिथि
1	उराईकछार	05.04.14
2	लोरमी	15.04.14
3	कुधुरताल	17.04.14
4	तेली मोहतरा	18.04.14
5	बांधा गैंजी	25.04.14
6	कुधुरताल	25.04.14
7	बिजराकापा	03.05.14
8	नारायणपुर	24.05.14
9	मनोहरपुर	30.05.14
10	चचेड़ी	29.05.14
11	सकेरी	17.06.15
12	नवागांव वेंकट	17.06.15
13	झाफल	18.06.14
14	राम्हेपुर	21.06.14
15	बुधवारा	05.07.14
16	पथरताल	06.07.14
17	बांधा गैंजी खार	06.07.14
18	धोबगढ़ी	04.07.14
19	सुकली	09.07.14
20	चन्द्रपुर	07.07.14
21	लच्छनपुर	10.07.14
22	झझपुरीकला	12.07.14
23	उराईकछार	12.07.14
24	जुनापारा	12.07.14
25	परसवारा	12.07.14
26	डोंगरिया	17.07.14
27	चन्द्रपुर स्कूल	17.07.14
28	चन्द्रपुर रोड़	22.07.14
29	मनोहरपुर	24.07.14
30	झझपुरीकला	26.07.14
31	लालपुरकला	29.07.14
32	डोंगरिया	29.07.14

क्रमांक	ग्राम	ट्रांसफार्मर खराब होने की तिथि
33	डोमनपुर	07.08.14
34	शरदा	07.08.14
35	मनपहरी	04.08.14
36	कंचनपुर	04.08.14
37	सल्हैया	04.08.14
38	लच्छनपुर	12.08.14
39	मोहबंधा	11.08.14
40	लपती	11.08.14
41	परसापारा	15.08.14
42	सारंगपुर	13.08.14
43	बिठलदाह	15.08.14
44	बुधवारा	18.08.14
45	मोहतरा तेली	18.08.14
46	सर्राईपतेरा	21.08.14
47	झाफल	13.08.14
48	गंमजू	29.08.14
49	उर्राईकछार	31.08.14
50	औराबांधा	03.09.14
51	तुलसाघाट	04.09.14
52	जोगीपुर	08.09.14
53	सुकली	07.09.14
54	झझपुरीकला	07.09.14
55	करीलकुंडा	06.09.14
56	मोहतरा तेली	29.08.14
57	नवागांव जैत	14.09.14
58	बांधा गंजी	25.09.14
59	नवागांव जैत	25.09.14
60	राम्हेपुर	25.09.14
61	गंमजू	28.09.14
62	भर्रापारा	28.09.14
63	सल्हैया	28.09.14
64	भर्रापारा	30.09.14
65	विचारपुर	30.09.14
66	नवापारा	30.09.14
67	गोपालपुर	30.09.14
68	मोहतरातेली	01.10.14
69	सुखाताल	05.10.14
70	बंधवा	06.10.14

क्रमांक	ग्राम	ट्रांसफार्मर खराब होने की तिथि
71	पेन्ड्री तालाब	06.10.14
72	कंचनपुर	09.10.14
73	मनपहरी	08.10.14
74	भीमपुरी	07.10.14
75	सेमरिया	13.10.14
76	कुसुमकुण्डा	15.10.14
77	रेहुटा	19.10.14
78	बिठलदाह	20.10.14
79	नवाडीह	27.10.14
80	सकेरी	27.10.14
81	मोहतरातेली	29.10.14
82	रहंगी	19.11.14
83	इंदलपुर	21.11.14
84	बैगाकापा	21.11.14
85	बिजराकापा	23.11.14
86	बैजलपुरबस्ती	05.04.14
87	चील्फी बस्ती	05.04.14
88	सेंनगुड़ा	03.04.14
89	गोड़खाम्ही	11.04.14
90	करनकापा	11.04.14
91	गोड़खाम्ही	03.05.14
92	लगरा	07.05.14
93	लगरा खार	26.04.14
94	करनकापा	28.04.14
95	खपरीकला	28.04.14
96	लंघवाटोला	19.05.14
97	बोड़तरा कला	28.05.14
98	नवरंगपुर	29.06.14
99	दाऊकापा	30.05.14
100	सुरजपुरा बस्ती	01.06.14
101	रामुनगर	04.06.14
102	झाफल	20.06.14
103	लगरा	13.06.14
104	दाऊकापा	06.06.14
105	दरवाजा	22.06.14
106	मनकी	22.06.14
107	बोड़तरा कला	28.06.14
108	जेलूगांव	28.06.14

क्रमांक	ग्राम	ट्रांसफार्मर खराब होने की तिथि
109	सिधंपुरी	29.07.14
110	बाघनपुरी	02.07.14
111	बघमार	03.07.14
112	खुड़ियाडीह	03.07.14
113	लाखापुरी	02.07.14
114	सारीसताल	03.07.14
115	खुड़ियाडीह	03.07.14
116	घुठेली	04.07.14
117	पथरी	16.07.14
118	पथरी	18.07.14
119	धौराबांधा	18.07.14
120	बंधीयाखार	18.07.14
121	आच्छीडोगरी	18.07.14
122	लगरा खार	20.07.14
123	नवागांव टेलका	20.07.14
124	लगरा पम्प	20.07.14
125	खपरी	20.07.14
126	भस्करा	02.08.14
127	साल्हेघोरी	01.08.14
128	महामायापारा	24.07.14
129	सिधंपुरी	18.08.14
130	उजियारपुर	17.08.14
131	आच्छीडोगरी	16.08.14
132	लगरा खार	18.08.14
133	कोयलारी	21.08.14
134	कोयलारी	23.08.14
135	भालूखोदरा	23.08.14
136	मोहडंडा	22.08.14
137	फुलवारीखुर्द	23.08.14
138	रतियापारा	23.08.14
139	मनंकी	23.08.14
140	लगरा	01.09.14
141	लिलापुर खार	31.08.14
142	गाड़ाटोला	31.08.14
143	झलरी	08.09.14
144	रैतरा बस्ती	14.09.14
145	साल्हेघोरी	15.09.14
146	नवाकापा	13.09.14

क्रमांक	ग्राम	ट्रांसफार्मर खराब होने की तिथि
147	अखरार	14.09.14
148	सोनपुर	15.09.14
149	लंघवाटोला	17.09.14
150	बैजलपुरबस्ती	16.10.14
151	राम्हेपुर	16.10.14
152	सोनपुर	16.10.14
153	लंघवाटोला	15.10.14
154	साल्हेघोरी	15.10.14
155	चचेड़ी	21.10.14
156	लगरा खार	20.10.14
157	आच्छीडोगरी	23.10.14
158	आच्छीडोगरी	25.11.14
159	भालूखोदरा	26.11.14
160	धाधीपारा	27.11.14

## प्रपत्र-ब

लोरमी विधानसभा क्षेत्र में 12 वीं पंचवर्षीय योजना में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत प्रस्तावित ट्रांसफार्मरों का ग्रामवार विवरण

क्रमांक	ग्राम	ट्रांसफार्मर की संख्या
1	अचानकमार	1
2	अमलडीही	1
3	अमलडीह	1
4	अटरीया खार	1
5	औरापानी	1
6	बगनीभावर	1
7	बहउ	2
8	बमनी	1
9	बांधा	2
10	बांकल	2
11	भालूखोदरा	1
12	विचारपुर	1
13	बिजराकापा खुर्द	1
14	बिंदावल	1
15	बिरारपानी	1
16	बोड़तराकला	4
17	बोइरहा	1
18	बोकराकछार	2
19	चचेड़ी	2
20	चकदा	1
21	छपरवा	1
22	चीहूटा	1
23	दाड़ीपारा	1
24	डगनिया	2
25	दानवखार	2
26	दरवाजा	2
27	देवरहट	1
28	डिंडोल	1
29	घानाघाट	1
30	घटोली	2
31	गोलहापारा	1

32	गुरुवाइन डबरी	1
33	हरनाचाका	1
34	जमूनाही	2
35	झझपूरीकला	1
36	झाफल	4
37	झीरिया	2
38	कबराटोला	1
39	कन्हरपुर	1
40	कटमी	1
41	कोदवामहंत	2
42	कोयलारी	2
43	कुआ	1
44	कुकरीपानी	1
45	लालसायकापा	1
46	लमनी	1
47	लपती	1
48	महामाई	1
49	मसना	1
50	मोहबंधा	1
51	मोहडंडा	1
52	मोहतरा तेली	2
53	नवागांव	1
54	नवागांव वेंकट	2
55	नवागांव जैत	1
56	नवापारा	1
57	पैजनिया	3
58	परसवारा	1
59	परसाकापा	3
60	पेन्डीतालाब	2
61	फुलवारीखूर्द	1
62	पुटूपतेरा	1
63	रंहगी	1
64	रैतराखूर्द	1
65	रंजकी	1
66	राजपुर	2
67	रबेली	1

68	सहसपुर	2
69	सलगी	2
70	सेमराधसान	2
71	सरसडोल	1
72	सारदा	2
73	सरगढी	2
74	सेमरिया	1
75	सिहावल	1
76	सिंगारपुर	1
77	सिवलखार	1
78	सुकली	3
79	सुरही	1
80	तलीयापुरान	1
81	तिलाईडबरा	1
82	टिंगीपुर	1
83	आवासपारा	1
84	उराईकछार	2
	<b>योग</b>	<b>119</b>

परिशिष्ट "चौतीस"

[ अतारांकित प्रश्न संख्या 38 (क. 273) के भाग (ग) की जानकारी ]

मेसर्स प्रकाश इण्ड. लिमि., द्वारा सी.एस.आर. मद से गत तीन वर्षों में किये गये कार्यों का विवरण

1 वर्ष 2011-12

राशि रू. (लाख में)

क्र०	ग्राम पंचायत का नाम	अघोसंरचना विकास	शिक्षा	स्वास्थ्य	कौशल विकास	परिवहन	सामाजिक कार्य	अन्य	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	जांजगीर चांपा	23.86	50	-	-	-	3.60	44.57	122.03
2	कोटाडवरी	13.69	-	-	-	-	3.61	-	17.30
3	हथनेवरा	5.52	-	-	-	-	-	-	5.52
4	पीथमनुर	2.12	-	0.30	-	-	-	-	2.12
5	जौंड़ी, पिपरदा	-	-	-	-	-	-	-	0.00
6	कोसगन्दा	1.32	-	-	-	-	-	-	1.32
7	बिरगहनी	-	-	-	-	-	0.95	-	0.95
8	अमझर	-	-	-	-	-	-	-	0.00
9	बाराद्वार	-	-	-	-	-	0.49	-	0.49
10	सक्ती	-	-	-	-	-	-	-	0.00
	<b>योग-</b>	<b>46.51</b>	<b>50.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8.65</b>	<b>44.57</b>	<b>149.73</b>

मेसर्स प्रकाश इण्ड. लिमि., द्वारा सी.एस.आर. मद से गत तीन वर्षों में किये गये कार्यों का विवरण  
राशि रु. (लाख में)

2 वर्ष 2012-13

क्र०	ग्राम पंचायत का नाम	अधोसंरचना विकास	शिक्षा	स्वास्थ्य	कौशल विकास	परिवहन	सामाजिक कार्य	अन्य	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	जांजगीर चांपा	16.94	-	0.30	-	0.22	21.4	30.79	69.65
2	कोटाडबरी	22.55	-	-	-	-	3.04	-	25.59
3	हथनेवरा	9	-	-	-	-	0.72	0.34	10.06
4	पीथमपुर	20.84	-	-	-	-	-	-	20.84
5	सौंठी, पिपरदा	1.24	-	-	-	-	1.06	-	2.30
6	कोसमन्दा	1.16	-	-	-	-	-	0.32	1.48
7	बिरगहनी	-	-	-	-	-	-	-	0.00
8	अण्डार	-	-	-	-	-	-	-	0.00
9	बाराहार	4.56	-	-	-	-	2.07	-	6.63
10	सक्ती	10.77	-	-	-	-	-	1.36	12.13
	<b>योग-</b>	<b>87.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.22</b>	<b>28.29</b>	<b>32.31</b>	<b>148.68</b>

मेसर्स प्रकाश इण्ड. लिमि., द्वारा सी.एस.आर. मद से गत तीन वर्षों में किये गये कार्यों का विवरण

3 वर्ष 2013-14

राशि रु. (लाख में)

क्र०	ग्राम पंचायत का नाम	अधोसंरचना विकास	शिक्षा	स्वास्थ्य	कौशल विकास	परिवहन	सामाजिक कार्य	अन्य	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	जांजगीर चांपा	1.9	0.78	2.21	0.11	4.92	32.48	20.67	63.07
2	कोटाडबरी	1.74	-	-	-	-	4.48	-	6.22
3	हथनेवरा	2.9	-	-	-	-	0.68	-	3.58
4	पीथमपुर	-	-	-	-	-	-	-	0.00
5	सैंटी, पिपरदा	4.37	-	-	-	-	-	0.21	4.58
6	कोलमन्दा	4.04	-	-	-	-	0.7	-	4.74
7	विरगहनी	-	-	-	-	-	-	-	0.00
8	अमझर	0.45	-	-	-	-	-	-	0.45
9	बाराद्वार	0.38	-	-	-	-	-	-	0.38
10	सक्ती	-	-	-	-	-	-	-	0.00
	<b>योग-</b>	<b>15.78</b>	<b>0.78</b>	<b>2.21</b>	<b>0.11</b>	<b>4.92</b>	<b>38.34</b>	<b>20.88</b>	<b>83.02</b>

## परिशिष्ट "पैंतीस"

[ अतारांकित प्रश्न संख्या 42 (क. 312) की जानकारी ]

## डोंगरगांव विधानसभा क्षेत्र में सामुदायिक विकास योजना के तहत व्यय राशि की जानकारी

क्र.	इकाई का नाम व पता	मद	स्थान/ ग्राम का नाम	वर्षवार व्यय राशि (रूपये लाख में)				
				2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
1	मेसर्स इंडियन साल्वेंट इण्डस्ट्रीज, (यूनिट ऑफ़ एबीस एक्सपोर्ट्स (इंडिया) प्रा.लि.) युनिट नं.-3, ग्राम-अमलीडीह, पोस्ट-रूदगांव, तहसील-डोंगरगांव जिला-राजनांदगांव	1. शिक्षा	1) अमलीडीह (अजीज इंगलिस मिडियम स्कूल)	-	-	25.68	-	-
			2) अमलीडीह एवं बीजेभाठा	-	-	-	49.85	-
			3) डोंगरगांव/अमलीडीह /बीजेभाठा	-	-	-	-	78.00
		2. स्वास्थ्य	डोंगरगांव/ बीजेभाठा	-	-	-	0.28	-
		3. वृक्षारोपण	अमलीडीह	-	-	-	0.51	-
		4. नाली निर्माण एवं फोर्सिंग कार्य	बीजेभाठा	-	-	-	-	5.00
5. बारण्डी की कंटा फोर्सिंग	शासकीय स्कूल अमलीडीह	-	-	-	-	0.50		

## परिशिष्ट "छत्तीस"

[ अतारांकित प्रश्न संख्या 45 (क. 337) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी ]

विस्तृत विवरण

प्रपत्र "अ"

## बस्तर विधान सभा के अन्तर्गत आने वाले वनमार्गों का विवरण

अ.क्र.	वनमार्ग का नाम	दूरी (कि.मी. में)	
1	2	3	
1	टिवसगुडा से करीतगांव	6.00	कि.मी.
2	रामपाल से सेमलनार	3.00	कि.मी.
3	तोगकोगेरा से मंगनार	5.00	कि.मी.
4	मुण्डीगुडा से धनसरागुडा	2.50	कि.मी.
5	कोमार से गोटीगुडा	6.00	कि.मी.
6	तेन्दूभाटा से डुरकाटोंगा	2.10	कि.मी.
7	मोखागांव से जाभगुडा	2.50	कि.मी.
8	कोलावल से भिरण्डा	5.00	कि.मी.
9	कोलावल से पाथरी	6.00	कि.मी.
10	बागराय से मैलबेडा	3.00	कि.मी.
11	बनियागांव से आमादुल्ला, तोगकोगेरा मार्ग में ( 5 नें कि.मी. से 7.70 कि.मी. बस्तर विधान सभा)	3.70	कि.मी.
12	बागमोहलई से आमादुल्ला	5.50	कि.मी.
13	बेसरापाल से कोकागुडा	5.00	कि.मी.
14	सांवरापाल से मधोता	1.00	कि.मी.
15	बस्तर से बेसरापाल	2.00	कि.मी.
16	बोडनपाल से बागबहार	2.00	कि.मी.
<b>योग :</b>		<b>60.30</b>	<b>कि.मी.</b>

बस्तर विधान सभा क्षेत्र में वन विभाग के अंतर्गत आने वाली सड़को की मरम्मत, नवीनीकरण, डामरीकरण के लिये वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 में कराये गये कार्यों एवं उन पर भारित व्यय का विवरण निम्नवत् है :-

वर्ष	कार्य का नाम	व्यय राशि (रूपये में)
2012-13 वार्षिक	मरम्मत 48.10 कि.मी.	400826.00
	नवीनीकरण के तहत डब्ल्यू.बी.एम. रोड निर्माण 4.70 कि.मी.	3943147.00
	अन्य कार्य अन्तर्गत पुलिया निर्माण कार्य 8 नग	3440347.00
	योग वर्ष 2012-13	7784220.00
2013-14 वार्षिक	वन मार्गों की वार्षिक दुरुस्ती/मरम्मत कार्य 22.80 कि.मी.	103053.00
	अन्य कार्य अन्तर्गत पुलिया निर्माण कार्य 04 नग	176000.00
	योग वर्ष 2013-14	1863053.00
	ग्रहायोग	9647373.00

परिशिष्ट "सैंतीस"

[ अतारांकित प्रश्न संख्या 49 (क. 370) के भाग (क) की जानकारी ]

विधानसभा क्षेत्र पंडरिया अंतर्गत आंगनवाड़ी केंद्रों में रेडी टू ईट प्रदाय कर रहे महिला स्व सहायता समूह तथा उन्हें प्रतिमाह भुगतान की गई राशि की जानकारी

क्र.	पंडरिया विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत शामिल विकासखंड का नाम	पंडरिया विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत शामिल परियोजना का नाम	पंडरिया विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत रेडी टू ईट फूड प्रदाय कर रहे महिला स्व सहायता समूह/संस्था का नाम व पता	द्वितीय वर्ष 2014-15 में महिला स्व सहायता समूहों को प्रतिमाह भुगतान की गई राशि का विवरण (रूपये में)								
				माह अप्रैल 2014	माह मई 2014	माह जून 2014	माह जुलाई 2014	माह अगस्त 2014	माह सितंबर 2014	माह अक्टूबर 2014	कुल योग	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	पंडरिया	पंडरिया	श्री साईनाथ महिला स्व सहायता समूह, पंडरिया	162440	109277	133397	91692	104637	105499			706942
2	"	"	ज्योति महिला स्व सहायता समूह, पंडरिया	152172	121867	107483	123856	155764	117836			778978
3	"	"	जय टोलबन्जा देव महिला समूह बर्मपुर	104555	93272	100900	85436	92210	105336			581709
4	"	"	जय मां वैष्णवदेवी महिला स्व सहायता समूह खरहट्टा	165949	149206	157318	157460	193216	141245			964394
5	"	"	जय मां दुर्गा महिला स्व सहायता समूह बिपतपुर	133012	122551	123255	134803	122128	141229			776978
6	"	"	जय जलेश्वर महिला स्व सहायता समूह डोगरियाकला	103014	94934	98071	86850	83678	122713			589260
7	"	"	स्वयं प्रभा महिला स्व सहायता समूह कुम्ही	147680	109832	123860	149246	105265	144574			780457
8	"	"	मां भवानी स्व सहायता समूह चारभाठाखुर्द	93904	87494	77100	100862	82279	नाह सितंबर 2014 से कार्य से पृथक			441639
9	"	कूकदूर	जय चंडी मां समूह कुई	81520	54203	53565	39546	48344	63590			340768
10	"	"	विश्वकर्मा स्व सहायता समूह गिरधारीकांपा	122153	111088	60649	117203	104135	100478			615706
11	"	"	जय बंजारी महिला स्व सहायता समूह पोलमी	81153	67041	71904	76480	66407	83867			446872

610

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	पंड़रिया	कूकदूर	वर्नाचल महिला स्व सहा0 समूह अजवाईनवाह	50376	77137	0	97337	83062	90587	माह अक्टूबर 2014 से कार्य से पृथक	398499
13	---	---	अन्नपूर्णा समूह दामापुर	109880	91346	84744	107661	100669	97549	---	591869
14	---	---	महागरीब महिला स्व सहायता समूह विपतपुर	108438	98014	94819	98755	91421	109409	---	600856
15	---	---	जय अन्नपूर्णा मां स्व सहा. समूह बांधा	54399	59174	62635	47004	45233	55937	---	324432
16	---	कुण्डा	लक्ष्मी महिला स्व सहायता समूह लोखान	205060	153138	167429	200072	164548	202310	---	1092557
17	---	---	कल्याणी महिला स्व सहायता समूह रैतापारा	164937	122183	131615	160152	127951	155044	125525	987407
18	---	---	ग्रामीण उद्योग महिला स्व सहा0 समूह कुण्डा	214642	196848	192156	240066	189885	222360	---	1255957
19	---	---	दुर्गेश्वरी महिला स्व सहायता समूह भगतपुर	129679	96548	104747	122494	98981	121554	86253	760256
20	---	---	गुरुकृपा महिला स्व सहायता समूह डोगरियाखुर्द	156617	131490	123795	160438	133250	161434	132714	999738
21	---	---	महामाया स्व सहायता समूह सुकलीगोविन्द	143482	143008	130851	155857	139370	151245	125023	988333
22	स०लोहारा	स०लोहारा	मां शीतला महिला समूह बनिया	191225	160896	189452	192336	154156	201620	---	1089685
23	---	---	महिला जागरण स्व सहा0 समूह सुरजपुरा	149664	125480	122645	147578	128928	146083	---	820358
24	---	---	जय अम्बे महिला समूह, दोरली	182654	158851	145878	186715	150204	161123	---	965431
25	स०लोहारा	स०लोहारा	मां दुर्गा महिला स्व सहा0 समूह धरमगढ	164372	149062	139983	167871	141225	144678	---	907191
26	---	---	जगदम्बा महिला स्व सहा0 समूह बडई	95424	77877	79683	94338	80418	89521	---	517271
27	---	---	महिला शक्ति स्व सहा0 समूह बडौदाकला	42895	42848	47503	41439	44505	41509	---	260699
28	---	---	जय संतोषी मां स्व सहा0 समूह स०लोहारा	20718	18056	16731	21167	0	21254	---	97926
29	कवर्धा	दशरंगपुर	जय मां लक्ष्मी महिला स्व सहा0 समूह गांगपुर	207300	186041	183811	215917	170899	216343	---	1180311

15 दिसम्बर, 2014 ]

162

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	--''--	--''--	मां दुर्गा महिला स्व सहा0 समूह जिन्दा	137123	115217	110460	129548	102179	113378	—	707905
31	--''--	--''--	जय मां शीतला समूह नवघटा	240803	190737	262857	228734	231254	224371	—	1378756
			<b>कुल भुगतान की गई राशि</b>	<b>4117250</b>	<b>3514716</b>	<b>3499346</b>	<b>3978953</b>	<b>3536201</b>	<b>3853682</b>	<b>469515</b>	<b>22969843</b>

## परिशिष्ट "अड़तीस"

[ अतारंकित प्रश्न संख्या 51 (क. 388) के भाग (क) से (ग) की जानकारी ]

## प्रपत्र "अ"

वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 में दिनांक 20 नवम्बर, 2014 तक समाज कल्याण विभाग द्वारा महासमुंद जिले को विकलांगों के पुनर्वास हेतु प्रदाय राशि का विवरण

(राशि इकाई में)

क्रमांक	योजना का नाम	वर्ष 2013-14			वर्ष 2014-15 (20 नवम्बर 2014 तक)		
		प्राप्त	व्यय	शेष	प्राप्त	व्यय	शेष
1	2						
1	निःशक्त सामर्थ्य विकास मेला / शिविर	49733	49733	निरंक	500000	113204	386796
2	निःशक्त सामर्थ्य विकास कृत्रिम अंग / सहायक उपकरण	514435	514435	निरंक	275000	274762	238
3	निःशक्त छात्रवृत्ति	252795	252795	निरंक	280000	8460	271540
4	निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना	1554000	1554000	निरंक	252000	231000	21000
5	निःशक्त व्यक्तियों के शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु शासकीय संस्था	1019422	1019422	निरंक	2848000	1276508	1571492
6	जिला निःशक्तजन पुनर्वास केन्द्र	264383	264383	निरंक	770000	184817	585183
	योग	3654768	3654768	निरंक	4925000	2068751	2836249

वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 में दिनांक 20 नवम्बर, 2014 तक समाज कल्याण विभाग  
द्वारा निराश्रितों के लिए प्रदाय राशि का विवरण

(राशि  
अंक में लाखों में)

क्रमांक	योजना का नाम	वर्ष 2013-14			वर्ष 2014-15 (20 नवम्बर 2014 तक)		
		प्राप्त	व्यय	शेष	प्राप्त	व्यय	शेष
1	सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना	820.07	820.07	निरंक	1205.00	620.41	584.58
2	सुखद सहारा योजना	256.38	256.38	निरंक	422.00	184.71	237.29
	योग	1076.45	1076.45	निरंक	1627.00	805.12	821.87

## परिशिष्ट "उनतालीस"

[ अतारकित प्रश्न संख्या 52 (क. 389) के भाग (क), (ख) एवं (ग) की जानकारी ]

सरायपाली विधानसभा क्षेत्र में दिनांक 20.11.2011 से वर्ष 2013 तक आयोजित  
जनसमस्या निवारण शिविरों की जानकारी

क्र	विकासखण्ड का नाम	ग्राम का नाम जहां शिविर आयोजित किया गया	शिविर का दिनांक	कुल प्राप्त आवेदन	कुल निराकृत आवेदन	निराकरण हेतु शेष आवेदन
1.	सरायपाली	पैकिन	24.12.2011	1355	1355	0
2.	बसना	बड़ेसाजापाली	30.12.2011	597	597	0
3.	बसना	विरनडवरी	17.02.2012	600	600	0
4.	सरायपाली	जम्हारी	05.05.2012	235	235	0
5.	बसना	जमदरहा	23.06.2012	725	725	0
6.	सरायपाली	कोदागुड़ा	30.06.2012	596	596	0
7.	सरायपाली	मोखापुटका	17.08.2012	667	667	0
8.	बसना	बिछिया (सा)	31.08.2012	1026	1026	0
9.	सरायपाली	बिरकोल	20.10.2012	306	306	0
10.	बसना	चनाट	09.11.2012	225	225	0
11.	सरायपाली	कुसमीसरार	31.01.2013	442	442	0
12.	बसना	उमरिया	12.04.2013	323	323	0
13.	बसना	सागरपाली	14.06.2013	623	623	0
14.	सरायपाली	नवागाढ़	29.06.2013	559	559	0
15.	सरायपाली	केना	13.09.2013	658	658	0
योग				8937	8937	0

## परिशिष्ट "चालीस"

[ अतारांकित प्रश्न संख्या 55 (क. 421) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी ]

प्रपत्र "अ"

बलौदाबाजार-भाटापारा जिले में सीमेंट प्लांट (कंपनी) को स्वीकृत खानपट्टा क्षेत्र का विवरण

क्रमांक	सीमेंट कंपनी/ खनिपट्टाधारी का नाम व पता	खनिज	स्वीकृत क्षेत्र		रकबा (हेक्टर में)
			तहसील	ग्राम	
1	2	3	4	5	6
1	मेसर्स अंबुजा सीमेंट इस्टर्न लिमिटेड ग्राम रवान	चूनापत्थर	बलौदाबाजार	रवान, पौरुरी, भरसेली, कुकरडीह,	420.953
			बलौदाबाजार	मल्दी, मोपर, देवरानी, करमंदी, बोईरडीह	553.656
2	ग्रासीम इंद्रस्ट्रीज लिमि. पोस्ट ग्रामीण विहार रवान (वर्तमान नाम मेसर्स अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड)	चूनापत्थर	सिमगा	रावन, झीपन, पेन्ड्री, कसीडीह, फुडरडीह	722.834
			बलौदाबाजार	कुकुरडीह	251.527
3	मेसर्स अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड, हिरमी तहसील सिमगा	चूनापत्थर	सिमगा	परसवानी, सकलोर, हिरमी, बरडीह, फुडरडीह	997.355
4	मेसर्स लाफार्ज सीमेंट लिमि. सोनाडीह तहसील बलौदाबाजार	चूनापत्थर	बलौदाबाजार	सोनाडीह, खपरी, रसेड़ा, रसेड़ी	444.763
5	मेसर्स इमामी पेपर मिल्स लिमिटेड, कोलकता	चूनापत्थर	बलौदाबाजार	कुकुरडीह, रिसदा	395.050
6	मेसर्स रूंगटा माइन्स लिमिटेड सिंगभूमि रूंगटा हाउस झारखंड	चूनापत्थर	पलारी	मोहरा, भालूकोना, पत्थरचुवा	391.726
7	श्री सीमेंट प्रायवेट लिमिटेड व्यावार राजस्थान	चूनापत्थर	सिमगा	भरुवाडीह, सेमराडीह,	531.126
8	मेसर्स मोनेट इस्पात एंड एनर्जी लिमिटेड मंदिरहसौद जिला रायपुर	चूनापत्थर	बलौदाबाजार	पौसरी, गुमा	274.903
9	मेसर्स आधुनिक कार्पारेशन लिमिटेड कोलकता	चूनापत्थर	पलारी	फुलवारी, नेवारी, गर्गाभाठा बम्बरिया	249.410
10	मेसर्स जय प्रकाश एसोसिएटन लिमिटेड नई दिल्ली	चूनापत्थर	पलारी	चुचरूंगपुर, चिराडी, अमलीडीह	125.000

बलौदाबाजार जिले में सीमेंट प्लांटो हेतु खनिपट्टा स्वीकृति करते समय खनिपट्टाधारी के परस्पर सहमति से जोड़ी गई अतिरिक्त शर्तों की जानकारी

1	अंबूजा सीमेंट लिमिटेड को ग्राम खान, पौसरी, भरसेली, कुकरडीह, तहसील बलौदाबाजार के रकबा 420.953 हेक्टर क्षेत्र पर दिनांक 26.6.2001 से 25.6.2021 तक स्वीकृत चूनापत्थर खनिपट्टा क्षेत्र में शासन की ओर से कोई अतिरिक्त शर्त नहीं जोड़ा गया है -।
2	मे. अल्ट्राटेक सीमेंट कं. रावन (पूर्व नाम ग्रासीम सीमेंट) को ग्राम रावन, झीपन, पेन्डी, कर्सीडीह, फुंडरडीह तहसील सिमगा के रकबा 722.834 हेक्टर क्षेत्र पर दिनांक 16.12.1993 से 5.12.2013 तक स्वीकृत चूनापत्थर खनिपट्टा क्षेत्र में शासन की ओर से कोई अतिरिक्त शर्त नहीं जोड़ा गया है !
3	मे. अल्ट्राटेक सीमेंट कं. हिरमी तहसील सिमगा को ग्राम परसवानी, सकलोर, हिरमी, बरडीह, फुंडरडीह तहसील सिमगा के रकबा 997.355 हेक्टर क्षेत्र पर दिनांक 22.2.1993 से 21.2.2013 तक स्वीकृत चूनापत्थर खनिपट्टा क्षेत्र में शासन की ओर से कोई अतिरिक्त शर्त नहीं जोड़ा गया है ।
4	मे. लाफार्ज सीमेंट लिमि. सोनाडीह सोनाडीह, को ग्राम खपरी, रसेड़ा, रसेड़ी तहसील बलौदाबाजार के रकबा 444.763 हेक्टर क्षेत्र पर दिनांक 15.1.2006 से 14.1.2026 तक स्वीकृत चूनापत्थर खनिपट्टा क्षेत्र में शासन की ओर से कोई अतिरिक्त शर्त नहीं जोड़ा गया है ।
5	मेसर्स अंबूजा सीमेंट लिमिटेड को ग्राम मल्दी, मोपर, देवरानी, करमंदी, बोईरडीह, के तहसील बलौदाबाजार कुल रकबा 553.565 हेक्टर क्षेत्र पर दिनांक 18.2.2009 से 17.2.2039 तक अवधि की अवधि के लिए खनिपट्टा स्वीकृत किया गया है । शासन द्वारा निर्धारित शर्तें निम्नानुसार हैं :- <ol style="list-style-type: none"> <li>1 खनिपट्टा क्षेत्र से प्राप्त होने वाले चूनापत्थर का उपयोग पूर्णतः कंपनी के सीमेंट संयंत्र में ही किया जायेगा एवं खनिपट्टे के क्षेत्र से उत्पन्न चूनापत्थर का अन्यत्र विक्रय नहीं किया जायेगा।</li> <li>2 यदि खनिपट्टा की स्वीकृति उपरांत कंपनी द्वारा सीमेंट प्लांट के विस्तार/स्थापना हेतु प्रभावी कार्यवाही नहीं किया जाना अथवा विलंब किया जाना पाया जाता है तो खनिपट्टा धारी को 60 दिवस की अवधि देते हुये कारण बताओ नोटिस जारी किया जाकर स्पष्टीकरण प्राप्त किया जायेगा एवं प्राप्त स्पष्टीकरण संतोषप्रद नहीं पाया जाने पर राज्य शासन द्वारा खनिपट्टा निरस्त किया जा सकेगा।</li> <li>3 कंपनी इस हेतु सहमत है कि, उनके द्वारा संयंत्र के स्थापना हेतु की जा रही कार्यवाही /पहल की जानकारी प्रत्येक वित्तीय वर्ष के माह अप्रैल/जुलाई/अक्टूबर एवं जनवरी माह में 10 तारीख के पूर्व विभाग/संचालक भौमिकी तथा खनिकर्म/ संबंधित जिले के कलेक्टर को प्रस्तुत की जायेगी।</li> </ol>

	<p>4 कंपनी इस हेतु सहमत है कि उसके द्वारा संयंत्र के स्थापना /विस्तार हेतु समस्त वानूनी प्रावधानों तथा राज्य की पुर्नवास नीति (यदि लागू होती है तो ) का पालन किया जायेगा।</p> <p>5 कंपनी इस हेतु सहमत है कि माईनिंग लीज हेतु स्वीकृति आदेश जारी किये जाने के पूर्व अथवा स्वीकृति पश्चात् अनुबंध निष्पादन हो जाने के बाद भी, यदि कंपनी द्वारा की गई चूक के फलस्वरूप माईनिंग लीज स्वीकृति वाबत् लिये गये सैद्धान्तिक निर्णय/मायनिंग लीज का निरस्त करने की स्थिति बनती है तो कंपनी द्वारा किये गये किसी व्यय की भरपाई हेतु राज्य शासन की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।</p> <p>6 कंपनी इस हेतु सहमत है कि यदि उनके द्वारा उपरोक्तानुसार जानकारी देने अथवा प्रक्रिया के पालन में चूक की जाती है तो राज्य शासन को यह अधिकार होगा कि 60 दिवस की सूचना देकर कंपनी द्वारा प्रस्तुत जवाब संतोषप्रद न पाये जाने की अवस्था में कंपनी की सुनवाई उपरान्त खनिपट्टा की स्वीकृति हेतु लिये गये निर्णय में फेरफार किया जा सकेगा।</p> <p>7 कंपनी इस हेतु सहमत है कि अनुबंध निष्पादन हो जाने के बाद भी मायनिंग लीज को निरस्त करने की स्थिति बनती है तो कंपनी द्वारा किये गये किसी व्यय की भरपाई हेतु राज्य शासन की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।</p>
6	<p><b>मेसर्स ईमामो पेपर मिल्स लिमिटेड, कोलकाता को ग्राम कुकुरडीह, रिसदा तहसील बलौदाबाजार, के कुल रकबा 395.050 हेक्टर क्षेत्र पर दिनांक 8.9.2009 से 7.9.2039 तक अवधि की अवधि के लिए खनिपट्टा स्वीकृत किया गया है। शासन द्वारा निर्धारित शर्तें निम्नानुसार हैं:-</b></p> <p>1 खनिपट्टा क्षेत्र से प्राप्त होने वाले चूनापत्थर का उपयोग पूर्णतः कंपनी के सीमेंट संयंत्र में ही किया जाएगा एवं खनिपट्टे के क्षेत्र से उत्पादित चूनापत्थर का अन्यत्र विक्रय नहीं किया जाएगा।</p> <p>2 यदि खनिपट्टा की स्वीकृति उपरान्त कंपनी द्वारा सीमेंट प्लान्ट के विस्तार/ स्थापना हेतु प्रभावी कार्यवाही नहीं किया जाना अथवा विलंब किया जाना पाए जाता है तो खनिपट्टा धारी को 60 दिवस की अवधि देते हुए कारण बताओ नोटिस जारी किया जाकर स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाएगा एवं प्राप्त स्पष्टीकरण संतोषप्रद नहीं पाए जाने पर राज्य शासन द्वारा खनिपट्टा निरस्त किया जा सकेगा।</p> <p>3 कंपनी इस हेतु सहमत है कि उनके द्वारा संयंत्र की स्थापना हेतु की जा रही कार्यवाही/पहल की जानकारी प्रत्येक वित्तीय वर्ष के माह अप्रैल/जुलाई/ अक्टूबर एवं जनवरी माह में 10 तारीख के पूर्व विभाग/संचालक भौमिदी तथा खनिकर्म/ संबंधित जिले के कलेक्टर को प्रस्तुत की जाएगी।</p> <p>4 कंपनी इस हेतु सहमत है कि उसके द्वारा संयंत्र की स्थापना /विस्तार हेतु समस्त वानूनी प्रावधानों तथा राज्य की पुर्नवास नीति (यदि लागू होती है तो) का पालन किया जाएगा।</p> <p>5 कंपनी इस हेतु सहमत है कि मायनिंग लीज हेतु स्वीकृति आदेश जारी किए जाने के पूर्व अथवा स्वीकृति पश्चात् अनुबंध निष्पादन हो जाने के बाद भी यदि कंपनी द्वारा की गई चूक के फलस्वरूप मायनिंग लीज स्वीकृति वाबत् लिए गए सैद्धान्तिक निर्णय/मायनिंग लीज का निरस्त करने की स्थिति बनती है तो कंपनी द्वारा किए गए किसी व्यय की भरपाई हेतु राज्य शासन की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी</p> <p>6 कंपनी इस हेतु सहमत है कि यदि उनके द्वारा उपरोक्तानुसार जानकारी देने अथवा प्रक्रिया के पालन में चूक की जाती है तो राज्य शासन को यह अधिकार होगा कि 60 दिवस की सूचना देकर कंपनी द्वारा प्रस्तुत जवाब संतोषप्रद न पाए जाने की अवस्था में कंपनी की सुनवाई उपरान्त खनिपट्टा की स्वीकृति हेतु लिए गए निर्णय में फेरफार किया जा सकेगा।</p>

7	कंपनी इस हेतु सहमत है कि अनुबंध निष्पादन हो जाने के बाद भी मायनिंग लीज को निरस्त करने की स्थिति बनती है तो कंपनी द्वारा किये गये किसी व्यय की भरपाई हेतु राज्य शासन की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी ।
7	मेसर्स अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड रावन (पूर्व नाम मेसर्स ग्रासीम सीमेंट लिमिटेड ) को ग्राम कुकुरडीह तहसील बलौदावाजार, के कुल रकबा 251.527 हेक्टर क्षेत्र पर दिनांक 4.11.2010 से 3.11.2040 तक अवधि की अवधि के लिए खनिपट्टा स्वीकृत किया गया है । शासन द्वारा निर्धारित शर्तें निम्नानुसार हैं :-
1	खनिपट्टा क्षेत्र से प्राप्त होने वाले चूनापत्थर का उपयोग पूर्णतः कंपनी के सीमेंट संयंत्र में ही किया जायेगा एवं खनिपट्टे के क्षेत्र से उत्पादित चूनापत्थर का अन्यत्र विक्रय नहीं किया जायेगा।
2	यदि खनिपट्टा की स्वीकृति उपरांत कंपनी द्वारा सीमेंट प्लान्ट के विस्तार/ स्थापना हेतु प्रभावी कार्यवाही नहीं किया जाना अथवा विलंब किया जाना पाया जाता है तो खनि पट्टा धारी को 60 दिवस की अवधि देते हुये कारण बाताओ नोटिस जारी किया जाकर स्पष्टीकरण प्राप्त किया जायेगा एवं प्राप्त स्पष्टीकरण संतोषप्रद नहीं पाए जाने पर राज्य शासन द्वारा खनिपट्टा निरस्त किया जा सकेगा।
3	कंपनी इस हेतु सहमत है कि, उनके द्वारा संयंत्र के स्थापना हेतु की जा रही कार्यवाही/पहल की जानकारी प्रत्येक वित्तीय वर्ष के माह अप्रैल/जुलाई/ अक्टूबर एवं जनवरी माह में 10 तारीख के पूर्व विभाग/संचालक भौमिकी तथा खानिकर्म/संबंधित जिले के कलेक्टर को प्रस्तुत की जाएगी।
4	कंपनी इस हेतु सहमत है कि उसके द्वारा संयंत्र के स्थापना /विस्तार हेतु समस्त वानूनी प्रावधानों तथा राज्य की पुर्नवास नीति (यदि लागू होती है तो ) का पालन किया जाएगा।
5	कंपनी इस हेतु सहमत है कि माईनिंग लीज हेतु स्वीकृति आदेश जारी किए जाने के पूर्व अथवा स्वीकृति पश्चात् अनुबन्ध निष्पादन हो जाने के बाद भी, यदि कंपनी द्वारा की गई चूक के फलस्वरूप माईनिंग लीज स्वीकृति बाबत लिए गये सैद्धान्तिक निर्णय/माईनिंग लीज का निरस्त करने की स्थिति बनती है तो कंपनी द्वारा किये गये किसी व्यय की भरपाई हेतु राज्य शासन की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी ।
6	कंपनी इस हेतु सहमत है कि यदि उनके द्वारा उपरोक्तानुसार जानकारी देने अथवा प्रक्रिया के पालन में चूक की जाती है तो राज्य शासन को यह अधिकार होगा कि 60 दिवस की सूचना देकर कंपनी द्वारा प्रस्तुत जवाब संतोषप्रद न पाए जाने की अवस्था में कंपनी की सुनवाई उपरांत खनिपट्टा की स्वीकृति हेतु लिये गये निर्णय में फेरफार किया जा सकेगा।
7	कंपनी द्वारा खनिपट्टा क्षेत्र से उत्पादित चूनापत्थर का उपयोग राज्य में ही कंपनी के स्थापित सीमेंट संयंत्र में सीमेंट/क्लिकर बनाने में किया जावेगा। क्लिकर विक्रय भी राज्य के बाहर नहीं किया जावेगा।
8	अनुबन्ध निष्पादन हो जाने के बाद यदि मायनिंग लीज को निरस्त करने की स्थिति बनती है तो आदेशक द्वारा किए गए किसी व्यय की भरपाई हेतु राज्य शासन की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी ।
8	मेसर्स रूंगटा माईंस लिमिटेड को ग्राम भोहरा, भालूकोना, पत्थरचुवा तहसील पलारी के कुल रकबा 391.726 हेक्टर क्षेत्र पर दिनांक 13.12.2010 से 12.12.2040 तक अवधि की अवधि के लिए खनिपट्टा स्वीकृत किया गया है । शासन द्वारा निर्धारित शर्तें निम्नानुसार हैं :-
1	खनि पट्टा क्षेत्र से प्राप्त होने वाले चूनापत्थर का उपयोग पूर्णतः कंपनी के सीमेंट संयंत्र में

हो किया जाएगा एवं खनिपट्टे के क्षेत्र से उत्पादित चूनापत्थर का अन्यत्र विक्रय नहीं किया जाएगा।

- 2 यदि खनिपट्टा की स्वीकृति उपरान्त कंपनी द्वारा सीमेंट प्लान्ट के विस्तार/स्थापना हेतु प्रभावी कार्यवाही नहीं किया जाना अथवा विलंब किया जाना पाया जाता है तो खनि पट्टा धारी को 60 दिवस की अवधि देते हुए कारण बताओ नोटिस जारी किया जाकर स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाएगा एवं प्राप्त स्पष्टीकरण संतोषप्रद नहीं पाए जाने पर राज्य शासन द्वारा खनिपट्टा निरस्त किया जा सकेगा।
- 3 यदि मायनिंग लीज की स्वीकृति के आदेश जारी हो जाने तथा उक्त आदेश के अनुसरण में मायनिंग लीज अनुबंध निष्पादित हो जाने के बाद भी मायनिंग लीज की स्वीकृति के पार में आवेदक द्वारा दी गई सहमति में चूक किए जाने के फलस्वरूप मायनिंग लीज निरस्त करने की स्थिति बनती है तो कंपनी द्वारा किए गए किसी व्यय की भरपाई हेतु राज्य शासन की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
- 4 कंपनी इस हेतु सहमत है कि उनके द्वारा संयंत्र की स्थापना हेतु की जा रही कार्यवाही/पहल की जानकारी प्रत्येक वित्तीय वर्ष के माह अप्रैल/ जुलाई/ अक्टूबर एवं जनवरी माह में 10 तारीख के पूर्व विभाग/ संचालक भौमिकी तथा खनिकर्म/ संबंधित जिले के कलेक्टर को प्रस्तुत की जाएगी।
- 5 कंपनी इस हेतु सहमत है कि उसके द्वारा संयंत्र की स्थापना /विस्तार हेतु समस्त कानूनी प्रावधानों तथा राज्य की पुर्नवास नीति (यदि लागू होती है तो) का पालन किया जाएगा।
- 6 कंपनी इस हेतु सहमत है कि माईनिंग लीज हेतु स्वीकृति आदेश जारी किये जाने के पूर्व अथवा स्वीकृति पश्चात् अनुबंध निष्पादन हो जाने के बाद भी, यदि कंपनी द्वारा दी गई चूक के फलस्वरूप मायनिंग लीज स्वीकृति बाबत लिये गये सैद्धान्तिक निर्णय/मायनिंग लीज को निरस्त करने की स्थिति बनती है तो कंपनी द्वारा किये गये किसी व्यय की भरपाई हेतु राज्य शासन की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
- 7 कंपनी इस हेतु सहमत है कि यदि उनके द्वारा उपरोक्तानुसार जानकारी देने अथवा प्रक्रिया के पालन में चूक की जाती है तो राज्य शासन को यह अधिकार होगा कि 60 दिवस की सूचना देकर कंपनी द्वारा प्रस्तुत जवाब संतोषजनक न पाए जाने की अवस्था में कंपनी की सुनवाई उपरान्त खनिपट्टा की स्वीकृति हेतु लिए गए निर्णय में फेरफार किया जा सकेगा।
- 8 कंपनी द्वारा खनिपट्टा क्षेत्र से उत्पादित चूनापत्थर का उपयोग राज्य में ही कंपनी के स्थापित सीमेंट संयंत्र में सीमेंट/क्लिंकर बनाने में किया जावेगा। क्लिंकर का विक्रय भी राज्य के बाहर नहीं किया जावेगा।

9 मेसर्स श्री सीमेंट लिमिटेड को ग्राम भरुवाडीह, सेगराडीह तहसील बलौदावाजार, के कुल रकबा 531.126 हेक्टर क्षेत्र पर दिनांक 11.1.2011 से 10.1.2041 तक अवधि की अवधि के लिए खनिपट्टा स्वीकृत किया गया है। शासन द्वारा निर्धारित शर्तों निम्नानुसार है :-

- 1 खनिपट्टा क्षेत्र से प्राप्त होने वाले चूनापत्थर का उपयोग पूर्णतः कंपनी के सीमेंट संयंत्र में ही किया जाएगा एवं खनिपट्टे के क्षेत्र से उत्पादित चूनापत्थर का अन्यत्र विक्रय नहीं किया जाएगा।
- 2 यदि खनिपट्टा की स्वीकृति उपरान्त कंपनी द्वारा चूनापत्थर पर आधारित सीमेंट प्लान्ट के स्थापना/प्रस्तावित क्षमता विस्तार हेतु प्रभावी कार्यवाही नहीं किया जाना अथवा विलंब किया जाना पाया जाता है तो खनि पट्टा धारी को 60 दिवस की अवधि देते हुये कारण बताओ नोटिस जारी किया जाकर स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाएगा एवं प्राप्त स्पष्टीकरण संतोषप्रद नहीं पाए जाने पर राज्य शासन द्वारा खनिपट्टा निरस्त किया जा सकेगा।

3	उपर्युक्तानुसार आवेदक कंपनी से उनके पक्ष में जिन ग्रामों के लिए आवेदित क्षेत्र में से प्रतिबंधित क्षेत्र को छोड़ने के उपरांत स्वीकृति हेतु प्रस्तावित किए गए क्षेत्र को छोड़कर उनके द्वारा प्रस्तुत आवेदन के अन्य क्षेत्र को वापस लेने हेतु सहमति दी जाए।
4	कंपनी इस हेतु सहमत है कि, उनके द्वारा संयंत्र के स्थापना हेतु की जा रही कार्यवाही/पहल की जानकारी प्रत्येक वित्तीय वर्ष के माह अप्रैल/जुलाई/ अक्टूबर एवं जनवरी माह में 10 तारीख के पूर्व विभाग/संचालक भौमिकी तथा खनिकर्म/ संबंधित के कलेक्टर को प्रस्तुत की जायेगी।
5	कंपनी इस हेतु सहमत है कि उसके द्वारा संयंत्र की स्थापना हेतु समस्त कानूनी प्रावधानों तथा राज्य की पुर्नवास नीति (यदि लागू होती है तो ) का पालन किया जाएगा।
6	कंपनी इस हेतु सहमत है कि मायनिंग लीज हेतु स्वीकृति आदेश जारी किए जाने के पूर्व अथवा स्वीकृति पश्चात् अनुबन्ध निष्पादन हो जाने के बाद भी, यदि कंपनी द्वारा की गई चूक के फलस्वरूप मायनिंग लीज स्वीकृति बावत् लिये गये सैद्धान्तिक निर्णय/मायनिंग लीज का निरस्त करने की स्थिति बनती है तो कंपनी द्वारा किये गये किसी व्यय का भरपाई हेतु राज्य शासन को कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
7	कंपनी इस हेतु सहमत है कि यदि उनके द्वारा उपरोक्तानुसार जानकारी देने अथवा प्रक्रिया के पालन में चूक की जाती है तो राज्य शासन को यह अधिकार होगा कि 60 दिवस की सूचना देकर कंपनी द्वारा प्रस्तुत जवाब संतोषप्रद न पाये जाने की अवस्था में कंपनी की सुनवाई उपरांत खनिपट्टा की स्वीकृति हेतु लिये गए निर्णय में फेरफार किया जा सकेगा।
8	कंपनी द्वारा खनिपट्टा क्षेत्र से उत्पादित चूनापत्थर का उपयोग राज्य में ही कंपनी के स्थापित सीमेन्ट संयंत्र में सीमेन्ट/विलंकर बनाने में किया जावेगा। विलंकर का विक्रय भी राज्य के बाहर नहीं किया जावेगा।
10	<p>मेसर्स मोनेट इस्पात एंड एनर्जी लिमिटेड को ग्राम पौसरी गुमा तहसील बलौदाबाजार के रकबा 274.903 हेक्टर क्षेत्र पर 30 वर्ष की अवधि के लिए चूनापत्थर स्वीकृत किया गया है। कंपनी द्वारा वर्तमान स्थिति में अनुबंध निष्पादन नहीं कराया गया है। शासन द्वारा निर्धारित शर्तें निम्नानुसार हैं :-</p>
1	खनिपट्टा क्षेत्र से प्राप्त होने वाले चूनापत्थर का उपयोग पूर्णतः कंपनी के सीमेन्ट संयंत्र में ही किया जाएगा एवं खनिपट्टे के क्षेत्र से उत्पन्न चूनापत्थर का अन्यत्र विक्रय नहीं किया जाएगा।
2	यदि खनिपट्टा की स्वीकृति उपरांत कंपनी द्वारा चूनापत्थर पर आधारित सीमेन्ट प्लांट के स्थापना/प्रस्तावित क्षमता विस्तार हेतु प्रभावी कार्यवाही नहीं किया जाना अथवा विलंब किया जाना पाया जाता है तो खनिपट्टा धारी को 60 दिवस की अवधि देते हुये कारण बताओ नोटिस जारी किया जाकर स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाएगा एवं प्राप्त स्पष्टीकरण संतोषप्रद नहीं पाए जाने पर राज्य शासन द्वारा खनिपट्टा निरस्त किया जा सकेगा।
3	उपर्युक्तानुसार आवेदक कंपनी से उनके पक्ष में जिन ग्रामों के लिए आवेदित क्षेत्र में से प्रतिबंधित क्षेत्र को छोड़ने के उपरांत स्वीकृति हेतु प्रस्तावित किए गए क्षेत्र को छोड़कर उनके द्वारा प्रस्तुत आवेदन के अन्य क्षेत्र को वापस लेने हेतु सहमति दी जाए।
4	कंपनी इस हेतु सहमत है कि, उनके द्वारा संयंत्र के स्थापना हेतु की जा रही कार्यवाही/पहल की जानकारी प्रत्येक वित्तीय वर्ष के माह अप्रैल/जुलाई/ अक्टूबर एवं जनवरी माह में 10 तारीख के पूर्व विभाग/संचालक भौमिकी तथा खनिकर्म/ संबंधित के कलेक्टर को प्रस्तुत की जाएगी।

	<p>5 कंपनी इस हेतु सहमत है कि उसके द्वारा संयंत्र की स्थापना हेतु समस्त कानूनी प्रावधानों तथा राज्य की पुर्नवास नीति (यदि लागू होती है तो) का पालन किया जाएगा</p> <p>6 कंपनी इस हेतु सहमत है कि मायनिंग लीज की स्वीकृति आदेश जारी किए जाने के पूर्व अथवा स्वीकृति पश्चात् अनुबन्ध निष्पादन हो जाने के बाद भी, यदि कंपनी द्वारा की गई चूक के फलस्वरूप मायनिंग लीज स्वीकृति बाबत लिये गये सैद्धान्तिक निर्णय/मायनिंग लीज का निरस्त करने की स्थिति बनती है तो कंपनी द्वारा किये गये किसी व्यय की भरपाई हेतु राज्य शासन की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।</p> <p>7 कंपनी इस हेतु सहमत है कि यदि उनके द्वारा उपरोक्तानुसार जानकारी देने अथवा प्रक्रिया के पालन में चूक की जाती है तो राज्य शासन को यह अधिकार होगा कि 60 दिवस की सूचना देकर कंपनी द्वारा प्रस्तुत जवाब संतोषप्रद न पाये जाने की अवस्था में कंपनी की सुनवाई उपरांत खनिपट्टा की स्वीकृति हेतु लिये गए निर्णय में फेरफार किया जा सकेगा।</p> <p>8 कंपनी द्वारा खनिपट्टा क्षेत्र से उत्पादित चूनापत्थर का उपयोग राज्य में ही कंपनी के स्थापित सीमेन्ट संयंत्र में सीमेन्ट/विलंकर बनाने में किया जावेगा। विलंकर का विक्रय भी राज्य के बाहर नहीं किया जावेगा।</p>
11	<p>मेसर्स आधुनिक कार्पोरेशन लिमिटेड को ग्राम फुलवारी, बम्बरिया, नेवारी, गरभाठा, तहसील पलारी के कुल रकबा 249.410 हेक्टर क्षेत्र पर दिनांक 11.1.2011 से 10.1.2041 तक अवधि की अवधि के लिए खनिपट्टा स्वीकृत किया गया है। शासन द्वारा निर्धारित शर्तें निम्नानुसार हैं :-</p> <p>1 खनिपट्टा क्षेत्र से प्राप्त होने वाले चूनापत्थर का उपयोग पूर्णतः कंपनी द्वारा स्थापित किये जाने वाले सीमेन्ट संयंत्र में किया जाएगा एवं खनिपट्टे के क्षेत्र से उत्पादित चूनापत्थर का अन्यत्र विक्रय नहीं किया जाएगा।</p> <p>2 यदि खनिपट्टा की स्वीकृति उपरान्त कंपनी द्वारा चूनापत्थर पर आधारित सीमेन्ट प्लान्ट की स्थापना हेतु प्रभावी कार्यवाही नहीं किया जाना अथवा विलंब किया जाना पाया जाता है तो खनिपट्टा/लाइसेंसधारी को 60 दिवस की अवधि देते हुए कारण बताओ नोटिस जारी किया जाकर स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाएगा एवं प्राप्त स्पष्टीकरण संतोषप्रद नहीं पाए जाने पर राज्य शासन द्वारा खनिपट्टा निरस्त किया जा सकेगा।</p> <p>3 आवेदक कंपनी से उनके पक्ष में जिन ग्रामों के लिए आवेदित क्षेत्र में से प्रतिबंधित क्षेत्र को छोड़ने के उपरान्त स्वीकृति हेतु प्रस्तावित किए गए हैं, को छोड़कर उनके द्वारा चूनापत्थर खनिज रियायत हेतु अन्य क्षेत्र के लिए प्रस्तुत आवेदनों को वापस लेने हेतु सहमति दी जाए।</p> <p>4 कंपनी इस हेतु सहमत है कि उनके द्वारा संयंत्र की स्थापना हेतु की जा रही कार्यवाही/पहल की जानकारी प्रत्येक वित्तीय वर्ष के माह अप्रैल/ जुलाई/ अक्टूबर एवं जनवरी माह में 10 तारीख के पूर्व विभाग/ संचालक भौमिकी तथा खनिकर्म/ संबंधित जिले के कलेक्टर को प्रस्तुत की जाएगी।</p> <p>5 कंपनी इस हेतु सहमत है कि उसके द्वारा संयंत्र की स्थापना /विस्तार हेतु समस्त कानूनी प्रावधानों तथा राज्य की पुर्नवास नीति (यदि लागू होता है तो) का पालन किया जाएगा</p> <p>6 कंपनी इस हेतु सहमत है कि मायनिंग लीज हेतु स्वीकृति आदेश जारी किए जाने के पूर्व अथवा स्वीकृति पश्चात् अनुबन्ध निष्पादन हो जाने के बाद भी यदि कंपनी द्वारा की गई चूक के फलस्वरूप मायनिंग लीज स्वीकृति बाबत लिये गए सैद्धान्तिक निर्णय/मायनिंग लीज को निरस्त करने की स्थिति बनती है तो कंपनी द्वारा किए गए किसी व्यय की भरपाई हेतु राज्य शासन की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी</p> <p>7 कंपनी इस हेतु सहमत है कि यदि उनके द्वारा उपरोक्तानुसार जानकारी देने अथवा प्रक्रिया</p>

8 के पालन में चूक की जाती है तो राज्य शासन को यह अधिकार होगा कि 60 दिवस की सूचना देकर कंपनी द्वारा प्रस्तुत जवाब संतोषप्रद न पाए जाने की अवस्था में कंपनी की सुनवाई उपरान्त खनिपट्टा की स्वीकृति हेतु लिए गए निर्णय में फेरफार किया जा सकेगा। कंपनी द्वारा खनिपट्टा क्षेत्र से उत्पादित चूनापत्थर का उपयोग राज्य में ही कंपनी के स्थापित सीमेन्ट संयंत्र में सीमेन्ट/विलंकर बनाने में किया जावेगा। विलंकर विक्रय भी राज्य के बाहर नहीं किया जावेगा।

12

मेसर्स जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड को ग्राम चुचरुंगपुर, चिराही, अमलीडीह तहसील पलारी के कुल रकबा 125.000 हेक्टर क्षेत्र पर दिनांक 12.10.2012 से 11.10.2042 तक अवधि की अधि के लिए खनिपट्टा स्वीकृत किया गया है। शासन द्वारा निर्धारित शर्तें निम्नानुसार हैं :-

- 1 खनिपट्टा क्षेत्र से प्राप्त होने वाले चूनापत्थर का उपयोग पूर्णतः कंपनी द्वारा स्थापित किये जाने वाले सीमेन्ट संयंत्र में किया जाएगा एवं खनिपट्टे के क्षेत्र से उत्पादित चूनापत्थर का अन्यत्र विक्रय नहीं किया जाएगा।
- 2 यदि खनिपट्टा की स्वीकृति उपरान्त कंपनी द्वारा चूनापत्थर पर आधारित सीमेन्ट प्लांट की स्थापना हेतु प्रभावी कार्यवाही नहीं किया जाना अथवा विलंब किया जाना पाया जाता है तो खनिपट्टा/लाईसेंसधारी धारी को 60 दिवस की अवधि देते हुए कारण बताओ नोटिस जारी किया जाकर स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाएगा एवं प्राप्त स्पष्टीकरण संतोषप्रद नहीं पाए जाने पर राज्य शासन द्वारा खनिपट्टा निरस्त किया जा सकेगा।
- 3 आवेदक कंपनी से उनके पक्ष में जिन ग्रामों के लिए आवेदित क्षेत्र में से प्रतिबंधित क्षेत्र को छोड़ने के उपरान्त स्वीकृति हेतु प्रस्तावित किए गए हैं, को छोड़कर उनके द्वारा चूनापत्थर खनिज रियायत हेतु अन्य क्षेत्र के लिए प्रस्तुत आवेदनों को वापस लेने हेतु सहमति दी जाए।
- 4 कंपनी इस हेतु सहमत है कि उनके द्वारा संयंत्र की स्थापना हेतु की जा रही कार्यवाही/पहल की जानकारी प्रत्येक वित्तीय वर्ष में माह अप्रैल/ जुलाई/ अक्टूबर एवं जनवरी माह में 10 तारीख के पूर्व विभाग/ संचालक भौमिकी तथा खनिकर्म/ संबंधित जिले के कलेक्टर को प्रस्तुत की जाएगी।
- 5 कंपनी इस हेतु सहमत है कि उसके द्वारा संयंत्र की स्थापना हेतु समस्त कानूनी प्रावधानों तथा राज्य की पुर्नवास नीति (यदि लागू होती है तो) का पालन किया जाएगा।
- 6 कंपनी इस हेतु सहमत है कि मायनिंग लीज हेतु स्वीकृति आदेश जारी किए जाने के पूर्व अथवा स्वीकृति पश्चात अनुबंध निष्पादन हो जाने के बाद भी यदि कंपनी द्वारा की गई चूक के फलस्वरूप मायनिंग लीज स्वीकृति बायत् लिए गए सैद्धान्तिक निर्णय/मायनिंग लीज को निरस्त करने की स्थिति बनती है तो कंपनी द्वारा किए गए किसी व्यय की भरपाई हेतु राज्य शासन की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी
- 7 कंपनी इस हेतु सहमत है कि यदि उनके द्वारा उपरोक्तानुसार जानकारी देने अथवा प्रक्रिया के पालन में चूक की जाती है तो राज्य शासन को यह अधिकार होगा कि 60 दिवस की सूचना देकर कंपनी द्वारा प्रस्तुत जवाब संतोषप्रद न पाए जाने की अवस्था में कंपनी की सुनवाई उपरान्त खनिपट्टा की स्वीकृति हेतु लिए गए निर्णय में फेरफार किया जा सकेगा।
- 8 कंपनी द्वारा खनिपट्टा क्षेत्र से उत्पादित चूनापत्थर का उपयोग राज्य में ही कंपनी के स्थापित सीमेन्ट संयंत्र में सीमेन्ट/विलंकर बनाने में किया जावेगा। विलंकर विक्रय भी राज्य के बाहर नहीं किया जावेगा।

परिशिष्ट "इक्तालीस"

[ अतारकित प्रश्न संख्या 56 (क. 425) के भाग (ख) की जानकारी ]

भरतपुर सोनहत विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत कैंपा भद से वर्ष 2012-13 से 20/11/2014 तक कराये गये कार्यों की जानकारी

विधान सभा क्षेत्र का नाम	वनमण्डल का नाम	वर्ष	स्वीकृत कार्य का नाम	स्थल का नाम	भौतिक (हे.में)	विवरण
1	2	3	4	5	6	7
भरतपुर-सोनहत	मनेन्द्रगढ़	2012-13	ए0एन0आर0	C/VI गाजर SCI	109.100	रखरखाव कार्य जारी है।
---	---	2012-13	ए0एन0आर0	C/VI मसौरा SCI	150.525	
---	---	2012-13	ए0एन0आर0	C/VI ओदारी SCI	148.650	
---	---	2012-13	ए0एन0आर0	C/VI मन्नोंढ़ SCI	210.240	
---	---	2012-13	ए0एन0आर0	C/VI चपलीपानी SCI	227.175	
---	---	2012-13	ए0एन0आर0	C/VI हंसपुर SCI	154.100	
---	---	2012-13	ए0एन0आर0	C/V धोवाताल SCI	248.060	
---	---	2012-13	ए0एन0आर0	C/VI उमरवाह SCI	225.520	
---	---	2012-13	ए0एन0आर0	C/VI खमरौघ SCI	170.43	
---	---	2012-13	ए0एन0आर0	C/VI महानपुर SCI	197.330	
---	---	2012-13	ए0एन0आर0	C/VI शिवपुर SCI	205.376	
---	---	2012-13	ए0एन0आर0	C/VI जटाशंकर SCI	233.833	
			योग :-		2280.339	

विधान सभा क्षेत्र का नाम	वनमण्डल का नाम	वर्ष	स्वीकृत कार्य का नाम	स्थल का नाम	भौतिक (हे.में)	विवरण
1	2	3	4	5	6	7
भरतपुर-सोनहत	कोरिया	2012-13	ए०एन०आर०	निगनोहर कक्ष क. पी. 326 VII SCI	171.900	रखरखाव कार्य जारी है।
---	---	2012-13	ए०एन०आर०	देवगढ़ कक्ष क. पी. 288 VII SCI	128.100	
---	---	2012-13	ए०एन०आर०	देवतीडांड कक्ष क. पी. 296 VII SCI	139.650	
---	---	2012-13	ए०एन०आर०	बदरा कक्ष क. पी. 346 VII SCI	176.817	
---	---	2012-13	ए०एन०आर०	राधानगर कक्ष क. पी. 384 VII SCI	309.208	
---	---	2012-13	ए०एन०आर०	देवगढ़ कक्ष क. 276 पी VII SCI	139.692	
---	---	2012-13	ए०एन०आर०	अमहर कक्ष क. पी. 205 VII SCI	195.975	
---	---	2012-13	ए०एन०आर०	भगवतपुर कक्ष क. 226, 238 VII SCI	147.520	

विधान सभा क्षेत्र का नाम	वनमण्डल का नाम	वर्ष	स्वीकृत कार्य का नाम	स्थल का नाम	भौतिक (हे.में)	विवरण
1	2	3	4	5	6	7
---	---	2012-13	ए०एन०आर०	अमहर कक्ष क. 204 पी VII SCI	237.104	रखरखाव कार्य जारी है।
---	---	2012-13	ए०एन०आर०	बरेण्डा कक्ष क. पी. 122 VII SCI	195.375	
---	---	2012-13	ए०एन०आर०	बघेल कक्ष क. पी. 83 VII SCI	139.950	
---	---	2012-13	ए०एन०आर०	जनौरा कक्ष क. पी 131 VII SCI	127.933	
---	---	2012-13	ए०एन०आर०	कैसौड़ा कक्ष क. 100 VII SCI	254.250	
---	---	2012-13	ए०एन०आर०	कोटाडोल कक्ष क. पी. 8 VII SCI	166.900	
---	---	2012-13	ए०एन०आर०	रूसनी कक्ष क. पी. 31 VII SCI	199.080	
---	---	2012-13	ए०एन०आर०	बघेल कक्ष क. पी. 103 VI SCI	239.550	
---	---	2012-13	ए०एन०आर०	कोटाडोल कक्ष क. पी. 18 VI SCI	159.910	
भरतपुर-सानहत	कोरिया		योग :-		3128.914	
			महाभाग :-		5409.253	

विधान सभा क्षेत्र का नाम	वनमण्डल का नाम	वर्ष	स्वीकृत कार्य का नाम	स्थल का नाम	भौतिक (हे.में)	विवरण
1	2	3	4	5	6	7
भरतपुर-सोनहत	मनेन्द्रगढ़	2013-14	ए0एन0आर0	C/VII शिवपुर SCI	277.541	रखरखाव कार्य जारी है।
---	---	2013-14	ए0एन0आर0	C/VII देवराबाबा SCI	119.600	
---	---	2013-14	ए0एन0आर0	C/VII जटाशंकर SCI	239.925	
---	---	2013-14	ए0एन0आर0	C/VII मन्नौढ़ SCI	209.990	
---	---	2013-14	ए0एन0आर0	C/VII गाजर SCI	97.380	
---	---	2013-14	ए0एन0आर0	C/VII मसौरा SCI	194.450	
---	---	2013-14	ए0एन0आर0	C/VII ओदारी SCI	145.160	
---	---	2013-14	ए0एन0आर0	C/VII कुनुक SCI	223.530	
---	---	2013-14	ए0एन0आर0	C/VII करवां SCI	135.787	
---	---	2013-14	ए0एन0आर0	C/VII उमरवाह SCI	150.070	
---	---	2013-14	ए0एन0आर0	C/VII धोवाताल SCI	237.330	
---	---	2013-14	ए0एन0आर0	C/VII खमरौध SCI	127.950	
---	---	2013-14	ए0एन0आर0	C/VI धोवाताल SCI	302.380	
---	---	2013-14	ए0एन0आर0	C/VI खमरौध SCI	384.330	
---	---	2013-14	ए0एन0आर0	C/VI कुनुक SCI	306.290	
---	---	2013-14	ए0एन0आर0	C/VI करवां SCI	155.540	
---	---	2013-14	ए0एन0आर0	C/VII महादेवपुर SCI	292.200	
---	---	2013-14	ए0एन0आर0	C/VII चपलीपानी SCI	232.687	
---	---	2013-14	ए0एन0आर0	C/VII हंसपुर SCI	140.825	
			योग :-		3972.965	

विधान सभा क्षेत्र का नाम	वनमण्डल का नाम	वर्ष	स्वीकृत कार्य का नाम	स्थल का नाम	भौतिक (हे.में)	विवरण
1	2	3	4	5	6	7
भरतपुर-सोनहरा	कोरिया	2013-14	ए0एन0आर0	निगनोहर SCI VIII 329	93.800	रखरखाव कार्य जारी है।
---	---	2013-14	ए0एन0आर0	देवतीडांडा SCI VIII 296	119.637	
---	---	2013-14	ए0एन0आर0	बदरा SCI VIII 321	198.225	
---	---	2013-14	ए0एन0आर0	राधानगर SCI VIII 414	87.375	
---	---	2013-14	ए0एन0आर0	भगवतपुर SCI VIII 238	171.450	
---	---	2013-14	ए0एन0आर0	बरण्डा SCI VIII 123	286.935	
---	---	2013-14	ए0एन0आर0	बघेल SCI VIII 83	151.800	
भरतपुर-सोनहरा	कोरिया	2013-14	ए0एन0आर0	जनौरा SCI VIII 129	219.825	
---	---	2013-14	ए0एन0आर0	कोटाडोल SCI VIII 49	157.765	
---	---	2013-14	ए0एन0आर0	रुशानी SCI VIII 50	140.610	
			योग :-		1632.422	
			कुल योग		5605.387	

विधान सभा क्षेत्र का नाम	वनमण्डल का नाम	वर्ष	स्वीकृत कार्य का नाम	स्थल का नाम	भौतिक (हे.में)	विवरण
1	2	3	4	5	6	7
भरतपुर-सोनहत	मनेन्द्रगढ़	2013-14	विशेष प्रजात	713 सोनहरी	100.000	रखरखाव कार्य जारी है।
			योग :-		100.000	
---	---	2013-14	सिंचित बांस/नीलगिरी रोपण	कुंवारी P-1329	10.000	
---	---	2013-14		देवरापूर्व 865	10.000	
---	---	2013-14		गुढरू 934	10.000	
---	---	2013-14		केल्हारी P-948	10.000	
---	---	2013-14		RF-1051	10.000	रोपण हेतु क्षेत्र उपयुक्त नहीं पाये जाने के कारण कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है।
---	---	2013-14		रामगढ़ RF-1054	10.000	रखरखाव कार्य जारी है।
---	---	2013-14		प. रांपा RF-1138	10.000	
---	---	2013-14		बहरासी P-1085	10.000	
			योग :-		80.000	
		2013-14	महायोग :-		5785.387	0
भरतपुर-सोनहत	कोरिया	2014-15	तालाब निर्माण	शरकीझरिया कक्ष 320	01 नग	कार्य प्रगति पर है।
---	---	2014-15	ए0एन0आर0	निगनोहर SCI IX 329 P	184.725	
---	---	2014-15	ए0एन0आर0	देवगढ़ SCI IX 275P	143.775	
---	---	2014-15	ए0एन0आर0	देवतीडांड SCI IX P 300P	137.475	
---	---	2014-15	ए0एन0आर0	बदरा SCI IX P313 P 315	187.185	

विधान सभा क्षेत्र का नाम	वनमण्डल का नाम	वर्ष	स्वीकृत कार्य का नाम	स्थल का नाम	भौतिक (हे.में)	विवरण
1	2	3	4	5	6	7
---	---	2014-15	ए०एन०आर०	राधानगर SCI IX P386P	184.600	कार्य प्रगति पर है।
---	---	2014-15	ए०एन०आर०	निगनीहर SCI I 334P	157.500	
---	---	2014-15	ए०एन०आर०	बदरा SCI I 337 P	182.025	
---	---	2014-15	ए०एन०आर०	राधानगर SCI I P 402	227.600	
---	---	2014-15	ए०एन०आर०	अमहर SCI IX P 249	213.400	
---	---	2014-15	ए०एन०आर०	भगवतपुर SCI IX P 219	225.160	
---	---	2014-15	ए०एन०आर०	अमहर SCI I P 203	194.550	
---	---	2014-15	ए०एन०आर०	भगवतपुर SCI I 237P	120.375	
---	---	2014-15	ए०एन०आर०	बरेण्डा SCI IX P 134	235.463	
---	---	2014-15	ए०एन०आर०	बघेल SCI IX P 153	207.738	
भरतपुर-सोनहत	कोरिया	2014-15	ए०एन०आर०	जनौरा SCI IX P 146	215.625	
---	---	2014-15	ए०एन०आर०	केसौड़ा SCI IX P 69 P	204.862	
---	---	2014-15	ए०एन०आर०	कोटाडोल SCI IX P 49P	183.825	

विधान सभा क्षेत्र का नाम	वनमण्डल का नाम	वर्ष	स्वीकृत कार्य का नाम	स्थल का नाम	भौतिक (हे.में)	विवरण
1	2	3	4	5	6	7
---	---	2014-15	ए०एन०आर०	बरेण्डा SCI IP116	210.675	कार्य प्रगति पर है।
---	---	2014-15	ए०एन०आर०	बघेल SCI IP 65	162.675	
---	---	2014-15	ए०एन०आर०	जनौरा SCI IP156	110.405	
---	---	2014-15	ए०एन०आर०	केसौड़ा SCI IP 82	182.109	
---	---	2014-15	ए०एन०आर०	कोटाडोल SCI IP 9	138.730	
			योग :-		4010.477	
					15205.117	